



वार्षिक प्रतिवेदन 2018—19

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार,
61-65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

संदृश्य

परिषद् का संदृश्य है एक सर्वोत्कृष्ट नियन्त्रक निकाय बनना जो वैश्विक प्रवृत्ति हेतु राष्ट्रीय आवश्यकता को समझते हुए शिक्षा में मार्गदर्शन करे, विकास लाए तथा उत्कृष्टता की संस्था के नेटवर्क को बनाए रखे। साथ ही साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा अभ्यास को नियंत्रित करे।

मिशन

राष्ट्रीय एवं विश्व स्तर पर आवश्यकता के अनुरूप भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सा अभ्यास तथा शैक्षणिक अध्ययन कार्यक्रमों के स्तर एवं गुणवत्ता को बनाए रखने की वचनबद्धता के साथ उपलब्ध संसाधनों के आबंटन, अच्छे अभिशासन व प्रबन्धन के माध्यम से इन पद्धतियों की स्थापना, मार्ग निर्देशन, उन्नति को बरकरार रखना है।


विषय सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	संगठन चार्ट	1
2.	परिचय	2
3.	प्रशासनिक प्रतिवेदन	5
4.	समितियां	7
5.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् एवं इसकी विभिन्न समितियों की बैठक	9
6.	शैक्षणिक योग्यताओं को मान्यता प्रदान की गई	9
7.	आयुर्वेद	12
8.	यूनानी	183
9.	सिद्ध	199
10.	सोवा –रिग्पा	203
11.	प्रशासन	204
12.	वित्त	206
13.	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	207
14.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् का वित्तीय विवरण 2018–19	211
15.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त उपलब्धियां	226
16.	भविष्य के कार्यक्रम	226



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार
61-65, संस्थानिक क्षेत्र., जनकपुरी,
नई दिल्ली-110058

संगठन चार्ट





भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली

वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 द्वारा भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना असाधारण भाग-II धारा 3(II) दिनांक 10.08.1971 के अधीन गठित एक सांविधिक निकाय है। भारत सरकार द्वारा उक्त राजपत्र में समय-समय पर संशोधन करते हुए सदस्यता में परिवर्तन किया गया है।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के मुख्य प्रयोजन निम्न हैं :-

- i) भारतीय चिकित्सा पद्धति यथा आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तिब्ब और सोवा रिग्पा शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करना।
- ii) भारतीय चिकित्सा पद्धति की चिकित्सीय अर्हताओं को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में मान्यता (समावेश/से मान्यता को वापिस लिए जाने) से सम्बन्धित विषयों पर केन्द्र सरकार को परामर्श देना।
- iii) भारतीय चिकित्सा पद्धति की केन्द्रीय पंजिका का रख-रखाव और समय-समय पर उसे परिशोधित करना।
- iv) भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यासियों के लिए आचरण एवं शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानक विहित करना।
- v) भारतीय चिकित्सा पद्धति के नये महाविद्यालय स्थापित करने, स्नातकीय, स्नातकोत्तर उपाधि एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता बढ़ाने एवं नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या अतिरिक्त विषयों में पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पर विचार करना व भारत सरकार को अनुशंसाएं भेजना।

स्थापना वर्ष 1971 से ही केन्द्रीय परिषद् स्नातकीय और स्नातकोत्तर स्तरों पर भारतीय चिकित्सा अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी तिब्ब की पाठ्यविधि एवं पाठ्य विवरण सहित विभिन्न विनियमों को बनाती एवं लागू करती रही है।

परिषद् द्वारा स्नातकीय और स्नातकोत्तर स्तर पर निम्न पाठ्यक्रम पहले से ही विहित किए जा चुके हैं। परिषद् द्वारा आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी तिब्ब हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक तथा पाठ्य विवरण भी विहित किए गए हैं:-

आयुर्वेद

आयुर्वेदाचार्य (बैचुलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	5-1/2 वर्ष
आयुर्वेद वाचस्पति (एम.डी. आयुर्वेद)	3 वर्ष
आयुर्वेद धन्वन्तरि (एम.एस.आयुर्वेद)	3 वर्ष
आयुर्वेद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (विषय विशेष)	2 वर्ष

यूनानी तिब्ब

कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत (बैचुलर ऑफ यूनानी मेडीसन एण्ड सर्जरी)	5-1/2 वर्ष
माहिर-ए-तिब्ब (एम.डी.यूनानी)	3 वर्ष
माहिर-ए-जराहत (एम.एस.यूनानी)	3 वर्ष
यूनानी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (विषय विशेष)	2 वर्ष



सिद्ध

सिद्ध मरूथ्वा अरिग्नर (बैचुलर ऑफ सिद्ध मेडीसन एण्ड सर्जरी)	5-1/2 वर्ष
सिद्ध मरूथ्वा पेरिग्नर (एम.डी.सिद्ध)	3 वर्ष
सिद्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (विषय विशेष)	2 वर्ष

भारतीय चिकित्सा पद्धति के समस्त महाविद्यालय देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध है। ये महाविद्यालय भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित शिक्षा के न्यूनतम स्तर तथा पाठ्यविधि एवं पाठ्य-विवरण का अनुसरण कर रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग के संशोधन के अनुसरण में, केन्द्रीय परिषद् को भारत सरकार के समक्ष अनुशंसाएं प्रेषित करनी थी। तदनुसार, वर्ष 2018-19 हेतु छात्रों के प्रवेश हेतु शिक्षण एवं प्रयोगात्मक प्रशिक्षण की उपलब्ध सुविधाओं का निर्धारण करने तथा अंतिम परिदर्शन के पश्चात् महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुपालन का तथा महाविद्यालयों द्वारा किए गए विकास का सत्यापन करने हेतु समस्त आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया। परिदर्शन प्रतिवेदनो की समीक्षा की गई तथा इन पर विचार किया गया, जिसके बाद भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने भारत सरकार को अनुशंसाएं प्रेषित की। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की अनशंसाओं पर विचार करने के पश्चात् तथा यदि आवश्यक हो तो, साथ-साथ सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् भारत सरकार ने प्रवेश हेतु महाविद्यालयों को अनुमति प्रदान की/नहीं की।



भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका को तैयार करना और उसका रख-रखाव भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के मुख्य कार्यों में से एक है। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के प्रावधानानुसार केन्द्रीय परिषद् विहित पद्धति में भारतीय चिकित्सा की एक पंजिका अनुरक्षित कर रही है जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम हैं जो किसी भी भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हैं और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में समाविष्ट मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई भी रखते हैं। भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का अनुरक्षण और उसका अद्यतन करना एक अनवरत प्रक्रिया है।

नये विनियम अर्थात् भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका) विनियम, 2016 दिनांक 27 अप्रैल, 2017 को अधिसूचित होने के कारण वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित केन्द्रीय पंजिका अधिसूचित हुई। उप-धारा (4) एवं (8) के खण्ड -3 के अनुसार, केन्द्रीय पंजिका में सुधार होना अपेक्षित है, जो कि सक्रिय प्रक्रिया के अधीन है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, भारतीय चिकित्सा पद्धति के 1611 चिकित्साभ्यासियों के नाम अधिसूचित किये गये तथा केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य सक्रिय प्रक्रिया के अधीन है, परन्तु उक्त अवधि के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासियों को कोई केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए थे।

निम्नलिखित राज्यों के चिकित्साभ्यासियों की प्रथम संशोधित सूची का विवरण, जो कि भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर में सम्मिलित किया जा चुका है, एतद्वारा प्रकाशित किया जा रहा है -

क्रम संख्या	राज्य का नाम	परिषद्/बोर्ड का नाम	अवधि	केन्द्रीय पंजिका संख्या
1.	असम	असम स्टेट काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन	प्रारंभ से अगस्त 2017 तक	AY/AS/0000001 ls AY/AS/0000053
2.	झारखंड	झारखंड स्टेट चिकित्सा परिषद्	प्रारंभ से जुलाई 2017 तक	AY/JH/0000001 ls AY/JH/0000153 UN/JH/0000001 ls UN/JH/0000028
3.	तमिलनाडु	तमिलनाडु बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन एवं तमिलनाडु सिद्ध मेडिकल काउंसिल	प्रारंभ से मई 2017 तक	AY/TN/0000001 ls AY/TN/0000315 UN/TN/0000001 ls UN/TN/0000079 SD/TN/0000001 ls SD/TN/0000838
4.	त्रिपुरा	सीघा पंजीयन	AY/TR/0000001 ls AY/TR/0000003

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका परिषद् की वेबसाइट www.ccimindia.org पर प्रदर्शित की जा चुकी है, अतः चिकित्साभ्यासी भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में अपना नाम प्रमाणित कर सकते हैं।



प्रशासनिक प्रतिवेदन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की संरचना

थदनांक 31.03.2018 को केन्द्रीय परिषद् के निम्न सदस्य थे :-

1.	डॉ. बुलियाह तलाकायला	2.+	डॉ. मल्लू प्रसाद
3.#	डॉ. बी. किशन	4.\$	डॉ. गजेन्द्र भराली
5.@	डॉ. बसंत कुमार सिंह	6.@	डॉ. मंतोष कुमार झा
7.@	डॉ. सुभाष चंद्र वर्मा	8.@	डॉ. प्रजापति त्रिपाठी
9.	डॉ. शिव नारायण द्विवेदी	10.	डॉ. प्रमोद पांडुरंग सावंत
11.	डॉ. बोधरा भरतकुमार खोडाभाई	12.	डॉ. उपाध्याय विक्रम भाविनभाई
13.	डॉ. सतपाल	14.	डॉ. अशोक कुमार शर्मा
15.	डॉ. अमिताभ कुमार	16.	डॉ. मगदम नेमन्ना
17.	डॉ. आनंद किशाल	18.	डॉ. हावेरी महावीर
19.	डॉ. मनोज कलूर	20.	डॉ. रेजित ए
21.	डॉ. थोराट दन्यानेश्वर एकनाथ	22.	डॉ. सरदेशमुख सदानंद प्रभाकर
23.	डॉ. वाघ सूर्यकिरण परशुराम	24.	डॉ. सावंत आशानंद इन्द्रकुमार
25.	डॉ. देवपुजारी जयंत यशवन्त	26.	डॉ. सुदर्शन बेहेड़ा
27.	डॉ. संजीव कुमार गोयल	28.	डॉ. जगजीत सिंह
29.	डॉ. रघुनंदन शर्मा	30.	डॉ. वनिता आर.
31.	डॉ. रमाकांत शर्मा	32.*	डॉ. हरि राम
33.*	डॉ. फूल चंद्र चौधरी	34.*	डॉ. भृगुपति पाण्डेय
35.*	डॉ. सुधांशु दत्त शर्मा	36.*	डॉ. मनोज कुमार मिश्र
37.	डॉ. राम बिष्णु घोष	38.	डॉ. प्रद्योत बिकाश कार महापात्रा
39.	डॉ. श्रीनिवास किशन राव बन्नीगोल	40.	डॉ. प्रो. सत्य नारायण सिंह
41.	डॉ. राकेश शर्मा	42.%	डॉ. नन्दिनी विजय
43.	डॉ. संजीव महेंद्र ओजा	44.	डॉ. मनोज नेसरी
45.	डॉ. बी.आर. रामाकृष्णा	46.	डॉ. देवेन्द्र त्रिगुणा
47.	डॉ. मधुसूदन देशपांडे	48.	डॉ. कमलेश कुमार द्विवेदी
49.	डॉ. प्रकाश दीनानाथ गडगे	50.	डॉ. प्रशांथ ए.एस.
51.	डॉ. विनायक एम. प्रभूदेसाई	52.	डॉ. निरंजन सिंह त्यागी
53.	डॉ. कुमारस्वामी बी. हीरेमठ	54.	डॉ. विनायक विठ्ठल तयादे
55.	डॉ. तन्मय गोस्वामी	56.	डॉ. राकेश पंडित
57.	डॉ. सुमन शर्मा	58.	डॉ. गोविन्द सहाय शुक्ला
59.	डॉ. टी.आर. शांतला प्रियदर्शनी	60.	डॉ. सुरेश बालकृष्ण पटनकर
61.	डॉ. विनोद कुमार टी.जी. नायर	62.	डॉ. कमलेश कुमार शर्मा

यूनानी

63.	डॉ. पी.एमडी. हसन अहमद	64.	डॉ. तौहीद किबरिया
65.	डॉ. केतन पटल	66.	डॉ. जुलाया अंसारी मोहम्मद अशरफ
67.	डॉ. विनोद पुंडीर	68.	डॉ. जफर इकबाल
69.	डॉ. खालिद जावद	70.	डॉ. शेख जुबेर अहमद मोहम्मद इब्राहीम
71.	डॉ. अमित ओपलिश	72.	डॉ. आदम
73.	डॉ. मुश्ताक अहमद सी	74.	डॉ. मोहम्मद हारून
75.*	डॉ. अनवर सईद	76.*	डॉ. सैय्यद आरिज अहमद कादरी
77.	डॉ. मोजीबुर रहमान	78.	डॉ. मोहम्मद सिकंदर हयात सिद्दिकी



79.	डॉ. मो. अय्यूब	80.	डॉ. सलमा बानू
81.	डॉ. एम.ए. कौसमी	82.	डॉ. मदन सिंह जाखर
83.	डॉ. वी.बी. विजयकुमार	84.	डॉ. श्रीराम जे
85.	डॉ. के. राजलक्ष्मी	86.	डॉ. के. मनिक्कावासकम

सोवा रिग्पा

87.	डॉ. पद्म गुरमेत
-----	-----------------

आयुर्वेद एवं सिद्ध

88.	डॉ. सी. रघुनाथन नायर
-----	----------------------

- * रिट पिटीशन न. 2018 का 34516 (एम/बी) दिनांक 30.11.2018 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा जारी आदेश के अधीन।
- @ सिविल रिट ज्यूरीडिक्शन केस न. 2016 का 18797 दिनांक 06.02.2019 से उत्पन्न मिसेलेनियस ज्यूरीडिक्शन केस न. 2018 का 4641 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अधीन।
- \$ केस न.: डब्लू पी. (सी) न. 1462/2019 दिनांक 06.03.2019 में असम, नागालैंड, मिज़ोरम एवं अरुणाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अधीन।
- # केस न.: डब्लू पी. न. 6621/2019 दिनांक 28.03.2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अधीन।
- + केस न.: डब्लू पी. न. 5764/2019 दिनांक 28.03.2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अधीन।
- % डब्लू पी. (एम.डी.) न. 2019 का 7263 दिनांक 28.03.2019 में डब्लू एम. पी. (एम.डी.) न. 2019 का 5895 में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच द्वारा जारी आदेश के अधीन।



समितियां

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 9 (1) के अनुसार केन्द्रीय परिषद् की निम्न मुख्य समितियां हैं, यथा :-

1. आयुर्वेद समिति
2. सिद्ध समिति
3. यूनानी समिति

उपर्युक्त समितियां भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) (ख) और (ग) के अधीन निर्वाचित/मनोनीत सदस्यों से युक्त हैं।

दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

1.	अध्यक्ष	डॉ. देवपुजारी जयंत यशवन्त
2.	उपाध्यक्ष (आयुर्वेद)	बी.आर. रामाकृष्णा
3.	उपाध्यक्ष (यूनानी)	डॉ. शेख जुबेर अहमद मोहम्मद इब्राहीम
4.	उपाध्यक्ष (सिद्ध)	डॉ. वी.बी. विजयकुमार



कार्यकारिणी समिति

अधिनियम एवं उसके अधीन निर्मित नियमों एवं विनियमों के ढांचों में केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित सामान्य नीति एवं सिद्धान्तों के अनुरूप परिषद् के कार्यों का निष्पादन करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सामान्य) विनियम, 1976 की धारा 6 के अनुरूप कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है। भारतीय चिकित्सा की आयुर्वेद, सिद्ध तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का चुनाव भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सामान्य) विनियम, 1976 के खण्ड 6 (1) के अधीन उनकी अपनी-अपनी समितियों द्वारा किया जाता है।

दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक कार्यकारिणी समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :-

- | | |
|--|-------------------|
| 1. डॉ. बी.आर. रामाकृष्णा (27.03.2018 से 11.07.2018 तक) | अध्यक्ष प्रभारी |
| 2. डॉ. वनिता आर. (12.07.2018 से 27.09.2018 तक) | अध्यक्ष |
| 3. डॉ. बी.आर. रामाकृष्णा (27.09.2018 से 10.10.2018 तक) | अध्यक्ष प्रभारी |
| 4. डॉ. देवपुजारी जयंत यशवन्त (10.10.2018 से जारी हैं।) | अध्यक्ष |
| 5. डॉ. शेख जुबेर अहमद मोहम्मद इब्राहीम, उपाध्यक्ष (यूनानी) | सदस्य |
| 6. डॉ. वी.बी. विजयकुमार, उपाध्यक्ष (सिद्ध) | सदस्य |
| 7. डॉ. थोराट दन्यानेश्वर एकनाथ | सदस्य |
| 8. प्रो. मुश्ताक अहमद सी | सदस्य |
| 9. डॉ. आदम | सदस्य |
| 10. डॉ. के. राजलक्ष्मी | सदस्य |
| 11. डॉ. संजीव कुमार गोयल (10.01.2019 से 31.03.2019 तक) | सदस्य (को-ऑप्टेड) |
| 12. डॉ. कमलेश कुमार शर्मा (10.01.2019 से 31.03.2019 तक) | सदस्य (को-ऑप्टेड) |
| 13. डॉ. आनंद किशाल (10.01.2019 से 31.03.2019 तक) | सदस्य (को-ऑप्टेड) |



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् एवं इसकी विभिन्न समितियों की बैठकें

वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित बैठकें हुई :-

1.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 261वीं बैठक।	05.04.2018
2.	नई दिल्ली में हुई कार्यालयी कार्य हेतु बैठक।	09.04.2018
3.	नई दिल्ली में हुई शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी के परिदर्शन प्रतिवेदन/अनुसंशाओं के पुनर्विलोकन हेतु बैठक।	01.05.2018 एवं 02.05.2018
4.	नई दिल्ली में हुई विधिक मामला समिति की बैठक।	07.05.2018 एवं 08.05.2018
5.	नई दिल्ली में हुई परिदर्शन प्रोफार्मा को पुनः तैयार करने हेतु बैठक।	08.05.2018
6.	नई दिल्ली में हुई विधिक मामला समिति की बैठक।	09.05.2018
7.	नई दिल्ली में हुई विधिक मामला समिति की बैठक।	17.05.2018 एवं 18.05.2018
8.	नई दिल्ली में हुई परिदर्शन के कार्यालयी कार्य हेतु बैठक।	18.05.2018 से 21.05.2018
9.	नई दिल्ली में हुई विधिक मामला समिति की बैठक।	24.05.2018 एवं 25.05.2018
10.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 262वीं बैठक।	25.05.2018
11.	नई दिल्ली में हुई परिदर्शन के कार्यालयी कार्य हेतु बैठक।	29.05.2018 एवं 30.05.2018
12.	नई दिल्ली में हेई कार्यालय में हुई विभिन्न समितियों के चेयरमैन एवं को-चेयरमैन की बैठक।	31.05.2018
13.	नई दिल्ली में हुई विधिक मामला समिति की बैठक।	04.06.2018 एवं 05.06.2018
14.	नई दिल्ली में हुई छानबीन समिति की बैठक।	04.06.2018 से 09.06.2018
15.	नई दिल्ली में हुई छानबीन समिति की बैठक।	11.06.2018
16.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 263वीं बैठक।	12.06.2018
17.	नई दिल्ली में हुई भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के कार्यालय पर कार्यालयी कार्य हेतु बैठक।	19.06.2018
18.	नई दिल्ली में हुई छानबीन समिति की बैठक।	25.06.2018 एवं 26.06.2018
19.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 264वीं बैठक।	27.06.2018
20.	नई दिल्ली में हुई कार्यालयी कार्य हेतु बैठक।	03.07.2018 से 05.07.2018
21.	नई दिल्ली में हुई छानबीन समिति की बैठक।	04.07.2018 एवं 06.07.2018
22.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 265वीं बैठक।	06.07.2018
23.	नई दिल्ली में हुई कार्यालयी कार्य हेतु बैठक।	11.07.2018 से 13.07.2018
24.	नई दिल्ली में हुई कार्यालयी कार्य हेतु बैठक।	01.08.2018
25.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 266वीं बैठक।	02.08.2018



26.	नई दिल्ली में हुई कार्यालयी कार्य हेतु बैठक।	09.08.2018 एवं 14.08.2018
27.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 267वीं बैठक।	27.08.2018
28.	नई दिल्ली में हुई कार्यालयी कार्य हेतु बैठक।	04.09.2018
29.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 268वीं बैठक।	05.09.2018
30.	नई दिल्ली में हुई विनियम समिति की बैठक।	17.09.2018
31.	नई दिल्ली में हुई विश्वविद्यालय मामला समिति की बैठक।	17.09.2018
32.	नई दिल्ली में हुई पाठ्यविवरण (सिद्ध) हेतु बैठक।	22.09.2018
33.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 269वीं बैठक।	25.09.2018
34.	नई दिल्ली में हुई माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन आयुर्वेद/यूनानी महाविद्यालयों के परिदर्शन के संबंध में बैठक।	11.10.2018
35.	नई दिल्ली में हुई उप समिति की बैठक।	11.10.2018
36.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 270वीं बैठक।	16.10.2018
37.	नई दिल्ली में हुई कार्यालयी कार्य हेतु बैठक।	23.10.2018
38.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 271वीं बैठक।	24.10.2018
39.	नई दिल्ली में हुई छानबीन समिति की बैठक।	24.10.2018
40.	नई दिल्ली में हुई बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम में आयुर्वेद हेतु संस्कृत पर पाठ्य पुस्तक (भाग-1 एवं 2) का पुनरीक्षण करने हेतु उप समिति की बैठक।	26.10.2018
41.	नई दिल्ली में हुई शैक्षणिक प्रशासन एवं उत्कृष्टता पर प्रस्तावित नेशनल कांफेंस की बैठक।	30.10.2018
42.	नई दिल्ली में हुई भारतीय चिकित्सा पद्धति शिक्षा से अपेक्षाओं को समझने के लिए देश व्यापी छात्र सर्वेक्षण की बैठक।	31.10.2018
43.	नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय पंजीकरण के संबंध में उप समिति की बैठक।	02.11.2018
44.	नई दिल्ली में हुई शिक्षक कूट संबंधी मामले पर विचार-विमर्श करने हेतु बैठक।	13.11.2018
45.	नई दिल्ली में हुआ विधि परामर्श-दाता के पद हेतु वॉक-इन-इंटरव्यू।	19.11.2018
46.	नई दिल्ली में हुई सी.सी.आई.एम. कीभूमिकापर विश्वव्यापी कॉन्क्लेव की बैठक।	19.11.2018
47.	नई दिल्ली में हुआ जे.टी.ए./एस.टी.ए. (आयुर्वेद) के पद हेतु वॉक-इन-इंटरव्यू।	20.11.2018
48.	नई दिल्ली में हुई कार्यालयी बैठक।	27.11.2018
49.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 272वीं बैठक।	27.11.2018
50.	नई दिल्ली में हुई आयुर्वेद समिति की 52वीं बैठक	03.12.2018
51.	नई दिल्ली में हुई यूनानी समिति की 57वीं बैठक	03.12.2018
52.	नई दिल्ली में हुई सिद्ध समिति की 57वीं बैठक	03.12.2018
53.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 273वीं बैठक।	03.12.2018
54.	नई दिल्ली में हुई भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की 59वीं बैठक।	04.12.2018
55.	नई दिल्ली में हुई आधार आधारित जी.पी.एस. टैग्स बायोमेट्रिक अटेन्डेंस सिस्टम (ए.जी.बी.ए.एस.) को कार्यान्वित करने हेतु बैठक।	18.12.2018
56.	नई दिल्ली में हुई पंजीयन समिति की बैठक।	18.12.2018



57.	नई दिल्ली में हुई आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी के स्नातकीय/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया के पुनरीक्षण हेतु बैठक।	18.12.2018
58.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 274वीं बैठक।	26.12.2018
59.	नई दिल्ली में हुई कार्यालयी कार्य की बैठक।	26.12.2018
60.	नई दिल्ली में हुई आधार आधारित जी.पी.एस. टैग्स बायोमैट्रिक अटेन्डेंस सिस्टम (ए.जी.बी.ए.एस.) को कार्यान्वित करने हेतु बैठक।	26.12.2018
61.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 275वीं बैठक।	10.01.2019
62.	नई दिल्ली में हुई पंजीकरण के संबंध में उप समिति की बैठक।	10.01.2019
63.	आयुष मंत्रालय में नई दिल्ली में हुई बैठक/कार्यालयी कार्यकी बैठक।	14.01.2019
64.	नई दिल्ली में हुई आयुर्वेद में शल्य प्रक्रियाओं हेतु दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु बैठक।	29.01.2019
65.	नई दिल्ली में हुई राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, पटियाला के 06 शिक्षकों की पात्रता संबंधी मामले की बैठक।	29.01.2019
66.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 276वीं बैठक।	30.01.2019
67.	नई दिल्ली में हुई शिक्षकों की पात्रता संबंधी मामले की बैठक।	30.01.2019
68.	नई दिल्ली में हुई शिकायतों/कम्प्लेंट रिड्रेसल कमेटी की बैठक।	05.02.2019
69.	नई दिल्ली में हुई "भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के सदस्यों द्वारा परिदर्शन" संबंधी मामले पर आयुष मंत्रालय की बैठक।	05.02.2019
70.	नई दिल्ली में हुई जे.टी.ए./एस.टी.ए. (आयुर्वेद) की चयन समिति की बैठक।	12.02.2019
71.	नई दिल्ली में हुई अन्य कार्य के संबंध में कार्यालयी कार्य की बैठक।	12.02.2019
72.	नई दिल्ली में हुई कार्यालयी कार्य की बैठक।	19.02.2019
73.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 277वीं बैठक।	26.02.2019
74.	नई दिल्ली में हुई कार्यालयी कार्य की बैठक।	05.03.2019 एवं 06.03.2019
75.	नई दिल्ली में हुई कॉनक्लेव एवं संभावनाओं एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्साभ्यास करने वाले भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासियों हेतु बाध्यताओं की बैठक।	10.03.2019एवं 11.03.2019
76.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 278वीं बैठक।	12.03.2019
77.	नई दिल्ली में हुए कार्यालयी कार्य हेतु कार्यालय में उपस्थित होने हेतु।	18.03.2019एवं 19.03.2019
78.	नई दिल्ली में हुए कार्यालयी कार्य हेतु कार्यालय में उपस्थित होने हेतु।	20.03.2019
79.	नई दिल्ली में हुए कार्यालयी कार्य हेतु कार्यालय में उपस्थित होने हेतु।	23.03.2019
80.	नई दिल्ली में हुए कार्यालयी कार्य हेतु कार्यालय में उपस्थित होने हेतु।	25.03.2019
81.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् में हुए कार्यकारिणी समिति हेतु आयुर्वेद के सदस्य का निर्वाचन।	30.03.2019
82.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 279वीं बैठक।	30.03.2019
83.	नई दिल्ली में हुई भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की 60वीं (विशेष बैठक) की बैठक।	31.03.2019



आयुर्वेद

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारतीय चिकित्सीय केन्द्रीय परिषद् के परामर्श से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में आयुर्वेद की निम्नलिखित चिकित्सीय अर्हताओं को वर्ष 2018-2019 के दौरान मान्यता दी/सम्मिलित किया तथा विश्वविद्यालय की मान्यता के साथ महाविद्यालय का नाम सम्मिलित करने का भी निर्णय लिया:-

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता	संक्षेपाक्षर	वैधता की अवधि	राजपत्र अधिसूचना संख्या
1.	"63ठ डी.वाई. पाटिल विश्वविद्यालय, नेरूल, नवी मुम्बई	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	बी.ए.एम.एस.	2015 से आगे, स्कूल ऑफ आयुर्वेद डी.वाई. पाटिल विश्वविद्यालय, नेरूल, नवी मुम्बई में प्रवेश के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई अनुमति के अधीन रहते हुए।	का.आ. 2034(अ) दिनांक 17 मई, 2018
		आयुर्वेद वाचस्पति	एम.डी. (आयुर्वेद)		
		आयुर्वेद धन्वंतरि	एम.एस. (आयुर्वेद)		
2.	"98ग अमृता विश्व विद्यापीठम विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	आयुर्वेद वाचस्पति	एम.डी. (आयुर्वेद)	वर्ष 2017 से आगे, ऐसे छात्रों को, जिन्हें 2013 से आगे अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेद, पी.ओ. कलाप्पना, तालुक-करुणागप्पली, जिला कोल्लम, केरल-690525 में भारत सरकार की अनुमति से प्रवेश दिया गया था, प्रदान किया गया है।	का.आ. 2035(अ) दिनांक 14मई, 2018
		आयुर्वेद धन्वंतरि	एम.एस. (आयुर्वेद)		
3.	"5ख श्रीमंत संकरदेवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, गुवाहाटी, असम	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी)	बी.ए.एम.एस.	वर्ष 2015 से आगे, यदि ऐसे छात्रों को प्रदान की गई हो जिन्हें वर्ष 2010 से आगे राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, जालुकबरी, जिला कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-781014, असम में भारत सरकार की अनुमति से प्रवेश दिया गया था।	का.आ. 2295(अ) दिनांक 31 मई 2018



क. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता	संक्षेपाक्षर	वैधता की अवधि	राजपत्र अधिसूचना संख्या
		आयुर्वेद वाचस्पति	एम.डी. (आयुर्वेद)	वर्ष 2013 से आगे, यदि ऐसे छात्रों को प्रदान की गई हो जिन्हें वर्ष 2010 से आगे राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, जालुकबरी, जिला कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-781014, असम में भारत सरकार की अनुमति से प्रवेश दिया गया था।	
		आयुर्वेद धनवन्तरि	एम.एस. (आयुर्वेद)	वर्ष 2017 से आगे, यदि ऐसे छात्रों को प्रदान की गई हो जिन्हें वर्ष 2014-15 से आगे राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, जालुकबरी, जिला कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-781014, असम में भारत सरकार की अनुमति से प्रवेश दिया गया था।	
4.	"45 इन्दौर विश्वविद्यालय, इन्दौर	बैचलर ऑफ आयुर्वेद विथ माडर्न मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बी.ए.एम.एस.	1969 से 1982 तक"	का.आ. 3147(अ) दिनांक 29 जून, 2018
	"45 क देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	बैलचर ऑफ आयुर्वेद विथ माडर्न मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बी.ए.एम.एस.	1983	
		बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बी.ए.एम.एस.	1983 से आगे"	
5.	"56 पूना विश्वविद्यालय,, पुणे	"अगदतंत्र व्यवहारायुर्वेद में डिप्लोमा	---	अप्रैल 1994 से अक्टूबर 1997 तक, यदि उन छात्रों को दिया गया हो जिन्हें 1991-92 से 1995-96 सत्र तक तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय, 583/2 रस्ता पेठ, पुणे-411011,	का.आ. 3654(अ) दिनांक 25 जुलाई, 2018
		पंचकर्म निष्णात में डिप्लोमा	डी.पी.सी. आयुर्वेद		
		शालाक्यकर्म में डिप्लोमा	ई.एन.टी. आयुर्वेद		



क. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता	संक्षेपाक्षर	वैधता की अवधि	राजपत्र अधिसूचना संख्या
		स्त्रीरोग और प्रसूतितंत्र में डिप्लोमा	---	महाराष्ट्र में प्रवेश दिया गया था।"	
		रसायन और वाजीकरण में डिप्लोमा	---		
		स्वस्थवृत्त में डिप्लोमा	---		
		नेत्र रोग में डिप्लोमा	---		
		रोग निदान में डिप्लोमा	---		
6.	"54घ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	आयुर्वेद वाचस्पति	एम.डी. (आयुर्वेद)	अगस्त 2015 से आगे, यदि उन छात्रों को प्रदान की गई हों जिन्हें वर्ष 2011 से आगे निम्नलिखित कॉलेजों में प्रवेश केन्द्रीय सरकार की अनुमति से दिया गया था: 1. रानी दुल्लइया स्मृति आयुर्वेदिक पी.जी. कॉलेज एवं अस्पताल, बारखेड़ी कलां, भदभाड़ा रोड, भोपाल-462044 (मध्य प्रदेश) 2. पं खुशीलाल शर्मा राजकीय (स्वायत्त) आयुर्वेद कॉलेज एवं संस्थान, मानित के पीछे, नेहरू नगर, कोलार बाइपास रोड, सांडिस हिल्स, भोपाल-462003 (मध्य प्रदेश)	का.आ. 5481(अ) दिनांक 18 अक्टूबर, 2018
		आयुर्वेद धन्वन्तरि	एम.एस. (आयुर्वेद)	वर्ष 2017 से आगे, यदि उन छात्रों को प्रदान की गई हो जिन्हें वर्ष 2014 से आगे निम्नलिखित कॉलेज में केन्द्रीय सरकार की अनुमति से प्रवेश दिया गया था:	



क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता	संक्षेपाक्षर	वैधता की अवधि	राजपत्र अधिसूचना संख्या
				1. रानी दुल्लइया स्मृति आयुर्वेदिक पी. जी. कॉलेज एवं अस्पताल, बारखेड़ी कलां, भदभाड़ा रोड, भोपाल-462044 (मध्य प्रदेश)	
7.	“ गमपाहा विक्रमरच्ची आयुर्वेद संस्थान, केलानिया विश्वविद्यालय, श्रीलंका	बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बी.ए.एम.एस.	अप्रैल 2006 से आगे,”	का.आ. 6472(अ) दिनांक 21 दिसम्बर, 2018
8.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	“मास्टर ऑफ सर्जरी इन आयुर्वेद	एम.एस. (आयुर्वेद)	जुलाई 1996 से जुलाई 2010 तक, यदि आयुर्वेद संकाय, चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221005 में सत्र 1993 से 2007-08 तक छात्रों को प्रदान किया जाता है।	का.आ. 702(अ) दिनांक 31जनवरी, 2019
		आयुर्वेद वाचस्पति	एम.डी. (आयुर्वेद)	जुलाई 2011 से, यदि केन्द्रीय सरकार की अनुमति से आयुर्वेद संकाय, चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221005 में वर्ष 2008 में छात्रों को सम्मानित किया जाता है।”	
		आयुर्वेद धन्वन्तरि	एम.एस. (आयुर्वेद)		
9.	“88 च देश भगत विश्वविद्यालय, मण्डी गोबिन्दगढ	आयुर्वेदाचार्य	बी.ए.एम.एस. (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	नवंबर 2019 से आगे, यदि उन छात्रों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने वर्ष 2013-14 से केन्द्रीय सरकार की अनुमति से देश भगत आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल, अमलोह, जिला-फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में प्रवेश लिया था।”	का.आ. 933(अ) दिनांक 21 फरवरी, 2019
10.	“88 ड गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय पंजाब, होशियारपुर	“ आयुर्वेद वाचस्पति	एम.डी. (आयुर्वेद)	“अप्रैल 2017 के बाद से , यदि निम्नलिखित महाविद्यालय में सत्र 2013-14 से आगे के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा से प्रविष्ट छात्रों को प्रदान की जाती है, अर्थात् -: बाबे के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, ग्राम और डाकघर दौधर, तहसील और जिला मोगा, पंजाब-142053।”	का.आ. 1144(अ) दिनांक 7 मार्च, 2019



वर्ष 2018-19 हेतु धारा 13क के अंतर्गत नये प्रस्ताव

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क एवं नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्राशिक्षण प्रारंभ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, 2003 के प्रावधानानुसार भारत सरकार, आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद महाविद्यालयों की स्थापना हेतु 22 प्रस्ताव, नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रारंभ करने अथवा वर्तमान स्नातकीय/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने हेतु 17 प्रस्ताव तथा विभिन्न महाविद्यालयों से प्राप्त 21 सम्मिलित स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर प्रस्ताव परिषद् को अग्रेषित किये गए। केन्द्रीय परिषद् ने संस्थाओं का निरीक्षण किया तथा इस परियोजना के अनुमोदन/निरनुमोदन हेतु आयुष मंत्रालय को अनुशंसाएं भेजी।

धारा 13 क के अधीन नये महाविद्यालय की स्थापना हेतु वर्ष 2018-19 में प्राप्त हुए प्रस्ताव

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	सीटों सहित प्रस्ताव	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा जारी किए गए आशय पत्र (भारत सरकार के पत्र संख्या 11011/03/2011-ईपी(एच) पार्ट दिनांक 01.09.2017 के अनुसार) अथवा भारत सरकार
1	नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एण्ड हॉस्पिटल, 22/23, कंसिड कम्पैस, कोगिलू रोड, थिरुमेनहाल्ली, हेगदेनगर, बंगलौर-560064, कर्नाटक	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने हेतु भारत सरकार ने आशय पत्र जारी नहीं किया। सं एल-14012/04/2018-ईपी(1) दिनांक 10.05.2019
2	राजीव इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साईंसेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, हासन-573201, कर्नाटक	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी किया। सं 4-170/2019-आयु.एन.पी. दिनांक 12.04.2019



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	सीटों सहित प्रस्ताव	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा जारी किए गए आशय पत्र (भारत सरकार के पत्र संख्या 11011/03/2011-ईपी(एच) पार्ट दिनांक 01.09.2017 के अनुसार) अथवा भारत सरकार
3	एस.बी.जी. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, सी.टी. एस. नं. 4125/2बी, लक्ष्मी तेकाडी, फिडरल बैंक के सामने, गणेशपुर रोड, बेलगवी-590009, कर्नाटक	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी किया। सं 4-168/2019-आयु.एन.पी. दिनांक 12.04.2019
4	शारदा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, देवीनगर, तालापदी मंगलूरु, कर्नाटक	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित (चूंकि मात्र स्नातकीय 60 सीटों के लिए सम्बद्धता की सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है) नया आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी किया। सं 4-170/2019-आयु.एन.पी. दिनांक 12.04.2019
5	राधारमन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, रिसर्च हॉस्पिटल, फतेहपुर डोबरा, रतीबाद, भोपाल-462042, मध्य प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने हेतु भारत सरकार ने आशय पत्र जारी नहीं किया। सं एल-14012/05/2018-ई पी(1) दिनांक 31.05.2019
6	श्री रावतपुरा सरकार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, मध्य प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने हेतु भारत सरकार ने आशय पत्र जारी नहीं किया। सं एल-14012/03/2018-ई पी(1) दिनांक 24.05.2019



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	सीटों सहित प्रस्ताव	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा जारी किए गए आशय पत्र (भारत सरकार के पत्र संख्या 11011/03/2011-ईपी(एच) पार्ट दिनांक 01.09.2017 के अनुसार) अथवा भारत सरकार
7	डॉ. शंकर दयाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, भोपाल, मध्य प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी किया। सं 3-5/2018-आयु. (50)एन.पी. दिनांक 11.04.2019
8	भीमाशंकर आयुर्वेद कॉलेज, वडगाव, काशिमबेग (वलुंजवाडी), तालुक, अम्बेगाव, जिला पुणे, महाराष्ट्र	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी किया। सं 3-3/2018-आयु. (110) दिनांक 12.04.2019
9	श्रीमती शालनीताई मेघे आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, भिल्लेवाडा, भान्दारा, महाराष्ट्र	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने हेतु भारत सरकार ने आशय पत्र जारी नहीं किया। सं एल-14012/26/2018-ई पी(1) दिनांक 28.05.2019
10	डॉ. दीपक पाटिल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, ए/पी बोरपाडले, तालुका पन्हाला, जिला कोल्हापुरा-416213, महाराष्ट्र	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी किया। सं 3-4/2018-आयु. (69) दिनांक 11.04.2019
11	ऑस्टर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, गुट न0. 617, गोलतगाव, नागोनाचिवाडी, जलना रोड के समीप करमड, औरांगाबाद-431201, महाराष्ट्र	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने हेतु भारत सरकार ने आशय पत्र जारी नहीं किया।



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	सीटों सहित प्रस्ताव	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा जारी किए गए आशय पत्र (भारत सरकार के पत्र संख्या 11011/03/2011-ईपी(एच) पार्ट दिनांक 01.09.2017 के अनुसार) अथवा भारत सरकार
			सं एल-14012/01/2018-ई पी(1) दिनांक 01.07.2019
12	बी.आर. हर्ने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कर्वा, वांगनी (डब्लू) तालुका अम्बेरनाथ, जिला थाने-421503, महाराष्ट्र	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी किया। सं 3-3/2019-आयु. (100) दिनांक 21.06.2019
13	गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, पी.ओ. चिनचोली, अजंता रोड, तालुका व जिला जलगांव, महाराष्ट्र	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी किया। सं 3-3/2019-आयु. (111) एन.पी. दिनांक 21.06.2019
14	बियानी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल (फॉर गर्ल्स) चम्पापुरा, कलवर रोड, जयपुर, राजस्थान	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने हेतु भारत सरकार ने आशय पत्र जारी नहीं किया। सं एल-14012/13/2018-ई पी(1) दिनांक 09.05.2019
15	सौरभ आयुर्वेद एण्ड मेडिकल कॉलेज, खेडा, हिन्दौम, जिला करौली, राजस्थान	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने हेतु भारत सरकार ने आशय पत्र जारी नहीं किया। सं एल-14012/08/2018-ई पी(1) दिनांक 25.05.2019
16	नौरंग राम दयानंद आयुर्वेद कॉलेज, मलसीसर रोड, झुनझुनू-333001, राजस्थान	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	सीटों सहित प्रस्ताव	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा जारी किए गए आशय पत्र (भारत सरकार के पत्र संख्या 11011/03/2011-ईपी(एच) पार्ट दिनांक 01.09.2017 के अनुसार) अथवा भारत सरकार
		एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु।	नया आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने हेतु भारत सरकार ने आशय पत्र जारी नहीं किया। सं एल-14012/07/2018-ईपी(1) दिनांक 21.05.2019
17	केशव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, अकलेरा, झालावर-326033, राजस्थान	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी किया। सं 26-144/2019-आयु. दिनांक 12.04.2019
18	नंदा आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, थिरुवची गांव, पिट्टाचन्दामपलायम पोस्ट, इरोदे-638052, तमिलनाडु	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी किया। सं 3-3/2018-आयु.(110) दिनांक 12.04.2019
19	इम्मानुएल अरासर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, तमिलनाडु	स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने हेतु भारत सरकार ने आशय पत्र जारी नहीं किया। सं एल-14012/26/2018-ईपी(1) दिनांक 28.05.2019
20	एसवीएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, गंगा नहर, हस्तिनापुर रोड, मवाना, मेरठ-250401, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी किया। सं 3-4/2019-आयु.(69) दिनांक 11.04.2019
21	जय जलाराम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, शिवपुरी, पोस्ट-काकनपडु, तालुका गोधरा, जिला पंचमहल-388713, गुजरात	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी किया। सं 26-107/2017-आयु. दिनांक 15.06.2019
22	अरिहंत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, भोयन राथौड, आई.एफ.एफ.सी.ओ. के सामने, सेरथा रोड, गांधी नगर-382420, गुजरात	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी किया। सं 26-128/2017-आयु. दिनांक 11.06.2019



धारा 13 क के अधीन वर्तमान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु तथा अथवा नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रारंभ करने हेतु (2018-2019)

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	सीटों सहित प्रस्ताव	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा जारी किए गए आशय पत्र (भारत सरकार के पत्र संख्या 11011/03/2011-ईपी(एच) पार्ट दिनांक 01.09.2017 के अनुसार) अथवा भारत सरकार
1	चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान, खेरा डाबर, नजफगढ़, नई दिल्ली - 110073	शैक्षिक सत्र 2019-20 से प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित निम्नलिखित 02 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु:- 1. स्वास्थ्यवृत एवं 2. द्रव्यगुण	शैक्षिक सत्र 2019-20 से प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित निम्नलिखित 02 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु भारत सरकार ने आशय पत्र जारी नहीं किया। 1. स्वास्थ्यवृत एवं 2. द्रव्यगुण पत्र संख्या एल -14015/07/2018-ईपी(1) दिनांक 23.05.2019
2	गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, पो. ऑ. परियारम, कन्नूर-670503, केरला	शैक्षिक सत्र 2019-20 से प्रत्येक विषय में 07 सीटों सहित निम्नलिखित 02 वर्तमान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु:- 1. क्रिया शारीर, 2. रोग निदान शैक्षिक सत्र 2019-20 से प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित निम्नलिखित 03 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु:-	शैक्षिक सत्र 2019-20 से प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित 03 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् 1. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, 2. शल्य तंत्र एवं 3. शालाक्य तंत्र प्रारंभ करने हेतु एवं प्रत्येक विषय में 05 से 07 सीटों के लिए निम्नलिखित वर्तमान 03 स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु भारत सरकार ने आशय पत्र जारी नहीं किया:- 1. क्रिया शारीर, 2. रोग निदान



क.सं	महाविद्यालय का नाम	सीटों सहित प्रस्ताव	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा जारी किए गए आशय पत्र (भारत सरकार के पत्र संख्या 11011/03/2011-ईपी(एच) पार्ट दिनांक 01.09.2017 के अनुसार) अथवा भारत सरकार
		भैषज्य कल्पना, 2. शल्य तंत्र एवं 3. शालाक्य तंत्र	14013 / 26 / 2018-ईपी(1)) एवं एल 14015 / 12 / 2018-ई-पी(1) दिनांक 09.05.2019
		शैक्षिक सत्र 2019-20 से 02 सीटों सहित निम्नलिखित 01 नया स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रारंभ करने हेतु:- 1. रोग निदान	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 02 सीटों सहित निम्नलिखित 01 नया स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रारंभ करने हेतु:- 1. रोग निदान पत्र संख्या 1-56 / 2019 आयु. दिनांक 03.06.2019
3	गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, एम.जी. रोड, तालुक एवं जिला तिरुवंतपुरम -695001, केरल	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 03 से 08 सीटों हेतु निम्नलिखित वर्तमान 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु:- 1. शल्य तंत्र	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 03 से 08 सीटों हेतु निम्नलिखित वर्तमान 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी किया:- 1. शल्य तंत्र पत्र संख्या 4-57 / 2018 आयु. दिनांक 12.04.2019
		शैक्षिक सत्र 2019-20 से प्रत्येक डिप्लोमा विषय में 02 सीटों सहित निम्नलिखित 08 नये स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु:- 1. क्षार कर्म, 2. स्वास्थ्यवृत एवं योग, 3. बालरोग, 4. नेत्र रोग विज्ञान, 5. प्रसूति एवं स्त्री रोग, 6. आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स- रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना,	शैक्षिक सत्र 2019-20 से प्रत्येक डिप्लोमा विषय में 02 सीटों सहित निम्नलिखित 08 नये स्नातकोत्तर डिप्लोमा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी नहीं किया:- 1. क्षार कर्म, 2. स्वास्थ्यवृत एवं योग, 3. बालरोग, 4. नेत्र रोग विज्ञान, 5. प्रसूति एवं स्त्री रोग, 6. आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स- रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, 7. द्रव्यगुण एवं 8. रसायन एवं वाजिकरण



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	सीटों सहित प्रस्ताव	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा जारी किए गए आशय पत्र (भारत सरकार के पत्र संख्या 11011/03/2011-ईपी(एच) पार्ट दिनांक 01.09.2017 के अनुसार) अथवा भारत सरकार
		7. द्रव्यगुण एवं 8. रसायन एवं वाजिकरण	पत्र संख्या 4-57/2019 आयु. दिनांक 12.06.2019
4	दयानन्द आयुर्वेदिक कॉलेज, महात्मा हंस राज मार्ग, जी. टी. रोड, बरल्टन पार्क के सामने, जिला जालंधर -144008, पंजाब	शैक्षिक सत्र 2019-20 से प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित निम्नलिखित 02 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु:- 1. द्रव्यगुण एवं 2. पंचकर्म	शैक्षिक सत्र 2019-20 से प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित निम्नलिखित 02 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी किया:- 1. द्रव्यगुण एवं 2. पंचकर्म संख्या 4-68/2018 आयु. दिनांक 12.04.2019
5	एम.एम.एम. गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, तालुका गिरवा, जिला उदयपुर- 313001, राजस्थान	शैक्षिक सत्र 2019-20 से प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित निम्नलिखित 02 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु:- 1. रोग निदान, 2. प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	शैक्षिक सत्र 2019-20 से प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित निम्नलिखित 02 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी किया:- 1. रोग निदान, 2. प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग संख्या 4-47/2018-कॉलेज दिनांक 15.04.2019
6	श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, उमरी रोड, डी.सी. रेजिडेन्स के निकट, सेक्टर-8 कुरुक्षेत्र -136118, हरियाणा	शैक्षिक सत्र 2019-20 से प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित निम्नलिखित 03 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु:- 1. शल्य तंत्र, 2. रचना शारीर एवं 3. क्रिया शारीर	शैक्षिक सत्र 2019-20 से प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित निम्नलिखित 03 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु:- 1. शल्य तंत्र, 2. रचना शारीर एवं 3. क्रिया शारीर एवं प्रत्येक विषय में 03 सीटों सहित निम्नलिखित 02 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु:-



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	सीटों सहित प्रस्ताव	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा जारी किए गए आशय पत्र (भारत सरकार के पत्र संख्या 11011/03/2011-ईपी(एच) पार्ट दिनांक 01.09.2017 के अनुसार) अथवा भारत सरकार
		शैक्षिक सत्र 2019-20 से प्रत्येक विषय में 03 सीटों सहित निम्नलिखित 02 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु:- 1. कौमारभृत्य एवं 2. पंचकर्म	1. कौमारभृत्य एवं 2. पंचकर्म भारत सरकार ने आशय पत्र जारी किया। पत्र संख्या 26-35/2018 कॉलेज दिनांक 12.04.2019
7	गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, धन्वन्तरी नगर, तालुक कन्यान्नूर, जिला एर्नाकुलम, थिपुनिथुरा, -682301, केरल	शैक्षिक सत्र 2019-20 से प्रत्येक विषय में 02 सीटों सहित निम्नलिखित 03 नये स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रारंभ करने हेतु:- 1. मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, 2. नेत्र रोग विज्ञान 3. स्वास्थ्यवृत्त एवं योग	शैक्षिक सत्र 2019-20 से प्रत्येक विषय में 02 सीटों सहित निम्नलिखित 03 नये स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रारंभ करने हेतुभारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्ने आशय पत्र जारी नहीं किया:- 1. मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, 2. नेत्र रोग विज्ञान 3. स्वस्थवृत्त एवं योग पत्र संख्या 4-48/2019 आयु. (01)दिनांक 02.05. 2019
8	वैद्यरत्नम पी.एस. वारियर आयुर्वेद कॉलेज, कोट्टाक्कल, पोस्ट ऑफिस इडारीकोडे, तालुक- तिरूर, जिला मालापुरम- 676501, केरल	शैक्षिक सत्र 2019-20 से प्रत्येक डिप्लोमा विषय में 02 सीटों सहित निम्नलिखित 04 नये स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु:- 1. डिप्लोमा इन द्रव्यगुण (फार्माकोग्नोसी एण्ड स्टेण्डरडाईजेशन) 2. डिप्लोमा इन स्वास्थ्यवृत्त एण्ड योग, 3. डिप्लोमा इन पंचकर्म 4. डिप्लोमा इन मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान	शैक्षिक सत्र 2019-20 से प्रत्येक डिप्लोमा विषय में 02 सीटों सहित निम्नलिखित 04 नये स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतुभारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्ने आशय पत्र जारी नहीं किया:- 1. डिप्लोमा इन द्रव्यगुण (फार्माकोग्नोसी एण्ड स्टेण्डरडाईजेशन) 2. डिप्लोमा इन स्वस्थवृत्तएण्ड योग, 3. डिप्लोमा इन पंचकर्म 4. डिप्लोमा इन मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान पत्र संख्या 4-54/2019 आयु. (01)दिनांक 24.05. 2019



धारा 13 क के अधीन मात्र स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु वर्ष 2018-19 में प्राप्त प्रस्ताव

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	सीटों सहित प्रस्ताव	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा जारी किए गए आशय पत्र (भारत सरकार के पत्र संख्या 11011/03/2011-ईपी(एच) पार्ट दिनांक 01.09.2017 के अनुसार) अथवा भारत सरकार
1.	गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, जलूकबारी, जिला कामरूप (मेट्रो) गुवाहाटी-781014, असम	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 50 से 60 सीटों हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेत।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 50 से 60 सीटों हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेत भारत सरकार ने आशय पत्र जारी नहीं किया। पत्र संख्या एल-14013/04/2018 ई.पी. (1)दिनांक 23.05.2019
2.	गोविन्दभाई जोराभाई पटेल, आयुर्वेद कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, जी.आई. डी.सी के पीछे, न्यू वल्लभ विद्यानगर, तालुक जिला आनन्द-388121, गुजरात	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 60 से 100 सीटों हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेत।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 60 से 100 सीटों हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी किया। पत्र संख्या 26-59/2018-कॉलेज दिनांक 08.04.2019
3.	बी.एम. एजुकेशन फाउण्डेशन ट्रस्ट, शेखावटी आयुर्वेदिक कॉलेज बेहल रोड, हरी कुंज, गंगा कॉलोनी,	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 60 से 100 सीटों हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेत।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 60 से 100 सीटों हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेत भारत सरकार ने



क. सं.	महाविद्यालय का नाम	सीटों सहित प्रस्ताव	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा जारी किए गए आशय पत्र (भारत सरकार के पत्र संख्या 11011/03/2011 -ईपी(एच) पार्ट दिनांक 01.09.2017 के अनुसार) अथवा भारत सरकार
	तहसील छिरावा, जिला झुनझुनू पिलानी - 333031, राजस्थान		आशय पत्र जारी नहीं किया। पत्र संख्या एल-14013 / 23 / 2 018 ई.पी. (1)दिनांक 23.05.2019
4.	श्री जगद्गुरु गुरुसिद्धेश्वर को-ऑपरेटिव सोसायटी सहकार महर्षि, श्री बी.ए. पाटिल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, तालुक गोकक, जिला बेलगाम, घटप्रभा-59131 0, कर्नाटक	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 60 से 100 सीटों हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेत।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 60 से 100 सीटों हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेत। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी किया। पत्र संख्या 4-21 / 2018- आयु. दिनांक 12.04.2019
5.	वैद्यरत्नम आयुर्वेद कॉलेज, ओल्लूर, थिक्काट्टूसेरी, त्रिसूर-680322, केरल	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 50 से 60 सीटों हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेत।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 50 से 60 सीटों हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेत। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी किया। पत्र संख्या 4-55 / 2018- आयु. दिनांक 12.04.2019
6.	अदित्य आयुर्वेद महाविद्यालय, तेलगावं रोड, जिला- बीड-431122, महाराष्ट्र	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 50 से 100 सीटों हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेत।	भारत सरकार से अभी तक आशय पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
7.	शुभदीप आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, ग्राम दतोडा, खण्डवा रोड, तहसील म्होव, चौखी धानी के निकट, जिला इन्दौर -	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 60 से 100 सीटों हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेत।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 60 से 100 सीटों हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेत। भारत सरकार ने



क. सं.	महाविद्यालय का नाम	सीटों सहित प्रस्ताव	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा जारी किए गए आशय पत्र (भारत सरकार के पत्र संख्या 11011/03/2011 -ईपी(एच) पार्ट दिनांक 01.09.2017 के अनुसार) अथवा भारत सरकार
	452020, मध्य प्रदेश		आशय पत्र जारी नहीं किया। पत्र संख्या एल-14013/17/2018 ई.पी. (1)दिनांक 28.05.2019
8.	श्री नृसिंहनाथ आयुर्वेद कॉलेज एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पोस्ट-ऑफिस पैकमल, जिला- बारगढ़-76803 9, उड़ीसा	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 50 से 60 सीटों हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेत।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 50 से 60 सीटों हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी किया। पत्र संख्या 26-44/2018-कॉलेज दिनांक 11.04.2019
9.	जे. आर. तांतिया श्री गंगानगर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंसेज एण्ड हॉस्पिटल, आरआईआईसी ओ, के निकट, हनुमानगढ़ रोड, श्री गंगानगर-3350 02, राजस्थान	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 60 से 100 सीटों हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेत।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 60 से 100 सीटों हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी किया। पत्र संख्या 26-52/2018- कॉलेज दिनांक 11.04.2019
10.	श्री भंवर लाल डुगड आयुर्वेद विश्वभारती, गौंधी विद्या मंदिर, जिला-चुरु, सदर शहर-331403, राजस्थान	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 50 से 60 सीटों हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेत।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 50 से 60 सीटों हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी किया। पत्र संख्या 26-48/2018- कॉलेज दिनांक 12.04.2019



क. सं.	महाविद्यालय का नाम	सीटों सहित प्रस्ताव	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा जारी किए गए आशय पत्र (भारत सरकार के पत्र संख्या 11011/03/2011-ईपी(एच) पार्ट दिनांक 01.09.2017 के अनुसार) अथवा भारत सरकार
11.	गवर्नमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, अतर्रा-210201, जिला-बांदा, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 40 से 60 सीटों हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 40 से 60 सीटों हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी किया। पत्र संख्या 3-4/2018- आयु. (07) दिनांक 06.06.2019
12.	गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, सम्पूर्णानन्द संस्कृत यूनिवर्सिटी, वाराणसी-221002, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 40 से 60 सीटों हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेत।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 40 से 60 सीटों हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी किया। पत्र संख्या 3-4/2018- आयु. (16) दिनांक 06.06.2019
13.	दयाभाई माओजी मजीथिया आयुर्वेद महाविद्यालय, शिवाजी नगर, अरनी रोड़, जिला-यवतमाल-445001, महाराष्ट्र	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 50 से 60 सीटों हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेत।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 50 से 60 सीटों हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी किया। पत्र संख्या 3-3/2018- आयु. (37) दिनांक 11.04.2019
14.	श्री लाल बहादुर शास्त्री स्मारक राजकीय आयुर्वेद गवर्नमेंट कॉलेज, जवाहर	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 30 से 60 सीटों हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेत।	शैक्षिक सत्र 2019-20 से 30 से 60 सीटों हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि



क. सं.	महाविद्यालय का नाम	सीटों सहित प्रस्ताव	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा जारी किए गए आशय पत्र (भारत सरकार के पत्र संख्या 11011/03/2011-ईपी(एच) पार्ट दिनांक 01.09.2017 के अनुसार) अथवा भारत सरकार
	नगर, हांडिया इलाहाबाद-221 503 उत्तर प्रदेश		हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी किया। पत्र संख्या 3-4/2018-आयु. (16) दिनांक 06.06.2019

सम्मिलित स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर प्रस्ताव 2018-2019

क.सं	महाविद्यालय का नाम	सीटों सहित प्रस्ताव	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा जारी किए गए आशय पत्र (भारत सरकार के पत्र संख्या 11011/03/2011-ईपी(एच) पार्ट दिनांक 01.09.2017 के अनुसार) अथवा भारत सरकार
1.	गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, कदम कुआँ, पटना -800003, बिहार	शैक्षिक सत्र 2019-20 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित 06 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (सीटों का उल्लेख नहीं है) प्रारंभ करने हेतु:- 1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त, 2. रचना शारीर, 3. अगद तंत्र एवं विधि वैद्यक, 4. शालक्य तंत्र 5. रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, एवं 6. कायचिकित्सा	शैक्षिक सत्र 2019-20 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु तथा प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित निम्नलिखित 06 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी नहीं किया :- 1. कायचिकित्सा 2. रचना शारीर 3. आयुर्वेद संहिता सिद्धान्त 4. अगद तंत्र एवं विधि वैद्यक 5. शालक्य तंत्र एवं 6. रोग निदान एवं विकृति विज्ञान पत्र संख्या 26-6/2019-कॉलेज दिनांक 06.06.2019



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	सीटों सहित प्रस्ताव	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा जारी किए गए आशय पत्र (भारत सरकार के पत्र संख्या 11011/03/2011-ई पी(एच) पार्ट दिनांक 01.09.2017 के अनुसार) अथवा भारत सरकार
2.	श्री बासवेश्वर विद्या वर्धक संघ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, पी.बी. न. 34, जिला बागलकोट-587 101, कर्नाटक	शैक्षिक सत्र 2019-20 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु तथा प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित निम्नलिखित 03 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु:- 1. रचना शारीर, 2. पंचकर्म एवं 3. शालाक्य तंत्र	शैक्षिक सत्र 2019-20 से प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित निम्नलिखित 02 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी किया:- 1. रचना शारीर एवं 2. पंचकर्म पत्र संख्या 4-32/2018-आयु. दिनांक 16.04.2019 शैक्षिक सत्र 2019-20 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु तथा प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित निम्नलिखित 01 नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु भारत सरकार ने आशय पत्र जारी नहीं किया :- 1. शालाक्य तंत्र पत्र संख्या एल-14013/14/2018-ई.पी. (1) एवं पत्र संख्या एल-14015/13/2018-ई.पी. (1) दिनांक 24.05.2019
3.	स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, तुलसीदास रोड लखनऊ -226004, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2019-20 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु तथा 05 सीटों सहित निम्नलिखित 03 नये स्नातकोत्तर विषय प्रारंभ करने हेतु:- 1. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, 2. प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग एवं 3. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त	शैक्षिक सत्र 2019-20 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु तथा प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित निम्नलिखित 03 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम



क.सं	महाविद्यालय का नाम	सीटों सहित प्रस्ताव	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा जारी किए गए आशय पत्र (भारत सरकार के पत्र संख्या 11011/03/2011-ई पी(एच) पार्ट दिनांक 01.09.2017 के अनुसार) अथवा भारत सरकार
			<p>प्रारंभ करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी किया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, 2. प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग एवं 3. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त <p>पत्र संख्या 3-4/2018- आयु. (4) दिनांक 11.04. 2019</p>
4.	<p>श्री जयेन्द्र सरस्वती आयुर्वेद कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल 4/295, बंगलौर हाई रोड, नजरतपेट, चेन्नई, तालुकापुनमल्ली, जिला थिरुवल्लूर-6001 23, तमिलनाडू</p>	<p>शैक्षिक सत्र 2019-20 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु तथा प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित निम्नलिखित 05 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कायचिकित्सा, 2. पंचकर्म, 3. शल्य तंत्र 4. प्रसूति तंत्र एवं 5. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना 	<p>शैक्षिक सत्र 2019-20 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु तथा प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित निम्नलिखित 05 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आशय पत्र जारी किया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कायचिकित्सा, 2. पंचकर्म, 3. शल्य तंत्र 4. प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग 5. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना <p>पत्र संख्या 4-78/2018- आयु. दिनांक 12.04.2019</p>



महाविद्यालयों का परिदर्शन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने वर्ष 2018-19 हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 (ग) के अधीन भारत सरकार को अनुशंसाएं भेजने के लिए निम्नलिखित आयुर्वेद महाविद्यालयों का परिदर्शन आयोजित किया।

धारा 13 क के अधीन गत वर्ष प्राप्त हुए महाविद्यालयों के प्रस्तावों हेतु अनुमति की स्थिति (अनुमति पत्र हेतु)

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
1.	डॉ. बी.आर.के. आर. गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, ईएसआई हॉस्पिटल के सामने, एरागडा, हैदराबाद -500038, तेलंगाना	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 50 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तथा निम्नलिखित 07 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 38 सीटों सहित सर्शत अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. कायचिकित्सा - 10 सीटें 2. शल्य तंत्र -03 सीटें 3. शालाक्य तंत्र -03 सीटें 4. प्रसूति एवं स्त्री रोग- 04 सीटें 5. द्रव्यगुण -06 सीटें 6. पंचकर्म- 06 सीटें 7. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धात-06 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 50 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु तथा निम्नलिखित 07 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 38 सीटों सहित सर्शत अनुमति प्रदान की गई:- (i) कायचिकित्सा - 10 सीटें (ii) शल्य तंत्र -03 सीटें (iii) शालाक्य तंत्र -03 सीटें (iv) प्रसूति एवं स्त्री रोग- 04 सीटें (v) द्रव्यगुण -06 सीटें (vi) पंचकर्म- 06 सीटें एवं (vii) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धात-06 सीटें पत्र संख्या आर-17011/01/2018-ई पी (आई एम-1) दिनांक 04. 08 2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
2.	डॉ. एन.आर. शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, एम.जी. रोड, विजयवाडा-520 002, अर्बन मण्डल, जिला-कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 60 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तथा निम्नलिखित 04 स्नातकोत्तर विषयों में 20 सीटों सहित सर्शत अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. द्रव्यगुण विज्ञान 2. रसशास्त्र एवं भेषज्यकल्पना 3. प्रसूति तंत्र एवं 4. कायचिकित्सा प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 60 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु तथा निम्नलिखित 04 स्नातकोत्तर विषयों में 20 सीटों हेतु सर्शत अनुमति प्रदान की गई:- 1. द्रव्यगुण विज्ञान 2. रसशास्त्र एवं भेषज्यकल्पना 3. प्रसूति तंत्र 4. कायचिकित्सा प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित पत्र संख्या आर-17011/02/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 23.07.2018
3.	श्री वेंकटेश्वर आयुर्वेदिक कॉलेज, एसवीआईएमएस कैम्पस, टी.टी देवस्थानम, तिरुपति नॉर्थ -517507, आन्ध्र प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 40 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु तथा निम्नलिखित 05 स्नातकोत्तर विषयों में 29 सीटों हेतु सर्शत अनुमति प्रदान की गई:- 1. द्रव्यगुण विज्ञान-06 सीटें, 2. रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना-06 सीटें 3. पंचकर्म-06 सीटें 4. शल्य तंत्र-06 सीटें एवं 5. कौमारभृत्य-05 सीटें (06 सीटों के स्थान पर) तथा 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त -06 सीटों हेतु अनुमति प्रदान नहीं कि गई। पत्र संख्या आर-17011/03/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 04.10.2018



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
4.	अनन्त लक्ष्मी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, पोस्ट लक्ष्मीपुरा, लेबर कॉलोनी, तालुक एवं जिला वारंगल-506013, तेलंगाना	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक 50 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी। पत्र संख्या आर. 17011/04/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 07.09.2016
5.	वागदेवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ग्राम-बोल्लीकुन्टा, मिडिल-संगेम, जिला-वारंगल-506005, तेलंगाना	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा परिदर्शन नहीं किया गया, अतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा की गई अनुशसा को शून्य माना जाए।	
6.	वागेश्वरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, एल एम डी. पुलिस स्टेशन के सामने, रामा कृष्णा कॉलोनी, थिम्मापुर, करीमनगर-505481, तेलंगाना	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा परिदर्शन नहीं किया गया, अतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा की गई अनुशसा को शून्य माना जाए।	
7.	एम.एन.आर. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, एम. एन.आर. नगर, नर्सापुर रोड, फसलवाडी, संगारेड्डी -502294 जिला मेदक, तेलंगाना	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा परिदर्शन नहीं किया गया, अतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा की गई अनुशसा को शून्य माना जाए।	



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
8.	गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, जलूकबारी, जिला कामरूप (मेट्रो) गुवाहाटी-781014, असम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग के अधीन सत्र 2018-19 हेतु 50 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तथा निम्नलिखित 06 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 24 सीटों हेतु सर्शत अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धात-06 सीटें 2. रचना शारीर-02 सीटें 3. रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-03 सीटें 4. प्रसूति एवं स्त्री रोग-04 सीटें 5. कायचिकित्सा-06 सीटें 6. शल्य तंत्र -03 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 50 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु तथा निम्नलिखित 06 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 24 सीटों सहित सर्शत अनुमति प्रदान की गई:- 1. आयुर्वेद संहिता, एवं सिद्धात-06 सीटें 2. रचना शारीर-02 सीटें 3. रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-03 सीटें 4. प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-04 सीटें 5. कायचिकित्सा-06 सीटें 6. शल्य तंत्र -03 सीटें पत्र संख्या आर-17011/05/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 13.09.2018
9.	गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल, कदम कुआँ, पटना -800003, बिहार	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 40 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तथा निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 08 सीटों हेतु सर्शत अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. द्रव्यगुण-04 सीटें एवं 2. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना -04 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 40 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तथा निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 08 सीटों हेतु सर्शत अनुमति प्रदान की गई:- 1. द्रव्यगुण-04 सीटें एवं 2. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना -04 सीटें पत्र संख्या आर-17011/06/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 13.08.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
10.	रविन्द्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कॉलेज, मोतीहारी, जिला ईस्ट चम्पारन-845401, बिहार	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा परिदर्शन नहीं किया गया, अतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा की गई अनुशंसा को शून्य माना जाए।	
11.	राजकीय अयोध्या शिवकुमार आयुर्वेद कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, लोहिया नगर, पो.ओ. सुहीर्द नगर, जिला बेगुसराय-851218, बिहार	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 30 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 30 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र संख्या आर-17011/08/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 29.10.2018
12.	स्वामी राघवेन्द्राचार्या त्रिडन्डी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, करजरा स्टेशन, पो.ओ. मंझौली, वाया वजीरगंज, गया-823001, बिहार	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2018-19 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2018-19 तक 40 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी। पत्र संख्या आर. 17011/09/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 29.08.2014
13.	श्री मोती सिंह जागेश्वरी आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, बाडा तेलपा, छपरा, सरन-841301, बिहार	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 40 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 40 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर-17011/10/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 26.09.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
14.	नीतिश्वर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, बवन बीघा, कन्हौली, पो.ओ. रमणा, मुजफ्फरपुर-842002, बिहार	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 50 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु तथा 12 सीटों सहित निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. शल्य तंत्र 2. प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग - प्रत्येक विषय में 06 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 50 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई तथा निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 12 सीटों हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई:- 1. शल्य तंत्र - 06 सीटें 2. प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग- 06 सीटें पत्र संख्या आर-17011/11/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 26.09.2018
15.	आयुर्वेद महाविद्यालय, घुघरी तन्ड, गया- 823001, बिहार	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा परिदर्शन नहीं किया गया, अतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा की गई अनुशंसा को शून्य माना जाए।	
16.	दयानन्द आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, सिवान-841266, बिहार	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 50 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तथा निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 08 सीटों हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई:- 1. कायचिकित्सा - 04 2. द्रव्यगुण - 04 सीटें पत्र संख्या आर-17011/13/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 25.09.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
17.	श्री नारायण प्रसाद अवरस्थी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, जी.ई. रोड़, रायपुर-492001, छत्तीसगढ	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 60 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तथा निम्नलिखित 11 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 53 सीटों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. कायचिकित्सा-05 सीटें 2. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना - 03 सीटें 3. संहिता सिद्धान्त-03 सीटें 4. रचना शारीर-03 सीटें 5. शल्य तंत्र-03 सीटें 6. द्रव्यगुण-06 सीटें एवं 7. रोग निदान-06 सीटें 8. क्रिया शारीर-06 सीटें 9. अगद तंत्र एवं विधि वैद्यक-06 सीटें 10. स्वास्थ्यवृत्त एवं योग-06 सीटें 11. कौमारभृत्य-06 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 60 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु तथा निम्नलिखित 11 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 53 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- 1. कायचिकित्सा - 05 सीटें 2. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना - 03 सीटें 3. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-03 सीटें 4. रचना शारीर-03 सीटें 5. शल्य तंत्र -03 सीटें 6. द्रव्यगुण -06 सीटें 7. रोग निदान-06 सीटें 8. क्रिया शारीर-06 सीटें 9. अगद तंत्र एवं विधि वैद्यक-06 सीटें 10. स्वास्थ्यवृत्त एवं योग-06 सीटें 11. कौमारभृत्य-06 सीटें पत्र संख्या आर-17011/15/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 02.08.2018
18.	राजीव लोचन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, ग्राम एवं पोस्ट- चन्द्रखुरी, गुन्देरदेही रोड़, जिला- दुर्ग -491221, छत्तीसगढ	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	शैक्षिक सत्र 2016-17 से 2020-21 तक 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु पत्र दिनांक 15.11.2016 के द्वारा अनुमति वापस ले ली गई तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 60 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु राजीव लोचन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, छत्तीसगढ को अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र संख्या आर. 17011/16/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 08.09.2018



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
19.	छत्तीसगढ़ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, जी.ई. रोड़, ग्राम मंकी, जिला-राजनन्द गॉव-491441, छत्तीसगढ़	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक 60 सीटों तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी। वर्ष 2016-17 हेतु पत्र संख्या आर. 12011/03/2005-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.11.2016
20.	श्री धन्वन्तरी आयुर्वेदिक कॉलेज एवं डाबर धन्वन्तरी हॉस्पिटल, प्लॉट नं. एम-688, सेक्टर-46-बी, चण्डीगढ़-160017	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2018-19 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2018-19 तक 50 सीटों तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी। पत्र संख्या आर. 17011/14/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 25.09.2014
21.	आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज एवं हॉस्पिटल, अजमल खॉ रोड़, करोल बाग, नई दिल्ली-110005	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 60 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु तथा 06 सीटों सहित निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. क्रिया शारीर-03 सीटें 2. कायचिकित्सा 03 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 60 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु तथा 06 सीटों सहित निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर विषयों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई :- 1. क्रिया शारीर- 03 सीटें 2. कायचिकित्सा -03 सीटें पत्र संख्या आर-17011/17/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 10.08.2018
22.	चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान, खेड़ा डाबर, नजफगढ़, नई दिल्ली -110073	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 100 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु तथा 29 सीटों सहित	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 100 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु तथा 29 सीटों सहित निम्नलिखित



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
		निम्नलिखित 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. रचना शारीर-06 सीटें 2. कायचिकित्सा-06 सीटें 3. रोग निदान विकृति विज्ञान -06 सीटें, 4. क्रिया शारीर-06 सीटें, एवं 5. पंचकर्म-05 सीटें	05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- 1. रचना शारीर-06 सीटें 2. कायचिकित्सा-06 सीटें 3. रोग निदान विकृति विज्ञान-06 सीटें, 4. क्रिया शारीर-06 सीटें, एवं 5. पंचकर्म-05 सीटें पत्र संख्या आर-12011/03/2010-ईपी (आई एम-1) दिनांक 10.08.2018
23.	भारतीय संस्कृति प्रबोधनी गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय एवं रिसर्च सेन्टर, शिरोड़ा तालुका पोन्डा जिला उत्तरी, गोवा-403103	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 हेतु अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु निम्नलिखित 02 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. कायचिकित्सा एवं 2. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु निम्नलिखित 02 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुमति प्रदान की गई:- 1. कायचिकित्सा एवं 2. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित पत्र संख्या आर. 14011/02/2017-ईपी (आई एम-1) दिनांक 30.10.2018 शैक्षिक सत्र 2016-17 से 2020-21 तक 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु मंत्रालय के पत्र संख्या आर. 17011/18/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 02.09.2016 के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में दी गई अनुमति वापस ले ली गई तथा इसे भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन मात्र शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों की प्रवेश क्षमता हेतु सशर्त अनुमति में प्रवर्तित करने का निर्णय लिया।



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
24.	गवर्नमेंट अखंडानन्द आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, लाल दरवाजा, भद्रा, अहमदाबाद-380001, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 60 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु तथा 21 सीटों सहित निम्नलिखित 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- <ol style="list-style-type: none"> 1. कायचिकित्सा-06 सीटें 2. पंचकर्म-05 सीटें 3. शल्य तंत्र -05 सीटें एवं 4. शालाक्य तंत्र, -05 सीटें 	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 60 सीटों सहित (75 के स्थान पर) स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु तथा निम्नलिखित 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 21 सीटों हेतु सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- <ol style="list-style-type: none"> 1. कायचिकित्सा-06 सीटें 2. पंचकर्म-05 सीटें 3. शल्य तंत्र -05 सीटें एवं 4. शालाक्य तंत्र, -05 सीटें पत्र संख्या आर-17011/19/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 10.08.2018
25.	जे.एस. आयुर्वेद महाविद्यालय, हॉस्पिटल रोड, जिला कैरा-नाडियाड-387001 गुजरात	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक सशर्त अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक निम्नलिखित 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 100 सीटों एवं 25 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है :- <ol style="list-style-type: none"> 1. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-05 सीटें 2. कायचिकित्सा-05 सीटें 3. रचना शारीर-05 सीटें 4. द्रव्यगुण-05 सीटें 5. पंचकर्म-05 सीटें पत्र संख्या आर. 17011/20/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 03.10.2016 तथा पत्र संख्या आर. 13011/27/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.12.2016



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
26.	गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय, अजवा रोड, वड़ोदरा-390019, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 60 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु तथा 10 सीटों सहित निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. द्रव्यगुण एवं 2. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 60 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु तथा निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 10 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- 1. द्रव्यगुण एवं 2. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित पत्र संख्या आर-17011/21/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 27.07.2018
27.	आर्यकन्या क्षुधा आयुर्वेद महाविद्यालय, करेली बाग, वड़ोदरा-390018, गुजरात	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा परिदर्शन नहीं किया गया, अतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा की गई अनुशंसा को शून्य माना जाए।	
28.	सेठ जे.पी गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, सरदार बाग के सामने, पनवाड़ी भावनगर-364001, गुजरात	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक सशर्त अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक 60 सीटों तक सशर्त अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी। पत्र संख्या आर. 17011/23/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 22.09.2016
29.	गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, पंचेश्वर रोड, गीता सिनेमा के निकट, जूनागढ़-362001, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 60 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 60 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर-17011/24/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 25.07.2018



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
30.	श्री बालहनुमान आयुर्वेद महाविद्यालय, ग्राम एवं पोस्ट-लोदरा, तालुक-मनसा, जिला-गांधीनगर -382835, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 35 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र संख्या आर-17011/25/2018-ईपी (आईएम-1) दिनांक 18.09.2018
31.	श्री ओ.एच. नाजर आयुर्वेद महाविद्यालय, रेलवे स्टेशन के निकट, लाल दरवाजा रोड़, टौका चोरयासी, जिला सूरत -395003, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 50 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 50 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर-17011/26/2018-ईपी (आईएम-1) दिनांक 25.07.2018
32.	श्री गुलाब कुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय, धन्वन्तरी मंदिर, जामनगर -361008, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 100 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुमति प्रदान की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 100 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर-17011/27/2018-ईपी (आईएम-1) दिनांक 27.07.2018
33.	इन्स्टीट्यूट फॉर पोस्ट-ग्रेजुएट टीचिंग एवं रिसर्च इन आयुर्वेद ऑफिस ट दि डायरेक्टर सुश्रुत भवन गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जी. जी. हॉस्पिटल रोड़, जामनगर-361008, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु निम्नलिखित 10 स्नातकोत्तर विषयों में 53 सीटों में प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-06 सीटें 2. द्रव्यगुण विज्ञान - 06 सीटें 3. कौमारभृत्य-05 सीटें 4. रोग निदान एवं विकृति विज्ञान -03 सीटें 5. कायचिकित्सा-04 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु निम्नलिखित 10 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 53 सीटों के प्रवेश के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- 1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-06 सीटें 2. द्रव्यगुण विज्ञान- 06 सीटें 3. कौमारभृत्य-05 सीटें 4. रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-03 सीटें 5. कायचिकित्सा-04 सीटें 6. प्रसूति एवं स्त्री रोग-06 सीटें 7. शालाक्य तंत्र-06 सीटें



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
		<p>6. प्रसूति एवं स्त्री रोग-06 सीटें</p> <p>7. शालाक्य तंत्र-06 सीटें</p> <p>8. शल्य तंत्र -05 सीटें</p> <p>9. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें एवं</p> <p>10. पंचकर्म-06 सीटें</p> <p>निम्नलिखित 06 स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 24 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई:-</p> <p>1. बालरोग-05 सीटें</p> <p>2. नेत्र रोग विज्ञान-05 सीटें</p> <p>3. आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलोजी एवं त्वचा रोग-02 सीटें</p> <p>4. प्रसूति एवं स्त्री रोग-02 सीटें तथा</p> <p>5. क्षार कर्म-05 सीटें एवं</p> <p>6. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-05 सीटें</p>	<p>8. शल्य तंत्र -05 सीटें</p> <p>9. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें एवं</p> <p>10. पंचकर्म-06 सीटें</p> <p>निम्नलिखित 06 स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 24 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई:-</p> <p>1. बालरोग-05 सीटें</p> <p>2. नेत्र रोग विज्ञान-05 सीटें</p> <p>3. आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलोजी एवं त्वचा रोग-02 सीटें</p> <p>4. प्रसूति एवं स्त्री रोग-02 सीटें तथा</p> <p>5. क्षार कर्म-05 सीटें एवं</p> <p>6. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना -05 सीटें</p> <p>पत्र संख्या आर-17011/28/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 04.08.2018</p>
34.	पारूल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, पो.ओ. लिम्डा, तालुका वाघोडिया, जिला वडोदरा -391760, गुजरात	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक सशर्त अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2017-18 तक निम्नलिखित 13 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 100 सीटों एवं 78 सीटों सहित सशर्त अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है :-



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			12. पंचकर्म एवं 13. शल्य तंत्र (सामान्य) पत्र संख्या आर. 12011 / 04 / 2005-ईपी (आई एम-1) दिनांक 17.10.2015 तथा पत्र संख्या आर. 14011 / 06 / 2015-ईपी (आई एम-1) 14011 / 07 / 2015-ईपी (आई एम-1) 14011 / 05 / 2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 29.11.2016
35.	गोविन्दभाई जोराभाई पटेल आयुर्वेद कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर, जी.आई. डी.सी के पीछे, न्यू वल्लभ विद्यानगर, तालुका जिला आनन्द- 388121, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 60 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:-	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 60 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर- 12011 / 01 / 2005-ईपी (आई एम-1) दिनांक 05.09.2018
36.	श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज ग्राम व पो.ओ. अस्थल बोहर, जिला रोहतक -124021, हरियाणा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 60 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र संख्या आर-17011 / 29 / 2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 24.09. 2018
37.	श्री मारू सिंह मेमोरियल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद बीपीएस महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलों, तहसील गोहाना,	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	शैक्षिक सत्र 2016-17 से 2020-21 तक 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु पत्र संख्या आर- 17011 / 30 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 25.10. 2016 के द्वारा अनुमति वापस ले ली गई तथा इसे भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	जिला सोनीपत -131305, हरियाणा		अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 60 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु श्री मारू सिंह मेमोरियल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, खानपुर कला, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत -131305, हरियाणा को सशर्त अनुमति में प्रवर्तित करने का निर्णय लिया। पत्र संख्या आर-17011/30/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 12.10.2018
38.	गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल, ग्राम एवं पो.ओ. ब्राह्मणवास, जिला रोहतक, -124001 हरियाणा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 100 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने हेतु भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 100 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर-17011/31/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 24.09.2018
39.	सेठ मुरारी लाल रसीवसिया आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल, राम कृष्ण गुप्ता मार्ग, चरखी दादरी, जिला भिवानी-127306, हरियाणा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 60 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र संख्या आर-17011/32/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 27.09.2018
40.	श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल, उमरी रोड, डी.सी. रेजिडेन्स के निकट, सेक्टर-8, कुरुक्षेत्र -136118 हरियाणा	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक 50 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी। पत्र संख्या आर. 17011/33/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.09.2016



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
41.	चौधरी देवीलाल आयुर्वेद कॉलेज, भगवानगढ़, बुरिया रोड़, तहसील जगाधरी, जिला यमुना नगर -135003, हरियाणा	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक 60 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी। पत्र संख्या आर. 17011/34/2017-ईपी (आई एम-1) दिनांक 24.10.2016
42.	आर्युज्योति आयुर्वेदिक कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, पंजुयाना खरिया रोड़, जोधपुरिया, सिरसा -125076, हरियाणा	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2019-20 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया। आर-12011/11/2009-ईपी (आई एम-1) 15.07.2015	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2019-20 तक 50 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी। पत्र संख्या आर. 12011/11/2009-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.07.2015
43.	राजीव गॉंधी गवर्नमेंट पोस्ट-ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज, पपरोला तहसील-बैजनाथ, जिला कांगडा-176115, हिमाचल प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 60 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तथा 39 सीटों सहित 11 स्नातकोत्तर विषयों में प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. कायचिकित्सा-06 सीटें 2. शल्य तंत्र -04 सीटें 3. शालाक्य तंत्र-04 सीटें 4. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-04 सीटें 5. रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना-03 सीटें एवं 6. द्रव्यगुण विज्ञान - 03 सीटें 7. रोग निदान एवं विकृति विज्ञान -03 सीटें 8. प्रसूति तंत्र-03 सीटें 9. कौमारभृत्य-03 सीटें 10. पंचकर्म-03 सीटें 11. स्वास्थ्यवृत-03 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 60 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु तथा 39 सीटों सहित 11 स्नातकोत्तर विषयों में प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- 1. कायचिकित्सा-06 सीटें 2. शल्य तंत्र -04 सीटें 3. शालाक्य तंत्र-04 सीटें 4. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-04 सीटें 5. रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना-03 सीटें एवं 6. द्रव्यगुण - 03 सीटें 7. रोग निदान एवं विकृति विज्ञान -03 सीटें 8. प्रसूति तंत्र -03 सीटें 9. कौमारभृत्य-03 सीटें 10. पंचकर्म-03 सीटें 11. स्वास्थ्यवृत-03 सीटें पत्र संख्या आर-17011/35/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 10.08.2018



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
44.	जम्मू इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एण्ड रिसर्च, मुथी, नर्दनी, रायपुर, बनतालाब रोड़, जम्मू तवी -181123	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2019-20 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया। आर-17011/36/2015-ईपी (आई एम-1) 16.07.2015	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2015-16 से शैक्षिक सत्र 2019-20 तक 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु प्रदान की गई अनुमति वापस ले ली तथा शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु महाविद्यालय को 90 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं 15 सीटों सहित निम्नलिखित 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई :- 1. कायचिकित्सा (05 सीटें) 2. शल्य तंत्र (05 सीटें) 3. क्रिया शारीर (05 सीटें) पत्र संख्या आर. 17011/36/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 26.09.2018
45.	सूर्यमुखी दिनेश आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, ग्राम एवं पोस्ट बूटी, वाया नियोरी विकाश, रांची -835217, झारखंड	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2019-20 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः वार्षिक परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु 60 सीटों तथा निम्नलिखित 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 24 सीटों के लिए अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- 1. पंचकर्म 2. स्वस्थवृत्त 3. संहिता सिद्धांत 4. शल्य तंत्र 2019-20 तक प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित पत्र संख्या आर. 17011/37/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.07.2015 एवं पत्र संख्या आर. 13011/37/2015-ईपी (आई एम-1) एवं आर 14011/18/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 26.11.2016



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
46.	गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, सय्याजीराव रोड़, विश्वेश्वरैयाह सर्कल, जिला मैसूर-570021, कर्नाटक	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु तथा निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 12 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-05 सीटें 2. कायचिकित्सा-07 सीटें <p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 से 100 सीटों की प्रवेश क्षमता की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित 02 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु भी भारत सरकार को अनुशंसा की गई:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्वास्थ्यवृत एवं 2. पंचकर्म <p>प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित।</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु तथा निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 12 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-05 सीटें 2. कायचिकित्सा-07 सीटें <p>पत्र संख्या आर-17011/38/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 07.08.2018</p> <p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 से 100 सीटों की प्रवेश क्षमता की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित 02 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने की अनुमति प्रदान की गई:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्वास्थ्यवृत एवं 2. पंचकर्म <p>प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित</p> <p>पत्र संख्या आर-13011/32/2017-ईपी (आई एम-1) एवं आर 14011/14/2017 ईपी (आई एम-1) दिनांक 07.08.2018</p>



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
47.	अरुर लक्ष्मीनारायण राव मेमोरियल आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, कोप्पा-577126 जिला चिकमगलूर, कर्नाटक	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक सशर्त अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु निम्नलिखित 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 60 सीटों एवं 16 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- 1. द्रव्यगुण विज्ञान-06 सीटें 2. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना -05 सीटें एवं 3. कायचिकित्सा -05 सीटें 2020-21 तक पत्र संख्या आर. 17011/39/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 13.10.2016
48.	गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, धन्वंतरी रोड़, बंगलौर-560009, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 60 सीटों सहित स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु तथा निम्नलिखित 06 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 40 सीटों सहित अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. द्रव्यगुण-07 सीटें 2. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें 3. रोग निदान-06 सीटें 4. शल्य तंत्र-07 सीटें 5. शालक्य तंत्र-07 सीटें 6. पंचकर्म-07 सीटें तथा शैक्षिक सत्र 2018-19 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भी भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 06 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 40 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- 1. द्रव्यगुण-07 सीटें 2. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें 3. रोग निदान-06 सीटें 4. शल्य तंत्र-07 सीटें 5. शालक्य तंत्र-07 सीटें 6. पंचकर्म-07 सीटें पत्र संख्या आर- 17011/40/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 04.08.2018 तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम. एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 60 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भी अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर- 13011/28/2017-ईपी (आई एम-1) दिनांक 04.08.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
49.	तारानाथ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, अनन्तपुरा रोड, बेल्लारी -583101 कर्नाटक	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित तथा 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना में 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 सेवर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 40 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित 03 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु सशर्त अनुमति पत्र जारी करने के लिए भी भारत सरकार को अनुशंसा की गई:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कायचिकित्सा - 7 सीटें। 2. पंचकर्म - 7 सीटें। 3. शल्यतंत्र - 4 सीटें। 	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित तथा 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना में 07 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर-17011/41/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 04.08.2018 तथा 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना में 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 40 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित 03 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भी अनुमति प्रदान की गई:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कायचिकित्सा - 7 सीटें। 2. पंचकर्म - 7 सीटें। 3. शल्यतंत्र - 4 सीटें। <p>पत्र संख्या आर-13011/27/2017-ईपी (आई एम-1) एवं आर-14011/18/2017-ईपी (आई एम-1) दिनांक 04.08.2018</p>



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
50.	ए.वी. समिति आयुर्वेद महाविद्यालय, विद्या नगर, बागलकोट रोड, जिला एवं तालुक बीजापुर -586101 कर्नाटक	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः वार्षिक परिदर्शन नहीं किया गया।	शैक्षिक सत्र 2016-17से शैक्षिक सत्र 2020-21 तक 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु प्रदान की गई अनुमति पत्र दिनांक 05.10.2016 के द्वारा वापस ले ली गई तथा बी.एल.डी.ई. एसोसिएशन ए. वी.एस. आयुर्वेद महाविद्यालय, विद्या नगर, बागलकोट रोड, जिला एवं तालुक बीजापुर, कर्नाटक को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 22 सीटों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए मना कर दिया गया:- <ol style="list-style-type: none"> 1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-03 सीटें 2. द्रव्यगुण-05 सीटें 3. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-05 सीटें 4. कायचिकित्सा-05 सीटें 5. शल्य तंत्र-04 सीटें पत्र संख्या आर. 17011/42/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 25.09.2018
51.	आयुर्वेद महाविद्यालय एवं हॉस्पिटल, हेग्गेरी एक्सटेंशन ओल्ड हुबली - 508824 कर्नाटक	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् निम्नलिखित 07 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 60 सीटों तथा 36 सीटों के लिए अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- <ol style="list-style-type: none"> 1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-06 सीटें 2. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें 3. कायचिकित्सा-06 सीटें 4. शल्य तंत्र-05 सीटें 5. पंचकर्म-06 सीटें 6. रचना शारीर-03 सीटें 7. रोग निदान-04 सीटें 2020-21 तक के लिए पत्र संख्या आर. 17011/43/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 07.10.2016 एवं आर. 14011/11/2015-ईपी (आई एम-1) एवं आर. 13011/18/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 13.12.2016



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
52.	कर्नाटक लिब्रल एजुकेशन यूनिवर्सिटी, श्री बी.एम. कंकनवाड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय, शाहपुर, बेलगाम -590003 कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 10 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 64 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. द्रव्यगुण-05 सीटें 2. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-11 सीटें 3. स्वास्थ्यवृत-06 सीटें 4. अगद तंत्र -06 सीटें 5. कौमारभृत्य-06 सीटें, 6. कायचिकित्सा-06 सीटें 7. शल्य तंत्र-06 सीटें 8. शालक्य तंत्र-06 सीटें एवं 9. पंचकर्म-06 सीटें 10. रसयान एवं वाजिकरण -06 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 10 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 63 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- 1. द्रव्यगुण विज्ञान-05 सीटें 2. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-10 सीटें(11 सीटों के स्थान पर) 3. स्वास्थ्यवृत एवं योग-06 सीटें 4. अगद तंत्र एवं विधि वैद्यक-06 सीटें 5. कौमारभृत्य बाल रोग-06 सीटें 6. कायचिकित्सा-06 सीटें, 7. रसयान एवं वाजिकरण-06 सीटें, 8. शल्य तंत्र -06 सीटें 9. शालक्य तंत्र -06 सीटें 10. पंचकर्म-06 सीटें पत्र संख्या आर-17011/44/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 06.09.2018
53.	अश्विनी एजुकेशनल एसोसिएशन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड पी.जी. सेन्टर, 405/1, बाथी लेक के सामने, अश्विनी नगर, पी.बी. रोड़, जिला दावनगेरे-577566 कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटां सहित तथा निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 10 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. कायचिकित्सा-05 सीटें 2. शल्य तंत्र-05 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटां सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई तथा निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 10 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान नहीं की गई:- 1. कायचिकित्सा-05 सीटें 2. शल्य तंत्र-05 सीटें पत्र संख्या आर-17011/84/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 04.09.2018



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
54.	एन.के. जाबशेट्टी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड पी.जी.सेन्टर, सिद्धरुद्ध मठ, गुम्पा, मनहाल्ली रोड़, बीदर - 585403 कर्नाटक	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् निम्नलिखित 07 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 60 सीटों तथा 30 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- 1. रचना शारीर-05 सीटें 2. द्रव्यगुण-04 सीटें 3. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-04 सीटें 4. रोग निदान-04 सीटें 5. प्रसूति तंत्र-05 सीटें 6. शल्य तंत्र-05 सीटें 7. पंचकर्म-03 सीटें 2020-21 तक के लिए। पत्र संख्या आर. 17011/45/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 23.09.2016
55.	डॉ. बी.एन.एम रुरल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, श्रीमती सुशीला देवी, नागुर कॉलोनी, कॉलेज रोड़, तालुक एवं जिला बीजापुर -586101 कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित एवं निम्नलिखित 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 21 सीटों हेतु प्रवेश लेने की अनुमति प्रदान नहीं की गई:- 1. कायचिकित्सा-05 सीटें 2. पंचकर्म-03 सीटें 3. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-07 सीटें 4. द्रव्यगुण-03 सीटें एवं 5. स्वास्थ्यवृत्त एवं योग-03 सीटें पत्र संख्या आर- 17011/46/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 11.10.2018
56.	जे.एस.एस. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, श्री शिवरात्रीश्वर नगर, मैसूर -570015 कर्नाटक	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2019-20 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् निम्नलिखित 06 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 26 सीटों हेतु अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- 1. द्रव्यगुण-04 सीटें



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			<p>2. रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना-04 सीटें</p> <p>3. स्वस्थवृत्त-03 सीटें</p> <p>4. पंचकर्म-05 सीटें</p> <p>5. रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-05 सीटें तथा</p> <p>6. शल्य तंत्र-05 सीटें</p> <p>2019-20 तक के लिए पत्र संख्या आर. 17011/47/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 30.07.2015 तथा आर. 14011/45/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.10.2015</p>
57.	सिंदगी शांता वीरेश्वर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, शांतावीर नगर, इजरीलाकमपुर, पी.बी. रोड, जिला हावेरी, -581183 कर्नाटक	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2018-19 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु 60 सीटों के लिए सशर्त अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- 2018-19 तक के लिए पत्र संख्या आर. 17011/48/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 06.08.2014 तथा आर. 13011/49/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.10.2015
58.	श्री विजय महन्तेश आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, तालुका- हुनगुंड जिला बागलकोट, इल्कल- 587125 कर्नाटक	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	शैक्षिक सत्र 2016-17से शैक्षिक सत्र 2020-21 तक 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु प्रदान की गई अनुमति पत्र दिनांक 16.09.2016 के द्वारा वापस ले ली गई तथा श्री विजय महन्तेश आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जिला बागलकोट, इल्कल- 587125 कर्नाटकको भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 06 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 30 सीटों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए मना कर दिया गया:- 1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत 2. प्रसूति एवं स्त्री रोग 3. कायचिकित्सा



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			4. शल्य तंत्र 5. शालक्य तंत्र तथा 6. पंचकर्म। प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित पत्र संख्या आर. 17011/49/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 18.09.2016
59.	बापूजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, सौलंगा रोड, ए. जी. कॉलेज के सामने, चन्नामुम्बापुरा, शिमोगा -577204 कर्नाटक	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् 2020-21 तक के लिए 50 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- पत्र संख्या आर. 17011/50/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.09.2016
60.	टी.एम.ए.ई. सोसायटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, संकलापुरा टांडा, बेल्लारी रोड, हॉस्पेट-583201, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई तथा निम्नलिखित 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 03 सीटों सहित अनुमति प्रदान नहीं की गई:- 1. शल्य तंत्र-03 सीटें पत्र संख्या आर-17011/51/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 04.09.2018
61.	टी.एम.ए.ई. एस. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, निडीगे पोस्ट शिमोगा -560001 कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश लेने हेतु सशर्त अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र संख्या आर-17011/52/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 11.10.2018
62.	अमृता आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल,	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन सत्र 2017-18 हेतु स्नातकीय (बी.ए.



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	ओनाके ओबावा स्टेडियम के पीछे, जिला चित्रदुर्ग -577501 कर्नाटक	(बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा नहीं की गई। तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 40 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी न करने के लिए भी भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर-17011/53/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 08.09.2018 तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 40 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भी अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर-13011/03/2017-ईपी (आई एम-1) दिनांक 08.09.2018
63.	बापूजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, बापूजी कैम्पस, टी.आर. नगर, चल्लाकेरे, जिला चित्रदुर्ग-577522 कर्नाटक	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2018-19 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् 2018-19 तक के लिए 60 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है। पत्र संख्या आर. 17011/54/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 06.08.2014 एवं आर. 13011/67/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 27.10.2015
64.	श्री धर्मस्थला मंजुनाथेश्वर कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एण्ड हॉस्पिटल, थन्निरुहल्ला, बी.एम. रोड़, तालुक एवं जिला हसन-573201 कर्नाटक	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2018-19 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः वार्षिक परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् 2018-19 तक के लिए 15 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 75 सीटों एवं 93 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- 1. संहिता सिद्धांत-12 सीटें 2. रचना शारीर-06 सीटें 3. क्रिया शारीर-06 सीटें 4. द्रव्यगुण-06 सीटें 5. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें 6. रोग निदान-06 सीटें 7. स्वस्थवृत्त-06 सीटें 8. अगद तंत्र-06 सीटें 9. प्रसूति एवं स्त्री रोग-06 सीटें 10. कौमारभृत्य-06 सीटें



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			<p>11. मानस रोग-06 सीटें 12. कायचिकित्सा-06 सीटें 13. शल्य तंत्र-05 सीटें 14. शालक्य तंत्र-04 सीटें एवं 15. पंचकर्म-06 सीटें</p> <p>पत्र संख्या आर. 17011/55/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 12.08.2014 तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2017-18 से 2018-19 तक के लिए वर्तमान स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 75 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भी अनुमति प्रदान की गई।</p> <p>पत्र संख्या आर. 13011/09/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 31.08.2017</p>
65.	के.वी.जी. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, अम्बाटेडका सुलिया, जिला दक्षिण कन्नड--574327 कर्नाटक	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	<p>महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु निम्नलिखित 06 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 100 सीटों तथा 34 सीटों के लिए अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. द्रव्यगुण विज्ञान-06 सीटें 2. रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना-06 सीटें 3. अगद तंत्र एवं विधि वैद्यक-05 सीटें 4. कायचिकित्सा-05 सीटें 5. शल्य तंत्र-06 सीटें एवं 6. पंचकर्म-06 सीटें <p>2020-21 तक के लिए पत्र संख्या आर. 17011/56/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 13.10.2016 एवं आर. 13011/44/2015 ईपी (आई एम-1) दिनांक 02.12.2016</p>
66.	श्री जगदगुरु गुरुसिद्धेश्वर को-ऑपरेटिव सोसायटी सहकार महर्षि, श्री बी.ए. पाटिल	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2019-20 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	<p>महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु निम्नलिखित 10 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 60 सीटों तथा 50 सीटों के लिए अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:-</p>



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, तालुक गोकक, जिला बेलगाम, घटप्रभा-591310 कर्नाटक		<ol style="list-style-type: none"> 1. द्रव्यगुण 2. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना 3. रोग निदान 4. स्वरथवृत्त 5. प्रसूति एवं स्त्रीरोग 6. कौमारभृत्य 7. कायचिकित्सा 8. शल्य तंत्र 9. शालक्य तंत्र 10. पंचकर्म प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित वर्ष 2019-20 तक के लिए पत्र संख्या आर. 17011/57/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.07.2015 एवं आर. 13011/36/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 09.10.2015
67.	श्री कालभैरेश्वर स्वामी आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल एवं अनुसन्धान केन्द्र, नं.10, पाईप लाईन रोड, आर.पी.सी. लेआउट, विजयनगर, बंगलौर-560104 कर्नाटक	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु निम्नलिखित 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 100 सीटों तथा 30 सीटों के लिए अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रसूति एवं स्त्रीरोग 2. कायचिकित्सा 3. शल्य तंत्र 4. शालक्य तंत्र एवं 5. पंचकर्म प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित वर्ष 2020-21 तक के लिए। पत्र संख्या आर. 17011/58/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.09.2016
68.	भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान एवं अनुसन्धान, बंगलौर पैलेस कम्पाउण्ड, जयमहल रोड, दर्गा के सामने, बंगलौर-560006 कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 45 सीटों सहित हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र संख्या आर-17011/59/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 18.10.2018



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
69.	महागणपति आयुर्वेदिक कॉलेज, होयसाल नगर, हल्याल रोड, जिला धारवाड़— 580003 कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र संख्या आर— 17011/62/2018—ईपी (आई एम-1) दिनांक 25.10.2018
70.	अल्वास आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, मूदबीदरी, साउथ कैनरा, जिला दक्षिण — 574227 कर्नाटक	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु निम्नलिखित 15 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 100 सीटों तथा 75 सीटों के लिए सशर्त अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:— 1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत—05 सीटें 2. रचना शारीर—05 सीटें 3. द्रव्यगुण—05 सीटें 4. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना—10 सीटें 5. अगद तंत्र—05 सीटें 6. प्रसूति एवं स्त्रीरोग—05 सीटें 7. कौमारभृत्य—05 सीटें 8. कायचिकित्सा—05 सीटें 9. शल्य तंत्र—05 सीटें 10. पंचकर्म—05 सीटें 11. क्रिया शारीर—04 सीटें 12. स्वस्थवृत्त—04 सीटें 13. मनोविज्ञान एवं मानस रोग—04 सीटें 14. रोग निदान एवं विकृति विज्ञान—04 सीटें 15. शालक्य तंत्र—04 सीटें सत्र 2020-21 तक के लिए पत्र संख्या आर. 17011/60/2016—ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.09.2016 एवं आर.17011/60/2016—ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.09.2016 एवं आर—17011/60/2016—ईपी (आई एम-1) दिनांक 23.12.2016



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
71.	एस.एन.वी.वी. समस्थे एसजीवी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, तालुक बैलहोंगल, बेलगाम -591102 कर्नाटक	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2019-20 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि निम्नलिखित 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में हेतु 60 सीटों तथा 16 सीटों के लिए अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- 1. स्वस्थवृत्त एवं योगा 2. प्रसूति एवं स्त्रीरोग 3. कौमारभृत्य एवं बाल रोग 4. कायचिकित्सा प्रत्येक विषय में 04 सीटों सहित सत्र 2019-20 तक के लिए। पत्र संख्या आर. 17011/61/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 18.08.2015, आर. 14011/33/2014-ईपी (आई एम-1) एवं आर. 13011/39/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.10.2015
72	श्री शिवयोगेश्वर रुरल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्डहॉस्पिटल, तालुक सोन्दल्ली, जिला बेलागाम, इन्चल-591102, कर्नाटक	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2019-20 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु निम्नलिखित 06 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 60 सीटों तथा 30 सीटों के लिए अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- 1. द्रव्यगुण 2. शल्य तंत्र 3. पंचकर्म 4. रचना शारीर 5. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना 6. कायचिकित्सा प्रत्येक पाठ्यक्रम में 05 सीटों सहित सत्र 2019-20 तक के लिए पत्र संख्या आर. 17011/63/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.07.2015, आर. 14011/47/2014-ईपी (आई एम-1) एवं आर. 13011/69/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.09.2015



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
73.	तालुका शिक्षण प्रसारक सहकारा मण्डली आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, सिंदगी, जिला-बीजापुर -586128 कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 सीटों हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र संख्या आर-17011/64/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 27.09.2018
74.	श्री जगद्गुरु गवीसिद्धेश्वर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, पी.जी. स्टूडीज एण्ड रिसर्च सेन्टर, कोप्पल-583231 कर्नाटक	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2019-20 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया। तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 60 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भी भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 60 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। मंत्रालय के पत्र संख्या क्रमशः आर. 17011/65/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 26.08.2015 एवं आर. 13011/16/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.10.2015 के द्वारा वर्तमान स्नातकीय/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् शैक्षिक सत्र 2015-16 से शैक्षिक सत्र 2019-20 तक के लिए प्रदान की गई अनुमति वापस ले ली गई। तथा इसे शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए निम्नलिखित 08 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 60 सीटों एवं 36 सीटों के लिए सशर्त अनुमति में परिवर्तित कर दिया गया। 1. क्रिया शारीर-04 सीटें 2. द्रव्यगुण विज्ञान-05 सीटें 3. रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना-05 सीटें 4. प्रसूति एवं स्त्रीरोग-04 सीटें 5. कौमारभृत्य-04 सीटें 6. शल्य तंत्र-05 सीटें



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			7. शालक्य तंत्र-04 सीटें एवं 8. पंचकर्म-05 सीटें। तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम स्वस्थवृत्त-05 सीटें हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई।
75.	श्री हिंगुलम्बिका एजुकेशन सोसायटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, भवसार नगर, सेदम रोड, गुलबर्गा -585106 कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने हेतु भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु सहित स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर-17011/66/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 06.09.2018
76.	कलमठाडा पूज्य श्री विरूपक्ष शिवाचार्य आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, मानवी जिला- रायचूर -584123 कर्नाटक	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् सत्र 2018-19 तक के लिए 60 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है। पत्र संख्या आर. 17011/14/2014-ईपी (आई एम-1) एवं आर. 13011/53/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 02.11.2015, 25.09.2014 एवं आर. 17011/67/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 25.10.2016
77.	श्री बासवेश्वर विद्या वर्धक संघ, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, पी. बी. न. 34, जिला बागलकोट-587101 कर्नाटक	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 20 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- 1. रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना 2. शल्य तंत्र 3. द्रव्यगुण 4. कायचिकित्सा प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित सत्र 2020-21 तक के लिए।



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			पत्र संख्या आर. 17011/68/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 13.10.2016 एवं आर. 14011/28/2015-ईपी (आई एम-1) तथा आर. 13011/34/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 24.11.2016
78.	श्री बाहुबली विद्यापीठ जे.वी. मण्डल ग्रामीण आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गुरुकुल कैम्पस, तालुक जामखण्डी, जिला बागलकोट, टरडल-587315 कर्नाटक	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः वाषिक परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों के लिए अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है। तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2017-18 से सत्र 2020-2021 तक के लिए वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भी अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर. 13011/04/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 31.08.2017
79.	एस.एस.वी. समिति श्री एसबीएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, मुंदर्गी, जिला गडग-582118 कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश लेने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र संख्या आर-17011/70/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 25.09.2018
80.	जे.एस.वी.वी. समस्ते दनाप्पा गुरुशिद्दप्पा मेलमालगी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, डॉ. सावदी रोड़, शिवानन्द नगर,	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2019-20 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः वाषिक परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि निम्नलिखित 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में हेतु 60 सीटों तथा 19 सीटों के लिए अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- 1. द्रव्यगुण -04 सीटें 2. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-05 सीटें



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	ता. एवं जिला गडग -582103 कर्नाटक		3. कायचिकित्सा-05 सीटें एवं 4. पंचकर्म-05 सीटें सत्र 2019 -20 तक के लिए। पत्र संख्या आर. 17011/71/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.07.2015 एवं आर. 14011/30/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.12.2016
81.	श्री वीरपुलीकेशी रूरल विद्यावर्धक समस्थ रूरल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, जे. एम.एफ.कोर्ट के सामने, रामदुर्ग रोड़, पो.आ. एवं तालुक बदामी, बागलकोट -587201 कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश लेने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र संख्या आर-17011/72/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 26.09.2018
82.	कन्नड बालग सोसायटी रूरल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, ऑटो नगर, मेन डबल रोड़, तालुक एवं जिला बेलगाम-590016 कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित प्रवेश लेने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र संख्या आर-17011/73/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 11.10.2018
83.	बागामार सेवा समिति भगवान महावीर जैन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, गजेन्द्रगढ़, तालुक रोह, जिला गडग-582114 कर्नाटक	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु निम्नलिखित 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 50 सीटों तथा 20 सीटों के लिए अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- 1. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना 2. कायचिकित्सा 3. शल्य तंत्र 4. पंचकर्म



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित सत्र 2020-21 तक के लिए। पत्र संख्या आर. 17011/74/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 09.09.2016
84.	श्री कालिदास आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, बनशंकरी रोड, पोस्ट बदामी जिला बागलकोट-587 201कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित प्रवेश लेने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र संख्या आर-17011/75/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 26.09.2018
85.	राजीव गाँधी एजुकेशन सोसायटी आयुर्वेदिक कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, तालुक रो.न, जिला गडग-582209 कर्नाटक	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2019-20 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः वार्षिक परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु निम्नलिखित 06 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 60 सीटों तथा 36 सीटों के लिए अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- 1. द्रव्यगुण 2. कायचिकित्सा 3. शल्य तंत्र 4. रचना शारीर 5. प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं 6. पंचकर्म प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित सत्र 2019-20 तक के लिए। पत्र संख्या आर. 17011/76/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.07.2015, आर. 13011/31/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 30.09.2015 एवं आर. 14011/26/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 24.11.2016
86.	मुनियाल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद मेडिकल साईंसेज, न0. 34/सी, शिवाली औद्योगिक क्षेत्र, तालुक एवं जिला उडुपी,	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 29



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	मणिपाल -576104 कर्नाटक	भारत सरकार को अनुशंसा नहीं की गई।	सीटों सहित प्रवेश लेने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई:- 1. द्रव्यगुण-05 सीटें, 2. रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना -09 सीटें 3. कायचिकित्सा -05 सीटें 4. शल्य तंत्र -05 सीटें 5. पंचकर्म -05 सीटें पत्र संख्या आर- 17011/77/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 29.09.2018
87.	धन्वतंत्री आयुर्वेद कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, सिद्धपुर, सिरसी रोड़, जिला उत्तर कन्नड -581355 कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 10 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. कायचिकित्सा एवं 2. पंचकर्म प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 10 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- 1. कायचिकित्सा 2. पंचकर्म प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित। पत्र संख्या आर- 17011/78/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 10.10.2018
88.	श्री बालाजी एजुकेशन ट्रस्ट, रामा कृष्णा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेंटर, #54/2, रामागोंदानाहल्ली, येलाहंका, बंगलौर	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 25 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:-	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 25 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- 1. रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना,



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	-560064 कर्नाटक	1. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, 2. द्रव्यगुण विज्ञान, 3. कायचिकित्सा, 4. शल्यतंत्र एवं 5. पंचकर्म प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित	2. द्रव्यगुण विज्ञान, 3. कायचिकित्सा, 4. शल्यतंत्र एवं 5. पंचकर्म प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित(न्यूनतम मानक अपेक्षाएं 2016 के अनुसार केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला की अनुपलब्धता के कारण)। पत्र संख्या आर-17011/79/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 29.09.2018
89.	एस.डी.एम. कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एण्ड हॉस्पिटल, लक्ष्मीनारायण नगर, पो.ओ. कुथपाडी तालुक एवं जिला उडुपी -574118 कर्नाटक	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2019-20 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु निम्नलिखित 13 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 75 सीटों तथा 71 सीटों के लिए सशर्त अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- 1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-06 सीटें, 2. रचना शारीर-06 सीटें 3. द्रव्यगुण -06 सीटें 4. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें 5. रोगनिदान- 05 सीटें 6. स्वाथ्यवृत्त -04 सीटें 7. अगदतंत्र-05 सीटें 8. प्रसूती एवं स्त्रीरोग-06 9. कौमारभृत्य -04 सीटें 10. कायचिकित्सा-06 सीटें 11. मानसरोग-05 सीटें 12. शल्यतंत्र-06 सीटें एवं 13. पंचकर्म -06 सीटें सत्र 2019-20 तक के लिए। पत्र संख्या आर. 17011/80/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.07.2015
90.	कर्नाटक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, के.ई.सी.टी. टॉवर, होइगेबैल, अशोकनगर, पोस्ट ऑफिस मंगलौर डी.के.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 25	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई, तथा निम्नलिखित 05



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	-575006 कर्नाटक	सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. द्रव्यगुण विज्ञान, 2. रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना, 3. कायचिकित्सा, 4. शल्यतंत्र एवं 5. पंचकर्म प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई:- 1. द्रव्यगुण विज्ञान 2. रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना 3. कायचिकित्सा 4. शल्यतंत्र एवं 5. पंचकर्म प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित (न्यूनतम मानक अपेक्षाएं 2016 के अनुसार केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला की अनुपलब्धता के कारण)। पत्र संख्या आर-17011/81/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 05.09.2018
91.	सुश्रुत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, प्रशान्ती कुटीर, जोदी बिंगीपुर, जिगनी हुबली, अनेकल तालुक, बंगलौर -560106, कर्नाटक	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् 2020-21 तक के लिए 100 सीटों के लिए अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- पत्र संख्या आर. 17011/82/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 20.10.2016
92.	श्री श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईन्सेज एण्ड रिसर्च, 21 किमी. कनकपुरा रोड़, पोस्ट उदयपुरा बंगलौर -560062 कर्नाटक	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2019-20 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः वार्षिक परिदर्शन नहीं किया गया। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु निम्नलिखित 04 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. शालक्य तंत्र 2. पंचकर्म 3. कौमारभृत्य एवं 4. स्वास्थ्यवृत्त	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि के लिए अर्थात् 2019-20 तक के लिए निम्नलिखित 06 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 100 सीटों एवं 33 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- 1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-04 सीटें, 2. द्रव्यगुण विज्ञान-05 सीटें एवं 3. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें 4. प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-06 सीटें, 5. कायचिकित्सा-06 सीटें 6. शल्य तंत्र -06 सीटें



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
		प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित	पत्र संख्या आर. 12011 / 13 / 2004-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.07.2015 एवं आर.14011 / 12 / 2012-ईपी (आई एम-1) एवं आर. 13011 / 12 / 2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.10.2015 एवं आर. 14011 / 28 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 31.08. 2017 तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 से सत्र 2019-2020 तक के लिए 04 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भी अनुमति प्रदान की गई। आर. 14011 / 49 / 2017 -ईपी (आई एम-1) दिनांक 11.10.2018
93.	अश्विनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, रिंग रोड़, मरलूर, तालुक एवं जिला टुमकुर-572105 कर्नाटक	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् शैक्षिक सत्र 2016-17 से सत्र 2020-21 तकपत्र सं. आर. 12011 / 25 / 2003 - ईपी (आई एम-1) 2016-2017 हेतु दिनांक 07.12.2016 के द्वारा स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रमों में 100 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 07 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 35 सीटों सहित प्रदान की गई अनुमति वापिस ले ली गई तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए अश्विनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, रिंग रोड़, मरलूर, तालुक एवं जिला टुमकुर -572105 कर्नाटक को स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रमों में 100 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 07 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 35



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			सीटों सहित अनुमति प्रदान करने के लिए मना कर दिया गया:- 1. क्रिया शारीर 2. द्रव्यगुण 3. स्वास्थ्यवृत्त 4. कायचिकित्सा 5. शल्य तंत्र 6. शालक्य तंत्र एवं 7. पंचकर्म प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित तथा पत्र संख्या आर. 12011/25/2003-ईपी (आई एम-1) सत्र 2016-2017 हेतु दिनांक 15.11.2018
94.	श्री सी.बी. गुट्टल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ग्राम मुम्मीगट्टी जिला धारवाड़ -580001 कर्नाटक	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् शैक्षिक सत्र 2016-2017 से सत्र 2020-21 तक स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रमों में 50 सीटों के लिए प्रदान की गई अनुमति की तारतम्याता में शैक्षिक सत्र 2018-2019 हेतु। पत्र संख्या आर. 12011/18/2004-ईपी (आई एम-1) सत्र 2016-17 हेतु दिनांक 05.10.2018
95.	अत्रेय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, पोस्ट कोडीगेहल्ली, दोड्डाबाल्लापुरा, बंगलौर-561203 कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटां सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र संख्या आर-12011/05/2005-ईपी (आई एम-1) दिनांक 11.10.2018 सत्र 2018-19 हेतु।
96.	श्री राघवेन्द्र आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल,पो.ओ. मल्लादीहल्ली तालुक होलालकेरे, जिला चित्रदुर्ग	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2018-19 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	आर. 12011/43/2003-ईपी (आई एम-1) दिनांक 12.08.2014 के द्वारा वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रममें 50 सीटों सहित महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् शैक्षिक सत्र 2014-15 से शैक्षिक सत्र 2018-19 तक के



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	— 577531 कर्नाटक		लिए प्रदान की गई अनुमति वापस ले ली गई। तथा इसे भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु श्री राघवेन्द्र आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, जिला चित्रदुर्ग, कर्नाटक को स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित प्रवेश लेने हेतु संशर्त अनुमति में परिवर्तित कर दिया गया। पत्र संख्या आर. 12011/43/2003-ईपी (आई एम-1) दिनांक 26.09.2018
97.	एसडीएम ट्रस्ट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, पदमा आयुर्वेदिक अस्पताल एवं अनुसन्धान केन्द्र, टरडल, तालुक जामखण्डी, जिला बागलकोट -587315 कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 07 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 35 सीटों सहित संशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. अगद तंत्र एवं विधि वैद्यक, 2. स्वास्थ्यवृत्त 3. कौमारभृत्य, 4. कायचिकित्सा 5. पंचकर्म, 6. शल्य तंत्र एवं 7. प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 से 100 सीटों सहित प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु संशर्त अनुमति पत्र जारी करने के लिए भी भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 20 सीटों सहित संशर्त अनुमति प्रदान की गई:- 1. कौमारभृत्य, 2. कायचिकित्सा 3. पंचकर्म 4. प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 से 100 सीटों सहित प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भी अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर. 13011/06/2017-ईपी (आई एम-1) दिनांक 05.10.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
98.	श्री छत्रपति शिवाजी एजुकेशन सोसायटी धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, औद्योगिक क्षेत्र, शिवशंकर नगर, जतरत रोड निपानी, तालुक -चिकोडी, जिला बेलगाम, बंगलौर -591237 कर्नाटक	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2019-20 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2018-19 तक के लिए 40 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- पत्र संख्या आर. 17011/86/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.09.2015
99.	एस.एम.वी.वी. एस., श्रीमती राजेश्वरी कर्पूरमठ मेमोरियल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, 100 फीट रिंग रोड, के.सी. नगर के पीछे, बीजापुर-586103 कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 08 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-02 सीटें 2. स्वस्थवृत्त-03 सीटें 3. प्रसूति एवं स्त्रीरोग-03 सीटें एवं 01 स्नातकोत्तर विषय अर्थात् शालक्य तंत्र - 03 सीटें हेतु अनुशंसा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 03 स्नातकोत्तर विषयों में 08 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- 1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-02 सीटें 2. स्वस्थवृत्त-03 सीटें 3. प्रसूति एवं स्त्रीरोग-03 सीटें एवं शालक्य तंत्र - 03 सीटें (भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् स्नातकोत्तर शिक्षा विनियम, 2016के अनुसार न्यूनतम 01 प्रोफेसर की अनुपलब्धता के कारण) में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु अनुमति प्रदान करने से मना कर दिया गया। पत्र संख्या आर-17011/85/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 29.09.2018



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
100.	वाई.ई.टी. श्री सिद्धरामेश्वर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, नौबाद, बीदर-585402 कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 30 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई। तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 30 से 60 सीटों सहित प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु सशर्त अनुमति पत्र जारी करने के लिए भी भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 30 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर-17011/88/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 08.09.2018 तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 30 से 60 सीटों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु सशर्त अनुमति पत्र जारी करने के लिए भी अनुमति प्रदान की गई। आर-13011/26/2017-ईपी (आई एम-1) दिनांक 08.09.2018
101.	एस.एस. जमबागी मेमोरियल एजुकेशन एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट, श्री सिद्धिविनायक रुरल आयुर्वेद कॉलेज, हरुगेरी तालुक रायबाग, जिला बेलगाम, -591220 कर्नाटक	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2018-19 तक सशर्त अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2018-19 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 से 100 सीटों सहित प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 से 100 सीटों सहित प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी न करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर.13011/29/2017-ईपी (आई एम-1) दिनांक 17.10.2018 मंत्रालय के पत्र संख्या आर.12011/17/2007-ईपी (आई एम-1) दिनांक 11.08.2014 तथा आर.13011/48/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 28.10.2014 के द्वारा महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि (अर्थात् शैक्षिक सत्र 2014-15 से 2018-19 तक) के लिए पूर्व में प्रदान की गई अनुमति केन्द्रीय सरकार द्वारा वापस ले ली गई।



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
102.	लात्थे एजुकेशन सोसायटी आचार्य देशभूषण आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, ग्राम/पो. बेडकिहल-शामानेवाड़ी, तालुक चिकोडी बेलगाम-591214 कनार्टक	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक सशर्त अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः वार्षिक परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 03 स्नातकोत्तर विषयों में 15 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी:- 1. रचना शारीर, 2. शालाक्य तंत्र एवं 3. कायचिकित्सा प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित पत्र संख्या आर. 17011/87/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 14.08.2014, पत्र संख्या आर. 13011/49/2013-ईपी (आई एम-1) दिनांक 08.09.2014 एवं आर. 14011/25/2016-ईपी (आई एम-1) एवं 14011/25/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 25.09.2017
103.	गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, धन्वतरी नगर, तालुक कानायान्नुर, जिला एर्नाकुलम, त्रिपुनिथुरा-682 301, केरल	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक सशर्त अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः वार्षिक परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 08 स्नातकोत्तर विषयों में 33 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी:- 1. शल्यतंत्र-05 सीटें, 2. शालक्य तंत्र -04 सीटें, 3. रसशास्त्र-04 सीटें 4. द्रव्यगुण -04 सीटें 5. पंचकर्म-04 सीटें 6. स्वस्थवृत्त-04 7. प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-04 सीटें एवं 8. कायचिकित्सा-04 सीटें शैक्षिक सत्र 2020-21 तक के लिए पत्र संख्या आर.



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			17011 / 89 / 2017-ईपी (आई एम-1) दिनांक 29.09.2016 एवं आर. 14011 / 04 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 18.09.2017
104.	नानगेलिलआयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, पो.ओ. नेल्लीकुडी, तालुक कोठमंगलम, जिला एर्नाकुलम -686691 केरल	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक सशर्त अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2016-17 से 2020-21 तक स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित अनुमति की तारतम्यता में। शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु है। पत्र संख्या आर. 17011 / 90 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 30.08.2018
105.	पी.एन पाणिक्कर सौहर्षदा ट्रस्ट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, पोस्ट पाराकालाई, आनन्दाश्रम वाया जिला कसारागोड-671531 केरल	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक सशर्त अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक 50 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी। पत्र संख्या आर. 12011 / 01 / 2007-ईपी (आई एम-1) 2016-17 दिनांक 24.11.2016
106.	सांथिगिरी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, ओलास्सी, पो. ओ. कोदुम्बु वाया तालुक एवं जिला पलक्कडु -678551 केरल	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक सशर्त अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक 50 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी। पत्र संख्या आर. 17011 / 91 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 05.10.2016
107.	वैद्यरत्नम आयुर्वेद कॉलेज, ओल्लूर, थिक्काट्टूसेरी, त्रिसूर-680322, केरल	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् निम्नलिखित 01 स्नातकोत्तर विषयों में 50 सीटों तथा 04 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी:- 1. कायचिकित्सा शैक्षिक सत्र 2020-21 तक के लिए। पत्र संख्या आर. 17011 / 92 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 25.10.2016



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
108.	विष्णु आयुर्वेद कॉलेज, पो.ओ. गवर्नमेंट प्रेस, शोरानुर, जिला पलक्कड़-679122 केरल	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक 60 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है। पत्र संख्या आर. 17011/93/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 17.10.2016 एवं एफ न. आर. 13011/31/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 24.11.2016
109.	वैद्यरत्नम पी.एस. वारियर आयुर्वेद कॉलेज, कोट्टाक्कल पो. ओ. एडारीकोडे, तालुक तिरूर, जिला मालाप्पुरम-676501 केरल	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित प्रवेश हेतु तथा निम्नलिखित 07 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 28 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा की गई:- 1. मनोविज्ञान एवं मानस रोग-06 सीटें, 2. अगदतंत्र एवं विधि वैद्यक-04 सीटें 3. पंचकर्म- 04 सीटें, 4. द्रव्यगुण विज्ञान-04 सीटें एवं 5. स्वस्थवृत्त एवं योग-04 सीटें, 6. संहिता एवं सिद्धान्त एवं 7. शल्य तंत्र-03 सीटें।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2017-18 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 07 स्नातकोत्तर विषयों में 28 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- 1. मनोविज्ञान एवं मानस रोग-06 सीटें, 2. अगदतंत्र एवं विधि वैद्यक-04 सीटें 3. पंचकर्म- 04 सीटें, 4. द्रव्यगुण विज्ञान-04 सीटें एवं 5. स्वस्थवृत्त एवं योग-04 सीटें, 6. संहिता एवं सिद्धान्त एवं 7. शल्य तंत्र-03 सीटें पत्र संख्या आर. 17011/94/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 07.09.2018
110.	के.एम.सी.टी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, मानारसेरी पो.ओ. तालुक एवं जिला	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2018-19 तक सशर्त अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2018-19 तक 100 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है।



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	कोझिकोडे—67 3602 केरल		पत्र संख्या आर. 12011 / 12 / 2004—ईपी (आई एम-1) दिनांक 25.09.2014 एवं एफ न. आर. 13011 / 20 / 2015—ईपी (आई एम-1) दिनांक 28.11.2016
111.	मन्नम आयुर्वेद को-ऑपरेटिव मेडिकल कॉलेज, एम.एस. एम पो.ओ. पंडालम, जिला पठानमथिट्टा — 689501 केरल	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक निम्नलिखित 01 स्नातकोत्तर विषय अर्थात् द्रव्यगुण में 60 सीटों एवं 04 सीटों सहित अनुमति पहले प्रदान की जा चुकी थी। पत्र संख्या आर. 14011 / 32 / 2015—ईपी (आई एम-1) एवं आर. 13011 / 30 / 2015—ईपी (आई एम-1) दिनांक 11.11.2016
112.	पीएनएनएम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, शोरानूर, पो.ओ. चेरुथुरुथी, तालुक थलाप्पील्ली, जिला त्रिसूर—679531 केरल	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित(100 सीटों के स्थान पर) तथा निम्नलिखित 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 09 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- 1. शल्य तंत्र 2. कायचिकित्सा 3. प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग प्रत्येक विषय में 03 सीटों सहित। पत्र संख्या आर. 12011 / 33 / 2006—ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 06.09.2018
113.	गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, एम.जी. रोड, तालुक एवं जिला तिरुवंतपुरम —695001 केरल	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक निम्नलिखित 11 स्नातकोत्तर विषयों में 70 सीटों एवं 63 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी:- 1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त—06 सीटें,



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			<p>2. रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना -12 सीटें</p> <p>3. कौमारभृत्य-05 सीटें</p> <p>4. पंचकर्म-05 सीटें</p> <p>5. शालक्य तंत्र-03 सीटें,</p> <p>6. द्रव्यगुण-06 सीटें</p> <p>7. कायचिकित्सा-06 सीटें,</p> <p>8. स्वस्थवृत्त-06 सीटें,</p> <p>9. शल्य तंत्र-03 सीटें,</p> <p>10. प्रसूति तंत्र एवं स्त्रीरोग-06 सीटें एवं</p> <p>11. अगद तंत्र-05 सीटें</p> <p>पत्र संख्या आर. 17011 / 95 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 29.09.2016</p>
114.	पंकजकरस्तूरी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, किल्ली, कट्टाकाडा रोड़, तिरुवतंपुरम -695572 केरल	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	<p>महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक निम्नलिखित 03 स्नातकोत्तर विषयों में 60 सीटों एवं 12 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:-</p> <p>1. कायचिकित्सा-04 सीटें,</p> <p>2. शल्य तंत्र-04 सीटें एवं</p> <p>3. संहिता सिद्धान्त-04 सीटें</p> <p>पत्र संख्या आर. 17011 / 96 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 14.10.2016 एवं आर. 14011 / 33 / 2015-ईपी (आई एम-1) एवं आर. 13011 / 42 / 2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 18.11.2016</p>
115.	श्री नारायण इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक स्टडीज एण्ड रिसर्च, पो.ओ. पुथुर, कोट्टारक्करा वाया जिला कोल्लम - 691507 केरल	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	<p>महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर विषयों में 60 सीटों एवं 10 सीटों हेतु अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:-</p> <p>1. कायचिकित्सा एवं</p> <p>2. शल्य तंत्र (अस्थि संधि एवं मरमागत रोग)</p> <p>प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित।</p> <p>पत्र संख्या आर. 12011 / 44 / 2003-ईपी (आई</p>



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			एम-1) सत्र 2016-17 हेतु दिनांक 02.09.2016 एवं एफ आर. 14011 / 07 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 18.10.2016
116.	पारस्सिनिकडावु आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, पो.ओ. पारस्सिनिकडावु, जिला. कन्नूर - 670563 केरल	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक निम्नलिखित 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 60 सीटों एवं 13 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- 1. रशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें 2. अगद तंत्र एवं विधि वैद्यक -03 सीटें एवं 3. पंचकर्म-04 सीटें पत्र संख्या आर. 17011 / 97 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 04.11.2016
117.	गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, पो.ओ. परियारम मेडिकल कॉलेज, कन्नूर - 670503 केरल	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया। तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 से 60 सीटों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु सशर्त अनुमति पत्र जारी करने के लिए भी भारत सरकार को संस्तुति की गई।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 40 सीटों एवं 10 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- 1. रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-05 सीटें 2. क्रिया शारीर- 05 सीटें पत्र संख्या आर. 17011 / 98 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 29.09.2016 तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम. एस.) पाठ्यक्रम में 40 से 60 सीटों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भी अनुमति प्रदान की गई। आर- 13011 / 07 / 2017-ईपी (आई एम-1) दिनांक 10.08.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
118.	अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेद, पो.ओ. कलाप्पना, तालुक करुनागाप्पल्ली, जिला कोल्लम -690525 केरल	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक निम्नलिखित 09 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 60 सीटों एवं 38 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- 1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-(04 सीटें) 2. द्रव्यगुण विज्ञान -(04 सीटें) 3. स्वस्थवृत्त एवं योगा-(04 सीटें) 4. प्रसूती एवं स्त्री रोग-(04 सीटें) 5. कायचिकित्सा-(04 सीटें) 6. शल्य तंत्र-(04 सीटें) 7. शालक्य तंत्र (नेत्र रोग विज्ञान) -(04 सीटें) 8. पंचकर्म-(04 सीटें) 9. रस भृत्या एवं भेषज्य कल्पना-(06 सीटें) पत्र संख्या आर. 12011 / 59 / 2003-ईपी (आई एम-1) 2017-18 दिनांक 01.09.2016
119.	अहिल्या आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज कोझिपारा पलक्कड़- 678557 केरल	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक 60 सीटों के लिए अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है। पत्र संख्या आर. 12011 / 02 / 2009-ईपी (आई एम-1) 2017-18 के लिए दिनांक 19.11.2016
120.	गवर्नमेंट ऑटो आयुर्वेद कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, अमखो, लश्कर, ग्वालियर- 474009, मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु तथा निम्नलिखित 01 स्नातकोत्तर विषय हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. क्रिया शारीर-04 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। तथा निम्नलिखित 01 स्नातकोत्तर विषय हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई:- 1. क्रिया शारीर-04 सीटें



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			पत्र संख्या आर-17011/99/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 27.07.2018
121.	कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हॉस्पिटल, झांसी रोड, ग्वालियर-474001 मध्य प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा परिदर्शन नहीं किया गया, अतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा की गई अनुशंसा को शून्य माना जाए।	
122.	गवर्नमेंट ऑटोनोंमस आयुर्वेद कॉलेज, ग्वारीघाट, जबलपुर - 482001 मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 1 ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर. 17011/100/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 27.07.2018
123.	गवर्नमेंट ऑटोनोंमस धन्वतंत्री आयुर्वेद कॉलेज, मंगलनाथ मार्ग, तालुक एवं जिला उज्जैन - 456001 मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु तथा निम्नलिखित 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 09 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. कायचिकित्सा -03 सीटें 2. द्रव्यगुण-04 सीटें एवं 3. रचना शारीर-02 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 09 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई:- 1. कायचिकित्सा -03 सीटें 2. द्रव्यगुण-04 सीटें एवं 3. रचना शारीर-02 सीटें पत्र संख्या आर. 17011/101/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 27.07.2018
124.	पं. शिव शक्तिलाल शर्मा आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, बंजली, सैलाना रोड, जिला रतलाम -	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु तथा निम्नलिखित 03 स्नातकोत्तर	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 18



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	457001 मध्य प्रदेश	पाठ्यक्रमों में 18 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. कायचिकित्सा-06 सीटें 2. पंचकर्म-06 सीटें 3. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-06 सीटें	सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- 1. कायचिकित्सा-06 सीटें 2. पंचकर्म-06 सीटें 3. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-06 सीटें पत्र संख्या आर-17011 / 102 / 2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 04.10.2018
125.	श्रीमती धैर्य प्रभा देवी सोजातिया आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, नीमथुर, भानपुरा-458775 जिला मन्दसौर, मध्य प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा परिदर्शन नहीं किया गया, अतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा की गई अनुशंसा को शून्य माना जाए।	
126.	पं. शिवनाथ शास्त्री गवर्नमेंट ऑटोनामस आयुर्वेद कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, शिकरपुरा, पानी की टंकी के समीप, बुरहानपुर - 450331 मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर-17011 / 103 / 2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 27.07.2018
127.	शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, लोकमान्य नगर, इन्दौर-452009, मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर-17011 / 104 / 2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 27.07.2018
128.	आचार्य ज्ञान आयुर्वेद कॉलेज, 287, जवाहर मार्ग, मालगंज चौराहा, इन्दौर-452004, मध्य प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा परिदर्शन नहीं किया गया, अतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा की गई अनुशंसा को शून्य माना जाए।	



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
131.	आजीवन स्वास्थ्य संवर्धन आयुर्वेद महाविद्यालय आरोग्यधाम, दीनदयाल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, चित्रकूट, जिला सतना - 485331 मध्य प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा परिदर्शन नहीं किया गया, अतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा की गई अनुशंसा को शून्य माना जाए।	
132.	पं. खुशीलाल शर्मा, गवर्नमेंट (स्वायत्त) आयुर्वेद कॉलेज एण्ड इन्स्टीट्यूट, मानित के पीछे, नेहरू नगर, कोलार बाईपास रोड़, भोपाल - 462003 मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु तथा निम्नलिखित 09 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 46 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- <ol style="list-style-type: none"> 1. स्वस्थवृत्त-04 सीटें 2. द्रव्यगुण 05 सीटें 3. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-05 सीटें 4. रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-06 सीटें 5. पंचकर्म-05 सीटें 6. रचना शारीर-06 सीटें एवं 7. क्रिया शारीर-05 सीटें 8. कायचिकित्सा-05 सीटें 9. संहिता सिद्धान्त-05 सीटें 	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 09 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 46 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- <ol style="list-style-type: none"> 1. स्वस्थवृत्त-04 सीटें 2. द्रव्यगुण 05 सीटें 3. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-05 सीटें 4. रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-06 सीटें 5. पंचकर्म-05 सीटें 6. रचना शारीर-06 सीटें एवं 7. क्रिया शारीर-05 सीटें 8. कायचिकित्सा-05 सीटें 9. संहिता सिद्धान्त-05 <p>पत्र संख्या आर-17011/108/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 27.07.2018</p>
133.	राजीव गॉंधी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, ई-8, त्रिलंगा कॉलोनी, शाहपुरा, भोपाल -462039 मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। <p>पत्र संख्या आर-17011/109/20178-ईपी (आई एम-1) दिनांक 06.09.2018</p>



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
134.	रानी दुल्लैया स्मृति आयुर्वेदिक पी.जी. कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, बारखेड़ी कलों, भदभाड़ा रोड़, भोपाल — 462044 मध्य प्रदेश	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2018-19 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2018-19 तक निम्नलिखित 09 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 100 सीटों एवं 45 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:— <ol style="list-style-type: none"> 1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-05 सीटें 2. रचना शारीर-05 सीटें 3. स्वस्थवृत्त-05 सीटें 4. कौमारभृत्य -05 सीटें 5. अगद तंत्र -05 सीटें 6. पंचकर्म-05 सीटें 7. द्रव्यगुण-05 सीटें 8. रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना-05 सीटें एवं 9. शल्य तंत्र - 05 सीटें। <p>पत्र संख्या आर. 17011 / 110 / 2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 02.09.2014 एवं आर. 13011 / 25 / 2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.12.2016</p>
135.	वीणावादिनी आयुर्वेद कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल अकबरपुर, फेस — 2, कान्हा कुंज के पीछे, कोलार रोड़, भोपाल — 462042 मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई। तथा वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु सशर्त अनुमति पत्र जारी करने के लिए भी भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। तथा वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु भी अनुमति प्रदान की गई। <p>पत्र संख्या आर- 17011 / 111 / 2018-ईपी (आई एम-1) एवं आर-13011 / 21 / 2017-ईपी (आई एम-1) दिनांक 27.09.2018</p>
136.	ओम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	एण्ड हॉस्पिटल, जामथी, पो.ओ. भारत भारती, बेतुल - 460001 मध्य प्रदेश	धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा नहीं की गई।	धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित प्रवेश लेने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र संख्या आर - 17011/112/2018 - ईपी (आई एम-1) दिनांक 30.10.2018
137.	भंवर लाल नाहाटा स्मृति संस्थान, एमएचओडब्ल्यू - नीमच रोड, भंवरलाल नाहाटा मार्ग, मंदसौर इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एजुकेशन एण्ड रिसर्च, मंदसौर -458001 मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा नहीं की गई। तथा वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र शैक्षिक 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। तथा शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर- 12011/10/2009-ईपी (आई एम-1) सत्र 2018-19 एवं आर. 13011/11/2017-ईपी (आई एम-1) दिनांक 28.09.2018
138.	भारती विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, सतारा रोड, तहसील हवेली, पुणे- 411043 महाराष्ट्र	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक निम्नलिखित 14 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 100 सीटों एवं 57 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- 1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-04 सीटें 2. रचना शारीर -04 सीटें 3. क्रिया शारीर-04 सीटें 4. द्रव्यगुण-04 सीटें 5. भेषज्य कल्पना-04 सीटें 6. रोगनिदान-03 सीटें 7. स्वस्थवृत्त-05 सीटें 8. अगद तंत्र एवं विधि वैद्यक-04 सीटें



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			<p>9. प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-05 सीटें</p> <p>10. कौमारभृत्य-04 सीटें</p> <p>11. कायचिकित्सा-05 सीटें</p> <p>12. शल्य -04 सीटें</p> <p>13. शालक्य तंत्र- 04 सीटें एवं</p> <p>14. पंचकर्म-03 सीटें एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम अर्थात्</p> <p>(1) पंचकर्म</p> <p>(2) आयुर्वेदिक संज्ञाहरण</p> <p>(3) आयुर्वेदिक कोस्मेटोलॉजी एवं स्किन डिजीज</p> <p>(4) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग</p> <p>(5) बालरोग एवं</p> <p>(6) नेत्ररोग विज्ञान 02 सीटों सहित</p> <p>पत्र संख्या आर.- 17011 / 113 / 2003-ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.09.2016</p>
139.	तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय, 583/2, रास्ता पेठ, पुणे -411011 महाराष्ट्र	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	<p>महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक निम्नलिखित 15 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 100 सीटों एवं 57 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:-</p> <p>1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-03 सीटें</p> <p>2. रचना शारीर -05 सीटें</p> <p>3. क्रिया शारीर-04 सीटें</p> <p>4. द्रव्यगुण-03 सीटें</p> <p>5. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-05 सीटें</p> <p>6. रोगनिदान-04 सीटें</p> <p>7. स्वस्थवृत्त-02 सीटें</p> <p>8. अगद तंत्र -04 सीटें</p> <p>9. प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-04 सीटें</p> <p>10. कौमारभृत्य-02 सीटें</p> <p>11. कायचिकित्सा-06 सीटें</p> <p>12. शल्य -संज्ञाहरण- 03 सीटें</p> <p>13. शल्य सामान्य-04 सीटें</p> <p>14. शालक्य तंत्र-04 सीटें</p> <p>15. पंचकर्म-04 सीटें</p>



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			पत्र संख्या आर. 17011/114/2016 - ईपी (आई एम-1) दिनांक 22.10.2016
140.	अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय 2062 (न्यू), सदाशिव पेठ, विजयनगर कॉलोनी, स्व. वैद्य एच.बी. परांजपे चौक, पुणे - 411030 महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित प्रवेश हेतु तथा निम्नलिखित 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 09 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त 2. रचना शारीर एवं 3. प्रसूति एवं स्त्री रोग प्रत्येक पाठ्यक्रम में 03 सीटों सहित	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित एवं निम्नलिखित 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 09 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- 1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त 2. रचना शारीर एवं 3. प्रसूति एवं स्त्री रोग प्रत्येक पाठ्यक्रम में 03 सीटों सहित पत्र संख्या आर- 17011/210/2018 - ईपी (आई एम-1) दिनांक 10.08.2018
141.	आयुर्वेद सेवा संघ आयुर्वेद महाविद्यालय गणेशवाड़ी, पंचवटी, तालुक एवं जिला नाशिक -422003 महाराष्ट्र	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2019-20 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2019-20 तक निम्नलिखित 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 60 सीटों एवं 10 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- 1. कायचिकित्सा-05 सीटें 2. शल्य तंत्र- 04 सीटें 3. पंचकर्म-01 सीट। पत्र संख्या आर. 17011/115/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.07.2015 एवं आर. 13011/18/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 08.10.2015



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
142.	श्री गंगाधर शास्त्री गुणे आयुर्वेद महाविद्यालय विश्रामबाग, जिला अहमदनगर - 414001, महाराष्ट्र	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2018-19 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2018-19 तक 50 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है। पत्र संख्या आर. 17011 / 116 / 2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 09.09. 2014
143.	कर्मवीर व्यंकटराव तानाजी रणधीर आयुर्वेद कॉलेज, बोराड़ी, तालुक शिरपुर, जिला धूले -425428 महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 30 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई। तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 30 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु सशर्त अनुमति पत्र जारी करने के लिए भी भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2017-18 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 30 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर- 17011 / 117 / 2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 10.08.2018 तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 30 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर- 13011 / 02 / 2017-ईपी (आई एम-1) दिनांक 10.08.2018
144.	वसंत दादा पाटिल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, साउथ शिवाजी नगर, इन्कम टैक्स ऑफिस के सामने, मिराज रोड, तालुक मिराज, सांगली -416416 महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर- 17011 / 118 / 2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 10.08.2018



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
145.	श्री विवेकानन्द नर्सिंग होम ट्रस्ट आयुर्वेद महाविद्यालय श्री शिवाजी नगर, ग्राम/पो. राहूरी फैक्ट्री, तालुक- राहूरी जिला - अहमदानगर -413706, महाराष्ट्र	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2018-19 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2018-19 तक निम्नलिखित 06 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 60 सीटों एवं 27 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- 1. कायचिकित्सा-06 सीटें 2. प्रसूति एवं स्त्रीरोग-06 सीटें 3. शल्य तंत्र- 03 सीटें 4. रसशास्त्र-04 सीटें 5. रोग निदान -04 सीटें 6. शालक्य तंत्र -04 सीटें एवं निम्नलिखित 06 डिप्लोमा पाठ्यक्रम :- 1. प्रसूति एवं स्त्रीरोग-05 सीटें 2. आयुर्वेदिक कोस्मेटोलॉजी एण्ड स्किन डिसीज -05 सीटें 3. क्षारकर्म- 05 सीटें 4. नेत्र रोग विज्ञान -02 सीटें 5. आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स -02 सीटें एवं 6. रोगनिदान विधि-02 सीटें। पत्र संख्या आर. 17011 / 119 / 2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.08.2014 एवं आर. 1811 / 02 / 2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.10. 2014
146.	महाराष्ट्र आरोग्य मण्डल सुमती भाई शाह आयुर्वेद महाविद्यालय, मालवाड़ी, हड़पसर, तालुक हवेली, जिला पुणे -411028 महाराष्ट्र	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक निम्नलिखित 13 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 60 सीटों एवं 78 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- 1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-06 सीटें 2. रचना शारीर-06 सीटें 3. क्रिया शारीर-06 सीटें 4. द्रव्यगुण-06 सीटें



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			<p>5. रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना-06 सीटें</p> <p>6. रोग निदान-06 सीटें</p> <p>7. प्रसूति तंत्र-06 सीटें</p> <p>8. अगद तंत्र - 06 सीटें</p> <p>9. कायचिकित्सा-06 सीटें</p> <p>10. शल्य तंत्र- 06 सीटें</p> <p>11. स्वस्थवृत्त-06 सीटें</p> <p>12. शालक्य तंत्र (नेत्र रोग)-06 सीटें एवं</p> <p>13. पंचकर्म-06 सीटें</p> <p>एवं निम्नलिखित 02 विषयों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति पहले ही दी जा चुकी है:-</p> <p>1. आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स - रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना-05 सीटें</p> <p>2. प्रसूति एवं स्त्री रोग-05 सीटें।</p> <p>पत्र संख्या आर. 17011 / 120 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 20.09.2016 एवं 27.09.2016</p>
147.	पूना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एसोशिएशन, कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एण्ड रिसर्च सेन्टर, सेक्टर नं. 25, प्राधिकरण, अकुर्डी निगडी, तालुक हवेली, जिला पुणे - 411044 महाराष्ट्र	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2018-19 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	<p>महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2018-19 तक निम्नलिखित 14 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 60 सीटों एवं 68 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:-</p> <p>1. शारीर रचना-06 सीटें</p> <p>2. कायचिकित्सा-06 सीटें</p> <p>3. क्रिया शारीर- 06 सीटें</p> <p>4. रोग निदान -06 सीटें</p> <p>5. स्वस्थवृत्त- 06 सीटें</p> <p>6. शल्य तंत्र- 06 सीटें</p> <p>7. द्रव्यगुण-02 सीटें</p> <p>8. आयुर्वेद संहिता- 02 सीटें</p> <p>9. प्रसूति एवं स्त्री रोग-02 सीटें</p> <p>10. पंचकर्म- 02 सीटें</p> <p>11. अगद तंत्र- 06 सीटें</p> <p>12. रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना-06 सीटें</p>



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			<p>13. कौमारभृत्य-06 सीटें 14. शालक्य तंत्र -नेत्र रोग -06 सीटें</p> <p>पत्र संख्या आर. 17011 / 121 / 2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.08.2014 एफ न. आर. 13011 / 23 / 2013- ईपी (आई एम-1) एवं एफ न. आर. 14011 / 23 / 2013- ईपी (आई एम-1) दिनांक 26.09. 2014</p>
148.	संगम सेवाभावी ट्रस्ट आयुर्वेद महाविद्यालय, तालुक संगमनेर जिला-अहमदनगर -422605, महाराष्ट्र	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	<p>महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक निम्नलिखित 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 60 सीटों एवं 15 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कायचिकित्सा-05 सीटें 2. प्रसूति तंत्र-05 सीटें 3. शालक्य तंत्र - 05 सीटें <p>पत्र संख्या आर. 17011 / 122 / 2006-ईपी (आई एम-1) दिनांक 13.10.2016</p>
149.	सिद्धकला आयुर्वेद महाविद्यालय, पिम्पराने रोड़, संगमनेर खुर्द, तालुक संगमनेर, जिला अहमदनगर - 422605, महाराष्ट्र	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13कके अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु तथा निम्नलिखित 06 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 20 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-06 सीटें 2. रोग निदान - 06 सीटें 3. कायचिकित्सा-02 सीटें 4. प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-02 सीटें 5. कौमारभृत्य- 02 सीटें 6. शल्य तंत्र-02 सीटें 	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु तथा निम्नलिखित 06 स्नातकोत्तर विषयों में 20 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-06 सीटें 2. रोग निदान - 06 सीटें 3. कायचिकित्सा-02 सीटें 4. प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-02 सीटें 5. कौमारभृत्य- 02 सीटें 6. शल्य तंत्र-02 सीटें



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
		तथा 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् 1. रचना शारीर- 04 सीटों हेतु अनुशंसा नहीं की गई।	तथा 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् 1. रचना शारीर- 04 सीटों हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र संख्या आर-17011/123/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 20.09.2018
150.	भारतीय संस्कृति दर्शन ट्रस्ट आयुर्वेद महाविद्यालय विश्व शांति धाम, ग्राम/पो. वाघोली, तालुक हवेली, जिला पुणे -412207, महाराष्ट्र	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक निम्नलिखित 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 60 सीटों एवं 15 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- 1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-03 सीटें 2. रचना शारीर- 06 सीटें 3. कायचिकित्सा-03 सीटें 4. रोग निदान-03 सीटें पत्र संख्या आर. 17011/124/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 22.10.2016 एवं आर. 14011/02/2015-ईपी (आई एम-1) एवं आर. 13011/08/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 13.12.2016
151.	छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण, संस्थान आयुर्वेद महाविद्यालय एवं रंगशाला, कंचनवाड़ी, पैठान रोड, तालुक एवं जिला औरंगाबाद-431 002, महाराष्ट्र	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक निम्नलिखित 10 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 100 सीटों एवं 60 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- 1. अगद तंत्र, 2. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त, 3. द्रव्यगुण, 4. कौमारभृत्य- बाल रोग 5. कायचिकित्सा 6. पंचकर्म 7. प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग 8. रचना शारीर, 9. रोग निदान 10. शल्य तंत्र - प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित।



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			पत्र संख्या आर. 17011 / 125 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 30.09.2016
152.	गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, तुलाजापुर रोड़, ओस्मानाबाद-413501, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित प्रवेश हेतु तथा निम्नलिखित 08 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 48 सीटों सहित संशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना -06 सीटें 2. शल्य तंत्र -06 सीटें 3. रचना शारीर-06 सीटें 4. क्रिया शारीर -06 सीटें 5. द्रव्यगुण विज्ञान -06 सीटें 6. अगद तंत्र एवं विधि आयुर्वेद-06 सीटें 7. प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-06 सीटें एवं 8. कौमारभृत्य -06 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 08 स्नातकोत्तर विषयों में 48 सीटों हेतु संशर्त अनुमति प्रदान की गई:- 1. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना -06 सीटें 2. शल्य तंत्र -06 सीटें 3. रचना शारीर-06 सीटें 4. क्रिया शारीर -06 सीटें 5. द्रव्यगुण विज्ञान -06 सीटें 6. अगद तंत्र एवं विधि आयुर्वेद-06 सीटें 7. प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-06 सीटें एवं 8. कौमारभृत्य -06 सीटें पत्र संख्या आर- 17011 / 126 / 2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 27.07.2018
153.	सेठ चन्दनमल मूठा आर्यागला वैद्यक महाविद्यालय, आई.टी.आई रोड़, गेंदामल, सतारा - 415002, महाराष्ट्र	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् शैक्षिक सत्र 2016-17 से 2020-21 तक पत्र दिनांक 02.09.2019 के द्वारा पूर्व में प्रदान की गई अनुमति वापस ले ली गई तथा इसे स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 03 सीटों सहित प्रवेश लेने हेतु संशर्त अनुमति में परिवर्तित कर दिया गया। पत्र संख्या आर. 17011 / 127 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 18.09.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
154.	सेठ गोविन्दजी रावजी आयुर्वेद महाविद्यालय, 21-ए/13, बुधवर पैठ, सम्राट चौक, जिला शोलापुर-413002, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु तथा निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 08 सीटों सहित अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. कायचिकित्सा - 05 सीटें, 2. प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-03 सीटें।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर विषयों में 08 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- 1. कायचिकित्सा -05 सीटें, 2. प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-03 सीटें। पत्र संख्या आर-17011/128/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 20.09.2018
155.	यशवंत आयुर्वेदिक कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च सेन्टर, कोडोली ए/पी कोडोली तालुका पनहाला, जिला कोल्हापुर-416114, महाराष्ट्र	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2019-20 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् 2019-20 तक निम्नलिखित 15 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 100 सीटों एवं 90 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- 1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त, 2. रचना शारीर, 3. क्रिया शारीर, 4. द्रव्यगुण, 5. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, 6. रोग निदान, 7. स्वस्थवृत्त, 8. अगदतंत्र, 9. प्रसूति एवं स्त्री रोग, 10. कौमारभृत्य, 11. कायचिकित्सा 12. संज्ञाहरन 13. शल्य तंत्र 14. शालक्य तंत्र 15. पंचकर्म प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित पत्र संख्या आर. 17011/129/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.07.2015



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
156.	हनुमान शिक्षण प्रसारक मण्डल सावर्डे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पैठ, वाडगॉव, तालुका हतकाननगाले, जिला कोल्हापुर-416112, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु एवं स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर-17011/130/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 14.09.2018
157.	गंगा एजुकेशन सोसायटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, 147/ए गंगा हॉस्पिटल बिल्डिंग, रणकाल्वेस दुधाली, जिला कोल्हापुर-416012, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा नहीं की गई। अतः आपसे अनुरोध है कि महाविद्यालय को स्थायी रूप से अमान्य करने का पत्र जारी किया जाए।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु 50 सीटों सहित बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र संख्या आर-17011/131/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 18.10.2018
158.	श्रीमती के.सी. अजमेरा आयुर्वेद महाविद्यालय, दयासागर एजुकेशनल कैम्पस, आगरा रोड, देवपुर, जिला एवं तालुक धूले-424002, महाराष्ट्र	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक निम्नलिखित 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 60 सीटों तथा 05 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- 1. स्वस्थवृत्त पत्र संख्या आर. 17011/132/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 19.10.2016
159.	दादासाहेब सुरूप सिंह नाइक आयुर्वेद महाविद्यालय, सुवालाल बफना, विद्यानगर, ग्राम एवं पोस्ट-नागांव, जिला-धुले-424004, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुशंसा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र संख्या आर-17011/133/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 11.10.2018



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
160.	किसान दन्यानोढय मण्डल गुधे आयुर्वेद कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, औरंगाबाद बाईपास के समीप, धूले रोड, चालिसगांव, जिला जलगांव -424101, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र संख्या आर- 17011/134/2017-ईपी (आई एम-1) दिनांक 08.11.2018
161.	चैतन्य आयुर्वेद महाविद्यालय, साकेंगांव, एन. एच.-6, तालुका भुसावल, जिला जलगांव -425201, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र संख्या आर- 17011/135/2018- ईपी (आई एम-1) दिनांक 12.10.2018
162.	आर.ए. पोदार आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, डॉ. एनी बेसेन्ट रोड, वर्ली, मुम्बई-400018, महाराष्ट्र	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक निम्नलिखित 13 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 100 सीटों तथा 45 सीटों के लिए अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- 1. आयुर्वेद संहिता-03 सीटें 2. द्रव्यगुण-02 सीटें 3. रसशास्त्र-03 सीटें 4. शल्य तंत्र-04 सीटें 5. क्रिया शारीर-02 सीटें 6. कायचिकित्सा-08 सीटें 7. प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-05 सीटें 8. रचना शारीर-03 सीटें 9. स्वस्थवृत्त-02 सीटें 10. शालक्य-04 सीटें 11. अगदतंत्र-01 सीटें 12. रोगनिदान-02 सीटें 13. पंचकर्म-06 सीटें पत्र संख्या आर. 17011/136/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 05.10.2016
163.	श्रीमती कमलादेवी गौरीदत्त मित्तल पुर्नवसु आयुर्वेद	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन सत्र 2018-19 हेतु	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	महाविद्यालय, वैद्य रामगोपाल शर्मा चौक, नेताजी सुभाष रोड, चरनी रोड (पश्चिम), जिला -मुम्बई-40000 2, महाराष्ट्र	स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 50 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 14 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. कायचिकित्सा-08 सीटें 2. द्रव्यगुण- 02 सीटें 3. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-02 सीटें 4. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना -02 सीटे	ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 04 स्नातकोत्तर विषयों में 14 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- 1. कायचिकित्सा-08 सीटें 2. द्रव्यगुण- 02 सीटें 3. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-02 सीटें 4. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना- 02 सीटे पत्र संख्या आर- 17011 / 137 / 2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 10.08.2018.
164.	आयुर्वेद प्रसारक मण्डल आयुर्वेद महाविद्यालय, सायन रेलवे स्टेशन के निकट, जिला मुम्बई- 400022, महाराष्ट्र	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक 60 सीटों तथा निम्नलिखित 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 21 सीटों के लिए अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- 1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-06 सीटें 2. द्रव्यगुण विज्ञान-03 सीटें 3. कायचिकित्सा-06 सीटें तथा 4. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें पत्र संख्या आर. 17011 / 138 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 22.10.2016
165.	येरला मेडिकल ट्रस्ट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर न0. 4, खरघर, नवी मुम्बई- 410210, महाराष्ट्र	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक निम्नलिखित 13 विषयों में 100 सीटों एवं 54 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- 1. रचना शारीर-04 सीटें 2. क्रिया शारीर-04 सीटें 3. द्रव्यगुण-04 सीटें 4. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-08 सीटें 5. कायचिकित्सा-04 सीटें 6. शल्य तंत्र (सामान्य)-02 सीटें 7. शल्य तंत्र (क्षार एवं अनुशास्त्र कर्म)-04 सीटें



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			<p>8. शालक्य तंत्र (नेत्र रोग)-04 सीटें</p> <p>9. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-04 सीटें</p> <p>10. रोगनिदान-04 सीटें</p> <p>11. अगद तंत्र-04 सीटें</p> <p>12. प्रसूति एवं स्त्री रोग-04 सीटें</p> <p>13. पंचकर्म- 04 सीटें</p> <p>पत्र संख्या आर. 17011/139/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 22.10.2016</p>
166.	आर.जे.वी.एस. भाईसाहेब सावंत आयुर्वेद महाविद्यालय, सूतिकागृह परिसर, खसकीलवाडा, तालुका-सावंतवाडी, सिन्धुदुर्ग -416510, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 40 सीटों सहित अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर- 17011/140/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 14.09.2018
167.	श्री नरसिंह के. दूबे चैरीटेबल ट्रस्ट नालासोपारा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, सर्वे न. 59(ओल्ड) 112 न्यू अकोले, नालासोपारा (ई) तालुक वसाई, जिला-ठाणे-401209, महाराष्ट्र	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2018-19 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् 2014-15 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 50 सीटों के लिए तथा सत्र 2015-16 से 2018-19 तक 60 सीटों सहित पूर्व में प्रदान की गई अनुमति मंत्रालय के पत्र संख्या आर. 13011/72/ 2014 - ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.10.2015 के द्वारा वापस ले ली गई। तथा श्री नरसिंह के. दूबे चैरीटेबल ट्रस्ट नालासोपारा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, सर्वे न. 59(ओल्ड) 112 न्यू अकोले, नालासोपारा (ई) तालुक वसाई, जिला-ठाणे- 401209, महाराष्ट्र को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			सीटों सहित अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र संख्या आर. 17011/141/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.10.2018
168.	भाऊ साहेब मूलक आयुर्वेद महाविद्यालय, ग्रेट नाग रोड़ नन्दनवन, जिला नागपुर-40009, महाराष्ट्र	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक निम्नलिखित 09 विषयों 60 सीटों एवं 23 सीटों के लिए अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:- 1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-04 सीटें 2. रचना शारीर-03 सीटें 3. क्रिया शारीर-02 सीटें 4. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-04 सीटें 5. स्वस्थवृत्त-03 सीटें 6. द्रव्यगुण -01 सीट 7. अगद तंत्र-03 सीटें 8. कौमारभृत्य-02 सीटें 9. कायचिकित्सा-01 सीट पत्र संख्या आर. 17011/142/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 02.09.2016
169.	गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, राजे रघुजी नगर, उमेर रोड़ सक्करदारा चौक, नागपुर - 440024 महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों के प्रवेश हेतु तथा निम्नलिखित 10 स्नातकोत्तर विषयों में 60 सीटों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत 2. रचना शारीर, 3. क्रिया शारीर, 4. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, 5. रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, 6. स्वस्थवृत्त एवं योगा, अगद तंत्र एवं विधि वैद्यक, 8. कायचिकित्सा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी. ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 10 स्नातकोत्तर विषयों में 60 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- 1. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत 2. रचना शारीर, 3. क्रिया शारीर, 4. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, 5. रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, 6. स्वस्थवृत्त एवं योगा, अगद तंत्र एवं विधि वैद्यक, 8. कायचिकित्सा 9. शल्य तंत्र एवं 10. शालक्य तंत्र



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
		9. शल्य तंत्र, 10. शालक्य तंत्र प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित	प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित पत्र संख्या आर-17011/143/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 27.07.2018
170.	श्री आयुर्वेद महाविद्यालय, धन्वंतरी मार्ग, हनुमान नगर, नागपुर -440009, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 100 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 13 स्नातकोत्तर विषयों में 47 सीटों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. रचना शारीर-04 सीटें 2. क्रिया शारीर- 03 सीटें 3. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें 4. कायचिकित्सा-05 सीटें 5. अगद तंत्र -03 सीटें 6. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-06 सीटें 7. द्रव्यगुण-03 सीटें एवं 8. शल्य तंत्र-04 सीटें 9. स्वस्थवृत्त-03 सीटें 10. पंचकर्म-02 सीटें 11. रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-03 सीटें 12. कौमारभृत्य-02 सीटें 13. शालक्य तंत्र-03 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 13 स्नातकोत्तर विषयों में 47 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- 1. रचना शारीर-04 सीटें 2. क्रिया शारीर- 03 सीटें 3. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें 4. कायचिकित्सा-05 सीटें 5. अगद तंत्र -03 सीटें 6. आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-06 सीटें 7. द्रव्यगुण-03 सीटें एवं 8. शल्य तंत्र-04 सीटें 9. स्वस्थवृत्त-03 सीटें 10. पंचकर्म-02 सीटें 11. रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-03 सीटें 12. कौमारभृत्य-02 सीटें 13. शालक्य तंत्र-03 सीटें पत्र संख्या आर- 17011/144/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 10.08.2018
171.	श्री राधाकृष्ण तोशनीवाल आयुर्वेद महाविद्यालय, केडिया प्लॉटस, जथूरपेठ रोड, जिला अकोला-	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13क के अधीन शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय पाठ्यक्रम (बीएएमएस) में 60 सीटों के प्रवेश क्षमता एवं 05	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षणिक सत्र 2018-19 के स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों एवं 05 स्नाकोतर पाठ्यक्रम में 16 सीटों सहित नामतः



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	444005 महाराष्ट्र	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 16 सीटों सहित नामतः— (1) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-02 सीटें, (2) रचना शारीर-02 सीटें, (3) कायचिकित्सा-03 सीटें (4) शल्य तन्त्र-03 सीटें एवं (5) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-06 सीटें हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने हेतु भारत सरकार को संस्तुति की गई।	(1) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-02 सीटें, (2) रचना शारीर-02 सीटें (3) कायचिकित्सा-03 सीटें एवं (4) शल्य तन्त्र-03 (5) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-06 सीटें हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 17011/145/2018-ईपी(आई एम-1) दिनांक 10.08.2018
172.	विदर्भ आयुर्वेद महाविद्यालय, धन्वतरी नगर, छात्री तलाव रोड, तालुका एवं जिला अमरावती-4446 06 महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13क के अधीन शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 08 सीटों हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु संस्तुति की गई। 1. स्वस्थवृत्त-02 सीटें 2. कायचिकित्सा-02 सीटें 3. शल्य तन्त्र-03 सीटें एवं 4. शलाक्य तंत्र-01 सीट	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों एवं 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 08 सीटों नामतः— (1) स्वस्थवृत्त-02 सीटें (2) कायचिकित्सा-02 सीटें (3) शल्य तन्त्र-03 सीटें एवं (4) शालक्य तंत्र-01 सीट में सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 17011/146/2018-ईपी(आई एम-1) दिनांक 10.08.2018
173.	श्री गुरुदेव आयुर्वेद महाविद्यालय गुरुकुंज आश्रम तालुक तिओसा, जिला: अमरावती-4449 02 महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों के प्रवेश हेतु भारत सरकार को संस्तुति की गई। तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 60	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों की सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 17011/147/2018-ईपी(आई एम-1) दिनांक 13.08.2018 तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
		सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	से 60 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर- 13011 / 15 / 2017-ईपी (आई एम-1) दिनांक 13.08.2018
174.	दयाभाई माओजी मैजीथिया आयुर्वेद महाविद्यालय, शिवाजी नगर, अरनी रोड़ जिला: यवतमाल-445001 महाराष्ट्र	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः वार्षिक परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को पहले से ही स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित एवं 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 06 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है, नामतः- (1) कायचिकित्सा-06 सीटें एवं (2) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-03 सीटें वर्ष 2020-21 तक आर- 17011 / 148 / 2016-ईपी(आई एम-1) दिनांक 22.10.2016 एवं आर- 13011 / 19 / 2016-ईपी(आई एम-1) दिनांक 29.09.2017
175.	श्री गजानन महाराज संस्थान आयुर्वेद महाविद्यालय, वासिम रोड़, तालुका पुसद, जिला यवतमाल -445215 महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित प्रवेश लेने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 17011 / 149 / 2018-ईपी(आई एम-1) दिनांक 27.09.2018
176.	डॉ. वन्दनातई जगन्नाथराव धोने ग्रामीण आयुर्वेद महाविद्यालय, तालुका पतूर, जिला अकोला - 444501 महाराष्ट्र	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2019-20 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को पहले से ही स्नातकीय पाठ्यक्रम (बीएएमएस) में 50 सीटों एवं 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 12 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की चुकी है। नामतः- (1) शल्य तन्त्र-06 सीटें एवं (2) कायचिकित्सा-06 सीटों सहित वर्ष 2019-20 तक आर- 17011 / 150 / 2015-ईपी(आई एम-1) दिनांक 01.10.2015



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
177.	स्व. सुनील रामसिंहजी चुनावाले आयुर्वेद महाविद्यालय, दीनदयाल नगर, चिखली, जिला बुलदाना-443201 महाराष्ट्र	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2019-20 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को पत्र संख्या आर- 17011 / 151 / 2014-ईपी(आई एम-1) दिनांक 04.09.2014 के द्वारा 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् शैक्षिक सत्र 2014-15 से 2018-19 तक स्नातकीय पाठ्यक्रम (बीएएमएस) में 40 सीटों सहित पूर्व में प्रदान की गई अनुमति वापस ले ली गई। तथा पत्र संख्या आर- 13011 / 20 / 2013-ईपी (आई एम-1) दिनांक 22.10.2014 के द्वारा स्नातकीय पाठ्यक्रम (बीएएमएस) में 40 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्व. सुनील रामसिंहजी चुनावाले आयुर्वेद महाविद्यालय, दीनदयाल नगर, चिखली, जिला बुलदाना-443201 महाराष्ट्र को स्नातकीय पाठ्यक्रम (बीएएमएस) में 60 सीटों हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-17011 / 151 / 2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.11.2018
178.	महादेवराव शिवांकर आयुर्वेदिक मेडिकल महाविद्यालय, अस्पताल एवं रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पोस्ट कुडवा, जिला गोंदिया-441614 महाराष्ट्र	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2019-20 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को पहले से ही स्नातकीय पाठ्यक्रम (बीएएमएस) में 60 सीटों एवं 03 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 18 सीटों हेतु अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है, नामतः: (1) पंचकर्म-06 सीटें (2) शल्य तन्त्र-06 सीटें (3) कायचिकित्सा-06 सीटों सहित वर्ष 2019-20 तक आर- 17011 / 152 / 2015-ईपी(आई एम-1) दिनांक 16.07.2015 एवं आर- 14011 / 44 / 2015-ईपी(आई एम-1) दिनांक 21.10.2015



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
179.	श्री सप्तश्रुंगी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, कमल नगर, हिरावाडी पंचवटी तालुक एवं जिला नासिक-422003 महाराष्ट्र	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2019-20 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः वार्षिक परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को पहले से ही स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित एवं निम्नलिखित 10 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 60 सीटों सहित अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है, नामतः- <ol style="list-style-type: none"> 1. कायचिकित्सा 2. शल्य तंत्र एवं 3. स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र 4. संहिता सिद्धांत 5. क्रिया शारीर 6. द्रव्यगुण 7. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना 8. कौमारभृत्य 9. अगद तंत्र एवं 10. पंचकर्म प्रत्येक विषयों में 06 सीटों सहित सत्र 2018-19 तक। आर-17011 / 153 / 2014- ईपी (आई एम-1) दिनांक 04.08.2014 आर- 14011 / 21 / 2013- ईपी (आई एम-1) एवं आर- 14011 / 29 / 2013- ईपी(आई एम-1) दिनांक 01.10.2014 आर- 14011 / 28 / 2016- ईपी(आई एम-1) दिनांक 02.09.2017
180.	स्व. केदारी रेडेकर आयुर्वेदिक महाविद्यालय पी-2, एमआईडीसी एरिया, शेंद्री मल, गाधिगंलाज, जिला-कोल्हापुर	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2019-20 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया। तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19	महाविद्यालय को स्नातकीय पाठ्यक्रम (बीएएमएस) में 60 सीटों एवं 12 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 62 सीटों हेतु अनुमति पहले से ही प्रदान की जा चुकी है, नामतः (1) रोगनिदान-04 सीटें (2) रसशास्त्र-05 सीटें (3) शल्य तन्त्र-05 सीटें



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	-416502 महाराष्ट्र	के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 60 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	(4) द्रव्यगुण-06 सीटें (5) कौमारभृत्य-बाल रोग -06 सीटें (6) स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र-06 सीटें (7) शल्य तंत्र - क्षार कर्म एवं अनुशस्त्र कर्म - 04 सीटें (8) कायचिकित्सा - 06 सीटें (9) शालक्य तंत्र - 06 सीटें एवं (10) संहिता सिद्धान्त - 04 सीटें (11) पंचकर्म - 06 सीटें (12) संज्ञाहरण - 04 सीटें वर्ष 2018-19 तक (05 वर्ष से अधिक नहीं) आर- 17011 / 154 / 2014-ईपी(आई एम-1) दिनांक 28.07.2014, आर- 14011 / 47 / 2011-ईपी(आई एम-1) दिनांक 21.10.2014 एवं आर- 14011 / 19 / 2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 07.05.2015 मुम्बई हाई कोर्ट की याचिका संख्या 2018 का 11847 के अनुपालन में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 60 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-17011 / 154 / 2014- ईपी (आई एम-1) एवं आर- 13011 / 14 / 2017-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.02.2019
181.	प्रवर मेडिकल ट्रस्ट आयुर्वेद महाविद्यालय अखिगावं रोड, तालुका-शेवगांव जिला	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2019-20 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय पाठ्यक्रम (बीएएमएस) में 80 से 100



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	अहमदनगर-414502, महाराष्ट्र	<p>तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 80 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित 02 नये स्नातकोत्तर विषय प्रारम्भ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई:-</p> <p>(1) कौमारभृत्य -(बाल रोग) - 06 सीटें (2) पंचकर्म - 06 सीटें</p>	<p>सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित 02 नये स्नातकोत्तर विषय प्रारम्भ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई:-</p> <p>1) कौमारभृत्य -(बाल रोग) - 06 सीटें (2) पंचकर्म - 06 सीटें</p> <p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 80 सीटों हेतु तथा निम्नलिखित 08 स्नातकोत्तर विषयों में 38 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई:-</p> <p>(1) रचनाशरीर-06 सीटें (2) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें (3) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-05 सीटें (4) कायचिकित्सा-06 सीटें (5) द्रव्यगुण-03 सीटें (6) शालक्य तन्त्र-नेत्ररोग-06 सीटें (7) प्रसुति एवं स्त्रीरोग-03 सीटें एवं (8) शल्य तन्त्र (सामान्य)-03 सीटें</p> <p>सहित वर्ष 2018-19 तक ।</p> <p>आर- 13011/31/2017-ईपी (आई एम-1) एवं आर-14011/17/2017-ईपी (आई एम-1) दिनांक 17.10.2018</p> <p>महाविद्यालय को मंत्रालय के पत्र संख्या आर-17011/155/2015- ईपी (आई एम-1) दिनांक 08.09.2015 एवं आर-14011/53/2014 - ईपी (आई एम-1) दिनांक</p>



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			01.10.2015 के द्वारा केन्द्र सरकार ने शैक्षिक 2015-16 से 2019-20 तक हेतु स्नातकीय पाठ्यक्रम (बीएएमएस) में 80 सीटों तथा 08 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 38 सीटों सहित पूर्व में प्रदान की गई अनुमति वापस ले ली गई।
182.	डॉ० डी.वाई. पाटिल महाविद्यालय ऑफ आयुर्वेद एवं रिसर्च सेन्टर, पिम्परी, पुण-411018 महाराष्ट्र	महाविद्यालय को 05 वर्ष से अनधिक अर्थात् 2019-20 तक अनुमति पहले ही प्रदान की हुई है, वार्षिक परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों एवं निम्नलिखित 11 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 62 सीटों सहित अनुमति पहले से ही प्रदान की जा चुकी है, नामतः: (1) संहिता-06 सीटें (2) रचना शारीर-06 सीटें (3) प्रसूति तन्त्र-06 सीटें (4) कायचिकित्सा-04 सीटें (5) शल्य तन्त्र-06 सीटें (6) क्रिया शारीर-06 सीटें (7) स्वस्थवृत्त-06 सीटें (8) रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना-06 सीटें (9) पंचकर्म-06 सीटें (10) द्रव्यगुण विज्ञान-06 सीटें (11) शालक्य तन्त्र(कर्ण नासा शिरो)-04 सीटों सहित वर्ष 2019-20 तक (05 वर्ष से अधिक नहीं)। आर- 17011 / 156 / 2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 31.07.2015 एवं आर- 13011 / 58 / 2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.10.2015 एवं आर- 14011 / 16 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 06.09.2017
183.	गर्वमेंट आयुर्वेद कॉलेज, वजीराबाद, तालुका एवं जिला नान्देड-431601 महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटें एवं निम्नलिखित 12 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 46 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटें हेतु एवं निम्नलिखित 12 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 46 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान की गई:-



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
		के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई:- (1) आयुर्वेद संहिता सिद्धांत-02 सीटें (2) रचना शारीर-03 सीटें (3) क्रिया शारीर-06 सीटें (4) द्रव्यगुण-02 सीटें (5) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना -02 सीटें (6) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-06 सीटें (7) स्वस्थवृत्त एवं योगा-02 सीटें (8) प्रसूति तन्त्र एवं स्त्री रोग-02 सीटें (9) कौमारभृत्य-06 सीटें (10) कायचिकित्सा- 04 सीटें एवं (11) शल्य तन्त्र- 06 सीटें एवं (12) शालक्य तन्त्र-05 सीटें।	(1) आयुर्वेद संहिता सिद्धांत-02 सीटें (2) रचना शारीर-03 सीटें (3) क्रियाशारीर-06 सीटें (4) द्रव्यगुण-02 सीटें (5) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-02 सीटें (6) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-06 सीटें (7) स्वस्थवृत्त एवं योगा-02 सीटें (8) प्रसूति तन्त्र एवं स्त्रीरोग-02 सीटें (9) कौमारभृत्य-06 सीटें (10) कायचिकित्सा-04 सीटें एवं (11) शल्य तन्त्र-06 सीटें एवं (12) शालक्य तन्त्र-05 सीटों सहित। आर- 17011 / 157 / 2018-ईपी(आई एम-1) दिनांक 27.07.2018
184.	जुपिटर आयुर्वेद मेडिकल महाविद्यालय एवं अस्पताल शंकरपुर, पोस्ट-खपरी, तहसील जिला नागपुर-441108 महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु से स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु से स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 17011 / 158 / 2018-ईपी(आई एम-1) दिनांक 11.10.2018
185.	सम्मानिय श्री अन्नासाहेब डांगे आयुर्वेद मेडिकल महाविद्यालय एण्ड पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग रिसर्च सेन्टर अष्टा, तालुका - वालवा जिला- सांगली- 416301 महाराष्ट्र	महाविद्यालय को 05 वर्ष से अनधिक अर्थात् 2019-20 तक अनुमति पहले ही प्रदान की हुई है, वार्षिक परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को स्नातकीय पाठ्यक्रम (बीएएमएस) में 100 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 12 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुमति पहले से ही प्रदान की गई है, नामत: (1) पंचकर्म-03 सीटें (2) कौमारभृत्य-05 सीटें (3) संज्ञाहरण-05 सीटें (4) रचना शारीर-06 सीटें (5) क्रिया शारीर-05 सीटें (6) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-05 सीटें (7) शल्य तन्त्र-05 सीटें



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			(8) संहिता सिद्धान्त-06 सीटें (9) कायचिकित्सा-06 सीटें (10) रोगनिदान एवं विकृति विज्ञान-06 सीटें (11) स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र-06 सीटें एवं (12) शालक्य तंत्र-06 सीटों सहित शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु आर- 17011 / 159 / 2015-ईपी(आई एम-1) दिनांक 01.10.2015 एवं आर-13011 / 23 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 25.09.2017
186.	स्व. श्री बाबरावन विठ्ठलराव काले आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड अस्पताल, बस स्टैण्ड के पीछे, गाँधी मैदान, तालुक लातुर-413512, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटें तथा निम्नलिखित 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई, नामतः (1) रचना शारीर-04 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटें सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई एवं निम्नलिखित 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई:- (1) रचना शारीर आर- 17011 / 160 / 2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 10.10.2018
187.	बाल भगवान शिक्षण प्रसारक मण्डलस धन्वतरी आयुर्वेद मेडिकल महाविद्यालय एवं अस्पताल, देगलूर रोड़, उदगिर जिला-लातुर-413517 महाराष्ट्र	महाविद्यालय को 05 वर्ष से अनधिक अर्थात् 2018-19 तक अनुमति पहले ही प्रदान की हुई है, वार्षिक परिदर्शन नहीं किया गया।	मंत्रालय के पत्र संख्या आर- 17011 / 161 / 2014-ईपी(आई एम-1) दिनांक 31.07.2014 एवं आर- 13011 / 43 / 2013-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.10.2014 के द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से 2018-19 तक महाविद्यालय को स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु तथा स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु पूर्व में प्रदान की गई अनुमति वापस ले ली गई, तथा इसे भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षणिक सत्र 2018-19 के बाल भगवान



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			शिक्षण प्रसारक मण्डलस धन्वतरी आयुर्वेद मेडिकल महाविद्यालय एवं अस्पताल, देगलूर रोड़, उदगिर जिला-लातुर- 413517 महाराष्ट्र को स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति में परिवर्तित कर दिया गया। आर- 17011 / 161 / 2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 31.10.2018
188.	अश्विन रूरल आयुर्वेद महाविद्यालय मांचीहिल, अश्वि बी.के. तालुका-संगमनेर, जिला-अहमदन गर-413714 महाराष्ट्र	महाविद्यालय को पहले से ही 2020-21 तक (05 वर्ष से अधिक नहीं) अनुमति प्रदान की हुई है वार्षिक परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को पहले से ही स्नातकीय पाठ्यक्रम (बीएएमएस) में 60 सीटें एवं 28 सीटें 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों नामतः (1) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें (2) शल्य तन्त्र-06 सीटें (3) कायचिकित्सा -06 सीटें (4) स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र-05 सीटें एवं (5) बाल रोग -05 सीटें वर्ष 2020-21 तक। आर- 17011 / 162 / 2016-ईपी(आई एम-1) दिनांक 19.10.2016 एवं आर- 14011 / 09 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 25.09.2017
189.	बी.एस.एस.एस. एस. रामराव पाटिल आयुर्वेद महाविद्यालय एवं रुगनालय, बस स्टैण्ड रोड़, पुरना तालुका पुरना - 431511 जिला प्रभानी, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 40 सीटों हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-17011 / 163 / 2018-ई पी(आई एम-1) दिनांक 11.10.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
190.	लोकनेते राजारामबापू पाटिल आयुर्वेद मेडिकल महाविद्यालय, अस्पताल, पी.जी. इन्स्टीट्यूट एवं रिसर्च सेन्टर, उरुन इस्लामपुर सांगली रोड तालुका- वाल्वा, जिला- सांगली - 415409 महाराष्ट्र	<p>महाविद्यालय को पहले से ही 2019-20 तक (05 वर्ष से अधिक नहीं) अनुमति प्रदान की हुई है परिदर्शन नहीं किया गया।</p> <p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 60 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 60 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति प्रदान की गई।</p> <p>आर- 13011/20/2017-ईपी (आई एम-1) दिनांक 30.10.2018</p> <p>केन्द्र सरकार ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षणिक सत्र 2015-16 से 2019-20 तक स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 14 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 78 सीटों हेतु पूर्व में प्रदान की गई अनुमति वापस ले ली:-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) स्वस्थवृत्त-06 सीटें (2) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें (3) अगद तन्त्र-06 सीटें (4) रोग निदान-06 सीटें (5) शल्य तन्त्र- 05 सीटें (6) कौमारभृत्य-06 सीटें (7) कायचिकित्सा-05 सीटें (8) पंचकर्म-06 सीटें (9) प्रसूति एवं स्त्री रोग-05 सीटें (10) शालक्य तन्त्र-06 सीटें (11) द्रव्यगुण-06 सीटें (12) छाया एवं विक्रिम विज्ञान-06 सीटें (13) अष्टी सन्धी एवं मरमागत रोग-03 सीटें (14) संज्ञाहरण-06 सीटें <p>तथा केन्द्र सरकार ने इसे शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों अनुमति में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन निम्नलिखित 11 स्नातकोत्तर</p>



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			<p>विषयों में 66 सीटों की अनुमति हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई।</p> <p>(1) स्वस्थवृत्त-06 सीटें (2) रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना-06 सीटें (3) अगद तन्त्र-06 सीटें (4) रोग निदान-06 सीटें (5) शल्य तन्त्र- 08 सीटें (6) कौमारभृत्य-06 सीटें (7) कायचिकित्सा-05 सीटें (8) पंचकर्म-06 सीटें (9) प्रसूति एवं स्त्री रोग-05 सीटें (10) शालक्य तन्त्र-06 सीटें (11) द्रव्यगुण-06 सीटें</p> <p>आर- 17011 / 164 / 2015- ईपी(आई एम-1) दिनांक 30.10.2018</p>
191.	एससीएसई,एस रूरल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एण्ड रिसर्च सेन्टर एवं अस्पताल विद्यागिरी, म्यानी तालुका, खटाव, जिला सतारा- 415102 महाराष्ट्र	महाविद्यालय को पहले से ही 2020-21 तक (05 वर्ष से अधिक नहीं) अनुमति प्रदान की हुई है परिदर्शन नहीं किया गया।	<p>केन्द्र सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2016-17 से 2020-21 हेतु पत्र दिनांक 14.10.2016 के माध्यम से अनुमति वापस ले ली तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु एससीएसई,एस रूरल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एण्ड रिसर्च सेन्टर एवं अस्पताल विद्यागिरी, म्यानी तालुका, खटाव, जिला सतारा- 415102 महाराष्ट्र को स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई।</p> <p>आर-12011 / 29 / 2003-ईपी(आई एम-1) 2016-17 के लिए दिनांक 11.10.2018</p>
192.	डॉ. जे.जे. मगदम आयुर्वेद मेडिकल महाविद्यालय तालुक शिरोल-वाडी रोड, जयसिंहपुर- 416101, जिला- कोल्हापुर, महाराष्ट्र	महाविद्यालय को पहले से ही 2020-21 तक (05 वर्ष से अधिक नहीं) अनुमति प्रदान की हुई है अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	<p>महाविद्यालय को पहले से ही स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक (05 वर्ष से अधिक नहीं) अनुमति प्रदान की गई है।</p> <p>आर- 17011 / 165 / 2016- ईपी(आई एम-1) दिनांक 26.07.2018</p>



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
193.	महात्मा गाँधी आयुर्वेद महाविद्यालय, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर सलोद- हिरापुर जिला- वर्धा- 442004 महाराष्ट्र	महाविद्यालय को पहले से ही 2020-21 तक (05 वर्ष से अधिक नहीं) अनुमति प्रदान की हुई है परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को पहले से ही स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों एवं निम्नलिखित 09 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 44 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की हुई है:- (1) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-04 सीटें (2) रचना शारीर-04 सीटें (3) द्रव्यगुण-04 सीटें (4) कायचिकित्सा-06 सीटें (5) पंचकर्म-06 सीटें (6) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना -06 सीटें (7) अगद तंत्र-06 सीटें (8) शल्य-सामान्य-02 सीटें एवं (9) कौमारभृत्य-06 सीटें आर- 12011 / 11 / 2006-ईपी(आई एम-1) 2016-17 के लिए दिनांक 20.09.2016 एवं एफ. संख्या आर-14011 / 14 / 2015-ईपी(आई एम-1) दिनांक 22.10.2016
194.	अदित्य आयुर्वेद महाविद्यालय, तेलगावं रोड, जिला- बीड-431122 महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु भारत सरकार को सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-12011 / 01 / 2006-ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 09.10.2018
195.	महेश आयुर्वेद महाविद्यालय, अशिट तहसील अशिट जिला. -बीड 414203 महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु परिदर्शन नहीं किया गया अतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की अनुशंसा को शून्य समझा जाये।	



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
196.	एसएमबीटी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, नन्दी हिल्स, धमनगॉव, तहसील इगतपुरी, जिला नासिक-422403 महाराष्ट्र	महाविद्यालय को पहले से ही 2019-20 तक (05 वर्ष से अधिक नहीं) अनुमति प्रदान की हुई है परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को पहले से ही स्नातकीय पाठ्यक्रम (बीएएमएस) में 60 सीटों एवं निम्नलिखित 07 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 40 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की हुई है:- (1) कायचिकित्सा-06 सीटें (2) पंचकर्म-06 सीटें (3) प्रसूति एवं स्त्री रोग-06 सीटें (4) बालरोग-06 सीटें (5) संज्ञाहरण-04 सीटें (06 सीटों के स्थान पर) (6) शल्य तन्त्र -06 सीटें एवं (7) शालक्य तंत्र-06 सीटें वर्ष 2019-20 तक (05 वर्ष से अधिक नहीं) आर- 12011 / 02 / 2006-ईपी(आई एम-1) दिनांक 11.09.2015 एवं आर- 14011 / 43 / 2014-ईपी(आई एम-1) एवं आर. -13011 / 61 / 2014-ईपी (आईएम-1) दिनांक 27.10.2015
197.	महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान आयुर्वेद महाविद्यालय, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर पुण्डलिक नगर देगाव, तालुका रिसोद जिला वासिम -444506 महाराष्ट्र	महाविद्यालय को पहले से ही 2018-19 तक (05 वर्ष से अधिक नहीं) अनुमति प्रदान की हुई है वार्षिक परिदर्शन नहीं किया गया।	पत्र संख्या आर. 12011 / 38 / 2006-ई.पी.(आई.एम.-1) दिनांक 25.09.2014 एवं आर. 13011 / 36 / 2015-ई.पी. (आई.एम.-1) दिनांक 22.10.2016 के द्वारा स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित तथा (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक (05 वर्ष से अधिक नहीं) प्रदान की गई अनुमति वापस ले ली गई। तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान आयुर्वेद महाविद्यालय, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर पुण्डलिक नगर



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			देगावं, तालुका रिसोद जिला वासिम -444506 महाराष्ट्र को अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 12011 / 38 / 2006-ईपी(आई एम-1) दिनांक 09.11.2018
198.	एस.एस.यू.डी. आयुर्वेद मेडिकल महाविद्यालय एण्ड रूरल अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर कोली, तालुका करांजा (लैड), जिला वासिम-444110 महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु परिदर्शन नहीं किया गया अतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की अनुशंसा को शून्य समझा जाये।	
199.	श्री के.आर. पाण्डव आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल बहादुरा नियर दिघोरी नाका उर्मद रोड जिला- नागपुर-411204 महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षणिक सत्र 2018-19 स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011 / 43 / 2006-ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 24.09.2018
200.	डॉ० डी.वाई पाटिल महाविद्यालय आफ् आयुर्वेद एवं रिसर्च इन्स्टीट्यूट, डॉ० डी.वाई पाटिल विद्यानगर सेक्टर-7 तालुका-नेरुल नवी मुम्बई, जिला- ठाणे-400706 महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित एवं निम्नलिखित 12 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 45 सीटों सहित अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई (1) रचना शारीर-03 सीटें (2) क्रिया शारीर-03 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों एवं निम्नलिखित 12 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 45 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- 1) रचना शारीर-03 सीटें (2) क्रिया शारीर-03 सीटें (3) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-03 सीटें (4) स्वस्थवृत्त-03 सीटें (5) रोग निदान -03 सीटें



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
		(3) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-03 सीटें (4) स्वस्थवृत्त-03 सीटें (5) रोग निदान -03 सीटें (6) शल्य तन्त्र-03 सीटें (7) द्रव्यगुण-04 सीटें (8) अगद तन्त्र-04 सीटें (9) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-09 सीटें (10) कायचिकित्सा-04 सीटें (11) शालक्य तन्त्र-03 सीटें (12) कौमारभृत्य-03 सीटें ।	(6) शल्य तन्त्र-03 सीटें (7) द्रव्यगुण-04 सीटें (8) अगद तन्त्र-04 सीटें (9) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-09 सीटें (10) कायचिकित्सा-04 सीटें (11) शालक्य तन्त्र-03 सीटें (12) कौमारभृत्य-03 सीटें । आर- 12011 / 05 / 2003-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 31.08.2018
201.	महाराष्ट्र एजुकेशन सोसायटी, आयुर्वेद महाविद्यालय, एम.ई.एस. इन्स्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साईंसिज, परशुराम हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर घानेखुंट-लोट, तालुका खेड जिला रत्नागिरी-4157 22 महाराष्ट्र	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः वार्षिक परिदर्शन नहीं किया गया ।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 07 सीटों हेतु अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी:- (1) पंचकर्म-03 सीटें एवं (2) शल्य तंत्र-04 सीटें 2017-18 तक । आर- 12011 / 15 / 2009 ईपी(आई एम-1) 2017-18 के लिए दिनांक 13.10.2016 एवं आर. 13011 / 21 / 2015-ई.पी. (आई.एम.-1) दिनांक 02.10.2016 एवं आर. 14011 / 31 / 2016-ई.पी. (आई.एम.-1) दिनांक 29.09.2017
202.	विमलादेवी आयुर्वेदिक मेडिकल महाविद्यालय एवं अस्पताल, वन्धरी, पोस्ट तदली तालुका एण्ड जिला- चन्द्रपुर- 442406 महाराष्ट्र	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया ।	पत्र संख्या आर. 12011 / 13 / 2009-ई.पी.(आई.एम.-1) दिनांक 28.11.2016 एवं आर. 13011 / 06 / 2015-ई.पी. (आई.एम.-1) दिनांक 05.12. 2016 के द्वारा स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित तथा (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक (05 वर्ष से अधिक नहीं) प्रदान की गई अनुमति वापस ले ली गई । तथा इसे भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु विमलादेवी आयुर्वेदिक मेडिकल महाविद्यालय एवं अस्पताल, वन्धरी, पोस्ट तदली तालुका एण्ड जिला- चन्दरपुर-442406 महाराष्ट्र को अनुमति में परिवर्तित कर दिया गया। आर- 12011/13/2009 ईपी(आई एम-1) 2016-17 के लिए दिनांक 25.10.2018
203.	गोपालबन्धु आयुर्वेद महाविद्यालय वी. आई.पी. रोड पुरी- 752002, उड़िसा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय पाठ्यक्रम में 30 सीटों एवं 15 सीटों 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई:- (1) कायचिकित्सा-07 सीटें (2) शल्य तन्त्र-03 सीटें (3) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-02 सीटें (4) प्रसूति तन्त्र एवं स्त्रीरोग-01 सीट एवं (5) कौमारभृत्य-02 सीटें ।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 30 सीटों एवं स्नातकीय पाठ्यक्रम में 15 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- (1) कायचिकित्सा-07 सीटें (2) शल्य तन्त्र-03 सीटें (3) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-02 सीटें (4) प्रसूति तन्त्र एवं स्त्रीरोग-01 सीट एवं (5) कौमारभृत्य-02 सीटों आर-17011/166/2018-ई पी(आई एम-1) दिनांक 27.08.2018
204.	इन्दिरा गौंधी मेमोरियल आयुर्वेद महाविद्यालय, एवं अस्पताल पोखरीपुट, पोस्ट ऑफिस खाडंगिरी जिला- खुर्दा भुवनेश्वर,- 751030, उड़िसा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 30 सीटों के प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर. 17011/167/2018-ईपी (आईएम-1) दिनांक 25.09.2018
205.	मयूरभंज आयुर्वेद महाविद्यालय ग्राम व पोस्ट	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु परिदर्शन नहीं किया गया अतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की अनुशांसा को शून्य समझा जाये।	



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	तकतपुर, वाया बरीपदा, जिला मयूरभंज-75700 3 उड़ीसा		
206.	कविराज अनन्त त्रिपाठी शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय तालुका एवं पो. ओ. अंकुशपुर वाया कुकुडाखण्डी, जिला गंजम -761100, उड़ीसा-	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय पाठ्यक्रम में 30 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई। तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 30 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु सशर्त अनुमति पत्र जारी करने के लिए भी भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 30 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर. 13011/04/2017-ईपी (आईएम-1) दिनांक 04.09.2018
207.	गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय तुलसी नगर, बोलंगीर -767001 उड़ीसा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय पाठ्यक्रम में 30 सीटों एवं निम्नलिखित 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रोग निदान में 04 सीटों में प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई। तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 30 से 60 सीटों एवं निम्नलिखित 01 नया	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय पाठ्यक्रम में 30 सीटों एवं निम्नलिखित 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रोग निदान में 04 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-17011/170/2018-ई पी(आई एम-1) दिनांक 04.09. 2018 तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम. एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 30 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु एवं निम्नलिखित 01 नया



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
		स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-04 सीटोंकी वृद्धि हेतु सशर्त अनुमति पत्र जारी करने के लिए भी भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- (1) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-04
208.	श्री श्री नरूसिंगनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय एवं रिसर्च इन्स्टीट्यूट पोस्ट-ऑफिस पैकमल जिला- बारगढ़-768039 उड़ीसा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई। तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए वर्तमान में निम्नलिखित 04 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी न करने के लिए भी भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- (1) द्रव्यगुण विज्ञान (2) संहिता एवं सिद्धांत (3) पंचकर्म (4) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 17011/171/2018-ईपी(आ ई एम-1) दिनांक 27.09.2018 तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए वर्तमान में निम्नलिखित 04 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी न करने के लिए भी अनुमति प्रदान की गई:- (1) द्रव्यगुण विज्ञान (2) संहिता एवं सिद्धांत (3) पंचकर्म एवं (4) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित।
209.	गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय, गुरुद्वारे के समीप, मोती बाग पटियाला-147001 पंजाब	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों एवं 08 सीटों 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई:-	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 30 सीटों एवं स्नातकीय पाठ्यक्रम में 15 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- (1) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-04 सीटें



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
		(1) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-04 सीटें 2) द्रव्यगुण विज्ञान-04 सीटें।	(2) द्रव्यगुण विज्ञान-04 सीटें। आर- 17011 / 172 / 2018-ईपी(आई एम-1) दिनांक 04.08.2018
210.	देशभगत आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल पोस्ट बॉक्स न. 5, अमलोह रोड़, जिला फतेहगढ़ साहिब -147301, पंजाब	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों एवं 10 सीटों 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई:- 1) कायचिकित्सा-05 सीटें एवं (2) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-05 सीटें।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 30 सीटों एवं स्नातकीय पाठ्यक्रम में 15 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान नहीं की गई:- (1) कायचिकित्सा-05 सीटें एवं (2) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-05 सीटें। आर- 17011 / 173 / 2018-ईपी(आई एम-1) दिनांक 17.10.2018
211.	श्री सत्या साईं मुरलीधर आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, ग्राम दुनेके, जी.टी. रोड़, जिला-मोगा -142001, पंजाब	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 30 सीटों के प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 17011 / 174 / 2018-ईपी(आई एम-1) दिनांक 11.10.2018
212.	माई भागो आयुर्वेदिक मेडिकल महाविद्यालय फोर वीमेन, फिरोजपुर रोड़, जिला- मुक्तसर - 152026, पंजाब	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी। आर- 17011 / 175 / 2015-ईपी(आई एम-1) दिनांक 28.07.2015 एवं 13011 / 06 / 2014-ईपी(आई एम-1) दिनांक 31.08.2015
213.	गुरु नानक आयुर्वेदिक मेडिकल महाविद्यालय एवं अस्पताल,	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित शैक्षिक सत्र



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	नजदीक अजित सिनेमा बारकंडी रोड तालुका मुक्तसर - 152026, पंजाब		2020-21 हेतु अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी। आर- 17011 / 176 / 2016-ईपी(आई एम-1) दिनांक 16.09.2016
214.	गुरु नानक आयुर्वेदिक मेडिकल महाविद्यालय एवं रिसर्च इन्स्टीट्यूट, मालेरकोटला रोड, गोपालपुर, नियर देहलोन, जिला- लुधियाना, -141118, पंजाब	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी। आर- 17011 / 177 / 2016-ईपी(आई एम-1) दिनांक 07.12.2016
215.	श्री लक्ष्मी नारायण आयुर्वेदिक महाविद्यालय, सन्त तुलसी दास मार्ग अमृतसर -143001, पंजाब	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 17011 / 178 / 2018-ईपी(आई एम-1) दिनांक 06.09.2018
216.	दयानन्द आयुर्वेद महाविद्यालय, महात्मा हंस राज मार्ग, जी.टी. रोड, ओपो. बूरल्लन पार्क जालंधर-144008 पंजाब	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2019-20 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी। आर- 17011 / 179 / 2015-ईपी(आई एम-1) दिनांक 09.07.2015
217.	शहीद करतार सिंह सरभा आयुर्वेदिक मेडिकल महाविद्यालय एवं अस्पताल, गावं व पोस्ट ऑफिस सरभा, जिला लुधियाना -141105 पंजाब	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 17011 / 180 / 2018-ईपी(आई एम-1) दिनांक 12.10.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
218.	श्रीमती उमिला देवी आयुर्वेदिक महाविद्यालय ऑफ मेडिकल साईंसिज एवं अस्पताल यू.एन. ए. रोड (10 कि. मी.), गावं व पोस्ट खारकान जिला होशियारपुर -146001पंजाब	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग /13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 17011 / 181 / 2018-ईपी(आई एम-1) दिनांक 12.10.2018
219.	बाबे के आयुर्वेदिक मेडिकलमहाविद्यालय एवं अस्पताल गावं व पोस्ट ऑफिस दोधर, तहसील एवं जिला-मोगा- 142053 पंजाब	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2019-20 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों एवं 19 सीटों सहित निम्नलिखित 04 स्नातकोत्तर विषयों में शैक्षिक सत्र 2019-20हेतु अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी। (1)संहिता सिद्धांत -06 सीटें (2) रचना शारीर-06 सीटें (3) द्रव्यगुण-06 सीटें एवं (4) कौमारभृत्य-01 सीटें। आर- 17011 / 182 / 2015-ईपी(आई एम-1) दिनांक 15.09.2015
220.	संत सहारा आयुर्वेदिक मेडिकल महाविद्यालय एवं अस्पताल, कोटशमीर भटिंडा-151001 पंजाब	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग /13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 12011 / 18 / 2006-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 26.09.2018
221.	राजीव गाँधी आयुर्वेदा मेडिकल महाविद्यालय, चालाक्करा, माही. पी.बी.न. -26, पुडुचेरी-673310	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2019-20 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु 50 सीटों सहित शैक्षिक सत्र 2020-21अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी। आर-12011 / 02 / 2010-ईपी(आई एम-1) 2017-18 के लिए दिनांक 13.10.2016



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
222.	नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, माधव विलास पैलेस आमेर रोड, जयपुर- 32002 राजस्थान	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2019-20 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् स्नातकीय पाठ्यक्रम में 92 सीटों एवं 104 सीटों सहित निम्नलिखित 14 स्नातकोत्तर विषयों में शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी:- (1) आयुर्वेद संहिता -08 सीटें (2) रसशास्त्र-09 सीटें (3) कौमारभृत्य-07 सीटें (4) पंचकर्म-07 सीटें (5) शालक्य तंत्र-06 सीटें (6) रचना शारीर-07 सीटें (7) क्रिया शारीर-08 सीटें (8) द्रव्यगुण-08 सीटें (9) कायचिकित्सा-09 सीटें (10) स्वस्थवृत्त-07 सीटें (11) रोगनिदान एवं विकृति विज्ञान-08 सीटें (12) शल्य तन्त्र-07 सीटें (13) प्रसूति तंत्र स्त्री रोग-07 सीटें एवं (14) अगद तन्त्र-06 सीटें। आर- 17011 / 184 / 2016-ईपी(आ ई एम-1) दिनांक 14.10.2016
223.	मदन मोहन मालवीय गर्वमेट आयुर्वेद महाविद्यालय, राणाजी सर्कल, अम्बामाता, उदयपुर-31300 1 राजस्थान	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों एवं 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 15 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए 03 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए (1) शल्य तन्त्र (2) क्रिया शारीर (3) रचना शारीर प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों एवं 15 सीटें सहित 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- (1) कायचिकित्सा-05 सीटें (2) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-05 सीटें एवं (3) द्रव्यगुण-05 सीटें। आर- 17011 / 185 / 2018-ईपी(आ ई एम-1) दिनांक 27.07.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
224.	श्री भंवर लाल दुगर आयुर्वेद विश्वभारती, गाँधी विद्या मंदिर, जिला-चुरु, सदर शहर-331403, राजस्थान	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 17011/186/2018-ईपी(आई एम-1) दिनांक 07.09.2018
225.	जे. आर. तांतिया श्री गंगानगर महाविद्यालय ऑफ आयुर्वेदिक साईंसिज एवं अस्पताल, नियर आरआईआईसीओ, हनुमानगढ रोड श्री गंगानगर-335002, राजस्थान	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 18 सीटों के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई:- (1) रचनाशारीर-06 सीटें (2) स्वस्थवृत्त-06 सीटें एवं (3) द्रव्यगुण-06 सीटें। आर- 12011/58/2003-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 20.09.2018
226.	पंजाब आयुर्वेद मेडिकल महाविद्यालय एवं अस्पताल, 43 एम.एम.के., हनुमानगढ रोड मोरजंड खरी, श्री गंगानगर-335037 राजस्थान	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। सी- 11011/10/2006-ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 29.09.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
227.	यूनिवर्सिटी महाविद्यालय ऑफ आयुर्वेद राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, नागौर रोड, कदवाड, जोधपुर-342037 राजस्थान	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित तथा 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 30 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए प्रत्येक विषयों में 06 सीटों सहित प्रवेश हेतु भारत सरकार को संस्तुति की गई:- (1) द्रव्यगुण विज्ञान (2) कायचिकित्सा (3) शल्य तन्त्र (4) पंचकर्म एवं (5) स्त्रीरोग एवं प्रसूति तन्त्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित तथा 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 30 सीटों सहित प्रवेश हेतु प्रत्येक विषयों में 06 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- (1) द्रव्यगुण विज्ञान (2) कायचिकित्सा (3) शल्य तन्त्र (4) पंचकर्म एवं (5) स्त्रीरोग एवं प्रसूति तन्त्र आर- 12011/28/2003-ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 19.09.2018 तथा शैक्षिक सत्र 2018 -19 हेतु निम्नलिखित 06 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक विषयों में 06 सीटों सहित अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई:- (1) रसशास्त्र (2) रचना शारीर (3) क्रिया शारीर (4) अगद तंत्र (5) स्वस्थवृत्त एवं (6) कौमारभृत्य आर-14011/12/2017-ईपी (आईएम-1) दिनांक 19.09.2018
228.	बी.एम. एजूकेशन फाउंडेशन ट्रस्ट, शेखावटी आयुर्वेद मेडिकल महाविद्यालय, बेहल रोड, हरी कुंज, गंगा कालोनी, तहसील चिरावा, जिला झुनझुनू पिलानी-333031 राजस्थान	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/08/2008-ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 19.09.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
229.	श्री शिरडी साई बाबा आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल मुंडियागढ़ किशनगढ़, रेनवाल जयपुर-303603 राजस्थान	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों के प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 12011/12/2009-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 24.09.2018
230.	आयुर्वेद महाविद्यालय आरवीएस कैम्पस, 242-बी त्रिची रोड़, सुलुर, कोयम्बटूर -641108, तमिलनाडू	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों एवं 30 सीटों सहित निम्नलिखित 06 स्नातकोत्तर विषयों में शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी:- (1) संहिता सिद्धांत (2) रसशास्त्र (3) रोग निदान (4) द्रव्यगुण (5) कायचिकित्सा एवं (6) शल्य तन्त्र प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित अनुमति प्रदान की हुई है। आर-17011/187/2016-ई पी(आई एम-1) दिनांक 22.10.2016 एवं एफ.नं. 14011/16/2015-ईपी(आई एम-1) दिनांक 05.12.2016
231.	धर्मा आयुर्वेद मेडिकल महाविद्यालय एवं अस्पताल, न. 48, जी.डब्ल्यू.टी. रोड़, राजीव गांधी मेमोरियल	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों के प्रवेश



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	के सामने, तालुक श्रीपेरुम्बुदुर-602105 श्रीपेरुम्बुदुर, जिला-कांचीपुरम तमिलनाडु	प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 17011 / 188 / 2018 - ईपी(आई एम-1) दिनांक 27.09.2018
232.	श्री साईराम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, साई लियो नगर, पूनथानदालम श्रीपेरुम्बुदुर, तालुक कांचीपुरम चेन्नई - 600044, तमिलनाडु	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2019-20 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	दिनांक 15.07.2015 के द्वारा महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् शैक्षिक सत्र 2015-16 से 2019-20 तक के लिए अनुमति वापस ले ली गई। तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु श्री साईराम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, साई लियो नगर, पूनथानदालम श्रीपेरुम्बुदुर, तालुक कांचीपुरम चेन्नई तमिलनाडु को स्नातकीय (बी.ए. एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 17011 / 189 / 2015-ईपी(आई एम-1) दिनांक 16.10.2018
233.	श्री जयेन्द्र सरस्वती आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, 4 / 295, बंगलौर हाई रोड, नजरपेठ चेन्नई, तालुका पूनमल्ली, जिला थिरुवल्लुर-600123, तमिल नाडु	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी। आर-17011 / 190 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 22.10.2016
234.	गर्वनमेंट आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, कोट्टार नगरकोइल-629002, तमिलनाडु	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई।



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
		प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	आर- 12011 / 20 / 2009-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 31.07.2018
235.	गवर्नमेंट गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय, कांगड़ी, हरिद्वार-249404, उत्तराखण्ड	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 12 सीटों के लिए प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई:- (1) कायचिकित्सा-03 सीटें (2) पंचकर्म-03 सीटें (3) शल्य तन्त्र-02 सीटें (4) शालक्य तन्त्र-02 सीटें (5) कौमारभृत्य-02 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 12 सीटों के लिए सशर्त अनुमतिप्रदान की गई:- (1) कायचिकित्सा-03 सीटें (2) पंचकर्म-03 सीटें (3) शल्य तन्त्र-02 सीटें (4) शालाक्य तन्त्र-02 सीटें (5) कौमारभृत्य-02 सीटें। आर- 17011 / 191 / 2018-ईपी(आई एम-1) दिनांक 13.08.2018
236.	ऋषिकुल गवर्नमेंट पी.जी आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, हरिद्वार-249401, उत्तराखण्ड	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 11 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 54 सीटों के लिए प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई:- (1) शल्य तन्त्र-05 सीटें (2) पंचकर्म-05 सीटें (3) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-07 सीटें (4) द्रव्यगुण विज्ञान-04 सीटें (5) कायचिकित्सा-04 सीटें (6) शालक्य तन्त्र-04 सीटें (7) प्रसूति एवं स्त्री रोग-04 सीटें (8) रचना शारीर-06 सीटें (9) अगद तन्त्र-06 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 11 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 54 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- (1) शल्य तन्त्र-05 सीटें (2) पंचकर्म-05 सीटें (3) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-07 सीटें (4) द्रव्यगुण विज्ञान-04 सीटें (5) कायचिकित्सा-04 सीटें (6) शालक्य तन्त्र-04 सीटें (7) प्रसूति एवं स्त्री रोग-04 सीटें (8) रचना शारीर-06 सीटें (9) अगद तन्त्र-06 सीटें (10) रोग निदान-06 सीटें एवं (11) बाल रोग-03 सीटें।



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
		(10) रोग निदान-06 सीटें एवं (11) बाल रोग-03 सीटें।	आर- 17011 / 192 / 2018-ईपी(आ ई एम-1) दिनांक 07.08.2018
237.	उत्तरांचल आयुर्वेदिक महाविद्यालय, आयुर्वेद इस्टेट, 17, -पुराना मसूरी रोड राजपुर देहरादून-248009 उत्तराखण्ड	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 20 सीटों के लिए शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी:- (1) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत (2) स्वस्थवृत्त एवं योगा (3) अगद तन्त्र एवं विधि वैद्यक एवं (4) द्रव्यगुण विज्ञान प्रत्येक विषय में 05 सीटें आर- 17011 / 193 / 2016-ईपी(आई एम-1) दिनांक 16.11.2016 एवं आर- 13011 / 07 / 2015-ईपी(आई एम-1) दिनांक 14.12.2016
238.	हिमालयिया आयुर्वेदिक मेडिकल महाविद्यालय एण्ड अस्पताल, ग्राम फतेहपुर टांडा पोस्ट -वाया डोइवाला, जीवनवाला, देहरादून-248140 उत्तराखण्ड	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	दिनांक 22.10.2016 के द्वारा महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि अर्थात् शैक्षिक सत्र 2016-17 से 2020-21 तक के लिए अनुमति वापस ले ली गई। तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु हिमालयिया आयुर्वेदिक मेडिकल महाविद्यालय एण्ड अस्पताल, ग्राम फतेहपुर टांडा पोस्ट -वाया डोइवाला, जीवनवाला, देहरादून-248140 उत्तराखण्ड को स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु तथानिम्नलिखित 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 24 सीटों के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई:- (1) द्रव्यगुण विज्ञान (2) क्रिया शारीर (3) रचना शारीर एवं



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			(4) पंचकर्म प्रत्येक विषय में 06 सीटों आर— 12011 / 13 / 2005—ईपी(आई एम-1) 2016-17 के लिए दिनांक 22.08.2018
239.	पंतजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान पंतजलि योगा पीठ, हरिद्वार-249402 , उत्तराखण्ड	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 06 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 30 सीटों के लिए प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई:— (1) संहिता सिद्धांत (2) द्रव्यगुण (3) कायचिकित्सा (4) शल्य तन्त्र (5) शालक्य तन्त्र एवं (6) पंचकर्म तथा निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुमति प्रदान न करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई:— (1) क्रिया शारीर (2) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 08 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 40 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई:— (1) संहिता सिद्धांत (2) क्रिया शारीर (3) द्रव्यगुण (4) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, (5) कायचिकित्सा (6) शल्य तन्त्र एवं (7) शालक्य तन्त्र (8) पंचकर्म प्रत्येक विषय में 05 सीटें। आर— 12011 / 20 / 2008—ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 14.09.2018
240.	स्टेट आयुर्वेदिक महाविद्यालय एण्ड अस्पताल, तुलसीदास मार्ग लखनऊ -226001 उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 24 सीटों के लिए प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई:— (1) रचनाशारीर-04 सीटें (2) क्रिया शारीर-04 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 24 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई:— (1) रचनाशारीर-04 सीटें (2) क्रिया शारीर-04 सीटें (3) कायचिकित्सा-06 सीटें



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
		(3) कायचिकित्सा-06 सीटें (4) कौमारभृत्य-05 सीटें एवं (5) द्रव्यगुण विज्ञान-05 सीटें।	(4) कौमारभृत्य-05 सीटें एवं (5) द्रव्यगुण विज्ञान-05 सीटें आर-17011 / 209 / 2018-ई पी(आई एम-1) दिनांक 27.07.2018
241.	ललित हरी स्टेट पी.जी. आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, पीलीभीत-262001 उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 06 सीटों के लिए प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई:- (1) द्रव्यगुण विज्ञान	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 06 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- (1) द्रव्यगुण विज्ञान। आर-17011 / 194 / 2018-ईपी(आई एम-1) दिनांक 04.08.2018
242.	बुंदेलखण्ड गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल ग्वालियर रोड़ झांसी-284001 उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-17011 / 195 / 2018-ईपी (आईएम-1) दिनांक 04.08.2018
243.	गवर्नमेंट आयुर्वेदिकमहाविद्यालय एवं अस्पताल, अतर्रा-210201, जिला-बांदा उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-17011 / 196 / 2018-ईपी (आईएम-1) दिनांक 27.07.2018
244.	एस.आर.एम. गर्वमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित शैक्षिक सत्र



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	बांस मण्डी, बरेली-243005 उत्तर प्रदेश	की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	2020-21 हेतु अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी। आर- 17011/197/2016-ईपी(आई एम-1) दिनांक 13.10.2016
245.	स्वामी कल्याणदेव गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय, रामपुर मुज्जफरनगर-2 51001 उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 30 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 30 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-17011/198/2018-ईपी (आईएम-1) दिनांक 27.07.2018
246.	श्री लाल बहादुर शास्त्री स्मारक गर्वमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय एण्ड अस्पताल, हन्डिया इलाहाबाद-221 503 उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 30 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 30 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-17011/199/2018-ईपी (आईएम-1) दिनांक 27.07.2018
247.	शाम-ए-घौसिय I माइनोरिटी आयुर्वेदिक मेडिकल महाविद्यालय एवं अस्पताल पोस्ट ऑफिस- सहेरी, वाया नंदगंज जिला- गाजीपुर- 233302 उत्तर प्रदेश	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2019-20 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् 60 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 17 सीटों के लिए शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी:- (1) प्रसूति तन्त्र एवं स्त्रीरोग-04 सीटें (2) रोग निदान-04 सीटें (3) कायचिकित्सा-05 सीटें एवं (4) शल्य तन्त्र-04 सीटें। आर-17011/200/2015-ईपी (आईएम-1) दिनांक 17.09.2015
248.	अलीगढ यूनानी एवं आयुर्वेदिक मेडिकल महाविद्यालय एवं एसीएन	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित शैक्षिक सत्र



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	अस्पताल, एफ. एम. सामने, टॉवर, अनूपशहर रोड़, अलीगढ़-202002 उत्तर प्रदेश		2020-21 हेतु अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी। आर-17011 / 201 / 2016-ईपी (आईएम-1) दिनांक 25.10.2016
249.	वैद्य यज्ञ दत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय, धरपा पावर हाउस के सामने, जिला-बुलंदशहर जी.टी. रोड़ खुर्जा- 203131, उत्तर प्रदेश	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् 100 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 14 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 70 सीटों के लिए शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी:- (1) क्रिया शारीर-05 सीटें (2) छाया एवं विकिरण-05 सीटें (3) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-04 सीटें (4) कायचिकित्सा-05 सीटें (5) शल्य तंत्र-05 सीटें (6) संज्ञाहरण-05 सीटें (7) पंचकर्म-05 सीटें (8) कौमारभृत्य-05 सीटें (9) स्वस्थवृत्त-05 सीटें (10) अगद तंत्र एवं व्यवहार आयुर्वेद-05 सीटें (11) संहिता सिद्धांत-06 सीटें (12) द्रव्यगुण-05 सीटें (13) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-05 सीटें एवं (14) रचना शारीर-05 सीटें आर-17011 / 202 / 2016-ईपी (आईएम-1) दिनांक 16.10.2016
250.	श्री साई आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, फल मण्डी के सामने, सरसोल जी.टी. रोड़ अलीगढ़-202001 उत्तर प्रदेश	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2018-19 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 07 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 39 सीटों हेतु अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी:- (1) शल्य तंत्र-06 सीटें (2) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-06 सीटें (3) शालक्य तंत्र-03 सीटें



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			(4) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें (5) अगद तंत्र-06 सीटें (6) रचना शारीर-06 सीटें एवं (7) मौलिक सिद्धान्त-06 सीटें 2018-19 तक। आर-17011 / 203 / 2014-ईपी (आईएम-1) दिनांक 14.08.2014 एवं आर-13011 / 35 / 2013-ईपी (आईएम-1) एवं आर-14011 / 22 / 2013-ईपी (आईएम-1) दिनांक 10.10.2014
251.	जे.डी. आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भांकरा, जी.टी. रोड़, अलीगढ़-202001 उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2017-18 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 29 सीटों के प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई:- (1) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त - 06 सीटें। (2) क्रिया शारीर -06 सीटें। (3) रचना शारीर -06 सीटें। (4) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें। (5) कायचिकित्सा -05 सीटें। आर- 12011 / 31 / 2003-ईपी(आई एम-1)2018-19 के लिए दिनांक 09.11.2018
252.	मेजर एस.डी. सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बैकुण्ठपुरी (बागर) बेवर रोड़, फतेहगढ़, जिला- फर्रुखाबाद- 209625, उत्तर प्रदेश	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 14 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 84 सीटों हेतु अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी:- 1) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त (2) द्रव्यगुण विज्ञान (3) स्वास्थ्यवृत्त एवं योग (4) प्रसूति तन्त्र एवं स्त्री रोग, (5) कायचिकित्सा (6) शल्य तन्त्र



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			<p>(7) शालक्य तन्त्र (8) पंचकर्म (9) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना (10) अगद तन्त्र एवं विधि वैद्यक (11) कौमारभृत्य (12) क्रिया शारीर (13) रचना शारीर (14) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान वर्ष 2020-21 तक प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित। आर- 12011/07/2005-ईपी(आई एम-1) 2016-17 के लिए दिनांक 07.09.2016</p>
253.	फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेज, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, जिला- वाराणसी-2210 05 उत्तर प्रदेश	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	<p>महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 15 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 45 सीटों हेतु अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी:-</p> <p>(1) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-04 सीटें (2) कौमारभृत्य-03 सीटें (3) शालक्य तन्त्र-02 सीटें (4) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-03 सीटें (5) रचना शारीर-02 सीटें (6) क्रिया शारीर-02 सीटें (7) द्रव्यगुण-03 सीटें (8) कायचिकित्सा -05 सीटें (9) रोग निदान-02 सीटें (10) शल्य तन्त्र-05 सीटें (11) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-04 सीटें (12) मानस रोग - 01 सीट (13) संज्ञाहरण-02 सीटें (13) स्वास्थ्यवृत्त-01 सीट (14) शल्य-क्षारसूत्र एवं अनुशास्त्र कर्म-06 सीटें साथ ही निम्नलिखित 03 स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 07 सीटों हेतु अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी:-</p>



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			(1) कौमारभृत्य/बालरोग-02 सीटें (2) संज्ञाहरण-02 सीटें एवं (3) क्षार कर्म-03 सीटें। आर-17011 / 204 / 2016-ईपी (आईएम-1) दिनांक 14.10.2016 एवं आर-18011 / 01 / 2016-ईपी (आईएम-1)दिनांक 15.12.2016
254.	गवर्नमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, सम्पूर्णानन्द संस्कृत यूनिवर्सिटी, वाराणसी-2210 02, उत्तर प्रदेश	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया। परन्तु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018 -19 हेतु निम्नलिखित 03 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु सशर्त अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- (1) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना (2) प्रसूति तंत्र एवं स्त्रीरोग (3) पंचकर्म प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 15 सीटों हेतु अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी:- (1) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत (2) रोग निदान एवं (3) शल्य तन्त्र वर्ष 2020-21 हेतु प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित। आर- 17011 / 205 / 2016-ईपी(आई एम-1) दिनांक 06.10.2016 एवं आर-14011 / 22 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.09.2018 तथाशैक्षिक सत्र 2018 -19 हेतु निम्नलिखित 03 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई:- (1) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना (2) प्रसूति तंत्र एवं स्त्रीरोग (3) पंचकर्म प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित। आर-14011 / 20 / 2017-ईपी (आईएम-1) दिनांक 04.08.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
255.	श्री आनन्द निकेतन धर्मशाला एवं धार्मिक ट्रस्ट, श्री धन्वतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, एन.एच.-02, गांव सेमरी तहसील छाता, जिला मथुरा-281401 उत्तर प्रदेश	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2018-19 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	केन्द्रीय सरकार ने अनुमति पत्र दिनांक 14.08.2014 जिसमें महाविद्यालय को शैक्षिक सत्र 2014-15 से अर्थात् 05 वर्ष से अनधिक अवधि हेतु स्नातकीय पाठ्यक्रम (बीएएमएस) में 50 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई थी तथा मंत्रालय के पत्र दिनांक 04.09.2017 जिसमें महाविद्यालय को स्नातकीय बी. ए.एम.एस. पाठ्यक्रम में 50 से 100 सीटों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित 09 विषयों में नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनुमति पत्र जारी किया गया था, वापिस ले लिया:- (1) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत (2) रचना शारीर (3) क्रिया शारीर (4) अगद तंत्र एवं व्यवहार आयुर्वेद (5) स्वास्थ्यवृत्त (6) कायचिकित्सा (7) प्रसूति एवं स्त्रीरोग (8) शल्य तन्त्र (सामान्य) तथा (9) कौमारभृत्य शैक्षिक सत्र 2017-18 से 2018-19 तक प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित तथा उक्त महाविद्यालय को शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु मना कर दिया गया। आर-12011 / 18 / 2008-ईपी (आईएम-1) 2014-15 के लिए दिनांक 14.08.2018
256.	भारत आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, 10 कि.मी., रूड़की रोड, एन. एच.-58, पोस्ट ऑफिस-बरला मुज्जफरनगर-251001, उत्तर प्रदेश	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् वर्ष 2020-21 तक स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों हेतु अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी:- आर-12011 / 26 / 2008-ईपी (आईएम-1) 2016-17 के लिए दिनांक 13.10.2016 एवं आर. 13011 / 04 / 2015- ईपी (आईएम-1) दिनांक 18.11.2016



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
257.	जे.बी.राय स्टेट आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, 170-172, राजा दिनेन्द्रा स्ट्रीट कोलकाता-700004, पश्चिम बंगाल	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अर्थात् 2020-21 तक अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी, अतः परिदर्शन नहीं किया गया।	महाविद्यालय को 05 वर्षों से अनधिक अवधि हेतु अर्थात् वर्ष 2020-21 तकस्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी थी:- आर-17011 / 206 / 2016-ईपी (आईएम-1) दिनांक 29.09.2016
258.	इन्स्टीट्यूट ऑफ पी.जी. आयुर्वेदिक एजुकेशन एण्ड रिसर्च, श्यामदास विद्या शास्त्र, पीठ 294 / 3 / 1 आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रोड़, कोलकाता-700009, पश्चिम बंगाल	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए निम्नलिखित 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 19 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई:- (1) द्रव्यगुण विज्ञान-06 सीटें (2) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-02 सीटें (3) कायचिकित्सा-07 सीटें एवं (4) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-02 सीटें (5) पंचकर्म - 02 सीटें।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए निम्नलिखित 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 19 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- (1) द्रव्यगुण विज्ञान-06 सीटें (2) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-02 सीटें (3) कायचिकित्सा-07 सीटें एवं (4) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-02 सीटें (5) पंचकर्म - 02 सीटें। आर-17011 / 208 / 2018-ईपी (आईएम-1) दिनांक 16.10.2018
259.	बेल्ली संकरपुर राजीव गांधी मेमोरियल आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, पोस्ट ऑफिस एवं ग्राम, फिंगापारा, जिला-24, परगनास नार्थ-743126 पश्चिम बंगाल	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 17011 / 207 / 2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 18.09.2018
260.	इस्लामिया एजुकेशन ट्रस्ट जकरिया आयुर्वेद महाविद्यालय पयान दरगा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 30 सीटों के प्रवेश



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	रोड़, रोजा (बी), गुलबर्ग -585104, कर्नाटक	हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-17011 / 83 / 2018 - ईपी(आईएम-1) दिनांक 17.10.2018
261.	रघुनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, पोस्ट ऑफिस- कोंटै जिला- पुरबा मेदिनीपुर-721401, पश्चिम बंगाल	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों के प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-12011 / 05 / 2012- ईपी(आईएम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 26.09.2018
262.	परसुरामपुरिया आयुर्वेद महाविद्यालय, सीकर-332001, राजस्थान	शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए सीसीआईएम द्वारा परिदर्शन नहीं किया गया, इसलिए सीसीआईएम की संस्तुति को शून्य समझा जाये।	
263.	गवर्नमंट आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, अशोक नगर, सरकन्दा, सेन्दरी, बिलासपुर - 495001 छत्तीसगढ़	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011 / 11 / 2013- ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 07.08.2018
264.	अभिलाशी आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं रिसर्च इन्स्टीट्यूट चेल चौक, तहसील चाचीओट, जिला मण्डी-175008, हिमाचल प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011 / 14 / 2013- ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 26.09.2018
265.	आनन्दी शिक्षण प्रसारक मण्डल, आयुर्वेद महाविद्यालय, अस्पताल एवं	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस)



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	अनुसंधान संस्थान, अजन्ता रोड़, बुलदाना-443001, महाराष्ट्र	(बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-12011 / 20 / 2013-ईपी(आईएम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 10.10.2018 भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011 / 20 / 2013-ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए पुनर्विलोकित पत्र दिनांक 02.11.2018
266.	धन्वतंत्री आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, गांव एवं पोस्ट ऑफिस कोयडम, तालुका वीरपुर, जिला, माहीसागर -388260, कोयडम (काजिया) गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों के प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-12011 / 27 / 2013-ईपी(आईएम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 26.09.2018
267.	हिलसाइड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, न0. 174 / 2, सलडोडी, अगारा गांव बंगलौर-560062, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों के प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-12011 / 26 / 2013-ईपी(आईएम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 29.09.2018
268.	कला आश्रम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, एन. एच. डब्लू-27 गांव- बंसादा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस)



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	तहसील— गोगुंदा जिला— उदयपुर—313705 राजस्थान	हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर— 12011/04/2013— ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 24.09.2018
269.	लाल बहादुर शास्त्री महिला आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल साधौरा रोड़, बिलासपुर जिला यमुनानगर —135001, हरियाणा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग /13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर— 12011/05/2013— ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 24.09.2018
270.	महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेद महाविद्यालय, सीकर रोड़ हारोटा, चोमू जयपुर—303702 , राजस्थान	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर— 12011/22/2013— ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 13.09.2018
271.	जगदम्बा एजुकेशन सोसायटी, मातोश्री असराबाई डारडे आयुर्वेद महाविद्यालय बाभुलगावं, येओला, जिला नासिक—423401 महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर— 12011/29/2013— ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 05.09.2018
272.	पेसीफिक कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एवं रिसर्च सेन्टर, लच्छीपुर, इन्डस्ट्रीयल एरिया गोरखनाथ रोड़, रायपुर पीपीगंज	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग /13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई।



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	के समीप, गोरखपुर-273015, उत्तर प्रदेश	टिप्पणी:- महाविद्यालय के पत्र के आधार पर शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा परिदर्शन नहीं किया गया।	आर-12011 / 03 / 2013-ईपी(आईएम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 11.10.2018
273.	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्टिपल एवं रिसर्च सेन्टर ग्राम- बाक्का खेरा, माल मलीहाबाद रोड - 227115, लखनऊ उत्तर प्रदेश,	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011 / 09 / 2013-ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 23.10.2018
274.	चौधरी हरचन्द सिंह आत्माराम एजुकेशन ट्रस्ट कादरा इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, 64/6 सिविल लाईन्स, रुड़की-247667, जिला- हरिद्वार, उत्तराखण्ड	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-12011 / 25 / 2013-ईपी(आईएम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 10.10.2018
275.	संतुष्टी आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हिनौटी, डगमगपुर, चुनार, मिर्जापुर -231305, उत्तर प्रदेश		भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों के प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-12011 / 15 / 2013-ईपी(आईएम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 02.07.2018
276.	शिव शक्ति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, सुनम रोड़ भिखी,	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस)



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	मनसा— 151504, पंजाब	प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर— 12011/24/2013— ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 17.10.2018
277.	शिवालिक आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गावं बिजरवा पोस्ट बंकत जिला आजमगढ— 276125 उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग /13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर— 12011/07/2013— ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 25.09.2018
278.	श्री कृष्ण आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, रोना खुर्द चोलापुर वाराणसी—221101 उत्तर, प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग /13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर— 12011/13/2013— ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 06.09.2018
279.	श्री धनेश्वरी मानव विकास मण्डल, सोड शांतादेवी वेदप्रकाश पाटिल आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, गेट न0. 421, हट्टा तालुका बसमत जिला हिंगोली— 431738 महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग /13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों के प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर—12011/16/2013— ईपी(आईएम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 25.09.2018
280.	कुवंर शेखर विजेन्द्र आयुर्वेद कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, आदर्श	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग /13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस)



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	इन्स्टीट्यूट एरिया, बाबू विजेन्द्र मार्ग, गंगोह, जिला-सहारनपुर-247341, उत्तर प्रदेश	(बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/28/2013-ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 14.09.2018
281.	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, मनपुरिया जानकी प्रसाद कमुआ, बिलासपुर रोड़, बरेली-243123 उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग /13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग /13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/01/2013-ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 06.09.2018
282.	मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कोलार रोड़-भोपाल-462024, मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग /13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग /13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/11/2014-ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 18.09.2019
283.	श्री आदि शिवा सद्गुरु अली साहेब सिवारयूला आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, गुन्टाकल-515801, अनंतपुर, आन्ध्र प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग /13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग /13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/25/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 07.09.2018
284.	मरिया एजुकेशनल एण्ड चैरीटेबल ट्रस्ट	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग /13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग /13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	चेवाराकोडे, वीयानूर, पोस्ट-कन्याकुमारी - 629177, तमिलनाडु	लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/23/2014- ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 07.09.2018
285.	शहीद नरेन्द्र कुमार आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड आर.के. एम.एस. चेरीटेबल हॉस्पिटल, पिसावा रोड, चन्दौस, अलीगढ़-202132, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/19/2014- ईपी (आई एम-1) 2017-18 के लिए दिनांक 14.08.2017
286.	फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साईंस, ज्योति विद्यापीठ विमेन यूनिवर्सिटी, वेदान्त ज्ञान वेली, झरना, महाला- जोबनेर लिंक रोड, जयपुर-अजमेर एक्सप्रेस-वे, जयपुर-303122 , राजस्थान	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/12/2014- ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 26.09.2018
287.	शान्ति इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हायर स्टडीज, शान्ति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, मझौली-बलिया -277001, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग /13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-12011/05/2014- ईपी(आईएम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 17.10.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
288.	डॉ. कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, सरमउ, झांसी- 284003, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग /13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/04/2014- ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 05.10.2018
289.	श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, भाउपुर, बेवर रोड, फतेहगढ जिला फर्रुखाबाद -209602, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग /13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/09/2014- ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 01.10.2018
290.	तपोवन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, दूदाबाथी-577 566, दावनगेरे, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग /13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/16/2014- ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 18.09.2018
291.	श्री बाबू सिंह ददूजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, कृष्णा नगर(बाघर), कानपुर रोड, फतेहगढ, जिला फर्रुखाबाद -209601, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग /13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/03/2014- ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 09.10.2018
292.	श्री धर्मस्थला मंजुनाथेश्वर इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एण्ड हॉस्पिटल,	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग /13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस)	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस)



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	अंचेपलया, ग्राम-कुम्बलागोडू, बंगलूरु-560074, कर्नाटक	पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/18/2014-ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 24.09.2018
293.	श्री वी.एम. मेहता इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, 405, शिल्प टॉवर, टैगोर रोड भक्ति नगर रेलवे स्टेशन के समीप, राजकोट, कैम्पस गर्दी विद्यापीठ, कलावड रोड, ग्राम, आनंदपुर-361162, राजकोट, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/06/2014-ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 20.09.2018
294.	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, 10 कि.मी. माइल स्टॉन, खैर रोड, लोधा, अलीगढ़-20200 1, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/35/2014-ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 11.10.2018
295.	फैकल्टी ऑफ इण्डियन मेडिकल सिस्टम, एस.जी. टी. यूनिवर्सिटी चन्द्र- बुधेरा, गुड़गांव-बादली रोड, हरियाणा -122505	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/14/2014-ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 29.09.2018
296.	यशवन्तराव चवन आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, शिवा ट्रस्ट कैम्पस,	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस)



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	निपानी भालगांव, विडियोकॉन कम्प्यूनिवेशन लिमिटेड के समीप, बीड हाईवे रोड, औरंगाबाद - 431005, महाराष्ट्र	सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011 / 39 / 2014-ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 18.09.2018
297.	गंगापुत्र आयुर्वेदिक महाविद्यालय, कैथल रोड़, कन्डेला, जिला-जींद-126102, हरियाणा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-12011 / 28 / 2014-ईपी(आईएम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 11.10.2018
298.	बाबा हीरादास जी आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, वी.पी. ओ. बादल, जिला-मुक्तसर-152113, पंजाब	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-12011 / 28 / 2015-ईपी(आईएम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 05.10.2018
299.	हार्मनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, एफसीआई गोडाउन्स के निकट, काछा जीरा रोड़, फिरोजपुर सिटी पंजाब- 152002	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-12011 / 11 / 2015-ईपी(आईएम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 12.10.2018
300.	सरस्वती आयुर्वेद हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल कॉलेज, वी.पी.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग / 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस)



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	ओ. घरौन-140413, तहसील खरार, जिला- एस.ए. एस. नगर, मोहाली, पंजाब	(बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-12011 / 07 / 2015-ईपी(आईएम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 26.09.2018
301.	भारती आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, पुलगांव चौक, दुर्ग, छतीसगढ़-491001	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बी.ए.एम. एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों (100 सीटों के स्थान पर) के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों (100 सीटों के स्थान पर) सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई आर-12011 / 14 / 2015-ईपी(आईएम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 12.10.2018.
302.	नेशनल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, धानी ग्रान रोड, बरवाला, हिसार-125121, हरियाणा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-12011 / 08 / 2015-ईपी(आईएम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 12.10.2018
303.	शिवा आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, ग्राम लुहानु कनटेन, पोस्ट ऑफिस चांदपुर तहसील सदर, जिला- बिलासपुर -174004 हिमाचल प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई आर-12011 / 20 / 2015-ईपी(आईएम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 20.09.2018
304.	साई आयुर्वेद महाविद्यालय, अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र,	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	गेट न०. 67, धेनगेल-पाटिल नगर, सोलापुर-बरशी हाईवे, तालुका-बरशी, सोलापुर-413402, महाराष्ट्र	के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई आर- 12011/09/2015-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 14.09.2018
305.	डॉ. आर.एन लहोटी आयुर्वेदिक कॉलेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, सुल्तानपुर, तालुका-लोनार, बुलधाना, पिन-443307, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान की नहीं गई। आर- 12011/31/2015-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 20.09.2018
306.	श्री रसिकलाल मानिकचन्द धारीवाल आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल" ग्राम वागलधारा, एन. एच. 8, जिला वल्सद - 396375, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान की नहीं गई। आर- 12011/30/2015-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 10.10.2018
307.	इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद रिसर्च एण्ड हॉस्पिटल, हिल व्यू क्लब के सामने, कालावाड रोड, 150 फुट ईश्वरीया रिंग रोड, राजकोट-360110, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई आर- 12011/57/2015-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 08.09.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
308.	स्टेट मॉडल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद साईंसिज, कोलावडा, गांधीनगर-382028, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई आर- 12011/05/2015-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 24.07.2018
309.	श्री स्वामीनारायण आयुर्वेदिक कॉलेज, कलोल जी.आई.डी.सी. के सामने, नेशनल हाईवे न.8, पोस्ट-सैज, तालुका कलोल, जिला-गांधीनगर-382721-गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/13/2015-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 07.09.2018
310.	ईवा कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जनजमेर रोड, सुपेदी, जिला-राजकोट-360440 गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/10/2015-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 19.09.2018
311.	मंजुश्री रिसर्च इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साईंस, पेठापुर महुदी रोड, जी.जी.एस.के निकट, पिपलाज गांधीनगर-382610, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों (100 सीटों के स्थान पर) के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों (100 सीटों के स्थान पर) सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/59/2015-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 05.10.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
312.	हरिद्वार आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, मुस्तफाबाद(पदार्थ), धानपुरा, हरिद्वार-249405, उत्तराखण्ड	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान की नहीं गई। आर- 12011/42/2015-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 09.11.2018
313.	मदरहुड आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, ग्राम- करौन्दी, पोस्ट ऑफिस - भगवानपुर, तहसील रुडकी, जिला- हरिद्वार-247661, उत्तराखण्ड	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान की नहीं गई। आर- 12011/23/2015-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 11.10.2018
314.	ओम आयुर्वेदिक कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, क्रिस्टल वर्ल्ड के निकट, रुडकी, हरिद्वार एन.एच. 58, गांव पंचायनपुर, पोस्ट ऑफिस-दौलत पुर, रुडकी, (हरिद्वार)-249402, उत्तराखण्ड	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/51/2015-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 18.10.2018



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
315.	फैक्लटी ऑफ आयुर्वेद, उत्तराखण्ड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, हरावाला, देहरादून-248001 उत्तराखण्ड	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटोंसहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/19/2015- ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 07.08.2018
316.	एस.जी.ई.एस. एस. डॉ. एन.ए. मगदम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, अंकली, तालुक चिकोडी, जिला- बेलगम, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटोंसहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/33/2015- ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 13.09.2018
317.	शारदा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, मुन्दरागा, यादगिर-585202, जिला-कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटोंसहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/39/2015- ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 13.09.2018
318.	बीदर विद्या केन्द्र (आर) अक्कामहादेवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, चिदरी, बीदर- 585403, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटोंसहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/06/2015- ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 29.09.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
319.	प्रसन्ना कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एण्ड हॉस्पिटल, लैला, बेलथांगडी-574214, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान की नहीं गई। आर-12011/29/2015-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 26.09.2018
320.	के.टी.जी. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, श्रीगंधादाकावलु, हेगगानहाल्ली कॉस, सुनकादाकट्टे-पीन्नया रोड, विश्वानीदमा पोस्ट, बंगलोर-560091, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान की नहीं गई। आर-12011/61/2015-ईपी (आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 10.10.2018
321.	अष्टामगम आयुर्वेद चिकित्सालय एण्ड विद्यापीठम, वावानूर, कोट्टानंद जिला -पलक्कड, केरल-679533	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/40/2015-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 11.10.2018
322.	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंसिज एण्ड हॉस्पिटल, मुरादाबाद, रोड, पोस्ट अगरी, जिला	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई।



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	बिजनौर-24670 1 उत्तर प्रदेश	के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	आर- 12011/02/2015- ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 14.09.2018
323.	संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ग्राम-कुदाना चाक, ब्रिजघाट के समीप, जिला- अमरोहा, पिन-244235, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटोंसहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/16/2015- ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 05.10.2018
324.	एस.आर.एस. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, गावं-सिकन्दरपु र, पोस्ट तेहरा, ग्वालियर रोड, जिला-आगरा- 282001 (उत्तर प्रदेश)	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटोंसहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/26/2015- ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 25.10.2018
325.	बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, लदनपुर, कोपागंज, जिला मउ-275101 उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 12011/25/2015-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 09.11.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
326.	प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, आगरा रोड, जिला हाथरस-204101, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/27/2015-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 08.11.2018
327.	के.वी.आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड देव हॉस्पिटल, कुबेरपुर, एनएच-2, आगरा-283202 उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 12011/53/2015-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 02.07.2018 एवं 09.11.2018
328.	जीवक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर, कमलापुर, अकोनी, चंदौली, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/35/2015-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 10.10.2018
329.	आर.के. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, काशीपुर, सुरई, साथिओं, आजमगढ़-243501, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 12011/43/2015-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 23.10.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
330.	जी.एस. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, गाँव- पीपलाबंदपुर, रेलवेस्टेशन के निकट, पिलखुवा, जिला हापुड़- 245304 उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 12011/56/2015-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 17.10.2018
331.	ग्लोकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सेन्टर, (स्टेट हाईवे न. 57), मिर्जापुर, - पोल्, जिला- सहारनपुर -247122 उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 12011/22/2015-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 24.09.2018
332.	आर.बी. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल जेलसर रोड़ आगरा-207302 , उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/34/2015-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 29.09.2018
333.	महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, पोहाली सरधना रोड़, मेरठ- 250341, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/21/2015-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 06.09.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
334.	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, गाँव डूंगरवाली, प्रतापपुर बाईपास रोड़, जिला- मेरठ - 250103 उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/58/2015-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 13.09.2018
335.	इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुष मेडिकल साईंसिज, विमलार्जुन नगर, भागोखेडा, मोहनलाल गंज, लखनऊ -261005 उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 12011/60/2015-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 25.09.2018
336.	डॉ. विजय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, गाँव - भन्दाहा कला, पोस्ट, कैथी, वाराणसी-221116, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 12011/62/2015-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 10.10.2018
337.	श्री रामचन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, यमुना विहार, मल्हौर रोड़, एलडिको तिराहा के निकट, चिनहट, लखनऊ -226028 उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/04/2015-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 23.10.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
338.	प्रकाश इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साईंसिज एण्ड रिसर्च, झज्जर, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/48/2015-ईपी(आईएम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 24.09.2018
339.	धन्वतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, गाँव चितौली, पोस्ट ऑफिस फतेहगंज (वेस्ट), जिला बरेली -243501 उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/24/2015-ईपी(आईएम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 14.09.2018
340.	महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंस, ग्राम-सुंद्रा, जी. ई. रोड, राजनन्दगाँव-491441, छत्तीसगढ़	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/31/2016-ईपी(आईएम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 13.09.2018
341.	पारूल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एण्ड रिसर्च, पो. ओ. लिम्डा, त. वघोडिया, जिला वडोदरा-391760, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/17/2016-ईपी(आईएम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 07.09.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
342.	भार्गव आयुर्वेद महाविद्यालय, विद्याग्राम, पोस्ट दहेमी, त. बोरसद, जिला आनन्द-388560, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 12011/27/2016-ईपी(आईएम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 20.09.2018
343.	मुरलीधर आयुर्वेद कॉलेज, भावनगर रोड, कालीपत, जिला राजकोट-360020, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/18/2016-ईपी(आईएम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 07.09.2018
344.	नोबल आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अनुसन्धान संस्थान, पार्थ वाटिका, भेसन रोड, वाया - वादल, ग्राम बामनगम, जिला जूनागढ़-362310, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/28/2016-ईपी(आईएम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 13.09.2018
345.	बचुभाई गोविन्दभाई गरैया आयुर्वेद महाविद्यालय, ग्राम कालीपट भावनगर हाइवे, आशापुर होटल के पीछे, जिला राजकोट-360020, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 12011/51/2016-ईपी(आईएम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 26.09.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
346.	आर.के. विश्वविद्यालय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, आर.के. विश्वविद्यालय कैम्पस, राजकोट भावनगर हाईवे, कस्तूरबा धाम, राजकोट-360020, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 12011/21/2016-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 24.09.2018
347.	नेत्र चिकित्सा आयुर्वेद महाविद्यालय, चीतल रोड, अमरेली-365601, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/32/2016-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 07.09.2018
348.	ग्लोबल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, राजकोट, भावनगर हाइवे, गधाका पतियू केनिकट, जिला एवं ता.राजकोट, 8, त्राम्बा गुजरात-360020	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 12011/08/2016-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 25.09.2018
349.	अनन्या कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, उमिया माता कदवा पातीदार एजुकेशन एवं समाज सेवा ट्रस्ट के. आई. आर. सी. कैम्पस,	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई।



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	अहमदाबाद—मेहसाना हाइवे, कलोल, जिला गान्धीनगर—382721, गुजरात		आर— 12011 / 22 / 2016—ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 17.10.2018
350.	के.जे.इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एवं अनुसन्धान, के.जे. कैम्पस,आई.टी.आई. केसामने जाविया, साल्वी—391770, पी.ओ. सावली, जिला वडोदरा, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के माहिर— लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर— 12011 / 75 / 2016—ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 24.09.2018
351.	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, अखनूर, इन्दिरा चौक,एम.एल.ए. हास्टल के निकट, जम्मू—184101, जम्मू एवं कश्मीर	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर— 12011 / 41 / 2016—ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 04.09.2018
352.	श्री परिपूर्ण संस्थान आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल एवं अनुसन्धान केन्द्र, नं. 91,कैवलया सन्नीदाना, अर्जुनबेट्टाहल्ली, पोस्ट गौल्लाहल्ली, नेलमंगला तालुक बेंगलूरु, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर— 12011 / 04 / 2016—ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 05.09.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
353.	कारावली आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल एवं अनुसन्धान केन्द्र, नीरा मार्ग, मंगलौर-575029, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 12011/57/2016-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 25.09.2018
354.	एच.के.डी.इ.टी. एस. राजेश्वरी आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, एन. एच.-9, वीरभद्रगिरी, सिन्देनकेरा कास, हुमनाबाद-585330 जिला बीदर, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/95/2016-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 19.09.2018
355.	कर्नाटक स्टेट गर्वमेंट डेली वेजिस एम्प्लोई फेडरेशन, संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, डा० के.एस. शर्मा कैम्पस, विश्वशर्मा चेतना, बासवेश्वर नगर, गोकुल रोड, हुब्बल्ली-580030, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/49/2016-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 19.09.2018
356.	श्री बीरेश्वर शिक्षण संस्था, कृष्ण आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल,	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	सिरियन अस्पताल के पीछे, ओल्ड पीबी रोड, ग्राम/पोस्ट संकेश्वर-591313, तालुक हुक्केरी, जिला बेलगाम, कर्नाटक	सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/62/2016-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 07.09.2018
357.	जैन ए.जी.एम. आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, ग्राम/पोस्ट नवग्रहतीर्थ एन. एच-4 रोड, वरूर-छब्बी-581207, तालुक हुबली जिला-धारवाड़, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/60/2016-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 26.09.2018
358.	साम कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसिज एण्ड हॉस्पिटल, ग्राम अगरिया चोपदा, ब्लॉक सांची, तह. रायसेन-464551, मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/24/2016-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 07.09.2018
359.	पाराशर आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जिरनिया नरसिंहगढ़ रोड, परवालिया, भोपाल-462030 मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 12011/74/2016-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 23.10.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
360.	विजयश्री आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जेडीए स्कीम नं. 41/65, ग्राम बसहा रैंगवा, कचपुरा रेलवे स्टेशन के निकट, पोस्ट आफिस ग्रह मेन, जबलपुर-482003, मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 12011/01/2016-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 18.10.2018
361.	एल.एन. आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, भोपाल, जे.के. टाउन, सर्वधर्म, सी- सैक्टर, कोलार रोड, भोपाल-462042, मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/47/2016-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 10.10.2018
362.	श्री साईं इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक अनुसन्धान एवं चिकित्सा, ग्राम हिनी तुईया आलम, वार्ड न. 84, रानी अवन्ती बाई मार्ग, कोलार रोड, भोपाल-462042, मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/10/2016-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 14.09.2018
363.	भाउसाहेब मूलिक आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अनुसन्धान अस्पताल, प्लॉट	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस)



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	नं. पी-73, आर एवं सी जोन, एमआईडीसी बूटीबोरी, नागपुर-441122 महाराष्ट्र	(बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011 / 78 / 2016-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 29.09.2018
364.	डॉ. वेद प्रकाश पाटिल आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अनुसन्धान संस्थान गुट नं. 159, रेवगांव रोड, तालुक एवं जिला जलना-431203, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011 / 101 / 2016 -ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 23.10.2018
365.	स्वामी विवेकानन्द आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसन्धान केन्द्र, परगाँव, सुदरिक, श्रीगोंडा, अहमदनगर-413701, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की नहीं गई। आर- 12011 / 99 / 2016-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 11.10.2018
366.	डॉ. राजेन्द्र गोडे आयुर्वेद महाविद्यालय, अस्पताल एवं अनुसन्धान केन्द्र, मर्दी रोड, अमरावती-444602 महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011 / 45 / 2016 -ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 07.09.2018
367.	खालसा आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, ग्राम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस)	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस)



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	नांगल कलां, जिला मंसा-151505, पंजाब	पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 12011 / 103 / 2016 -ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 20.09.2018
368.	श्री सत्य आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, धनुपुरा लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड, पो.ओ. पकबाडा, मुरादाबाद-244102, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित(100 सीटों के स्थान पर)प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011 / 88 / 2016 -ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 11.10.2018
369.	कलावती आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसन्धान केन्द्र एवं अस्पताल, गोरहा, कासगंज-207123, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहितप्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011 / 80 / 2016 -ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 10.10.2018
370.	एफ.एस. आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बालाजी मन्दिर के निकट, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद-205135, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011 / 34 / 2016 -ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 06.09.2018
371.	दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, निवाडी रोड, मोदीनगर, जिला	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों के प्रवेश हेतु	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	गाजियाबाद-201204, उत्तर प्रदेश	सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/64/2016 -ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 18.10.2018
372.	दून आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, ग्राम एवं पो.ओ. सुन्दरपुर टंको, तहसील-बेहात, जिला सहारानपुर-247662, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों (100 सीटों के स्थान पर) के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/92/2016 -ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 10.10.2018
373.	ईशान आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेंटर, प्लॉट न. 1ए/1 एण्ड 1ए/2, नॉलेज पार्क-1, ग्रेटर नोएडा-201310, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/70/2016 -ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 30.10.2018
374.	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेदिक संस्थान, ग्राम कोइलाहा, पोस्ट सैयद सराया, जिला कौशाम्बी-212213, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/14/2016 -ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 31.08.2018
375.	एससीपीएम आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लखनऊ रोड, हरीपुर गौंडा-271003, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/36/2016 -ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 06.09.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
376.	एस.ए.एस. आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, रामेश्वर रोड, हरहुआ-22110 5, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/11/2016 -ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 05.10.2018
377.	संस्कृति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, 28 किमी. स्टोन, छातम मथुरा-281401, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/40/2016 -ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 26.10.2018
378.	के.वी.एस. इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसन्धान केन्द्र, मर्दापुर बक्शुपुर, गाजीपुर-27452 04 उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 12011/105/2016 -ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 17.10.2018
379.	डॉ. अनार सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेवर रोड, फतेहगढ़ जिला फर्रुखाबाद -209601, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/46/2016 -ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 29.09.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
380.	एंकैराइट आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, ग्राम परवेर पुरब, पोस्ट मोहनलालगंज, लखनऊ-226301 उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 12011/15/2016 -ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 18.09.2018
381.	भगवन्त आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, भगवन्तपुरम 17वीं मिल स्टोन, बिजनोर दिल्ली हाईवे, ग्राम कैलापुर जसमोर, तहसील जनसठ जिला मुजफ्फरनगर -251315, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/09/2016 -ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 12.10.2018
382.	भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, ग्राम कुडेना, गजरौला जे.पी. नगर अमरोहा-244235, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों (100 सीटों के स्थान पर) सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/97/2016 -ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 05.10.2018
383.	एपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हॉस्पिटल, एनएच-7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनार मिर्जापुर-231304, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 12011/89/2016 -ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 25.09.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
384.	एम.डी. आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, बाबरपुर, सिकन्दरा, आगरा – 287007, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/06/2016 –ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 08.11.2018
385.	एस.एन.एस.के आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भावराहन पाण्डेपुर राधे, गाजीपुर-233300, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 12011/84/2016 –ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 25.09.2018
386.	डब्ल्यू.टी.एम आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, ग्राम फतेहपुर माफी, पोस्ट पलौला जोया-सम्भल रोड, जिला अमरोहा –244222 उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/03/2016 –ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 05.10.2018
387.	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साईंस एण्ड रिसर्च सेन्टर, कंकहा, रायबरेली रोड, मोहन लालगंज, लखनऊ- 226301 उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/30/2016 –ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 05.10.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
388.	एस.के.एस. आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, एनएच-2, ग्राम-चाउमुहान जिला-छाता, मथुरा-281406, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/86/2016 -ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 07.09.2018
389.	बीहाईव आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सेन्द्रल होपटाउन सेलाकी, देहरादून-248197, उत्तराखण्ड	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 12011/63/2016 -ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 29.09.2018
390.	शिवालिक इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एण्ड रिसर्च, झाजरा, चकता रोड, देहरादून-248007, उत्तराखण्ड	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/56/2016 -ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 07.09.2018
391.	विशम्बर सहाय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसन्धान केन्द्र, रुड़की-247667, उत्तराखण्ड	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 12011/02/2016 -ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 16.10.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
392.	दून इन्स्टीट्यूट ऑफ (आयुर्वेद फ़ैकल्टी) मेडिकल साईंसेज, ग्राम शंकरपुर, शाहसपुर, जिला, विकासनगर, देहरादून-248197, उत्तराखण्ड	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 12011/13/2016 -ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 16.10.2018
393.	देव भूमि मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एण्ड हॉस्पिटल, नवगांव मन्डुवाला, देहरादून-248007 उत्तराखण्ड	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 12011/44/2016 ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 31.10.2018
394.	श्रीमती मंजिरा देवी आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, रूक्मणी नगर, हितानु धनारी उत्तरकाशी-249151 उत्तराखण्ड	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/81/2016 -ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 23.10.2018
395.	संत गजानन महाराजा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित एक नया आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 12011/41/2017-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 25.09.2018. 2018 का W.P. No. 11959 में माननीय उच्च न्यायालय, मुम्बई के आदेश दिनांक 02.11.2018



क्रम सख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			के अनुपालन में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित एक नया आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/41/2017-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 08.11.2018
396.	आनंद आयुर्वेद कॉलेज, फुलवाडी रोड, वैजापुर, जिला- औरंगाबाद- 423701, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित एक नया आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने हेतु अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/09/2017-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 14.09.2018.
397.	दत्ता मेघे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर वानाडोंगरी, हिंगना रोड, नागपुर- 440019, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु अनुमति पत्र सशर्त जारी करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित एक नया आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने हेतु अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/54/2017-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 05.09.2018.
398.	गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड टीचिंग हॉस्पिटल, आई. बी., के सामने, सागर रोड, शिवामोघा- 577201, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित एक नया आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
		हेतु अनुमति पत्र सशर्त जारी करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	स्थापित करने हेतु अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/60/2017-ईपी(आईएम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 04.08.2018.
399.	सी.आई.टी. आयुर्वेदिक कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, एन.एच.-30, नया रायपुर, भानपुर, जिला -रायपुर (छत्तीसगढ़)	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित एक नया आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-12011/32/2017-ईपी(आईएम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 20.09.2018.
400.	येनेपोआ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, नारीनगाना ग्राम, पोस्ट: डेरालाकाटे (मंगालूरु) तालुक: बंतवल, जिला- दिक्षिन कन्नाडा- 575018, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित एक नया आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने हेतु अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/50/2017-ईपी(आईएम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 30.09.2018.
401.	आदिचुनचानगीरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, सर्वे न.-112, नगरूरु, दासनापुरा, हुबली, नेलामंगला, बंगलुरु, कनाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित एक नया आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने हेतु अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/33/2017-ईपी(आईएम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 28.09.2018.
402.	अग्रवाल आयुर्वेद कॉलेज, पुराना पोस्ट ऑफिस	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन शैक्षिक



क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुति	वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	के पास, मेरता सिटी-341510, राजस्थान	शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	सत्र 2018-19 के लिए स्नातकीय (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों (100 सीटों के स्थान पर) की प्रवेश क्षमता सहित एक नया आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 12011/48/ 2017-ईपी(आई एम-1) 2018-19 के लिए दिनांक 29. 09.2018.
403.	ऑल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, मथुरा रोड, गौतमपुरी, सरिता विहार, गौतमपुरी आवास, बदरपुर, नई दिल्ली-110076	शैक्षिक सत्र 2019-20 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से निम्नलिखित 18 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 84 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने हेतु अनुमति प्रदान की गई:- (1) कायचिकित्सा -06 सीटें, (2) कौमारभृत्य एवं बाल रोग -06 सीटें, (3) प्रसूति एवं स्त्री रोग -06 सीटें, (4) शल्य समान्य-06 सीटें, (5) शल्य (अस्थि संधि एवं मर्मागत रोग -02 सीटें, (6) शल्य (क्षारकर्म एवं अनुशास्त्र कर्म) -02 सीटें, (7) शालाक्य (नेत्र रोग)-04 सीटें, (8) शालाक्य (शिरो, नासा, कर्ण एवं कंठ रोग)-04 सीटें, (9) शालाक्य (दंत एवं मुख रोग)-01 सीट, (10) पंचकर्म -06 सीटें, (11) रसायन एवं वाजिकरण -03 सीटें, (12) मनोविज्ञान एवं मानस रोग -02 सीटें, (13) द्रव्यगुण विज्ञान-06 सीटें, (14) रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना -06 सीटें, (15) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-06 सीटें, (16) स्वास्थ्यवृत्त एवं योग-06 सीटें, (17) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-06 सीटें एवं (18) क्रिया शारीर -06 सीटें। आर- 14011/39/ 2015-ईपी(आई एम-1) दिनांक 19 04 2018



धारा 13क के अधीन नये महाविद्यालय की स्थापना हेतु 2017-2018 में प्राप्त हुए प्रस्ताव

क्र.स	महाविद्यालय का नाम	भा.चि.के.प. की संस्तुतियां	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा जारी किया गया आशय पत्र(भारत सरकार के पत्र संख्या आर 11011/03/2017-ई.पी(आईएम-1) दिनांक 30.01.2018)
1	माधव हिल्स, बनास रिवर ब्रिज टोल, एन.एच.-27, पोस्ट ऑफिस- भर्जा, तहसील-पिन्डवारा, जिला-शिरोही-307026, राजस्थान	शैक्षिक सत्र 2018-19 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए. एम.एस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2018-19 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी नहीं किया गया। पत्र संख्या आर. 12011/07/2017- ईपी(आई. एम.-1) दिनांक 14.11.2018
2	चरक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, वी.पी.ओ. पंछी हापुर, मेरठ रोड, जिला मेरठ-245206, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2018-19 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए. एम.एस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2018-19 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी नहीं किया गया। पत्र संख्या आर. 12011/24/2017- ईपी(आई. एम.-1) दिनांक 20.09.2018
3	आनंदराव देशमुख आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, पेट इस्लामपुर-415409, महाराष्ट्र	शैक्षिक सत्र 2018-19 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए. एम.एस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2018-19 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी नहीं किया गया। पत्र संख्या आर. 12011/21/2017- ईपी(आई. एम.-1) दिनांक 05.11.2018



क्र.स	महाविद्यालय का नाम	भा.चि.के.प. की संस्तुतियां	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा जारी किया गया आशय पत्र(भारत सरकार के पत्र संख्या आर 11011/03/2017-ई.पी(आईएम-1) दिनांक 30.01.2018)
4	श्री सिद्धि विनायक आयुर्वेदिक कॉलेज, 10 कि. मी. स्टोन नैनीताल रोड, दोहना, बरेली, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2018-19 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए. एम.एस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2018-19 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी नहीं किया गया। पत्र संख्या आर. 12011/02/2017- ईपी(आई.एम.-1) दिनांक 31.10.2018
5	सी.एस. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, सिरॉन, मरेहरा रोड, जिला एटा, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2018-19 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए. एम.एस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2018-19 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी नहीं किया गया। पत्र संख्या आर. 12011/61/2017- ईपी(आई.एम.-1) दिनांक 20.09.2018
6	राज आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, जोधपुर, राजस्थान	शैक्षिक सत्र 2018-19 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए. एम.एस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई। डी.बी. स्पेशल अपील रिट (एस.ए.डब्लू) 927/2018 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय-जोधपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 28.08.2018 के अनुपालन में।	शैक्षिक सत्र 2018-19 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी नहीं किया गया। पत्र संख्या आर. 12011/70/2017- ईपी(आई.एम.-1) दिनांक 14.11.2018
7	व्यास आयुर्वेद कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, पाली रोड, कुरी के निकट, जोधपुर-342005, राजस्थान	शैक्षिक सत्र 2018-19 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए. एम.एस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2018-19 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी नहीं किया गया।



क्र.स	महाविद्यालय का नाम	भा.चि.के.प. की संस्तुतियां	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा जारी किया गया आशय पत्र(भारत सरकार के पत्र संख्या आर 11011/03/2017-ई.पी(आईएम-1) दिनांक 30.01.2018)
		डी.बी. स्पेशल अपील रिट (एस.ए.डब्लू) 1335/2018 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय-जोधपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 28.08.2018 के अनुपालन में।	पत्र संख्या आर. 12011/73/2017- ईपी(आई.एम.-1) दिनांक 14.11.2018
8	एम.डी. मिशन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, नया गांव, रावत भाटा रोड, कोटा-324005, राजस्थान	शैक्षिक सत्र 2018-19 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों (महाविद्यालय का प्रस्ताव 100 सीटों के लिए था परन्तु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सम्बद्धता की सहमति 60 सीटों के लिए थी) सहित एक नया आयुर्वेदमहाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई। डी.बी. स्पेशल अपील रिट (एस.ए.डब्लू) 1444/2018 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय-जोधपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 28.08.2018 के अनुपालन में।	शैक्षिक सत्र 2018-19 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी नहीं किया गया। पत्र संख्या आर. 12011/78/2017- ईपी(आई.एम.-1) दिनांक 14.11.2018
9	एस.एस. आयुर्वेदिक कॉलेज ऑफ मेडिकल साइन्स, वी. पी.ओ. रुन्दल, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर-303805, राजस्थान	शैक्षिक सत्र 2018-19 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई। डी.बी. स्पेशल अपील रिट (एस.ए.डब्लू) 1444/2018 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय-जोधपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 28.08.2018 के अनुपालन में।	शैक्षिक सत्र 2018-19 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी नहीं किया गया। पत्र संख्या आर. 12011/69/2017- ईपी(आई.एम.-1) दिनांक 14.11.2018
10	नाथवाडा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, उपाली उडन, नाथवाडा, जिला राजसामंद-313301, राजस्थान	शैक्षिक सत्र 2018-19 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों (महाविद्यालय का प्रस्ताव 100 सीटों के लिए था परन्तु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सम्बद्धता की सहमति 60	शैक्षिक सत्र 2018-19 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी नहीं किया गया।



क्र.स	महाविद्यालय का नाम	भा.चि.के.प. की संस्तुतियां	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा जारी किया गया आशय पत्र(भारत सरकार के पत्र संख्या आर 11011/03/2017-ई.पी(आईएम-1) दिनांक 30.01.2018)
		सीटों के लिए थी) सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई। डी.बी. स्पेशल अपील रिट (एस.ए.डब्लू) 1420/2018 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय-जोधपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 28.08.2018 के अनुपालन में।	पत्र संख्या आर. 12011/79/2017- ईपी(आई.एम.-1) दिनांक 14.11.2018
11	मर्चेन्ट आयुर्वेद कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, पोस्ट बासना, मेहसाना- विसनगर हाईवे, जिला मेहसाना, गुजरात	शैक्षिक सत्र 2018-19 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई। एस.सी.ए. न0. 10523/2018 में माननीय उच्च न्यायालय गुजरात- अहमदाबाद, द्वारा जारी आदेश दिनांक 09.08.2018 के अनुपालन में।	शैक्षिक सत्र 2018-19 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी नहीं किया गया। पत्र संख्या आर. 12011/46/2017- ईपी(आई.एम.-1) दिनांक 27.12.2018



यूनानी चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता

केन्द्र सरकार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सीय केन्द्रीय परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त दूसरी अनुसूची में, "यूनानी" संबंधी भाग-2 में, शीर्षक "महाराष्ट्र" के अधीन, कम संख्यांक 11ख के सामने उस संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् स्तंभ 3, 4 और 5 में निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी अर्थात्:-

विश्वविद्यालय, बोर्ड या चिकित्सीय संस्था का नाम	अधिसूचना संख्या एवं तिथि	उपाधि का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में उपाधि को सम्मिलित करने हेतु अधिसूचना
1.	2.	3.	4.
मुम्बई विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र	का.आ. 5480(अ)	<p>"माहिर-ए-तिब (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) एम.डी. (यूनानी)</p> <p>'माहिर-ए-जराहत' (मास्टर ऑफ सर्जरी) एम.एस. (यूनानी)</p>	<p>1 जनवरी, 2007 से 31 दिसंबर, 2010 तक -</p> <p>यदि उन छात्रों को प्रदान की गई है जिन्हें केन्द्रीय सरकार की अनुमति से निम्नलिखित कॉलेज में प्रवेश दिया गया था अर्थात् :-</p> <p>अंजुमन-ए-इस्लाम के डॉ. एम. इसहाक जमखानावाला तिब्बिया यूनानी मेडिकल कॉलेज और हाजी ए.आर. कालेस्कर तिब्बिया हॉस्पिटल, 60 यारी रोड़, बरसोवा, अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई - 400061 (एमएस.)"</p>



उक्त अनुसूची में, भाग-2 में "उत्तर प्रदेश" शीर्षक के अधीन "यूनानी" से संबंधित, क्रम संख्यांक 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी अर्थात्:-

विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना संख्या एवं तिथि	उपाधि का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में उपाधि को सम्मिलित करने हेतु अधिसूचना
1.	2.	3.	4.
"26 लखनऊ विश्वविद्यालय	का.आ. 873(अ) दिनांक 14.02.2019	कामिल-ए-तिब-ओ-जराहत (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी) बी.यू.एम.एस. (यूनानी)	2008 से आगे, यदि उन छात्रों को प्रदान की गई हों, जिन्हें निम्नलिखित कॉलेज में, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या केन्द्र सरकार की अनुमति से प्रवेश दिया गया था, अर्थात् :- (i) स्टेट तकमील-उत-तिब कॉलेज और अस्पताल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश; (ii) डॉ. अब्दुल अली तिब्बिया कॉलेज और अस्पताल, कतौली, मलीहाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश; (iii) हयात यूनानी चिकित्सा कॉलेज और अनुसंधान केन्द्र, हरदोई रोड़, काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।"



उक्त दूसरी अनुसूची के, "यूनानी"संबंधी भाग 2 में, "कर्नाटक" शीर्षक के अधीनकम संख्या15ख के सामने स्तम्भ 4में की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:-

विश्वविद्यालय, का नाम	अधिसूचना संख्या एवं तिथि	उपाधि का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में उपाधि को सम्मिलित करने हेतु अधिसूचना
1.	2.	3.	4.
"राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसेज, कर्नाटक, बंगलूरु	का.आ. 3655(अ) दिनांक 25.07. 2018	माहिर-ए-तिब / माहिर-ए-जराहत (एम.डी. / एम.एस.यूनानी)	"वर्ष 2008 से आगे, यदि उन छात्रों को प्रदान की गई हो जिन्हें भारत सरकार की अनुज्ञा से निम्नलिखित महाविद्यालय में प्रवेश दिया गया था, अर्थात् :- राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, कोट्टिगे पल्या, मगदी, मेन रोड़, बंगलौर-560091"



स्नातकीय / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु प्रस्ताव

कसं	महाविद्यालय का नाम	प्रस्ताव	संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय
1	स्टेट तकमिल-उत-तिब कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ -266001 (उ.प्र.)	स्नातकीय बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 40 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु।	स्नातकीय बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 40 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु वर्तमानस्नातकीय बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 40 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी किया गया। पत्र संख्या ओ.-14014/41/2019 - ई.पी.-1, ओ.-14013/5/2018 - ई.पी.-1 तथा ओ.-14015/04/2018 - ई.पी.-1 दिनांक 18.06.2019
2	इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल जलगांव-2262610, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन वर्तमानस्नातकीय बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु।	वर्तमान स्नातकीय बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु वर्तमानस्नातकीय बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी किया गया। पत्र संख्या ओ.-14014/26/2019 - ई.पी.-(1) तथा ओ.-14013/4/2018 - ई.पी.-(1) दिनांक 12.06.2019
3	अल-फारुक यूनानी मेडिकल कॉलेज, इन्दौर, म.प्र.	स्नातकीय बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 100 सीटों (अतिरिक्त 50 सीटें) की वृद्धि हेतु।	वर्तमान स्नातकीय बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 100 सीटों (अतिरिक्त 50 सीटें) की वृद्धि हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु वर्तमानस्नातकीय बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी नहीं किया गया। पत्र संख्या ओ.-14014/49/2019 - ई.पी.-(1) दिनांक 13.07.2019



नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु प्रस्ताव

क. सं.	महाविद्यालय का नाम	प्रस्ताव	संस्तुतियाँ	भारत सरकार का निर्णय
1	स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, इलाहाबाद-211003 (उत्तर प्रदेश)	निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु:- 1. माहिर-ए -जराहत एन उज़न अन्फ वा हलक 2. इलाज बित तद्बीर प्रत्येक विषय में 02 सीटों सहित।	स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, इलाहाबाद, (उत्तर प्रदेश) को निम्नलिखित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए अनुशंसा की गई:- 1. माहिर-ए -जराहत एन उज़न अन्फ वा हलक 2. इलाज बित तद्बीर प्रत्येक विषय में 02 सीटों सहित।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनुमति पत्र जारी किया गया:- 1. उज़न अन्फ वा हलक में माहिर-ए -जराहत 2. इलाज बित तद्बीर में माहिर-ए - तिब प्रत्येक विषय में 02 सीटों सहित। पत्र संख्या ओ.-14014/52/2019 - ई.पी.- (1) दिनांक 20.06.2019
2	अजमल खान तिब्बिया कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)	निम्नलिखित 04नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु:- 1. मुनाफेउल-आज़ा 2. इलाज बित तद्बीर 3. अमराजे ज़िल्द वा तजीनियत 4. इल्मुल सैदला (सैदला विभाग) प्रत्येक विषय में 04 सीटों सहित।	निम्नलिखित नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए अनुशंसा की गई:- 1. मुनाफेउल-आज़ा 2. इलाज बित तद्बीर 3. अमराजे ज़िल्द वा तजीनियत 4. इल्मुल सैदला (सैदला विभाग) प्रत्येक विषय में 04 सीटों सहित।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनुमति पत्र जारी किया गया:- 1. मुनाफेउल-अज़ा 2. इलाज बित तद्बीर 3. अमराजे ज़िल्द वा तजीनियत 4. इल्मुल सैदला (सैदला विभाग) प्रत्येक विषय में 04 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित। पत्र संख्या ओ.-14014/5/2018 - ई.पी.- (1) तथा ओ.- 14014/8/2018 - ई.पी.- (1) दिनांक 15.10.2019
3	स्टेट तकमिल-उत-तिब कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ -266001 (उ.प्र.)	निम्नलिखित 02नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु:- 1. तहफुज्जी-वा-समाजी- तिब 2. तशरीहुल बदन प्रत्येक विषय में 02 सीटों सहित।	निम्नलिखित 02 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए अनुशंसा की गई:- 1. तहफुज्जी-वा-समाजी- तिब 2. तशरीहुल बदन प्रत्येक विषय में 02 सीटों सहित।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित 02नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनुमति पत्र जारी किया गया:- 1. तहफुज्जी-वा-समाजी-तिबएवं 2. तशरीहुल बदन प्रत्येक विषय में 02 सीटों सहित। पत्र संख्या ओ.-14014/41/2019 - ई.पी.- (1) तथा ओ.- 14013/5/2018 - ई.पी.- (1) दिनांक 18.06.2019



महाविद्यालयों का परिदर्शन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार को अनुशंसा भेजने के लिए निम्नलिखित यूनानी महाविद्यालयों का परिदर्शन किया:-

क्र.सं.	संस्था का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
1.	गर्वमेंट निजामिया तिब्बिया कॉलेज, हैदराबाद-50000 (आन्ध्र प्रदेश)	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 75 सीटों सहित प्रवेश हेतु तथा निम्नलिखित 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 36 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. इलमुल अदविया - 06 सीटें 2. कुलियात - 05 सीटें 3. मोआलीजात- 10 सीटें 4. इलमुल कबालात वा अमराजे निस्वां - 10 सीटें 5. तहफफुजी वा समाजी तिब्ब -05 सीटें।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 75 सीटों हेतु एवं निम्नलिखित 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 36 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई :- 1. मोआलाजात- 10 सीटें 2. इलमुल अदविया -06 सीटें 3. इलमुल कबालात वा अमराजे निस्वां - 10 सीटें 4. तहफफुजी वा समाजी तिब्ब -05 सीटें 5. कुलियात - 05 सीटें पत्र संख्या आर.-17012/01/2018 -ईपी(आई एम-1) दिनांक 10.08.2018
2.	डॉ0 अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज, कुरनूल-518001 (आन्ध्र प्रदेश)	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर. 17012/02/2018- ईपी(आई एम-1) दिनांक 26.10.2018
3.	गर्वमेंट तिब्बिया कॉलेज, पटना-800003 (बिहार)	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर. 17012/03/2018- ईपी (आई एम-1) दिनांक 04.08.2018
4.	जुलफिकर हैदर यूनानी मेडिकल कॉलेज, सिवान-841226 (बिहार)	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर.17012/04/2018- ईपी (आई एम-1) दिनांक 14.09.2018



क.सं.	संस्था का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
5.	निजामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज, गया-823003(बिहार)	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर. 17012/06/2018-ईपी(आई एम-1) दिनांक 07.09.2018
6.	मोहसिन-ए-मिल्लत यूनानी मेडिकल कॉलेज, रायपुर-492001	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 सीटों हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित प्रवेश लेने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर.17012/07/2018-ईपी(आई एम-1) दिनांक 24.09.2018
7.	आयुर्वेद एण्ड यूनानी तिब्बिया कॉलेज, करोल बाग, नई दिल्ली-110005	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित प्रवेश हेतु तथा निम्नलिखित 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 10 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. मोआलाजात - 03 सीटें 2. इलमुल सैदला - 03 सीटें 3. इलमुल कबालात वा अमराजे निस्वां - 02 सीटें 4. मुनाफे उल आज़ा - 02 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 10 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई :- 1. मोआलाजात - 03 सीटें 2. इलमुल सैदला - 03 सीटें 3. इलमुल कबालात वा अमराजे निस्वां - 02 सीटें 4. मुनाफे उल आज़ा - 02 सीटें। पत्र संख्या आर. 17012/12/2018-ईपी(आई एम-1) दिनांक 10.08.2018
8.	फैकल्टी ऑफ मेडीसिन (यू), जामिया हमदर्द, नई दिल्ली-110062	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में तथा निम्नलिखित 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. मोआलाजात - 03 सीटें 2. इलमुल अदविया - 03 सीटें 3. तहफफुजी वा समाजी तिब्ब -03 सीटें।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई :- 1. मोआलाजात - 03 सीटें 2. इलमुल अदविया - 03 सीटें 3. तहफफुजी वा समाजी तिब्ब -03 सीटें। पत्र संख्या आर.17012/09/2018-ईपी(आई एम-1) दिनांक 07.09.2018



क.सं.	संस्था का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
9.	इन्स्टीट्यूट ऑफ एशियन मेडिकल साईंसिज, श्री नगर-190001 जम्मू एण्ड कश्मीर	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई :- पत्र संख्या आर.17012/10/2018—ईपी(आई एम-1) दिनांक 05.10.2018
10.	गर्वमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज, बंगलौर-560079, कर्नाटक	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित तथा स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 10 अतिरिक्त सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित तथा स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 10 अतिरिक्त सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर.17012/12/2018—ईपी(आई एम-1) दिनांक 04.08.2018
11.	सैफिया हमीदिया यूनानी कॉलेज, बुरहानपुर- 450331 म.प्र.	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर. 17012/16/2018—ईपी(आई एम-1) दिनांक 13.09.2018
12.	अल-फारुक यूनानी मेडिकल कॉलेज, इन्दौर- 452001	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित प्रवेश लेने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र संख्या आर. 17012/17/2018—ईपी(आई एम-1) दिनांक 24.09.2018
13.	हकीम सैय्यद जिया उल हसन गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल, भोपाल- 462003 (मध्य प्रदेश)	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर. 17012/18/2018—ईपी(आई एम-1) दिनांक 27.07.2018



क.सं.	संस्था का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
14.	अब्दुल हमीद यूनानी मेडिकल कॉलेज, देवास-455001 (मध्य प्रदेश)	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर. 17012 / 19 / 2018-ईपी(आई एम-1) दिनांक 13.09.2018
15.	अंजुमन-इस्लाम जामखानावाला (एमआईजे) तिब्बिया यूनानी मेडिकल कॉलेज, मुम्बई-400061, (महाराष्ट्र)	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर. 17012 / 20 / 2018-ईपी(आई एम-1) दिनांक 13.08.2018
16.	मोहम्मदिया तिब्बिया कॉलेज, मालेगांव-423203, जिला नासिक, महाराष्ट्र	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों तथा निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 04 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. इलमुल कबालात वा अमराजे निस्वां - 02 सीटें 2. इलमुल अदविया- 02 सीटें।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों तथा निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 04 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- 1. इलमुल कबालात वा अमराजे निस्वां - 02 सीटें 2. इलमुल अदविया- 02 सीटें। पत्र संख्या आर. 17012 / 21 / 2018-ईपी(आई एम-1) दिनांक 17.08.2018
17.	जुलेखाबाई वली मोहम्मद यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, पुणे-411001 (महाराष्ट्र)	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों तथा निम्नलिखित 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 17 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. तहफफुजी वा समाजी तिब्ब 06-सीटें। 2. मोआलाजात - 06 सीटें 3. इलमुल जराहत - 03 सीटें 4. इलमुल कबालात वा अमराजे निस्वां - 02 सीटें।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों तथा निम्नलिखित 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 17 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- 1. तहफफुजी वा समाजी तिब्ब -06 सीटें 2. मोआलाजात -06 सीटें 3. इलमुल जराहत -03 सीटें 4. इलमुल कबालात व अमराजे निस्वां -02 सीटें पत्र संख्या आर. 17012 / 24 / 2018-ईपी(आई एम-1) दिनांक 14.09.2018



क.सं.	संस्था का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
18.	राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज, जयपुर-302031 (राजस्थान)	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 40 सीटों सहित अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र संख्या आर. 17012/26/2018-ईपी(आई एम-1) दिनांक 05.10.2018
19.	गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज, तमिलनाडु-600106 चेन्नई	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर.17012/27/2018-ईपी (आई एम-1) दिनांक 04.08.2018
20.	इबने-सीना तिब्बिया कॉलेज, आजमगढ़ - 276305 (उत्तर प्रदेश)	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर.17012/31/2018-ईपी(आई एम-1) दिनांक 10.10.2018
21.	शाम-ए-गौसिया मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर -233302 (उत्तर प्रदेश)	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर.17012/35/2018-ईपी(आई एम-1) दिनांक 14.09.2018
22.	कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज, कोलकाता - 700016 (पश्चिम बंगाल)	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर.17012/37/2018-ईपी(आई एम-1) दिनांक 13.09.2017
23.	यूनुस फजलानी मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद-431103 (महाराष्ट्र)	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर. 12012/02/2008-ईपी(आई एम-1) दिनांक 14.09.2018



क.सं.	संस्था का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
24.	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कॉलेज, सम्भल, मुरादाबाद-244302 (उत्तर प्रदेश)	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर.12012/02/2012-ईपी(आई एम-1) दिनांक 13.09.2018
25.	गौसिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, देवमाई, फतेहपुर-212657, (उत्तर प्रदेश)	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर.12012/05/2013-ईपी(आई एम-1) दिनांक 14.09.2018
26.	अल-आरिफ यूनानी मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद, तेलंगाना-500059	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 100 सीटों सहित अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र संख्या आर. 12012/02/2013- ईपी(आई एम-1) दिनांक 17.10.2018
27.	उत्तरांचल यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, हरिद्वार, उत्तराखण्ड	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर.12012/05/2014-ईपी(आई एम-1) दिनांक 18.09.2018
28.	मरकज यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, केरल	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 60 सीटों सहित अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र संख्या आर.12012/04/2014 - ईपी(आई एम-1) दिनांक 17.10.2018
29.	विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ यूनानी बाघीखाना टोंक, राजस्थान	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर.12012/01/2015-ईपी(आई एम-1) दिनांक 04.09.2018



क्र.सं.	संस्था का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
30.	ग्लोकल यूनानी मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों के स्थान पर 60 सीटों हेतु भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित (100 सीटों के स्थान पर) सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर.12012/03/2015-ईपी(आई एम-1) दिनांक 05.10.2018
31.	सूफिया यूनानी मेडिकल कॉलेज, बारह चकिया, पूर्व चम्पारन, बिहार	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर.12012/01/2011 - ईपी(आई एम-1) दिनांक 14.09.2018
32.	रहबर आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कॉलेज, संगरूर, पंजाब	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर.12012/04/2015-ईपी(आई एम-1) दिनांक 07.09.2018
33.	हयात यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेंटर, काकोरी, लखनऊ (उ.प्र.)	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 60 सीटों सहित अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र संख्या आर.12012/01/2016 - ईपी(आई एम-1) दिनांक 09.11.2018
34.	इनामदार यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, गुलबर्गा, कर्नाटक	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 60 सीटों सहित अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र संख्या आर.12012/03/2016-ईपी(आई एम-1) दिनांक 08.11.2018



क्र.सं.	संस्था का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
35.	संस्कृति यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, मथुरा रोड़, छाता, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों पर 60 सीटों के स्थान पर, सहित सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु संस्कृति यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, मथुरा रोड़, छाता, उत्तर प्रदेश स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में को 100 सीटों के स्थान पर 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर. 12012/07/2013-ईपी(आई एम-1) दिनांक 23.10.2018
36.	स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर.17012/29/2016-ईपी(आई एम-1) दिनांक 04.08.2018
सत्र 2016-17 से सत्र 2020-21 तक 5 वर्षों के लिए अनुमति प्राप्त महाविद्यालय			
37.	सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, पोस्ट लहरियासराय, जिला - दरभंगा-846001	शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	05 वर्ष (सत्र 2016-17 से 2020-21 तक) से अनधिक अवधि के लिए 50 सीटों सहित (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर.17012/05/2016-ईपी(आई एम-1) दिनांक 16.09.2018
38.	कश्मीर तिब्बिया कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, जम्मू एण्ड कश्मीर	05 वर्ष हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 से 60 सीटों सहित अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई। स्नातकीय पाठ्यक्रम - 40 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई।	05 वर्ष (सत्र 2015-16 से 2019-20 तक) से अनधिक अवधि के लिए 60 सीटों सहित (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर.17012/11/2015-ईपी(आई एम-1) दिनांक 21.07.2015
39.	लुकमान मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, बीजापुर, कर्नाटक	शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु 60 स्नातकीय सीटों तथा निम्नलिखित विषयों में स्नातकोत्तर हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. अमराजे निस्वां वा कबालत - 03 सीटें 2. मोआलिजात -04 सीटें।	05 वर्ष (सत्र 2016-17 से 2020-21 तक) से अनधिक अवधि के लिए 60 स्नातकीय सीटों तथा निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 07 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई:- 1. मोआलिजात -04 सीटें। 2. अमराजे कबालत वा निस्वां - 03 सीटें। पत्र संख्या आर.17012/13/2016-ईपी(आई एम-1) दिनांक 23.09.2016



क.सं.	संस्था का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
40.	टीपू सूल्तान यूनानी मेडिकल कॉलेज, गुलबर्गा, कर्नाटक	शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	05 वर्ष (सत्र 2016-17 से 2020-21 तक) से अनधिक अवधि के लिए 60 सीटों सहित (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर.17012/14/2016-ईपी(आई एम-1) दिनांक 22.10.2016
41.	एच.एम.एस. मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, टुमकुर, कर्नाटक	शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	05 वर्ष (सत्र 2016-17 से 2020-21 तक) से अनधिक अवधि के लिए 40 सीटों सहित (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर.17012/15/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.09.2016
42.	नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बंगलौर, कर्नाटक	निम्नलिखित हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. मोआलिजात -08 सीटें 2. इलमुलकबालत ओ अमराजे निस्वां -07 सीटें 3. तहपफुजी वा समाजी तिब्ब -06 सीटें 4. इलमुल अदविया -08 सीटें 5. इलमस सैदला -04 सीटें 6. इलाज बिद तदबीर -05 सीटें 7. इलमुल ज़राहत -04 सीटें परंतु कुल्लियात में स्नातकोत्तर हेतु अनुशंसा नहीं की गई।	05 वर्ष (सत्र 2016-17 से 2020-21 तक) से अनधिक अवधि के लिए निम्नलिखित 08 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 47 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई:- 1. मोआलिजात -08 सीटें 2. इलमुलकबालत ओ अमराजे निस्वां -07 सीटें 3. तहपफुजी वा समाजी तिब्ब - 07 सीटें 4. इलमुल अदविया - 08 सीटें 5. कुल्लियात उमूरे तबिया -04 सीटें 6. इलमस सैदला -04 सीटें 7. ज़राहत -04 सीटें 8. इलाज बिद तदबीर -05 सीटें पत्र संख्या आर.14012/05/2004 - ईपी(आई एम-1) 2016 -17 हेतु दिनांक 16.09.2016
43.	अहमद गरीब यूनानी मेडिकल कॉलेज, अक्कल कुआँ, महाराष्ट्र	सत्र 2016-17 हेतु 50 सीटों सहित 50 स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	05 वर्ष (सत्र 2015-16 से 2019-20 तक) से अनधिक अवधि के लिए 50 सीटों सहित बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर. 17012/22/2015-ईपी(आई एम-1) दिनांक 17.07.2015
44.	इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, जलगांव, महाराष्ट्र	सत्र 2016-17 हेतु 50 सीटों सहित वर्तमान स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	05 वर्ष (सत्र 2016-17 से 2020-21 तक) से अनधिक अवधि के लिए 50 सीटों सहित बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर. 17012/23/2016-ईपी(आई एम-1) दिनांक 20.09.2016
45.	राजपुताना यूनानी तिब्बिया कॉलेज, जयपुर-(राजस्थान)	सत्र 2016-17 हेतु 50 सीटों सहित वर्तमान स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	05 वर्ष (सत्र 2016-17 से 2020-21 तक) से अनधिक अवधि के लिए 50 सीटों सहित बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर. 17012/25/2016-ईपी(आई एम-1) दिनांक 02.09.2016



क.सं.	संस्था का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
46.	स्टेट तकमिल-उत-तिब कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ (उ.प्र.)	सत्र 2016-17 हेतु 40 सीटों सहित वर्तमान स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	05 वर्ष (सत्र 2016-17 से 2020-21 तक) से अनधिक अवधि तक के लिए 40 सीटों सहित बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर. 17012/28/2016-ईपी(आई एम-1) दिनांक 05.10.2016
47.	जामिया तिब्बिया देवबंद, देवबंद, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)	05 वर्ष (सत्र 2015-16 से 2019-20 तक) से अनधिक अवधि तक के लिए 60 सीटों सहित वर्तमान स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु एवं मोआलाजात में स्नातकोत्तर-04 सीटों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	05 वर्ष (सत्र 2015-16 से 2019-20 तक) से अनधिक अवधि तक के लिए 60 सीटों सहित बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम हेतु एवं मोआलाजात में स्नातकोत्तर-04 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर. 17012/30/2015-ईपी(आई एम-1) दिनांक 15.07.2015
48.	देवबंद यूनानी मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	05 वर्ष (सत्र 2015-16 से 2019-20 तक) हेतु 40 सीटों सहित वर्तमान स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु एवं निम्नलिखित 04 विषयों में स्नातकोत्तर हेतु प्रत्येक में 02 सीटों सहित अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. मोआलाजात 2. मुनाफे उल अज़ा 3. इलमुल कबालत वा अमराज़े निस्वां एवं 4. इलमुल ज़राहत	05 वर्ष (सत्र 2015-16 से 2019-20 तक) से अनधिक अवधि तक के लिए 40 सीटों सहित बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम हेतु एवं निम्नलिखित 04 विषयों में प्रत्येक में 02 सीटों सहित अनुमति प्रदान की गई:- 1. मोआलाजात 2. मुनाफे उल अज़ा 3. इलमुल कबालत वा अमराज़े निस्वां एवं 4. इलमुल ज़राहत पत्र संख्या आर. 17012/32/2015- ईपी(आई एम-1) दिनांक 17.09.2015
		वर्तमान स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 से 60 सीटों की प्रवेश क्षमता बढ़ाने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	वर्तमान स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 40 से 60 सीटों की प्रवेश क्षमता बढ़ाने हेतु अनुमति पत्र जारी किया गया। पत्र संख्या आर.13012/07/2014-ईपी(आई एम-1) दिनांक 15.10.2015
49.	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)	सत्र 2016-17 हेतु 60 सीटों सहित वर्तमान स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु एवं निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 10 सीटों की अनुमति हेतु भारत सरकार को अनुशंसा की गई:- 1. तहफफुज़ी वा समाजी तिब्ब- 05 सीटें 2. कुलियात -05 सीटें	05 वर्ष (सत्र 2016-17 से 2020-21 तक) से अनधिक अवधि तक के लिए 60 सीटों सहित बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम हेतु एवं निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 10 सीटों की अनुमति प्रदान की गई:- 1. हिफज़ने सेहत वा तहफफुज़ी वा समाजी तिब्ब- 05 सीटें एवं 2. कुलियात -05 सीटें पत्र संख्या आर.17012/33/2016-ईपी(आई एम-1) दिनांक 13.10.2016



क.सं.	संस्था का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
50.	अलीगढ़ यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, अलीगढ़ –(उत्तर प्रदेश)	सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अनुमति प्रदान न करने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	05 वर्ष (सत्र 2016-17 से 2020-21 तक) से अनधिक अवधि तक के लिए स्नातकीय में 60 सीटों सहित बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम हेतु एवं निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 08 सीटों की अनुमति प्रदान की गई:- 1. कुलियात –04 सीटें 2. मोआलाजात –04सीटें पत्र संख्या आर. 17012 / 34 / 2016-ईपी(आई एम-1) दिनांक 27.10.2016
51.	ईरम यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	सत्र 2016-17 हेतु 60 सीटों सहित वर्तमान स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	05 वर्ष (सत्र 2016-17 से 2020-21 तक) से अनधिक अवधि तक के लिए 60 सीटों सहित बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर. 12012 / 01 / 2005-ईपी(आई एम-1) 2016 -17 हेतु दिनांक 06.09.2016
52.	डॉ0 अब्दुल अली तिब्बिया कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, मालीयाबाद, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान न करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	05 वर्ष (सत्र 2016-17 से 2020-21 तक) से अनधिक अवधि तक के लिए 50 सीटों सहित बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर. 12012 / 02 / 2006-ईपी(आई एम-1) 2016-17 हेतु दिनांक 25.10.2016
53.	अजमल खान तिब्बिया कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)	सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं एम.डी. पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान न करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की गई।	05 वर्ष (सत्र 2016-17 से 2020-21 तक) से अनधिक अवधि तक के लिए 60 सीटों सहित स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) एवं निम्नलिखित 06 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 16 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई:- 1. मोआलाजात –04 सीटें 2. इलमुल अदविया –04 सीटें 3. कबालात वा निस्वां – 01 सीट 4. तहपफुज़ी वा समाजी तिब्ब – 01 सीट 5. कुलियात –04 सीटें 6. इलमुल जराहत –02 सीटें पत्र संख्या आर. 17012 / 36 / 2016-ईपी(आई एम-1) दिनांक 09.09.2016



सिद्ध महाविद्यालयों का परिदर्शन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने वर्ष 2018-19 हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग के अधीन भारत सरकार को अनुशंसाएं भेजने के लिए निम्नलिखित सिद्ध महाविद्यालयों का परिदर्शन आयोजित किया:-

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	भारत सरकार को भा.चि.के. प. की संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय
1	सान्थिगिरि सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, पो.ओ. कोलियाकोडे, तिरुवनन्तपुरम, केरल	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय बी.एस.एम.एस पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु प्रवेश के लिए सशर्त अनुमति हेतु भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.एस.एम.एस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। 2018-19 हेतु पत्र संख्या आर-17013/01/2018 -ईपी(आई एम-1) दिनांक 29.09.2018
2	ए.टी.एस.वी.एस. सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पुडुक्काडई, कन्याकुमारी, (तमिलनाडु)	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय बी.एस.एम.एस पाठ्यक्रम में 40 सीटों हेतु प्रवेश के लिए सशर्त अनुमति हेतु भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.एस.एम.एस) पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। 2018-19 हेतु पत्र संख्या आर-17013/04/2018 -ईपी (आई एम-1) दिनांक 20.09.2018
3	गवर्नमेंट सिद्ध मेडिकल कॉलेज, पलायमकोट्टई, तिरुनेलवेली (तमिलनाडु)	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय अर्थात् बी.एस.एम.एस पाठ्यक्रम में 100 सीटों के लिए तथा स्नातकोत्तर अर्थात् एम.डी. (सिद्ध) में निम्नलिखित 60 सीटों (6 विशिष्टताओं में) हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई:- 1. मरुथुवम -10 सीटें 2. गुणपाडम -10 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.एस.एम.एस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों के लिए तथा स्नातकोत्तर एम.डी. (सिद्ध) में निम्नलिखित 60 सीटों (6 विशिष्टताओं में) हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- 1. मरुथुवम -10 सीटें 2. गुणपाडम -10 सीटें 3. सिरप्पू मरुथुवम -10 सीटें 4. कुझान्थै मरुथुवम -10 सीटें 5. नोई नाडल -10 सीटें



क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	भारत सरकार को भा.चि.के. प. की संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय
		3.सिरप्पू मरुथुवम-10 सीटें 4. कुझान्थै मरुथुवम -10 सीटें 5.नोई नाडल -10 सीटें 6. नन्जू नूलम मरुथ्वा नीथि नूलम -10 सीटें	7. नन्जू नूलम मरुथ्वा नीथि 8. नूलम -10 सीटें 2018-19 हेतु पत्र संख्या आर-17013/03/2018-ईपी(आई एम-1) दिनांक 04.09.2018
4	शिवराज सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, सलेम, तमिलनाडु	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय बी.एस.एम.एस पाठ्यक्रम में 50 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.एस.एम.एस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। 2018-19 हेतु पत्र संख्या आर-12013/01/2008-ईपी (आई एम-1) दिनांक 24.09.2018
5	मारिया सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, कन्याकुमारी, तमिलनाडु	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय बी.एस.एम.एस पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.एस.एम.एस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। 2018-19 हेतु पत्र संख्या आर-12013/01/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 29.09.2018
6	जे.एस.ए. मेडिकल कॉलेज फॉर सिद्ध एण्ड रिसर्च सेंटर, पाली विलेज, एन.एच. 45, उलुन्दुरपेट, विल्लुपुरम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय बी.एस.एम.एस पाठ्यक्रम में 60 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन सत्र 2018-19 हेतु स्नातकीय (बी.एस.एम.एस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। 2018-19 हेतु पत्र संख्या आर-12013/01/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 19.09.2018



महाविद्यालयों का परिदर्शन

निम्नलिखित सिद्ध महाविद्यालयों को भारत सरकार द्वारा पांच वर्षों की अनुमति प्रदान की गई।

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	भारत सरकार को भा.चि.के. प. की संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय
1	वेलुमाइलु सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीपेरमबुदूर, तमिलनाडु	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय बी.एस.एम.एस पाठ्यक्रम में 40 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय बी.एस.एम.एस पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित पांच वर्ष के लिए अनुमति प्रदान की गई। 2016-17 हेतु पत्र संख्या आर-17013/06/2016-ईपी(आई एम-1) दिनांक 25.10.2016
2	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु स्नातकोत्तर अर्थात् एम.डी. (सिद्ध) पाठ्यक्रममें प्रवेश हेतु 46 सीटों (6 विशिष्टताएं) के लिए सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई:- 1. मरुथुवम -08 सीटें 2. गुणपाडम -08 सीटें 3. सिरापू मरुथुवम-08सीटें 4. कुझान्थै मरुथुवम -08 सीटें 5. नोई नाडल -07 सीटें 6. नन्जू नूलम मरुथुवम नीथि नूलम-07 सीटें	शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु निम्नलिखित 46 सीटों (6 विशिष्टताओं में) हेतु पांच वर्ष के लिए अनुमति प्रदान की गई:- 1. मरुथुवम -08 सीटें 2. गुणपाडम -08 सीटें 3. सिरापू मरुथुवम-08सीटें 4. कुझान्थै मरुथुवम -08 सीटें 5. नोई नाडल -07 सीटें 6. नन्जू नूलम मरुथुवम नीथि नूलम-07 सीटें 2016-17 हेतु पत्र संख्या आर-14013/01/2004-ईपी(आई एम-1) दिनांक 05.10.2016
3	गवर्नमंट सिद्ध मेडिकल कॉलेज, अरिनगनर अन्ना हॉस्पिटल कैम्पस, अरुम्बाक्कम, चैन्नई -106 (तमिलनाडु)	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय अर्थात् बी.एस.एम.एस पाठ्यक्रम में 60 सीटों के लिए तथा स्नातकोत्तर अर्थात् एम.डी.(सिद्ध) में निम्नलिखित 34 सीटों (5 विशिष्टताओं में) हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.एस.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के लिए तथा स्नातकोत्तर एम.डी.(सिद्ध) में निम्नलिखित 34 सीटों (5 विशिष्टताओं में) हेतु पांच वर्ष के लिए अनुमति प्रदान की गई:-



क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	भारत सरकार को भा.चि.के. प. की संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय
		भारत सरकार को संस्तुति की गई:- 1. मरुथुवम -10 सीटें 2. गुणपाडम -10 सीटें 3. सिरापू मरुथुवम-05 सीटें 4. कुझान्थै मरुथुवम -05 सीटें 5. नोई नाडल -04 सीटें	1. मरुथुवम -10 सीटें 2. गुणपाडम -10 सीटें 3. सिरापू मरुथुवम-05 सीटें 4. कुझान्थै मरुथुवम -05 सीटें 5. नोई नाडल -04 सीटें 2016-17 हेतु पत्र संख्या आर-17013/02/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 24.10.2016
4	श्री साईराम सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, चेन्नई, तमिलनाडु	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय बी.एस.एम.एस. पाठ्यक्रम में 50 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई:-	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय बी.एस.एम.एस. पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित पांच वर्ष के लिए अनुमति प्रदान की गई:- 2016-17 हेतु पत्र संख्या आर-17013/05/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 13.10.2016
5	आर.वी.एस. सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय बी.एस.एम.एस. पाठ्यक्रम में 30 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय बी.एस.एम.एस. पाठ्यक्रम में 30 सीटों सहित पांच वर्ष के लिए अनुमति प्रदान की गई। 2016-17 हेतु पत्र संख्या आर-12013/01/2006-ईपी (आई एम-1) दिनांक 26.10.2016



सोवा-रिग्पा संस्थानों / महाविद्यालयों की सूची

क्र.स.	महाविद्यालयों अथवा संस्थानों का नाम	प्रदत्त निकाय का नाम	मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता
1.	मेन-तसी-खांग तिबेतन मेडिकल एण्ड एस्ट्रोलॉजिकल कॉलेज (टीएमएसी) गंगचेन क्यीशोंग, जिला कांगडा, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश	मेन-तसी-खांग	1. मेनपा कचुपा / यू.जी 2. मेनरम्पा चुगवा / पी.जी
2.	सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, (सीआईबीएस) चोग्लाम्सर, लेह-194104, जम्मू व कश्मीर	सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट	1. मेनपा कचुपा / यू.जी
3.	सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ हायर तिबेतन स्टडीज मावैया, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ हायर तिबेतन	1. मेनपा कचुपा / यू.जी 2. मेनरम्पा चुगवा / पी.जी
4.	चागपोरी तिबेतन मेडिकल इन्स्टीट्यूट, (सीटीएमआई) तकडह, कैन्टोनमेन्ट, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल	चागपोरी तिबेतन मेडिकल इन्स्टीट्यूट	1. मेनपा कचुपा / यू.जी



प्रशासन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
नई दिल्ली

दिनांक 31.03.2019 को यथाविद्यमान रिक्तियों का विवरण

क्रम संख्या	पदनाम	संख्या	समूह	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	निबंधक –सह–सचिव	1	क	---	01 (तदथ के आधार पर भरा गया)
2.	सहायक निबंधक (आयुर्वेद)	1	क	01	---
3.	सहायक निबंधक (यूनानी)	1	क	01	---
4.	सहायक निबंधक (सिद्ध)	1	क	01	---
5.	सहायक सचिव (प्रशासन)	1	क	01	---
6.	पंजीयन अधिकारी	1	ख	01	---
7.	कार्यालय अधीक्षक	1	ख	---	01 (तदथ के आधार पर भरा गया)
8.	लेखाकार	1	ख	01	---
9.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1	ख	01	---
10.	उच्च श्रेणी लिपिक	4	ग	03	01
11.	आशुलिपिक ग्रेड-2	03	ग	01	02
12.	निम्न श्रेणी लिपिक	11	ग	10	01
13.	डुप्लीकेटिंग ऑपरेटर	1	ग	01	---
14.	दफ्तरी	2	ग	02	---
15.	मल्टी टाँस्क स्टाँफ (चपरासी)	1	ग	01	---
	कुल	31		25	06

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् एक सांविधिक निकाय है जिसमें 31 पद हैं। तथापि, समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार विभिन्न वर्गों के लिए किए गए आरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु हर सावधानी बरती जा रही है। विभिन्न वर्गों के लिए किए गए आरक्षण की स्थिति निम्नवत् है :-

- | | |
|---------------------------|----|
| 1. अनुसूचित जाति | 02 |
| 2. अनुसूचित जनजाति | 03 |
| 3. अन्य पिछड़ा वर्ग | 04 |
| 4. शारीरिक रूप से विकलांग | 02 |



उक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय परिषद् ने केन्द्रीय परिषद् के निर्बाध कार्य हेतु संविदा के आधार पर समेकित वेतन पर वरिष्ठ तकनीकी सहयुक्त (एस.टी.ए) आयुर्वेद/यूनानी/सिद्ध, कनिष्ठ तकनीकी सहयुक्त (जे.टी.ए) आयुर्वेद/यूनानी/सिद्ध, विधि-परामर्शदाता, रिटेनर अधिवक्ता, जनसूचनाधिकार-परामर्शदाता, गुणता पद्धति प्रबन्धक, समन्वयक ई-लर्निंग, टी.टी.टी. प्रकोष्ठ, नेटवर्किंग प्रशासक तथा निजी सहायक-अध्यक्ष इत्यादि नियुक्त किए।

दिनांक 31.03.2019 को यथा विद्यमान नियमित कर्मचारियों के नाम एवं पदनाम

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पदनाम
1.	डॉ.शमशाद बानो	सचिव (तदर्थ) सहायक निबन्धक(यूनानी)
2.	डॉ के. नटराजन	सहायक निबन्धक (सिद्ध)
3.	डॉ. ऋचा शर्मा	सहायक निबन्धक (आयुर्वेद)
4.	श्री राजेश कुमार जैन	सहायक सचिव (प्रशासन)
5.	श्रीमती किरण	पंजीयन अधिकारी
6.	श्री सन्तोष कुमार उपाध्याय	लेखाकार
7.	श्री हरबान मीणा	कार्यालय अधीक्षक (तदर्थ)
8.	श्रीमती अंकिता यादव	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक
9.	श्री धीरेन्द्र कुमार	आशुलिपिक (ग्रेड-2)
10.	श्री बी. के. बासवराजू	उच्च श्रेणी लिपिक (निलंबित)
11.	श्री निहाल मियों	उच्च श्रेणी लिपिक
12.	श्री राजपाल सिंह	उच्च श्रेणी लिपिक
13.	श्री शौकत अली	निम्न श्रेणी लिपिक
14.	श्री राजकुमार	निम्न श्रेणी लिपिक
15.	श्रीमती शशि वारियाल	निम्न श्रेणी लिपिक
16.	श्रीमती मोनिका	निम्न श्रेणी लिपिक
17.	श्री सन्तोष कुमार	निम्न श्रेणी लिपिक
18.	श्री कृष्ण कुमार	निम्न श्रेणी लिपिक
19.	श्री अरुण कुमार	निम्न श्रेणी लिपिक
20.	श्री मनोज शर्मा	निम्न श्रेणी लिपिक
21.	श्री महेश छिकारा	निम्न श्रेणी लिपिक
22.	श्री प्यार सिंह मीणा	डुप्लीकेटिंग ऑपरेटर
23.	श्री रामचंद्र	दफ्तरी
24.	श्री धर्मवीर	दफ्तरी
25.	श्री राजकुमार	मल्टी टाँस्क स्टॉफ (चपरासी)



वित्त
बजट के स्रोत

वर्ष 2018-2019 के लिए परिषद् द्वारा अनुमोदित तथा सरकार द्वारा स्वीकृत/जारी बजट प्राक्कलन एवं संशोधित प्राक्कलन निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.		गैर-योजना (रु० लाखों में)
1.	बजट प्राक्कलन 201 8-2019 (परिषद् द्वारा अनुमोदित)	3060.00
2.	बजट प्राक्कलन 2018-2019 (मंत्रालय द्वारा स्वीकृत)	510.00
3.	संशोधित प्राक्कलन 2018-2019 (परिषद् द्वारा अनुमोदित)	3079.00
4.	संशोधित प्राक्कलन 2018-2019 (मंत्रालय द्वारा स्वीकृत)	500.00
5.	अनुदान सहायता (मंत्रालय द्वारा दिया गया धन)	485.00



कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
नई दिल्ली

संख्या: ए.एम.जी-II/एस.ए.आर./7-12/सी.सी.आई.एम./2019-20/773

दिनांक : 06-12-2019

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति डॉ. शमशाद बानो, रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, 61-65, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेजों की दो प्रतियां उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली-110124 को भेजी जाएं।

अनुलग्नक: यथोपरि

हस्ता./-
उप-निदेशक (ए.एम.जी.II)

संख्या: ए.एम.जी-II/एस.ए.आर./7-12/सी.सी.आई.एम./2019-20/

दिनांक : 06-12-2019

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित प्रधान निदेशक (रिपोर्ट स्वायत्त निकाय), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - 110124 को अग्रेषित की जाती है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय व्यय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुलग्नक: यथोपरि

हस्ता./-
उप-निदेशक (ए.एम.जी.II)



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् का 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1. हमने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की 31 मार्च, 2019 के अनुसार संलग्न तुलन-पत्र का तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखें व प्राप्तियों और भुगतान लेखों का भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सामान्य) विनियम, 1976 के खण्ड 86 (1) के साथ पठित परीक्षण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कार्य, शक्तियाँ, सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अन्तर्गत लेखा परीक्षण किया। वित्तीय विवरण परिषद् प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। लेखा-परीक्षण के आधार पर वित्तीय-विवरण पर अपने विचार व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है।
2. इस पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, उत्तम लेखा प्रक्रिया सहित अनुपालन, लेखा मानकों प्रतिमानकों को प्रकट करना आदि के संबंध में लेखों के निरूपण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियों का समावेश है। कानून, नियमों विनियमों (उपयुक्तता एवं नियमितता) अनुपालन के और कार्यक्षमता-सह-निष्पादन पहलुओं इत्यादि के अनुपालन के सम्बन्ध में वित्तीय सव्यवहार पर लेखा प्रेक्षकों को, यदि कोई हो तो, निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा-रिपोर्ट के माध्यम से अलग से रिपोर्ट करना है।
3. हमने अपना लेखा-परीक्षण सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानकों के अनुरूप किया है। इन मानकों में आवश्यक है कि हम अपनी योजना बनाएं और उचित आश्वासन प्राप्त कर लेखा परीक्षा करें कि वित्तीय विवरण वस्तुपरक यथार्थ विवरण हो। लेखा परीक्षण में परीक्षण जॉच आधार पर, राशि की पुष्टि का प्रमाण तथा वित्तीय विवरण में प्रकट करना आदि शामिल हैं। लेखा परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा-सिद्धान्तों का मूल्यांकन तथा प्रबन्धकों द्वारा तैयार किया गया वित्तीय विवरण के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन करना शामिल है। हमें विश्वास है कि हमने लेखा-परीक्षा में अपने विचारों के लिए उचित आधार प्रस्तुत किया है।
4. अपने लेखा-परीक्षा के आधार पर हमने रिपोर्ट किया है कि:
 - i. हमें मांगी गई सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण, जो कि हमारे पूर्ण ज्ञान के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे, प्राप्त हुए।
 - ii. इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखों तथा प्राप्तियों एवं भुगतान लेखों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है।
 - iii. हमारे विचार में लेखों की जॉच करने पर पाया गया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा लेखों की पुस्तकों एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेखों का सही तरीके से रख-रखाव किया गया है।
 - iv. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:



क. आय एवं व्यय का लेखा

क.1. आय

क.1.1 आय एवं व्यय का लेखा के अनुसार, 'शुल्क' शीर्ष के अन्तर्गत रु.16.75 करोड़ की राशि दर्शायी गई थी। इस राशि में रु.6.87 करोड़ की राशि का अग्रिम शुल्क (वर्ष 2019-20 हेतु) तथा रु.21.10 लाख, जो कि महाविद्यालयों से प्राप्त शुल्क से संबंधित है तथा जिसका विवरण उपलब्ध नहीं है, सम्मिलित है। वापस लेने वाली कुल राशि को लेखाबद्ध करने के परिणामस्वरूप इस राशि से आय की अतिरिक्त हुई तथा देयताओं की न्यूनोक्ति हुई।

क.1.2 अनुसूची-16 के अनुसार, सावधि जमा के रूप में रु.29.74 करोड़ का निवेश है। इसके अतिरिक्त, अनुसूची-10 (अन्य प्राप्तियां) के अनुसार, रु.12.50 लाख सावधि जमा पर प्राप्त मूल ब्याज के रूप में वार्षिक लेखा में सम्मिलित किये जा चुके हैं। तथापि, इन सावधि जमाओं पर प्रोद्भूत ब्याज को लेखाबद्ध नहीं किया गया है। गत वर्ष में, सावधि जमा पर प्रोद्भूत ब्याज की राशि रु.98.06 लाख परिषद् की आय में सम्मिलित की गई थी। अतः परिषद् की आय सावधि जमा पर प्रोद्भूत ब्याज की राशि के द्वारा न्यून दर्शित है।

ख. सामान्य

ख.1 सामान्य भविष्य निधि का निवेश वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या मि.सं.11/4/2013-पी.आर. दिनांक 02.03.2015 के द्वारा निर्धारित प्रतिमान के अनुसार नहीं किया गया था।

ख. 2 उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान आई.सी.ए.आई. के लेखा मानक-15 के अधीन यथा अपेक्षित बीमांकिक आधार पर नहीं बनाये गये थे।

ग. सहायता अनुदान

वर्ष 2018-19 के दौरान परिषद् को आयुष मंत्रालय से रु. 4.85 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ था। परिषद् ने रु.16.98 करोड़ की व्यवस्था इसके अपने स्रोतों से की तथा परिषद् के पास दिनांक 31.03.2018 को अव्ययित शेष रु.7.82 करोड़ थे। अतः दिनांक 31.03.2019 तक परिषद् रु.29.65 करोड़ की उपलब्ध राशि में से, रु.16.73 करोड़ की अप्रयुक्त राशि को छोड़कर रु.12.92 करोड़ की कुल राशि का प्रयोग कर सकी।

V हमारे प्रेक्षण के अनुसार कार्यवाही के पैरा में हमने रिपोर्ट किया है कि इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा, लेखा पुस्तकों के समझौते के अनुसार हैं।

VI हमारे विचार में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कथित वित्तीय विवरण लेखों पर लेखाकरण नीति एवं टिप्पणी के साथ दिया गया है एवं इस लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित उपर्युक्त महत्वपूर्ण सामग्री तथा अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य सामग्री सत्य एवं स्वच्छ दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है।

क. तुलन पत्र में दिए गए 31 मार्च, 2019 तक के क्रियाकलाप भारतीय चिकित्सा परिषद् से संबंधित है।

ख. यह समाप्ति वर्ष की तिथि तक की आय और व्यय लेखा के अधिशेष से संबंधित है।

भारत के सी. एवं ए.जी. की ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 06-12-2019

हस्ता./-
लेखा परीक्षा महानिदेशक
(केन्द्रीय व्यय)



अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखा-परीक्षा पद्धति की उपयुक्तता
दिनांक 31.03.2015 तक के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की आंतरिक लेखा-परीक्षा लेखा-परीक्षा विंग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गयी।
2. आंतरिक नियंत्रण पद्धति की उपयुक्तता
आंतरिक नियंत्रण पद्धति निम्नलिखित के कारण अनुपयुक्त थी:-
क) परिषद् की सुचारु कार्यप्रणाली हेतु आवश्यक जोखिम आंकलन एवं सूचना प्रबन्ध प्रणाली परिषद् में सही स्थान पर नहीं थीं।
3. परिसम्पत्तियों की भौतिक सत्यापन हेतु पद्धति
दिनांक 31.03.2019 तक के लिए स्थाई परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन कराया गया।
4. सामान सूची की भौतिक सत्यापन पद्धति
दिनांक 31.03.2019 तक के लिए लेखन सामग्री तथा अन्य उपभोज्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन कराया गया।
5. देय राशि के भुगतान में नियमितता
लेखा के अनुसार, दिनांक 31.03.2019 को छः माह तक सांविधिक देय राशि की उत्कृष्ट देयताएं नहीं थीं।



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
(गैर-लाभ-संगठन)

31 मार्च, 2019 को यथा तुलनपत्र

(राशि रू.)

	अनुसूची	चालू वर्ष		गत वर्ष	
		गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना
दायित्व					
समग्र निधि	1 (गै.यो) एवं 7 (यो)	45663667	4638	48970964	5153
सार्वजनिक जमा खाता/मियादी जमा के रूप में निवेश	16	297400000	0	263393170	0
चालू दायित्व	2	17500	0	217500	0
सामान्य भविष्य निधि	3	21161069	0	20011922	0
कुल		364242236	4638	332593556	5153
परिसम्पत्तियां					
स्थायी परिसम्पत्ति (अनुसूची 6)		4122244	4638	4363258	5153
बकाया शुल्क	4	13396900	0	17409818	0
सामान्य भविष्य		21161069	0	20011922	0
डाक टिकटें	5	8839	0	9314	0
अन्त शेष :-			0		0
बैंक में नकद (आन्तरिक निधि)		28153184	0	17599775	0
मियादी जमा के रूप में निवेश	16	297400000	0	263393170	0
सार्वजनिक जमा खाता पर प्रोद्भूत ब्याज		0	0	9806299	0
कुल		364242236	4638	332593556	5153
लेखाओं एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों पर टिप्पणियां	18				

हस्ता./-
(डॉ. शमशाद बानो)
रजिस्ट्रार



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
(गैर-लाभ-संगठन)

31 मार्च, 2019 हेतु आय एवं व्यय का लेखा

(राशि रु.)

	अनुसूची	चालू वर्ष		गत वर्ष	
		गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना
आय					
अनुदान सहायता		48500000	0	28614000	0
शुल्क	8	167516503		182357047	0
अन्य प्राप्तियां	10	2254284	0	2325457	0
सार्वजनिक जमा खाते पर प्रोद्भूत/प्रदत्त ब्याज		0	0	9806299	0
सार्वजनिक जमा खाते/मियादी जमा के रूप में निवेश से स्थानान्तरित		31492378	0	20000000	0
कुल क		249763165	0	243102803	0
व्यय					
स्थापना व्यय	11	38628714	0	41971612	0
प्रशासनिक व्यय	12	39544509	0	40684659	0
सेवा-निवृत्ति हितलाभ	13	9678836	0	8731050	0
यात्रा व्यय	15	40124689	0	41334590	0
अवमूल्यन (अनुसूची 6)		1419497	515	1393770	573
परिशोधन प्रविष्टि (अनुसूची 4)		63867918		43039874	
कुल ख		193264163	515	177155555	573
व्यय पर आय की अधिकता के कारण शेष (क-ख)		56499002	-515	65947248	-573
सार्वजनिक जमा खाता/मियादी जमा के रूप में निवेश में स्थानान्तरित		50000000	0	59500000	0
			0	2368376	0
बचत/घाटा के कारण समग्र निधि में ले जाया गया शेष		6499002	-515	6447248	-573
लेखाओं और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों पर टिप्पणियां	18				

हस्ता./-
(डॉ. शमशाद बानो)
रजिस्ट्रार



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

समग्र निधि-गैर योजना

अनुसूची-1

यथा 31.3.2019 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रू.)

समग्र निधि	चालू वर्ष	गत वर्ष
गत तुलन पत्र के अनुसार	48970964	49527336
जोड़ें : व्यय से आय की अधिकता	6499002	6447248
	55469966	55974584
कटौती :- समायोजित प्रोद्भूत ब्याज	9806299	7003620
कटौती :- अपूंजीगत परिसम्पत्ति/विमोचन	0	0
कुल	45663667	48970964

हस्ता./-
(डॉ. शमशाद बानो)
रजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

चालू दायित्वों का विवरण

अनुसूची-2

यथा 31.3.2019 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रू.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
चालू दायित्व		
प्रतिभूति		
गत लेखे के अनुसार	217500	17500
जोड़ें : वर्ष के दौरान	0	200000
	217500	217500
घटाएं : वर्ष के दौरान समायोजित (प्रतिभूति प्रतिदाय)	200000	17500
कुल	17500	217500

हस्ता./-
(डॉ. शमशाद बानो)
रजिस्ट्रार



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
सामान्य भविष्य निधि

अनुसूची-3

यथा 31.3.2019 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष	
सामान्य भविष्य निधि				
मियादी जमा के रूप में निवेश	17512291		16785261	
बैंक में नकद	3648778	21161069	3226661	20011922
कुल		21161069		20011922

हस्ता./-
(डॉ. शमशाद बानो)
रजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
बकाया शुल्क का ब्यौरा

अनुसूची-4

31.03.2019 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष	
बकाया शुल्क				
गत लेखे के अनुसार	17409818		21249937	
जोड़ें : वर्ष के दौरान	60950000		41461755	
	78359818		62711692	
घटाएं : (i) बकाया के विरुद्ध वसूली	1095000	77264818	2262000	60449692
घटाएं : (i) सुधार प्रविष्टि (पहले से जमा)	420000		1116627	
(ii) वर्ष 2017-18 में वर्ष 2018-19 हेतु प्राप्त अग्रिम	58577918		38970000	
(iii) अशोध्य ऋण (बन्द हुए महाविद्यालय)	0		1325000	
(iv) परिशोधन प्रविष्टि (वर्ष 1997 से आगे के हिसाब लगाए गए शुल्क का अंतर)	0		1628247	43039874
(v) वर्ष 2017-2018 में आयु.सिद्ध.यूनानी महाविद्यालय से प्राप्त शुल्क (जिसका पता नहीं लग सका)	4870000	63867918		
कुल		13396900		17409818

हस्ता./-
(डॉ. शमशाद बानो)
रजिस्ट्रार



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अनुसूची-5

डाक टिकटों का ब्यौरा

31.03.2019 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रू.)

शीर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष	
डाक टिकटें				
गत लेखे के अनुसार	9314		9719	
जोड़ें : वर्ष के दौरान	0		0	
	9314		9719	
घटाएं : वर्ष के दौरान समायोजित	475	8839	405	9314
कुल		8839		9314

हस्ता./-
(डॉ. शमशाद बानो)
रजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अनुसूची-6

योजना के अन्तर्गत अनावर्तक परिसम्पत्ति (2018-19)

(राशि रू.)

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	अवमूल्यन की दर	01-04-2018 को आद्य शेष	जमा	विमोचन	31-03-2019 को अन्त शेष	अवमूल्यन	लिखित मूल्य
1	फर्नीचर एवं उपस्कर	10%	5153	0	0	5153	515	4638
	कुल		5153			5153	515	4638

हस्ता./-
(डॉ. शमशाद बानो)
रजिस्ट्रार



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अनुसूची-6

गैर योजना के अन्तर्गत अनावर्तक परिसम्पत्ति (2018-19)

(राशि रु.)

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	अवमूल्यन की दर	01-04-2019 को आद्य शेष	जमा	विमोचन	31-03-2019 को अन्त शेष	अवमूल्यन	लिखित मूल्य
1	फर्नीचर एवं उपस्कर	10%	1627248	81950	0	1709198	170920	1538278
2	कार्यालय उपकरण	15%, 25%, 60% & 30%	2223857	1096533	0	3320390	1171754	2148636
3	वातानुकूलित उपकरण	15%	512153	0	0	512153	76,823	435330
	कुल		4363258	1178483	0	5541741	1419497	4122244

हस्ता./-
(डॉ. शमशाद बानो)
रजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अनुसूची-7

समग्र निधि - योजना

31.03.2019 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष	
समग्र निधि				
गत तुलनपत्र के अनुसार अव्ययित अनुदान सहित	5153		25686	
घटाएं : आय पर व्यय की अधिकता	-515		-573	
	4638		25113	
घटाएं : अपूंजीगत परिसम्पत्ति			19960	
अव्ययित अनुदान 2018-19	0	4638	0	5153
कुल		4638		5153

हस्ता./-
(डॉ. शमशाद बानो)
रजिस्ट्रार



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अनुसूची-8

वर्ष के दौरान वसूलने योग्य शुल्क

31.03.2019 तक के आय एवं व्यय लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रू.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
वर्ष के दौरान वसूलने योग्य शुल्क	65560000	70615000
नए महाविद्यालयों से प्राप्त शुल्क	8880000	22050000
प्रवेश क्षमता में वृद्धि/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम से प्राप्त शुल्क	17000000	15800000
जुर्माने से प्राप्त शुल्क	0	3250000
आशय पत्र/अनुमति पत्र हेतु महाविद्यालयों से प्राप्त शुल्क	3120000	4889570
वर्ष 2019-20 के लिए प्राप्त अग्रिम शुल्क	68702064	58577918
नामांकन से प्राप्त शुल्क	2084500	2293600
सूचना के अधिकार से प्राप्त शुल्क	59939	10959
आयुर्वेद, यूनानी व सिद्ध महाविद्यालयों से प्राप्त शुल्क परन्तु सम्बन्धित सूचना की अनुपलब्धता के कारण महाविद्यालयों के सामने प्रविष्टियां नहीं की जा सकी।	2110000	4870000
कुल	167516503	182357047

हस्ता./-
(डॉ. शमशाद बानो)
रजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अनुसूची-9

वास्तविक प्राप्त शुल्क

31.03.2019 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रू.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
बकाया से प्राप्त शुल्क	1095000	2262000
वर्ष के दौरान प्राप्त शुल्क	4610000	29153245
नए महाविद्यालयों से प्राप्त शुल्क	8880000	22050000
प्रवेश क्षमता में वृद्धि/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम से प्राप्त शुल्क	17000000	15800000
जुर्माने से प्राप्त शुल्क	0	3250000
आशय पत्र/अनुमति पत्र हेतु महाविद्यालयों से प्राप्त शुल्क	3120000	4889570
वर्ष 2019-20 के लिए अग्रिम शुल्क	68702064	58577918
नामांकन से प्राप्त शुल्क	2084500	2293600
सूचना के अधिकार से प्राप्त शुल्क	59939	10959
आयुर्वेद, यूनानी व सिद्ध महाविद्यालयों से प्राप्त शुल्क परन्तु सम्बन्धित सूचना की अनुपलब्धता के कारण महाविद्यालयों के सामने प्रविष्टियां नहीं की जा सकी।	2110000	4870000
कुल	107661503	143157292

हस्ता./-
(डॉ. शमशाद बानो)
रजिस्ट्रार



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
अन्य प्राप्तियां

अनुसूची-10

31.03.2019 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची (राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
बचत खाता से प्राप्त ब्याज	838396	1303468
रद्दी की बिक्री	0	11432
कर्मचारियों से के.स.स्वा.यो. के लिए प्राप्त अंशदान	151800	109319
सावधि जमा से प्राप्त ब्याज	1250088	898238
विविध प्राप्तियां	10000	0
निविदा शुल्क	4000	3000
कुल	2254284	2325457

हस्ता./-
(डॉ. शमशाद बानो)
रजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
स्थापना व्यय

अनुसूची-11

31.03.2019 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची (राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
सचिव और कर्मचारी वर्ग का वेतन चिकित्साभ्यास बन्दी भत्ता सहित	12748194	11797562
मंहगाई भत्ता	1080319	4249018
मकान किराया भत्ता	2992273	2180894
मंहगाई भत्ता के साथ वाहन भत्ता	1300272	1375974
धुलाई भत्ता	0	2520
बोनस	145068	131252
अवकाश यात्रा रियायत	405242	336435
समयोपरि भत्ता/प्रतिकर भत्ता	11214	10916
मानदेय	49000	111250
के.स.स्वा.या. में अंशदान	153680	432874
शिक्षा शुल्क	246179	191034
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	810441	709377
सामान्य भविष्य निधि में स्थानान्तरित ब्याज	493609	355339
मजदूरी	9086478	7229763
समेकित वेतन	8091733	11011207
एन.पी.एस. टायर-1 में अंशदान	561937	961596
निर्वाह भत्ता	313156	198542
आयकर	0	86000
पुरस्कार	16000	527300
छुट्टी नकदीकरण	123819	48759
स्टॉफ को प्रशिक्षण	100	24000
कुल	38628714	41971612

हस्ता./-
(डॉ. शमशाद बानो)
रजिस्ट्रार



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
प्रशासनिक व्यय

अनुसूची-12

31.03.2019 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची (राशि रू.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
लेखन सामग्री	1336573	1289600
दूरभाष	103452	128875
डाक एवं तार	441465	329289
डाक टिकटें	475	405
समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें	28459	17992
वर्दी भत्ता	20000	41320
लेखा परीक्षा शुल्क	82355	243690
मुद्रण	239384	846770
विधि सम्बन्धी	4303435	4370387
प्रकाशन	1463000	478500
बैंक प्रभार	1740	144802
रखरखाव	626818	587248
विविध	1148882	6673065
वेतन के अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक में जमा टी.डी.एस.	1965146	2251905
सूचना प्रौद्योगिकी प्रभार	27665897	22263810
कोरियर	12375	117286
टैक्सी प्रभार	73778	25471
विज्ञापन	31275	26015
नवीकरण	0	848229
कुल	39544509	40684659

हस्ता./-
(डॉ. शमशाद बानो)
रजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
सेवा निवृत्ति लाभ

अनुसूची-13

31.03.2019 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची (राशि रू.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
मासिक पेंशन	5212252	5828512
उपदान	1830907	1036464
संराशीकृत पेंशन	2484473	1187803
छुट्टी नकदीकरण	151204	628160
छुट्टी का वेतन	0	17781
पेंशन अंशदान	0	32330
कुल	9678836	8731050

हस्ता./-
(डॉ. शमशाद बानो)
रजिस्ट्रार



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
स्थायी परिसम्पत्तियाँ

अनुसूची-14

31.03.2019 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
फर्नीचर एवं उपस्कर	81950	403530
कार्यालय उपकरण	1096533	1844471
ऐअर कूलिंग यंत्र	0	120375
कुल	1178483	2368376

हस्ता./—
(डॉ. शमशाद बानो)
रजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
यात्रा व्यय

अनुसूची-15

31.03.2019 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
अध्यक्ष	2143207	2209117
उपाध्यक्ष	118401	497593
सचिव / स्टॉफ	334245	506208
कार्यकारिणी समिति	3781690	2997513
उप-समिति	6978593	7069761
परिषद के सदस्य	3188077	3196089
आयुर्वेद का परिदर्शन	16327719	19978207
यूनानी का परिदर्शन	3205728	2881524
सिद्ध का परिदर्शन	234612	99739
सोवा रिग्पा का परिदर्शन	0	188682
विभागीय पदोन्नत समिति / चयन समिति	0	148530
वाहन प्रभार	4460	5770
राष्ट्रीय सम्मेलन	3194959	0
अध्यक्ष राहत निधि	480850	130725
हवाई टिकट	36568	925132
होटल	95580	0
आयुर्वेद पर्व	0	500000
कुल	40124689	41334590

हस्ता./—
(डॉ. शमशाद बानो)
रजिस्ट्रार



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अनुसूची-16

31.03.2019 को निवेश का ब्यौरा

क्रम संख्या	खाता संख्या	परिपक्वता की तिथि	मूलधन राशि
1.	35796147040	27-04-2019 को परिपक्व	99,00,000
2.	35796147641	27-04-2019 को परिपक्व	99,00,000
3.	35796147528	27-04-2019 को परिपक्व	99,00,000
4.	36515375016	30-01-2022 को परिपक्व	90,00,000
5.	36515375301	30-01-2022 को परिपक्व	90,00,000
6.	36515375695	30-01-2022 को परिपक्व	30,00,000
7.	36515358364	30-01-2022 को परिपक्व	90,00,000
8.	36791385811	20-04-2019 को परिपक्व	99,00,000
9.	36791397962	20-04-2019 को परिपक्व	99,00,000
10.	36791396866	20-04-2019 को परिपक्व	99,00,000
11.	37120393239	29-08-2022 को परिपक्व	95,00,000
12.	37120394244	29-08-2022 को परिपक्व	95,00,000
13.	37120394969	29-08-2022 को परिपक्व	95,00,000
14.	37120395555	29-08-2022 को परिपक्व	95,00,000
15.	37120406273	29-08-2022 को परिपक्व	95,00,000
16.	37120407108	29-08-2022 को परिपक्व	95,00,000
17.	37120408781	29-08-2022 को परिपक्व	95,00,000
18.	37197046139	27-09-2022 को परिपक्व	90,00,000
19.	37197102673	27-09-2022 को परिपक्व	90,00,000
20.	37197103439	27-09-2022 को परिपक्व	90,00,000
21.	37681230832	on 2-05-2023 को परिपक्व	99,00,000
22.	37681259002	2-05-2023 को परिपक्व	99,00,000
23.	37681259535	2-05-2023 को परिपक्व	99,00,000
24.	37681259669	2-05-2023 को परिपक्व	99,00,000
25.	37350419166	9.12.2027 को परिपक्व	25,00,000
26.	35254441935	29.09.2020 को परिपक्व	1,25,00,000
27.	37681259772	2-05-2023 को परिपक्व	99,00,000
28.	38297801556	2-03-2021 को परिपक्व	5,00,00,000
		कुल	29,74,00,000

कुल 29,74,00,000.00
 बैंक में शेष 2,81,53,184.00
 कुल 32,55,53,184.00

हस्ता. / -
 (डॉ. शमशाद बानो)
 रजिस्ट्रार



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
सामान्य भविष्य निधि

अनुसूची-17

31.03.2019 को निवेश का ब्यौरा

क्रम संख्या	खाता संख्या	परिपक्वता की तिथि	मूलधन राशि
1.	बैंक ऑफ इण्डिया, झण्डेवाला, नई दिल्ली	विशेष जमा योजना खाता संख्या 2	2,85,261
2.	30727318651	30.03.2021 को परिपक्व	10,00,000
3.	31671806380	01.06.2019 को परिपक्व	50,00,000
4.	32507702101	22.09.2021 को परिपक्व	15,00,000
5.	35640890482	17.02.2022 को परिपक्व	37,27,030
6.	36515228889	30.01.2022 को परिपक्व	20,00,000
7.	37555920013	23.02.2023 को परिपक्व	40,00,000
		कुल	1,75,12,291

हस्ता. / -
(डॉ. शमशाद बानो)
रजिस्ट्रार



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
लेखाओं एवं महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों पर टिप्पणियां

अनुसूची-18

1. खाते ऐतिहासिक लागत परम्परा तथा प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए गए हैं।
2. जोखिम तत्वों से बचने के लिए भारतीय स्टेट बैंक में लम्बे समय के लिए सावधि जमा में निवेश किया गया है।
3. राजस्व एवं पूंजीगत व्यय अनुदान तथा शुल्क से प्राप्त राशि से किये गये हैं।
4. समग्र निधि :-
यह व्यय से आय की अधिकता पर संचित शेष को दर्शाता है जो मुख्यतः शुल्क तथा नियत परिसम्पत्ति के निवल मूल्य से प्राप्त है।
5. परिषद पर आज तक के तुलन पत्र पर पेंशन संराशीकरण तथा उपदान इत्यादि हेतु कोई दायित्व नहीं है।
6. वर्ष 2018-19 हेतु नियत परिसम्पत्ति पर अवमूल्यन अनुसूची -8 गैर योजना तथा योजना के अनुसार तैयार किया गया है तथा इसे वार्षिक लेखा में दर्शाया गया है।
7. वर्ष 2018-19 हेतु शुल्क का विवरण अनुसूची-11 एवं 12 गैर योजना के अनुसार तैयार किया गया है तथा इसे वार्षिक लेखा में दर्शाया गया है।
8. सामान्य भविष्य निधि तथा सार्वजनिक जमा लेखा के लेखे अलग से हैं तथा मुख्य तुलन-पत्र में दर्शाए गए हैं।
9. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के लेखे कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित हैं।

हस्ता./-
(डॉ. शमशाद बानो)
रजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

अनुसूची-19

31.03.2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

(राशि रु.)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	गत वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	गत वर्ष
	गैर-योजना	गैर-योजना		गैर-योजना	गैर-योजना
आद्य शेष			स्थापना व्यय अनुसूची 11	38628714	41971612
हस्तगत रोकड़	69592	22718			
बैंक में नकद	17530183	17844990	प्रशासनिक व्यय अनुसूची 12	39544509	40684659
डाक टिकटें	9314	9719	सेवा निवृत्ति लाभ अनुसूची 13	9678836	8731050
			नियत परिसम्पत्ति अनुसूची 14	1178483	2368376
प्राप्त अनुदान	48500000	28614000	यात्रा व्यय अनुसूची 15	40124689	41334590
			प्रतिभूति प्रतिदाय	200000	0
प्राप्त शुल्क अनुसूची 9	107661503	143157292			
			सार्वजनिक जमा खाता	0	57000000
त्योहार अग्रिमों की वसूली	0	25200			
सावधि जमा मे निवेश	9900000	0	सावधि जमा मे निवेश	50000000	2500000
सार्वजनिक जमा खाता	21592378	20000000	अन्त शेष		
			हस्तगत रोकड़	79069	69592
अन्य प्राप्तियां अनुसूची 10	2254284	2325457	बैंक में नकद	28074115	17530183
प्रतिभूति जमा	0	200000	डाक टिकटें	8839	9314
कुल	207517254	212199376	कुल	207517254	212199376

हस्ता./—
(डॉ. शमशाद बानो)
रजिस्ट्रार





भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
सामान्य भविष्य निधि

अनुसूची-20

31.03.2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

(राशि रू.)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	गत वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	गत वर्ष
आद्य शेष					
बैंक में नकद	3226661	1985909	अग्रिम	0	0
प्राप्त ब्याज					
i) सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	951842	915253	निकासी	3885000	1525683
ii) बचत खाता पर प्राप्त ब्याज	141492	113800	अन्तिम अदायगी	1176026	
iii) गैर-योजना से स्थानान्तरित ब्याज	493609	355339	सावधि जमा में निवेश	0	4000000
अन्य प्राप्तियां			अन्त शेष		
i) अंशदान व अग्रिमों की वसूली	3896200	2923270	बैंक में नकद	3648778	3226661
ii) परिपक्व सावधि जमा		2458773			
कुल	8709804	8752344	कुल	8709804	8752344

हस्ता./-
(डॉ. शमशाद बानो)
रजिस्ट्रार



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त उपलब्धियाँ

1. भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा निम्नलिखित विनियम तैयार किये गये ।
 - (i) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) संशोधन विनियम, 2018
 - (ii) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा) संशोधन विनियम, 2018
 - (iii) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर सिद्ध शिक्षा) संशोधन विनियम, 2018
 - (iv) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) संशोधन विनियम, 2018 (स्नातकीय विनियम- बी.ए.एम.एस., बी.एस.एम.एस., बी.यू.एम.एस.)।
 - (v) नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, 2019
 - (vi) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2019
2. दिनांक 30.10.2018 को नई दिल्ली में हुई शैक्षणिक प्रशासन एवं उत्कृष्टता पर प्रस्तावित नेशनल कांफ्रेंस का आयोजन किया गया ।
3. दिनांक 21-22.01.2019 को बंगलौर में हुई शैक्षणिक प्रशासन एवं उत्कृष्टता पर नेशनल कांफ्रेंस का आयोजन किया गया ।
4. दिनांक 10-11.03.2019 को नई दिल्ली में कॉन्क्लेव एवं संभावनाओं एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्साभ्यास करने वाले भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासियों हेतु बाध्यताओं की बैठक का आयोजन किया गया ।

भविष्य के कार्यक्रम

1. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के कार्यालय को ई-ऑफिस बनाना ।
2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् एवं इसकी विभिन्न समितियों की बैठकें पेपर लेस होनी चाहिए ।
3. परिदर्शन प्रतिवेदन को ई-परिदर्शन प्रतिवेदन के रूप में प्रारंभ किया गया ।

टिप्पणी :- यदि अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण के बीच कोई विसंगति है, तो अंग्रेजी संस्करण को अंतिम रूप माना जाए ।



ANNUAL REPORT 2018-19

Central Council of Indian Medicine

Ministry of AYUSH, Government of India,
61-65, Institutional Area, Janakpuri, NewDelhi-110058



VISION

To be an excellent regulatory body which guide, develop and sustain a network of 'Institutions of Excellence' in education meeting the national needs for global trends and to regulate the practice of Indian System of Medicine.

MISSION

To establish, guide, develop and sustain through resource allocation, good governance and management, dedicated to the maintenance of standards and quality of academic study programmes and practice of Indian System of Medicine to national as well as global needs.

**CONTENTS**


Sl. No.	Details of Content	Page No.
1	Organization Chart	231
2	Introduction	232
3	Administrative Report	235
4	Committees	237
5	Meetings of CCIM and its various committees	239
6	Inclusion of Qualification	239
7	Ayurveda	244
8	Unani	312
9	Siddha	322
10	Sowa-Rigpa	324
11	Administration	325
12	Finance	327
13	Audit Report	328
14	Financial Statement of CCIM for 2018-19	332
15	Achievements of CCIM in 2018-19	347
16	Future Programme	347





Central Council of Indian Medicine, Ministry of AYUSH,
Government of India, 61-65, Institutional Area, Janakpuri,
NewDelhi-110058

ORGANIZATION CHART





CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

NEW DELHI

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2018-19

The Central Council of Indian Medicine is a Statutory Body constituted under Indian Medicine Central Council Act, 1970 vide Gazette Notification Extraordinary Part-II Section 3 (ii) dated 10.8.71. The Government of India vide issuing amendments in the said Gazette Notification has changed the members from time to time.

The main objects of the Central Council are as under: -

- i) To prescribe the minimum standards of education in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha, Unani Tib and Sowa Rigpa.
- ii) To advise Central Government in matters relating to recognition (inclusion/withdrawal) of medical qualifications in/from Second Schedule to Indian Medicine Central Council Act, 1970.
- iii) To maintain a Central Register of Indian Medicine and revise the Register from time to time.
- iv) To prescribe Standards of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics to be observed by the practitioners.
- v) To consider and furnish the recommendations to Government of India on the proposals received from various institutions through Government of India for establishment of new colleges of Indian Systems of Medicine, to increase intake capacity in Under-graduate, Post-graduate degree and diploma courses and to start new Post-graduate course or additional subjects.

Since its establishment in 1971, the Central Council has been framing and implementing various regulations including the Curricula and Syllabi in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha, Unani Tib at Under-graduate and Post-graduate level.

Central Council has already prescribed following courses at Under-graduate and Post-graduate level. Minimum Standards of Education and Syllabus for different courses for Ayurved, Siddha and Unani Tib have also been laid down by the Council:-

**AYURVED**

Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurved Medicine & Surgery)	5-1/2 years
Ayurved Vachaspati (MD- Ayurved)	3 years
Ayurved Dhanwantari (MS-Ayurved)	3 years
PG Diploma in Ayurved (specialty)	2 years

UNANI TIBB

Kamil-e-Tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine & Surgery)	5-1/2 years
Mahir-e-Tib (MD-Unani)	3 years
Mahir-e-Jarahat (MS-Unani)	3 years
PG Diploma in Unani (specialty)	2 years

SIDDHA

Siddha Maruthuva Arignar (Bachelor of Siddha Medicine & Surgery)	5-1/2 years
Siddha Maruthuva Perarignar (MD-Siddha)	3 years
PG Diploma in Siddha (specialty)	2 years

All the Colleges of Ayurved, Unani and Siddha are affiliated to various Universities in the country. These Colleges are following the Minimum Standards of Education, Curricula and Syllabi laid down by the Central Council of Indian Medicine.

In pursuance of amendment of Section 13C in Indian Medicine Central Council Act, 1970 by Government of India, the Central Council had to furnish the recommendations to Government of India. Accordingly all Ayurved, Unani and Siddha Colleges have been visited to assess the available facilities of teaching and practical training from admitting students for the year 2018-19 and to verify the compliance submitted by the colleges as well as progress made by colleges after last visitation. The visitation reports were scrutinized and considered, thereafter, CCIM has furnished the recommendations to Government of India. The Government of India after considering the recommendations of Central Council of Indian Medicine, after giving the opportunity of hearing if required has granted/not granted the permission to the colleges for admission.



CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

Preparation and maintenance of Central Register of Indian Medicine is one of the main objects of the Central Council of Indian Medicine. As per provisions the detailed information of practitioners who are enrolled on State Registers of Indian Medicine and who possess any of the recognised medical qualification included in the Schedules to the IMCC Act, 1970. The maintenance of Central Register of Indian Medicine and updating of the same is a continuous process.

Following Central Register was notified in the year 2018-19 as per the new Regulations, namely Central Council of Indian Medicine (Central Register of Indian Medicine) Regulations, 2016 notified on 27th April, 2017 according to clause 3 of Sub-Section (4) & (8), revamping of Central Registration requires to be done which is under active process.

During the year 2018-19, 1611 names of Practitioners of ISM have been notified and the work to issue the Central Registration Certificate is in progress but during report period no Central Registration Certificate was issued to the practitioners of ISM.

The details of the first revised list of practitioners of the following State which have been included in the Central Register of Indian Medicine are hereby published.

Sl. No.	Name of State	Name of Council/ Board	Period	C.R. Number
1.	Assam	Assam State Council of Indian Medicine	Since inception to August 2017	AY/AS/0000001 to AY/AS/0000053
2.	Jharkhand	Jharkhand State Chikitsa Parishad	Since inception to July 2017	AY/JH/0000001 to AY/JH/0000153 UN/JH/0000001 to UN/JH/0000028
3.	Tamil Nadu	Tamil Nadu Board of Indian Medicine & Tamil Nadu Siddha Medical Council	Since inception to May 2017	AY/TN/0000001 to AY/TN/0000315 UN/TN/0000001 to UN/TN/0000079 SD/TN/0000001 to SD/TN/0000838
4.	Tripura	Direct Registration	-----	AY/TR/0000001 to AY/TR/0000003

Central Register of Indian Medicine is displayed on the Council's website i.e. www.ccimindia.org the practitioners can verify their names in Central Register of Indian Medicine.

**ADMINISTRATIVE REPORT****Composition of the Central Council of Indian Medicine**

The following were the members of the Central Council as on 31.03.2019:-

1.	Dr. Bulliah Talakayala	2. +	Dr. Mallu Prasad
3. #	Dr. B. Kishan	4. \$	Dr. Gajendra Bharali
5. @	Dr. Basant Kumar Singh	6. @	Dr. Mantosh Kumar Jha
7. @	Dr. Subhash Chandra Verma	8. @	Dr. Prajapati Tirpathi
9.	Dr. Shivnarayan Dwivedi	10.	Dr. Pramod Pandurang Sawant
11.	Dr. Boghra Bharatkumar Khodabhai	12.	Dr. Upadhyay Vikram Bhavinbhai
13.	Dr. Satpal	14.	Dr. Ashok Kumar Sharma
15.	Vaidya Amitabh Kumar	16.	Dr. Magadum Nemanna
17.	Dr. Anand Kirishal	18.	Dr. Haveri Mahaveer
19.	Dr. Manoj Kaloor	20.	Dr. Rejith A.
21.	Dr. Thorat Dnyaneshwar Eknath	22.	Dr. Sardeshmukh Sadanand Prabhakar
23.	Dr. Wagh Suryakiran Parashuram	24.	Dr. Sawant Ashanand Indrakumar
25.	Dr. Deopujary Jayant Yeshawant	26.	Dr. Sudarsan Behera
27.	Dr. Sanjeev Kumar Goyal	28.	Vaidya Jagjit Singh
29.	Vaidya Raghunandan Sharma	30.	Dr. Vanitha R.
31.	Dr. Ramakant Sharma	32. *	Dr. Hari Ram Bhadoria
33. *	Dr. Phool Chander Choudhary	34. *	Dr. Bhrigupati Pandey
35. *	Dr. Sudhanshu Dutt Sharma	36. *	Dr. Manoj Kumar Misra
37.	Dr. Ram Bishnu Ghosh	38.	Dr. Pradyot Bikash Kar Mahapatra
39.	Dr. Srinivas Kishan Rao Bannigol	40.	Prof. Satya Narayan Singh
41.	Dr. Rakesh Sharma	42. %	Dr. Nandhinee Vijay
43.	Dr. Sanjiv Mahendra Oza	44.	Dr. Manoj Nesari
45.	Dr. B. R. Ramakrishna	46.	Vaidya Devendra Triguna
47.	Dr. Madhusudan Deshpande	48.	Dr. Kamlesh Kumar Dwivedi
49.	Vaidya Prakash Dinanath Gadge	50.	Dr. Prashanth A.S.
51.	Dr. Vinayak M. Prabhudessai	52.	Dr. Niranjana Singh Tyagi
53.	Dr. Kumarswami B. Hiremath	54.	Dr. Vinayak Vithal Tayade
55.	Dr. Tanmay Goswami	56.	Dr. Rakesh Pandit
57.	Dr. Suman Sharma	58.	Dr. Govind Sahay Shukla
59.	Dr. T. R. Shantala Priyadarshini	60.	Dr. Suresh Balkrishna Patankar
61.	Dr. Vinodkumar T. G. Nair	62.	Vaidya Kamlesh Kumar Sharma

**UNANI**

63.	Dr. P. MD. Hasan Ahmed	64.	Hakim Tawheed Kibria
65.	Dr. Ketan Patel	66.	Dr. Julaya Ansari Mohammed Ashraf
67.	Dr. Vinod Pundir	68.	Dr. Zafar Eqbal
69.	Dr. Khalid Jawad	70.	Dr. Shaikh Zubair Ahmed Mohamed Ebrahim
71.	Dr. Amit Auplish	72.	Dr. Aadam
73.	Dr. Mushtaq Ahamed C	74.	Dr. Mohammad Harun
75. *	Dr. Anwar Sayeed	76. *	Dr. Sayyad Ariz Ahmad Kadri
77.	Dr. Mojibur Rahman	78.	Dr. Mohammad Sikandar Hayat Siddiqui
79.	Prof. (Dr.) Mohd. Ayyoob	80.	Dr. Salma Banu
81.	Dr. M.A. Qasmi	82.	Dr. Madan Singh Jakhar

SIDDHA

83.	Dr. V.B. Vijarakumar	84.	Dr. Sriram J.
85.	Dr. K. Rajalakshmi	86.	Dr. K. Manickavasakam

SOWA RIGPA

87.	Dr. Padma Gurmet
-----	-------------------------

AYURVED & SIDDHA

88.	Dr. C. Reghunathan Nair
-----	--------------------------------

- * Subject to the order passed in Civil Writ Petition No. 34516 (M/B) of 2018 dated 30.11.2018 by The Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow.
- @ Subject to the order passed in Miscellaneous Jurisdiction case No. 4641 of 2018 dated Arising out of Civil Writ Jurisdiction Case No. 18797 of 2016 dated 06.02.2019 by The Hon'ble High Court of Judicature at Patna.
- § Subject to the order passed in Case No. WP(C) 1462/2019 dated 06.03.2019 by the Hon'ble High Court of Assam, Nagaland, Mizoram & Arunachal Pradesh.
- # Subject to the order passed in Case No. I.A.1/2019 in W.P. No.6621/2019 dated 28.03.2019 by the Hon'ble High Court Telangana.
- + Subject to the order passed in Case No. I.A.2/2019 in W.P. No.5764/2019 dated 28.03.2019 by the Hon'ble High Court Telangana.
- % Subject to the order passed in WMP (MD) No. 5895 of 2019 in W.P. (MD) No.7263 of 2019 dated 28.03.2019 by the Hon'ble Madurai Bench of Madaras High Court.



COMMITTEES

As per Section 9(1) of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Central Council has the following three main Committees, namely:-

1. Ayurveda Committee
2. Siddha Committee
3. Unani Committee

The above Committees consist of the members elected/nominated under clause (a), (b) and (c) of Sub-section (1) of Section 3 of the IMCC Act, 1970.

The following are the office bearers of CCIM from 01.04.2018 to 31.03.2019:-

1.	President	Dr. Deopujary Jayant Yeshawant
2.	Vice-President (Ayurved)	Dr. B.R Ramakrishna
3.	Vice-President (Unani)	Dr. Shaikh Zubair Ahmed Mohammed Ebrahim
4.	Vice-President (Siddha)	Dr. V.B. Vijayakumar



EXECUTIVE COMMITTEE

The Executive Committee is constituted in accordance with Clause 6 of the Central Council of Indian Medicine (General) Regulations, 1976 to discharge the functions of the Central Council of Indian Medicine within the framework of the Act and the rules regulations made there under in accordance with the general policy and principles laid down by the Central Council. The Executive Committee consists of the members of all these Systems of Medicine i.e. Ayurveda, Unani & Siddha.

The followings are the members of the Executive Committee as on 01.04.2018 to 31.03.2019:-

- | | |
|--|------------------|
| 1. Dr. B. R Ramakrishna from 27.03.2018 to 11.07.2018 | Chairman I/c |
| 2. Dr. Vanitha R. from 12.07.2018 to 27.09.2018 | Chairman |
| 3. Dr. B. R Ramakrishna from 27.09.2018 to 10.10.2018 | Chairman I/c |
| 4. Dr. Deopujary Jayant Yeshawant from 10.10.2018 and still continuing | Chairman |
| 5. Dr. Shaikh Zubair Ahmed Mohammed Ebrahim V.P (Unani) | Member |
| 6. Dr. V.B. Vijayakumar V.P (Siddha) | Member |
| 7. Dr. Thorat Dyaneshwar Eknath | Member |
| 8. Prof. Mushtaq Ahamed C | Member |
| 9. Dr. Adam | Member |
| 10. Dr. K. Rajalakshmi | Member |
| 11. Dr. Sanjeev Kumar Goyal from 10.01.2019 to 31.03.2019 | Member (Co-ptd.) |
| 12. Dr. Kamlesh Kumar Sharma from 10.01.2019 to 31.03.2019 | Member (Co-ptd.) |
| 13. Dr. Anand Kirishal from 10.01.2019 to 31.03.2019 | Member (Co-ptd.) |

**Meeting of Central Council of Indian Medicine and its various Committees**

During the year 2018-19, the following meetings were held:-

1.	Meeting of 261 th Executive Committee held at New Delhi.	05.04.2018
2.	Meeting of Official Work held at New Delhi.	09.04.2018
3.	Meeting of review the visitation Report / Recommendations of ASU Colleges for the academic session 2018-19 held at New Delhi.	01.05.2018 & 02.05.2018
4.	Meeting of Legal Affair Committee held at New Delhi.	07.5.2018 & 08.05.2018
5.	Meeting for Re-designing of visitation proforma held at New Delhi.	08.5.2018
6.	Meeting of Legal Affair Committee held at New Delhi.	09.5.2018
7.	Meeting of Legal Affair Committee held at New Delhi.	17.5.2018 & 18.05.2018
8.	Meeting of official work of visitation held at New Delhi.	18.05.2018 to 21.05.2018
9.	Meeting of Legal Affair committee held at New Delhi.	24.05.2018 & 25.05.2018
10.	Meeting of 262 nd Executive Committee held at New Delhi.	25.05.2018
11.	Meeting of Official Work of visitation held at New Delhi.	29.05.2018 & 30.05.2018
12.	Meeting of Chairmen and Co-Chairmen of various committees held at New Delhi.	31.05.2018
13.	Meeting of Legal Affair Committee held at New Delhi.	04.06.2018 & 05.06.2018
14.	Meeting of Screening Committee held at New Delhi.	04.06.2018 to 09.06.2018
15.	Meeting of Screening Committee held at New Delhi.	11.06.2018
16.	Meeting of 263 rd Executive Committee held at New Delhi.	12.06.2018



17.	Meeting of office work on CCIM office held at New Delhi.	19.06.2018
18.	Meeting Screening Committee held at New Delhi.	25.06.2018 & 26.06.2018
19.	Meeting of 264 th Executive Committee held at New Delhi.	27.06.2018
20.	Meeting of official work held at New Delhi.	03.07.2018 to 05.07.2018
21.	Meeting of Screening Committee held at New Delhi.	04.07.2018 to 06.07.2018
22.	Meeting of 265 th Executive Committee held at New Delhi.	06.07.2018
23.	Meeting of official work held at New Delhi.	11.07.2018 to 13.07.2018
24.	Meeting of official work held at New Delhi.	01.08.2018
25.	Meeting of 266 th Executive Committee held at New Delhi.	02.08.2018
26.	Meeting of official work held at New Delhi.	09.08.2018 and 14.08.2018
27.	Meeting of 267 th Executive Committee held at New Delhi.	27.08.2018
28.	Meeting of official work held at New Delhi.	04.09.2018
29.	Meeting of 268 th Executive Committee held at New Delhi.	05.09.2018
30.	Meeting of Regulation Committee held at New Delhi.	17.09.2018
31.	Meeting of University Affairs Committee held at New Delhi.	17.09.2018
32.	Meeting of Syllabus (Siddha) held at New Delhi.	22.09.2018
33.	Meeting of 269 th Executive Committee held at New Delhi.	25.09.2018
34.	Meeting in respect of visitation of Ayurved/Unani College under Section 13A IMCC Act, 1970 in compliance of order of Hon'ble High Court of Rajasthan held at New Delhi	11.10.2018



35.	Meeting of sub-committee held at New Delhi.	11.10.2018
36.	270 th Meeting of Executive Committee held at New Delhi.	16.10.2018
37.	Meeting for the official work held at New Delhi.	23.10.2018
38.	271 st meeting of Executive Committee held at New Delhi.	24.10.2018
39.	Meeting of Screening Committee held at New Delhi.	24.10.2018
40.	Meeting of Sub-committee review Text – Book (Part –I and II) on “Sanskrit for Ayurveda in BAMS Course held at New Delhi.	26.10.2018
41.	Meeting of proposed National conference on academic Administration and Excellence held at New Delhi.	30.10.2018
42.	Meeting of Nationwide students survey to understand expectations from ISM Education held at New Delhi.	31.10.2018
43.	Meeting of Sub-Committee regarding Central Registration held at New Delhi.	02.11.2018
44.	Meeting to discuss the matter of teacher code regarding held at New Delhi.	13.11.2018
45.	Walk-in-Interview for the post of Legal Consultant held at New Delhi.	19.11.2018
46.	Meeting of International conclave on role of CCIM held at New Delhi.	19.11.2018
47.	Walk-in-Interview for the post of JTA/STA (Ay.) held at New Delhi.	20.11.2018
48.	Official meeting held at New Delhi.	27.11.2018
49.	272 nd Meeting of Executive Committee held at New Delhi.	27.11.2018
50.	Meeting of 52 nd Ayurveda Committee held at New Delhi.	03.12.2018
51.	Meeting of 57 th Unani Committee held at New Delhi.	03.12.2018
52.	Meeting of 57 th Siddha Committee held at New Delhi.	03.12.2018



53.	273 rd Meeting of Executive Committee held at New Delhi.	03.12.2018
54.	Meeting of 59 th of Central Council of Indian Medicine held at New Delhi.	04.12.2018
55.	Meeting of Implementation of Aadhar enabled GPS tagged Bio-Metric Attendance System (AGBAS) held at New Delhi.	18.12.2018
56.	Meeting of Registration Committee held at New Delhi.	18.12.2018
57.	Meeting of review of admission process to Under Graduate/Post Graduate courses of ASU held at New Delhi.	18.12.2018
58.	274 th meeting of Executive Committee held at New Delhi.	26.12.2018
59.	Meeting of Official Work held at New Delhi.	26.12.2018
60.	Meeting of Implementation of Aadhar enabled GPS tagged Bio-Metric Attendance System (AGBAS) held at New Delhi.	26.12.2018
61.	Meeting of 275 th Executive Committee held at New Delhi.	10.01.2019
62.	Meeting of Sub-Committee Registration Related held at New Delhi.	10.01.2019
63.	Meeting of Official Work/Meeting in the Ministry of AYUSH held at New Delhi.	14.01.2019
64.	Meeting of prepare Guidelines for surgical Procedures in Ayurveda held at New Delhi.	29.01.2019
65.	Meeting of matter related to Eligible of 06 teachers of Govt. Ayurvedic College, Patiala held at New Delhi.	29.01.2019
66.	Meeting of 276 th Executive Committee held at New Delhi.	30.01.2019
67.	Meeting of matter related to Eligibility of teacher regarding held at New Delhi.	30.01.2019
68.	Meeting of Grievances/Complaint Redressal Committee held at New Delhi.	05.02.2019
69.	Meeting of Ministry of AYUSH matter regarding "Visitation by CCIM Members" held at New Delhi.	05.02.2019
70.	Meeting of Selection Committee regarding JTA/STA (Ay.) held at New Delhi.	12.02.2019



71.	Meeting of Official Work regarding other work held at New Delhi.	12.02.2019
72.	Meeting of Official Work held at New Delhi.	19.02.2019
73.	Meeting of 277 th Executive Committee held at New Delhi.	26.02.2019
74.	Meeting of Officials work held at New Delhi.	05.03.2019 & 06.03.2019
75.	Meeting of Conclave & Prospects & Constraints for Internationally Practicing ISM professionals held at New Delhi.	10.03.2019 & 11.03.2019
76.	Meeting of 278 th Executive Committee held at New Delhi.	12.03.2019
77.	To attend the office for Official Work held at New Delhi.	18.03.2019 & 19.03.2019
78.	To attend the office for Official Work held at New Delhi.	20.03.2019
79.	To attend the office for Official Work held at New Delhi.	23.03.2019
80.	To attend the office for Official Work held at New Delhi.	25.03.2019
81.	Election of the members of Ayurved for the Executive Committee held at New Delhi.	30.03.2019
82.	Meeting of 279 th Executive Committee held at New Delhi.	30.03.2019
83.	Meeting of 60 th (Special meeting) of CCIM held at New Delhi.	31.03.2019

**AYURVEDA**

In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government after consulting the Central Council of Indian Medicine recognized/included the following medical qualifications of Ayurveda in the Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 during the year 2018-19 also decided to include the name of college along with recognition of University:-

S. No.	Name of University	Recognized medical Qualification	Abbreviation	Validity Period	Gazette Notification No.
1.	"63L. D.Y. Patil University, Nerul, Navi Mumbai	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery)	B.A.M.S.	From 2015 onwards, Subject to permission granted by the Central Government to the School of Ayurveda D.Y. Patil University, Nerul, Navi Mumbai, Maharashtra for admission".	SO No.2034(E) dated, the 17th May, 2018
		Ayurveda Vachaspati	M.D. (Ayurveda)		
		Ayurveda Dhanwantri	M.S. (Ayurveda)		
2.	"98C Amrita Vishwa Vidyapeetham University, Coimbatore	Ayurveda Vachaspati	M.D. (Ayurveda)	From 2017 onwards, if awarded to the students who were admitted with the permission of the Government of India in the year 2013 onwards in Amrita School of Ayurveda, P.O. Clappana, Taluk Karunagappaly, Dist. Kollam, Kerala-690525."	SO No.2035(E) dated, the 14th May, 2018
		Ayurveda Dhanvantari	M.S. (Ayurveda)		
3.	"5B Srimanta Sankaradeva University of Health Sciences, Guwahati, Assam	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery)	B.A.M.S.	From 2015 onwards If awarded to the students who were admitted with the permission of the Central Government in the year 2010 onwards in Government Ayurvedic College, Jalukbari, District Kamrup (Metro), Guwahati - 781014, Assam	SO No.2295(E) dated, the 6th June, 2018
		Ayurveda Vachaspati	M.D. (Ayurveda)	From December 2013 onwards If awarded to the students who were admitted with the permission of the Central Government in the year 2010 onwards in Government Ayurvedic College, Jalukbari, District Kamrup (Metro), Guwahati-781014, Assam	
		Āyurveda Dhanwantri	M.S. (Ayurveda)	From 2017 onwards If awarded to the students who were admitted with the permission of the Central Government in the year 2014-15 onwards in Government Ayurvedic College, Jalukbari, District Kamrup (Metro), Guwahati- 781014, Assam."	
4.	"45 Indore Vishwavidyalaya, Indore	"Bachelor of Ayurveda with Modern Medicine and Surgery	BAMS	From 1969 to 1982".	SO No.3147(E) dated, the 29th June, 2018
	"45A Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore	"Bachelor of Ayurveda with Modern Medicine and Surgery	BAMS	1983	
		Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery	BAMS	1983 onwards".	



S. No.	Name of University	Recognized medical Qualification	Abbreviation	Validity Period	Gazette Notification No.
5.	"56 University of Poona, Pune	"Diploma in Agadatantra Vyavaharayurveda Diploma in Panchakarma Nishnat Diploma in Shalakyakarma Diploma in Striroga and Prasutitantra Diploma in Rasayana and Vajikarana Diploma in Swasthavritta Diploma in Netraroga Diploma in Rog Nidan	-- D.P.C. Ayurved E.N.T. Ayurved -- -- -- -- --	From April 1994 to October 1997, if awarded to the students admitted in the session 1991-92 to 1995-96 in Tilak Ayurved Mahavidyalaya, 583/2, Rasta Peth, Pune-411011, Maharashtra."	SO No.3654(E) dated, the 25th July, 2018
6.	"54D Barakatullah University, Bhopal	Ayurveda Vachaspati Ayurveda Dhanwantri	M.D. (Ayurveda) M.S. (Ayurveda)	From August 2015 onwards, if awarded to the students who had been admitted with the permission of Central Government from year 2011 onwards in the following colleges:- 1. Rani Dullaiya Smriti Ayurvedic P.G. College & Hospital, Barkhedi Kalan, Bhadbhada road, Bhopal-462044, Madhya Pradesh 2. Pt. Khushilal Sharma Govt. (Autonomous) Ayurved College & Institute, Behind Manit, Nehru Nagar, Kolar Bypass Road, Science Hills, Bhopal-462003, Madhya Pradesh From 2017 onwards, if awarded to the students who had been admitted with the permission of Central Government from year 2014 onwards in the following colleges:- 1. Rani Dullaiya Smriti Ayurvedic P.G. College & Hospital, Barkhedi Kalan, Bhadbhada road, Bhopal-462044, Madhya Pradesh	SO No.5481(E) dated, the 18th October, 2018
7.	Gampaha Wickramarachchi Ayurveda Institute, University of Kelaniya, Sri Lanka	Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery	(B.A.M.S)	From April 2006 onwards."	SO No.6472(E) dated, the 31st December, 2018
8.	Banaras Hindu University, Varanasi	Master of Surgery in Ayurveda Ayurveda Vachaspati Ayurveda	M.S. (Ayurved) M.D. (Ayurveda) M.S. (Ayurved)	From July 1996 to July 2010, if awarded to the students from the session 1993 to 2007-08 in the Faculty of Ayurveda, Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi-221005 From July 2011 onwards, if awarded to the students admitted with the permission of Central Government in the year 2008 onwards in the	SO No.702(E) dated, the 31st January, 2019



S. No.	Name of University	Recognized medical Qualification	Abbreviation	Validity Period	Gazette Notification No.
		Dhanvantari		Faculty of Ayurveda, Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi-221005."	
9.	"88F Desh Bhagat University, Mandi Gobindgarh	Ayurvedacharya	BAMS (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery)	From November 2019 onwards, if awarded to the students who had been admitted with the permission of Central Government from year 2013-14 onwards in Desh Bhagat Ayurvedic College and Hospital, Amloh, Dist. Fatehgarh Sahib, Punjab.	SO No.933(E) dated, the 21st February, 2019
10.	"88E Guru Ravidas Ayurved University Punjab, Hoshiarpur	"Ayurveda Vachaspati	M.D. (Ayurveda)	"From April 2017 onwards, if awarded to the students admitted with the permission of Central Government for the session 2013-14 onwards in following college, namely:- Babe Ke Ayurvedic Medical College & Hospital, Village & P.O. Daudhar, Tehsil and District Moga, Punjab142053."	SO No.1144(E) dated, the 07th March, 2019

**NEW PROPOSALS FOR 2018-19 UNDER SECTION 13A**

As per the provisions of Section 13 A of the IMCC Act, 1970, and "the Establishment of New Medical College, Opening of New or Higher Course of Studies or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College Regulations, 2003," 22 proposals for establishment of Ayurveda colleges, 17 for new starting PG Course and PG Diploma or Increase in Intake Capacity in existing UG/PG Courses and 21 Combined UG & PG proposals from various Colleges were forwarded by Government of India, Ministry of AYUSH. The Central Council inspected the institutions and made recommendations for approval/ disapproval of the scheme to the Department of AYUSH.

Proposals Received in 2018-19 for Establishment of New College under Section 13A

S. No.	Name of the College	Proposal with seats	LOI Issued by CCIM (as per GOI letter No.11011/03/2011 EP(H) Part dated 01.09.2017) or GOI
1.	National Institute of Ayurveda & Hospital, 22/23, Knsit Campus, Kogilu Road, Thirumenahalli, Hegdenagar, Bangalore-560064, Karnataka	To start new Ayurveda College with 60 seats in UG(BAMS) course from the academic session 2019-20.	Govt. of India Not issued to Letter of Intent to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2019-20. L-14012/04/2018-EP(1) Dated 10.05.2019
2.	Rajeev Institute of Ayurvedic Medical Sciences and Research Centre, Hassan-573201, Karnataka	To start new Ayurveda College with 60 seats in UG(BAMS) course from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2019-20. Ref. No. 4-170/2019-Ay.NP Dated. 12.04.2019
3.	SBG Ayurvedic Medical College & Hospital, CTS No.-4125/2B, Laxami Tekadi, Opp. Federal Bank, Ganeshpur Road, Belgavi-590009, Karnataka	To start new Ayurveda College with 60 seats in UG(BAMS) course from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2019-20. Ref. No. 4-168/2019-Ay.NP Dated. 12.04.2019
4.	Sharada Ayurveda Medical College and hospital, Devinagar, Talapady Mangaluru, Karnataka	To start new Ayurveda College with 100 seats in UG(BAMS) course from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent to establish a new Ayurvedic College with 60 seats (as consent of affiliation/NOC is submitted for UG 60 seats only) in UG (BAMS) course from the academic session 2019-20. Ref. No. 4-170/2019-Ay.NP Dated. 12.04.2019
5.	Radharaman Ayurved Medical College, Research Hospital, Fathepur Dobra, Ratibad, Bhopal-462042, Madhya Pradesh	To start new Ayurveda College with 100 seats in UG(BAMS) course from the academic session 2019-20.	Govt. of India Not issued to Letter of Intent to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2019-20. L-14012/05/2018-EP(1) Dated 31.05.2019
6.	Shri Rawatpura Sarkar Ayurvedic Medical College & Hospital, MP	To start new Ayurveda College with 100 seats in UG(BAMS) course from the academic session 2019-20.	Govt. of India Not issued to Letter of Intent to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2019-20. L-14012/03/2018-EP(1) Dated 24.05.2019
7.	Dr. Shankar Dayal Sharma Ayurvedic College & Hospital, Bhopal, Madhya Pradesh	To start new Ayurveda College with 60 seats in UG(BAMS) course from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2019-20. Ref. No. 3-5/2018-Ay. (50)NP Dated. 11.04.2019
8.	Bhimashankar Ayurved College, Wadgaon, Kashimbeg (Walunjwadi), Tal. Ambegaon, Dist. Pune, Maharashtra	To start new Ayurveda College with 60 seats in UG(BAMS) course	CCIM issued to Letter of Intent to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2019-20. Ref. No. 3-3/2018-Ay. (110) Dated. 12.04.2019
9.	Smt. Shalnitai Meghe Ayurved Medical College, Hospital & Research Centre at-Bhillewada, Bhandara, Maharashtra	To start new Ayurveda College with 60 seats in UG(BAMS) course from the academic session 2019-20.	Govt. of India Not issued to Letter of Intent to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2019-20. L-14012/26/2018-EP(1) Dated 28.05.2019



S. No.	Name of the College	Proposal with seats	LOI Issued by CCIM (as per GOI letter No.11011/03/2011 EP(H) Part dated 01.09.2017) or GOI
10.	Dr. Deepak Patil Ayurvedic Medical College & Research Center, A/p Borpadale, Tal. Panhala, Dist. Kolhapur-416213, Maharashtra	To start new Ayurveda College with 60 seats in UG(BAMS) course from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2019-20. Ref. No. 3-4/2018-Ay. (69) Dated. 11.04.2019
11.	Oyster Ayurved Medical College, Gut No.-617, Golatgaon, Nagonachiwadi, Jalna Road, Near Karmad, Aurangabad-431201, Maharashtra	To start new Ayurveda College with 60 seats in UG(BAMS) course from the academic session 2019-20.	Govt. of India Not issued to Letter of Intent to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2019-20. L-14012/01/2018-EP(1) Dated 01.07.2019
12.	B.R. Harne Ayurvedic Medical College, At Karva, Vangani (W), Tal Ambernath, Distt. Thane-421503, Maharashtra	To start new Ayurveda College with 100 seats in UG(BAMS) course from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2019-20. Ref. No. 3-3/2019-Ay. (100) Dated. 21.06.2019
13.	Government Ayurved College & Hospital, P.O. Chincholi, Ajanta Road, TQ. & Dist. Jalgaon, Maharashtra	To start new Ayurveda College with 100 seats in UG(BAMS) course from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2019-20. Ref. No. 3-3/2019-Ay. (111)NP Dated. 21.06.2019
14.	Biyani Ayurvedic Medical College and hospital (for girls) at Champapura, Kalwar Road, jaipur, Rajasthan	To start new Ayurveda College with 60 seats in UG(BAMS) course from the academic session 2019-20.	Govt. of India Not issued to Letter of Intent to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2019-20. L-14012/13/2018-EP(1) Dated 09.05.2019
15.	Sourabh Ayurved and Medical College, Kheda, Hindaum, Distt. Karouli, Rajasthan	To start new Ayurveda College with 60 seats in UG(BAMS) course from the academic session 2019-20.	Govt. of India Not issued to Letter of Intent to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2019-20. L-14012/08/2018-EP(1) Dated 25.05.2019
16.	Norang Ram Dayanand Ayurved College, Malsisar Road, Jhunjhunu-333001, Rajasthan	To start new Ayurveda College with 60 seats in UG(BAMS) course from the academic session 2019-20.	Govt. of India Not issued to Letter of Intent to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2019-20. L-14012/07/2018-EP(1) Dated 21.05.2019
17.	Keshav Ayurvedic Medical College and hospital, Aklera, Jhalawar-326033, Rajasthan	To start new Ayurveda College with 60 seats in UG(BAMS) course from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2019-20. Ref. No. 26-144/2019-Ay. Dated. 12.04.2019
18.	Nandha Ayurveda Medical College and hospital, At Thiruvachi Village, Pittchandampalayam Post, Erode-638052, Tamil Nadu	To start new Ayurveda College with 60 seats in UG(BAMS) course from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2019-20. Ref. No. 3-3/2018-Ay.(110) Dated. 12.04.2019
19.	Immanuel Arasar Ayurveda Medical College, Tamil Nadu	To start new Ayurveda College with 100 seats in UG(BAMS) course	Govt. of India Not issued to Letter of Intent to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2019-20. L-14012/26/2018-EP(1) Dated 28.05.2019
20.	SVS Ayurvedic Medical College and Hopital, Ganga Nahar, Hastinapu Road, Mawana, Merrut-250401, Uttar Pradesh	To start new Ayurveda College with 100 seats in UG(BAMS) course from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2019-20. Ref. No. 3-4/2019-Ay.(69) Dated. 11.04.2019
21.	Jay Jalaram Ayurvedic Medical College, Shivpuri, Post-Kakanpur, Ta. Godhra, Distt. Panchmahal-388713, Gujarat	To start new Ayurveda College with 100 seats in UG(BAMS) course from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2019-20. Ref. No. 26-107/2017-Ay. Dated. 15.06.2019
22.	Aarihant Ayurvedic Medical College & Research Institute, At. Bhoyan Rathod, Opp. IFFCO-Sertha Road, Gandhinagar-382420, Gujarat	To start new Ayurveda College with 100 seats in UG(BAMS) course from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2019-20. Ref. No. 26-128/2017-Ay. Dated. 11.06.2019



**For Starting New PG Course/PG Diploma and or Increase in Intake Capacity in existing
PG Course Under Section 13A (2018-19)**

S. NO	Name of the College	Proposal with seats	LOI Issued by CCIM (as per GOI letter No.11011/03/2011 EP(H) Part dated 01.09.2017) or GOI
1.	Chaudhary Brahm Prakash Ayurved Charak Sansthan, Khera Dabar, Najafgarh, New Delhi-110073	To start 02 New PG courses namely (i) Swastharitta and (ii) Dravyaguna with 06 seats in each subject from the academic session 2019-20.	Govt. of India Not issued to Letter of Intent To start 02 New PG courses namely (i) Swastharitta and (ii) Dravyaguna with 06 seats in each subject from the academic session 2019-20. L-14015/07/2018-EP(1) Dated 23.05.2019
2.	Government Ayurveda College,P.O Pariyaram, Kannur-670503, Kerala	To increase the intake capacity in existing 02 PG courses namely (i) Kriya Sharir, (ii) Rog Nidan from 05 seats to 07 seats in each subject from the academic session 2019-20.	Govt. of India Not issued to Letter of Intent To start 03 New PG courses namely (i) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana, (ii) Shalya Tantra and (iii) Shalakya Tantra with 05 seats in each subject and To increase the intake capacity in existing 02 PG courses namely (i) Kriya Sharir, (ii) Rog Nidan from 05 seats to 07 seats in each subject from the academic session 2019-20. L-14013/26/2018-EP(1) & L-14015/12/2018-EP(1) Dated 09.05.2019
		To start 03 New PG courses namely:- (i) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana, (ii) Shalya Tantra and (iii) Shalakya Tantra with 05 seats in each subject from the academic session 2019-20.	
		To start 01 New PG diploma namely (i) Roga Nidan with 02 seats from the academic session 2019-20.	
3.	Govt. Ayurveda College, M.G Road, Taluke & District Thiruvananthapuram-695001, Kerala	To increase the intake capacity in existing 01 PG course namely (i) Shalya Tantra from 03 seats to 08 seats from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent to increase in intake capacity in existing PG course in Shalya Tantra from 03 seats to 08 seats from the academic session 2019-20. Ref. No. 4-57/2018-Ay. Dated. 12.04.2019
		To start 08 New PG Diploma courses namely (i) Kshar Karma, (ii) Swasthavritta & Yoga, (iii) Balaroga, (iv) Netra Roga Vigyan, (v) Prasuti & Stri Roga, (vi) Ayurvedic Pharmacuetics-Rasashastra & Bhaishajya Kalpana, (vii) Dravyaguna and (viii) Rasayan & Vajikaran with 02 seats in each diploma subject from the academic session 2019-20.	CCIM Not issued to Letter of Intent To start 08 New PG Diploma courses namely (i) Kshar Karma, (ii) Swasthavritta & Yoga, (iii) Balaroga, (iv) Netra Roga Vigyan, (v) Prasuti & Stri Roga, (vi) Ayurvedic Pharmacuetics-Rasashastra & Bhaishajya Kalpana, (vii) Dravyaguna and (viii) Rasayan & Vajikaran with 02 seats in each diploma subject from the academic session 2019-20. Ref. No. 4-57/2019-Ay. Dated. 12.06.2019
4.	Dayanand Ayurvedic College, Mahatma Hans Raj Marg, G.T. Road, Opp. Burlton Park, Dist.Jalandhar-144008, Punjab	To start 02 New PG courses namely:- (i) Dravyaguna, and (ii) Panchkarma with 05 seats in each subject from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent To Open 02 New PG courses namely:- (i) Dravyaguna and (ii) Panchkarma with 05 seats in each subject from the academic session 2019-20. Ref. No. 4-68/2018-Ay. Dated. 12.04.2019



S. NO	Name of the College	Proposal with seats	LOI Issued by CCIM (as per GOI letter No.11011/03/2011 EP(H) Part dated 01.09.2017) or GOI
5.	MMM Govt. Ayurved College, Th. Girwa, Dist. Udaipur 313001, Rajasthan	To start 02 New PG courses namely (i) Rog nidan and, (ii) Prasuti Tantra evum Stri Roga with 05 seats in each subject from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent To Open 02 new PG courses namely (i) Rog Nidan, and (ii) Prasuti Tantra evum Stri Roga with 05 seats in each subject from the academic session 2019-20. Ref. No. 4-47/2018-College. Dated. 15.04.2019
6.	Shri Krishna Govt. Ayurvedic College & Hospital, Umri Road, Near DC Residence, Sec-8, kurukshetra-136118, Haryana	To start 03 New PG courses namely (i) Shalya Tantra, (ii) Rachna Sharir and (iii) Kriya Sharir with 06 seats in each subject from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent to start New PG course in the subject namely (i) Kaumarbhritya and (ii) Panchkarma with 03 seats in each subjects and to start the new PG course in the subject namely (i) Shalaya Tantra (ii) Rachna Sharir (iii) Kriya Sharir with 06 seats in each subject from the academic session 2019-20. Ref. No. 26-35/2018-College. Dated. 12.04.2019
		To start 02 New PG courses namely (i) Kaumarbhritya and (ii) Panchkarma with 03 seats in each subject from the academic session 2019-20.	
7.	Government Ayurveda College, Dhanwantri Nagar, Taluk Kanayannur, Distt. Ernakulam, Tripunithura-682301, Kerala	To start 03 New PG diploma namely (i) Manasika Swasthya Vigyan, (ii) Netra Roga Vigyan and (iii) Sawasthavritta & Yoga with 02 seats in each subject from the academic session 2019-20.	CCIM Not issued to Letter of Intent To start 03 New PG diploma namely (i) Manasika Swasthya Vigyan, (ii) Netra Roga Vigyan and (iii) Sawasthavritta & Yoga with 02 seats in each subject from the academic session 2019-20. Ref. No. 4-48/2019-Ay.(01) Dated. 02.05.2019
8.	Vaidyaratnam P.S. Varier Ayurveda College, Kottakkal, P.O Edarikode, Taluk-Tirur, Dist. Malappuram-676501 Kerala	To start 04 New PG Diploma courses namely (i) Diploma in Dravyaguna (Pharmacognosy & Standardization), (ii) Diploma in Swasthavritta & Yoga, (iii) Diploma in Panchkarma, and (iv) Diploma in Manasik Swasthya Vigyan with 02 seats in each diploma subject from the academic session 2019-20.	CCIM Not issued to Letter of Intent To start 04 New PG Diploma courses namely (i) Diploma in Dravyaguna (Pharmacognosy & Standardization), (ii) Diploma in Swasthavritta & Yoga, (iii) Diploma in Panchkarma, and (iv) Diploma in Manasik Swasthya Vigyan with 02 seats in each diploma subject from the academic session 2019-20. Ref. No. 4-54/2019-Ay.(01) Dated. 24.05.2019



**Proposal received in 2018-19 for increasing Intake Capacity in UG Course only Under
Section 13A**

S. No.	Name of the College	Proposal with seats	LOI Issued by CCIM (as per GOI letter No.11011/03/2011 EP(H) Part dated 01.09.2017) or GOI
1.	Government Ayurvedic College, Jalukbari, Distt-Kamrup (Metro), Guwahati- 781014 , Assam	To increase the intake capacity in existing UG(BAMS) Course from 50 to 60 seats from the academic session 2019-20.	Govt. of India Not issued to Letter of Intent to increase the intake capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2019-20. L-14013/04/2018-EP(1) Dated 23.05.2019
2.	Govindbhai Jorabhai Patel Ayurveda College and Research Centre B/h G.I.D.C, New Vallabh Vidyanagar, Taluka; Dist. Anand-388121 Gujarat	To increase the intake capacity in existing UG(BAMS) Course from 60 to 100 seats from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent to increase the intake capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2019-20. Ref. No. 26-59/2018-College Dated. 08.04.2019
3.	B. M. Education Foundation Trust, Shekhawati Ayurvedic College Behl Road, Harikunj, Ganga Colony, Teh. Chirawa, Distt. Jhunjhunu, Pilani-333031, Rajasthan	To increase the intake capacity in existing UG(BAMS) Course from 60 to 100 seats from the academic session 2019-20.	Govt. of India Not issued to Letter of Intent to increase the intake capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2019-20. L-14013/23/2018-EP(1) Dated 23.05.2019
4.	Shri Jagadguru Gurusiddeshwar Co-Operative Society's Sahakar Maharshi, Shri B. A. Patil Ayurvedic Medical College, Tal-Gokak, Dist. Belgaum, Ghataprabha-591310 Karnataka	To increase the intake capacity in existing UG(BAMS) Course from 60 to 100 seats from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent to increase the intake capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2019-20. Ref. No. 4-21/2018-Ay Dated. 12.04.2019
5.	Vaidyaratnam Ayurveda College, Ollur, Thakkattussery Thrissur-680322 Kerala	To increase the intake capacity in existing UG(BAMS) Course from 50 to 60 seats from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent to increase the intake capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2019-20. Ref. No. 4-55/2018-Ay. Dated. 12.04.2019
6.	Aditya Ayurved College, At Telgaon Road, Dist. Beed-431122, Maharashtra	To increase the intake capacity in existing UG(BAMS) Course from 50 to 100 seats from the academic session 2019-20.	LOI Not received yet from GOI
7.	Shubhdeep Ayurved Medical College, Gram- Datoda, Khandwa Road Teh. Mhow, Near Chokhi Dhani Distt.-Indore-452020, MP	To increase the intake capacity in existing UG(BAMS) Course from 60 to 100 seats from the academic session 2019-20.	Govt. of India Not issued to Letter of Intent to increase the intake capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2019-20. L-14013/17/2018-EP(1) dated 28.05.2019
8.	Sri Sri Nrusinghnath Ayurved College & Research Institute, P.O Paikmal, Dist. Bargarh-768039 Orissa	To increase the intake capacity in existing UG(BAMS) Course from 50 to 60 seats from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent to increase the intake capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2019-20. Ref. No. 26-44/2018-College Dated. 11.04.2019
9.	JR's Tantia Shri Ganganagar College of Ayurvedic Science & Hospital, Near RIICO, Hanumangarh Road, Sri Ganganagar-335002 Rajasthan	To increase the intake capacity in existing UG(BAMS) Course from 60 to 100 seats from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent to increase the intake capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2019-20. Ref. No. 26-52/2018-College Dated. 11.04.2019
10.	Shri Bhanwar Lal Dugar Ayurved Vishwabharti Gandhi Vidya Mandir Dist. Churu, Sardar Shahr-331403, Rajasthan	To increase the intake capacity in existing UG(BAMS) Course from 50 to 60 seats from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent to increase the intake capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2019-20. Ref. No. 26-48/2018-College Dated. 12.04.2019



S. No.	Name of the College	Proposal with seats	LOI Issued by CCIM (as per GOI letter No.11011/03/2011 EP(H) Part dated 01.09.2017) or GOI
11.	Government Ayurvedic College & Hospital, Atarra-210201, Dist. Banda, Uttar Pradesh	To increase the intake capacity in existing UG(BAMS) Course from 40 to 60 seats from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent to increase the intake capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats from the academic session 2019-20. Ref. No. 3-4/2018-Ay.(07) Dated. 06.06.2019
12.	Govt. Ayurvedic College & Hospital, Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi-221002, Uttar Pradesh	To increase the intake capacity in existing UG(BAMS) Course from 40 to 60 seats from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent to increase the intake capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats from the academic session 2019-20. Ref. No. 3-4/2018-Ay.(16) Dated. 06.06.2019
13.	Dayabhai Maoji Majithiya Ayurved Mahavidyalaya, Shivaji Nagar, Arni Road, Dist.-Yavatmal-445001 Maharashtra	To increase the intake capacity in existing UG(BAMS) Course from 50 to 60 seats from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent to increase the intake capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2019-20. Ref. No. 3-3/2018-Ay.(37) Dated. 11.04.2019
14.	Shri Lal Bhadur Shastri Smarak Rajkiya Ayurveda Govt. College, Jawahar Nagar, Handia, Allahabad-221503 Uttar Pradesh	To increase the intake capacity in existing UG(BAMS) Course from 30 to 60 seats from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent to increase the intake capacity in existing UG (BAMS) course from 30 to 60 seats from the academic session 2019-20. Ref. No. 3-4/2018-Ay.(16) Dated. 06.06.2019

**Combined UG & PG Proposals 2018-19**

S. No.	Name of the College	Proposal with seats	LOI Issued by CCIM (as per GOI letter No.11011/03/2011 EP(H) Part dated 01.09.2017) or GOI
1.	Government Ayurvedic College & Hospital, Kadam Kuan, Patna- 800003, Bihar	To increase the intake capacity in existing UG(BAMS) Course from 40 to 100 seats and To start 06 New PG courses namely (i) Ayurved Samhita & Siddhant, (ii) Rachna Sharir, (iii) Agad Tantra evum Vidhi Vaidyaka, (iv) Shalkya Tantra, (v) Rog Nidan Evum Vikriti Vigyan, and (vi) Kayachikitsa (seats not mentioned) from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent to issue Letter of Intent to Increase in intake capacity in existing UG BAMS course from 40 to 100 seats to start new 06 P.G. Courses namely (i) Kayachikitsa (ii) Rachana Sharir (iii) Ayurved Samhita Siddhant (iv) Agad Tantra avum Vidhi Vaidyak (v) Shalakyia Tantra and (vi) Rog Nidan Avum Vikriti Vigyan with 05 seats in each subject from the academic session 2019-20. Ref. No. 26-6/2019-College. Dated. 06.06.2019
2.	Shri Basaveshwar Vidya Vardhak Sangha Ayurved Medical College & Hospital, P.B. No. 34. Distt. Bagalkot-587101, Karnataka	To increase the intake capacity in existing UG(BAMS) Course from 60 to 100 seats and To start 03 New PG courses namely (i) Rachna Sharir, (ii) Panchkarma and (iii) Shalakyia Tantra with 05 seats in each subject from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent to start 02 New PG courses namely:- (i) Rachana Sharir and (ii) Panchkarma with 05 seats in each subject from the academic session 2019-20. Ref. No. 4-32/2018-Ay. Dated. 16.04.2019 Govt. of India Not issued to Letter of Intent to increase the intake capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats and To start 01 New PG courses namely (i) Shalakyia Tantra with 05 seats in each subject from the academic session 2019-20. L-14013/14/2018-EP(1) & L-14015/13/2018-EP(1) Dated 24.05.2019
3.	State Ayurvedic College & Hospital, Tulsidass Marg, Lucknow-226004, Uttar Pradesh	To increase the intake capacity in existing UG(BAMS) Course from 50 to 60 seats and To start 03 New PG subject namely (i) Rasashastra and Bhaishajya Kalpana, (ii) Prasuti Tantra & Stree Roga and (iii) Ayurveda Samhita & Siddhanta with 05 seats from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent to increase in intake capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats and to starting 03 New PG courses in Rasashastra and Bhaishajya Kalpana, Prasuti Tantra and Stree Roga and Ayurveda Samhita and Siddhanta with admission capacity of 05 seats in each subject from the academic session 2019-20. Ref. No. 3-4/2018-Ay.(4) Dated. 11.04.2019
4.	Sri Jayendra Sarswathi Ayurveda College & Hospital 4/295, Bangalore High Road, Nazarethpet, Chennai, Taluka Poonamallee, Dist. Thiruvallur-600123, Tamil Nadu	To increase the intake capacity in existing UG(BAMS) Course from 50 to 60 seats and To open 05 New PG courses namely, (i) Kayachikitsa, (ii) Panchkarma, (iii) Shalya Tantra, (iv) Prasuti Tantra & Bhaishajya Kalpna with 06 seats in each subject from the academic session 2019-20.	CCIM issued to Letter of Intent to increase in existing UG (BAMS) seats from 50 to 60 seats and To Open 05 New PG courses namely (i) Kayachikitsa, (ii) Panchkarma, (iii) Shalya Tantra, (iv) Prasuti Tantra & Stri Roga, (v) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana with 06 seats in each subject from the academic session 2019-20. Ref. No. 4-78/2018-Ay. Dated. 12.04.2019

**VISITATION OF COLLEGES**

Central Council of Indian Medicine conducted the visitation of following Ayurveda colleges to furnish the recommendations to Govt. of India for the year 2018-19 under section 13C of IMCC Act, 1970 and Permission Status for the Proposals of Colleges Received in Previous Year Under Section 13A (For Letter of Permission)

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
1.	Dr. BRKR Govt. Ayurvedic College, Opp. E.S.I Hospital, Erragadda, Hyderabad-500038, Telangana	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 50 seats in UG(BAMS) course and 38 seats in 07 PG courses namely:- (i)Kayachikitsa-10 seats, (ii)Shalya Tantra-03 seats, (iii)Shalakya Tantra-03 seats, (iv)Prasuti & Striroga- 04 seats, (v)Dravyaguna-06 seats & (vi)Panchakarma-06 seats and (vii)Ayurveda Samhita & Siddhanta-06 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act,1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS)course and 38 seats in 07 PG courses namely (i)Kayachikitsa-10 seats, (ii)Shalya Tantra-03 seats, (iii)Shalakya Tantra-03 seats, (iv)Prasuti & Striroga- 04 seats, (v) Dravyaguna-06 seats & (vi)Panchakarma-06 seats and (vii)Ayurveda Samhita & Siddhanta-06 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/01/2018-EP (IM-1) 04.08.2018
2.	Dr. NR Shastry Govt. Ayurvedic College, M.G. Road, Vijayawada-520002, Urban Mandal, Krishna District. Andhra Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course and 20 seats in 04 PG subject namely:- (i)Dravyaguna Vigyana, (ii)Rasashastra Bhaishajya Kalpana, (iii)Prasuti Tantra and (iv)Kayachikitsa with 05 seats in each subject for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act,1970.	Grant of conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 20 seats in 04 PG subject namely:- (i)Dravyaguna Vigyana, (ii)Rasashastra & Bhaishajya Kalpana, (iii)Prasuti Tantra and (iv)Kayachikitsa with 05 seats in each subject for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.17011/02/2018-EP (IM-1) dated 23.07.2018
3.	Sri Venkateshwara Ayurvedic College, SVIMS Campus, T T Devasthanam, Tirupati North-517507, Andhra Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course and PG Courses for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 40 seats in BAMS(UG) course and 29 seats in 05 PG courses namely:- (i) Dravyaguna Vigyan-06 seats, (ii) Rasashastra evum Bhaishajya kalpana-06 seats (iii) Panchkarma-06 seats (iv) Shalya Tantra-06 seats and (v) Kaumarbhartiya-05 seats (instead of 06 seats) for the academic session 2018-19 and denial permission for 01 PG Course namely Ayurveda Samhita & Siddhanta-06 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/03/2018-EP(IM-1) dated 04.10.2018
4.	Anantha Laxmi Govt. Ayurvedic College, Post Laxmipura, Labour Colony, Tq. & Distt. Warangal-506013, Telangana	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 50 seats Upto 2020-21. R-17011/04/2016-EP (IM-1), 07.09.2016
5.	Vaagdevi Ayurvedic Medical College, Vill: Bollikunta, Mdl: Sangem, Dist:-Warangal- 506005, Telangana	Not visited by the CCIM for the academic session 2018-19 therefore, the recommendation of the CCIM may be treated as nil.	
6.	Vaageswari Ayurvedic Medical College, Beside L.M.D. Police Station, Rama Krishna Colony, Thimmapur, Karimnagar -505481, Telangana	Not visited by the CCIM for the academic session 2018-19 therefore, the recommendation of the CCIM may be treated as nil.	



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
7.	MNR Ayurveda Medical College & Hospital, MNR Nagar, Narsapur Road, Fasalwadi, Sangareddy-502294, Medak District Telangana	Not visited by the CCIM for the academic session 2018-19 therefore, the recommendation of the CCIM may be treated as nil.	
8.	Government Ayurvedic College, Jalukbari, Distt-Kamrup (Metro), Guwahati- 781014 , Assam	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 50 seats in UG (BAMS) course and 24 seats in 06 PG courses namely:-(i) Ayurveda Samhita & Siddhant-06 seats, (ii) Rachna Sharir-02 seats, (iii) Rog Nidan Evum Vikriti Vigyan-03 seats (iv) Prasuti Tantra & Stri Roga-04 seats, (v) Kayachikitsa-06 seats and (vi) Shalya Tantra-03 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course and 24 seats in 06 PG courses namely:-(i) Ayurveda Samhita & Siddhant-06 seats, (ii) Rachna Sharir-02 seats, (iii) Rog Nidan Evum Vikriti Vigyan-03 seats (iv) Prasuti Tantra & Stri Roga-04 seats, (v) Kayachikitsa-06 seats and (vi) Shalya Tantra-03 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/05/2018-EP(IM-1) dated 13.09.2018
9.	Government Ayurvedic College & Hospital, Kadam Kuan, Patna-800003, Bihar	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 40 seats in UG(BAMS) course and 08 seats in 02 PG courses namely:- (i) Dravyaguna-04 seats and (ii) Rasashastra & Bhaisajya Kalpana-04 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act,1970.	Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG (BAMS) course and 08 seats in 02 PG courses namely:- (i) Dravyaguna-04 seats and (ii) Rasashastra & Bhaisajya Kalpana-04 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/06/2018-EP(IM-1) dated 13.08.2018
10.	Ravindranath Mukherjee Ayurved College, Motihari, Dist. East Champaran- 845401, Bihar	Not visited by the CCIM for the academic session 2018-19 therefore, the recommendation of the CCIM may be treated as nil.	
11.	Rajkiya Ayodhya Shivkumar Ayurved College & Hospital At Lohianagar, P.O.-Suhirdnagar, Dist. Begusai-851218 , Bihar	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 30 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 30 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.17011/08/2018-EP(IM-1) dated 29.10.2018
12.	Swami Raghavendracharya Tridandi, Ayurved Mahavidyalaya and Chikitsalaya, Karjara Station, PO Manjhouli, Via Wazirganj, Gaya-823001, Bihar	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 40 seats Upto 2018-19 letter no. R-17011/09/2014-EP (IM-1) dated 29.08.2014
13.	Shri Motisingh Jageshwari Ayurved College & Hospital, Bada Telpa, Chapra, Saran- 841301, Bihar	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 40 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/10/2018-EP(IM-1) dated 26.09.2018
14.	Nitishwar Ayurved Medical College & Hospital, Bawan Bigha, Kanhauli, P.O. Ramana, Muzzafarpur- 842002, Bihar	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 50 seats in UG(BAMS) course and 12 seats in 02 PG courses namely:- (i) Shalya Tantra (ii) Prasuti Tantra & Striroga-06 seats in each subjects for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course and Denial of Permission to conduct 12 seats in 02 PG courses namely:- (i) Shalya Tantra-06 (ii) Prasuti Tantra & Striroga-06 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, R-17011/11/2018-EP(IM-1) dated 26.09.2018
15.	Ayurved Mahavidyalaya, Ghughari Tand, Gaya-823001, Bihar	Not visited by the CCIM for the academic session 2018-19 therefore, the recommendation of the CCIM may be treated as nil.	



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
16.	Dayanand Ayurvedic Medical College & Hospital, Siwan- 841266, Bihar	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course and PG Courses for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 50 seats and 08 seats in 02 PG courses namely:- (i) Kayachikitsa-04 (ii) Dravyaguna-04 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, R-17011/13/2018-EP(IM-1) dated 25.09.2018
17.	Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurvedic College, G.E. Road, Raipur- 492001, Chhattisgarh	Recommended to Government of India for granting permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course and 53 seats in 11 PG courses namely:- (i)Kayachikitsa-05 seats, (ii)Rasashastra & Bhaishajya Kalpna-03 seats, (iii)Samhita Siddhant-03 seats, (iv)Rachna Sharir-03 seats, (v)Shalya Tantra-03 seats, (vi)Dravyaguna-06 seats, (vii)Roga Nidan-06 seats, (viii)Kriya Sharir-06 seats, (ix)Agad Tantra evam Vidhi Vaidyaka-06 seats, (x)Swathavritta & Yoga-06 seats and (xi)Kaumarbhritya-06 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 53 seats in 11 PG courses namely:- (i)Kayachikitsa-05 seats, (ii)Rasashastra & Bhaishajya Kalpna-03 seats, (iii)Samhita Siddhant-03 seats, (iv)Rachna Sharir-03 seats, (v)Shalya Tantra-03 seats, (vi)Dravyaguna-06 seats, (vii)Roga Nidan-06 seats, (viii)Kriya Sharir-06 seats, (ix)Agad Tantra evam Vidhi Vaidyaka-06 seats, (x)Swathavritta & Yoga-06 seats and (xi)Kaumarbhritya-06 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/15/2018-EP(IM-1) dated 02.08.2018
18.	Rajiv Lochan Ayurved Medical College, Village & Post-Chandkhuri Gunderdehi Road, Distt. Durg- 491221, Chhattisgarh	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	Withdrawal of permission granted for not exceeding five years from the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21 vide letter dated 15.11.2016 and denial of permission to the Rajiv Lochan Ayurvedic Medical College, Chhattisgarh for conducting 60 seats in BAMS (UG) course under Section 13A/13C of the IMCC Act, 1970 for the session 2018-19. R-17011/16/2016-EP(IM-1) dated 08.09.2018
19.	Chhattisgarh Ayurved Medical College, G.E. Road, Village Manki, Dist.-Rajnandgaon 491441, Chhattisgarh	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats Upto 2020-21. R-12011/03/2005-EP(IM-1) for 2016-17 dated 15.11.2016
20.	Shri Dhanwantry Ayurvedic College, and Dabur Dhanwantry Hospital, Plot No.-M-688, Sector 46-B Chandigarh- 160017	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5years i.e. Upto 2018-19.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 50 seats Upto 2018-19 letter no. R-17011/14/2014-EP (IM-1) dated 25.09.2014
21.	Ayurved & Unani Tibbia College and Hospital, Ajmal Khan Road, Karol Bagh, New Delhi-110005	Recommended to Government of India for granting permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course and 06 seats in 02 PG courses namely:- (i)Kayachikitsa-03 seats and (ii) Kriya Sharir-03 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 06 seats in 02 PG courses namely:- (i)Kayachikitsa-03 seats and (ii) Kriya Sharir-03 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, R-17011/17/2018-EP(IM-1) dated 10.08.2018
22.	Ch. Brahm Prakash Ayurved Charak Sansthan, Khera Dabar, Najafgarh, New Delhi-110073	Recommended to Government of India for granting permission for admission with 100 seats in UG(BAMS) course and 29 seats in 05 PG courses namely:-(i) Rachana Shareer-06 seats, (ii) Kayachikitsa-06 seats, (iii) Roga Nidana-06 seats, (iv) Kriya Shareer-06 seats, and (v) Panchkarma-05 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 100 seats in UG (BAMS) course and 29 seats in 05 PG courses namely:- (i) Rachna Sharir-06 seats, (ii) Kayachikitsa-06 seats (iii) Rog Nidan & Vikriti Vigyan-06 seats, (iv) Kriya Sharir-06 seats and (v)Panchkarma-05 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, R-12011/03/2010-EP(IM-1) for 2018-19 dated 10.08.2018



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
23.	Bharteeya Sanskrit Prabodhini, Gomantak Ayurveda Mahavidyalaya & Research Centre, Shiroda Tq. Ponda, Distt. North Goa-403103	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21. Recommended to Government of India for issuing conditional LOP to start 02 new PG course namely:- (i)Kayachikitsa and (ii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana with 06 seats in each subject from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to start 02 new PG course namely:- (i)Kayachikitsa and (ii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana with 06 seats in each subject from the academic session 2018-19 under section 13A of the IMCC Act,1970. R.14011/02/2017-EP(IM-1) dated 30.10.2018. Central Government to withdraw the earlier permission granted for a period not exceeding 05 years i.e. from the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21 granted to the college for 60 seats in UG(BAMS) course vide ministry letter no. R-17011/18/2016-EP(IM-1) dated 02.09.2016 and its decided to convert it into conditional permission to take admission capacity for 60 seats in UG (BAMS) course for academic session 2018-19 only U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.
24.	Govt. Akhandanand Ayurved College & Hospital, Lal Darwaja, Bhadra, Ahmedabad- 380001, Gujarat	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG (BAMS) course and 21 seats in 04 PG courses namely:- (i)Kayachikitsa-06 seats, (ii)Panchkarma-05 seats (iii)Shalya Tantra-05 seats and (iv)Shalakya Tantra-05 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats (instead of 75) in UG (BAMS) course and 21 seats in 04 PG courses namely:- (i)Kayachikitsa-06 seats, (ii)Panchkarma-05 seats (iii)Shalya Tantra-05 seats and (iv)Shalakya Tantra-05 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, R-17011/19/2018-EP(IM-1) dated 10.08.2018
25.	J.S. Ayurved Mahavidyalaya, Hospital Road, Dist.- Kaira, Nadiad-387001, Gujarat	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 100 seats and 25 seats in 05 PG courses namely:- (i) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats and (ii) Kayachikitsa-05 seats (iii) Rachna Sharir-05 seats, (iv) Dravyaguna-05 seats and (v) Panchkarma-05 seats Upto 2020-21. R-17011/20/2016-EP(IM-1) dated 03.10.2016 and F.No.R.13011/27/2015-EP(IM-1) dated 01.12.2016
26.	Govt. Ayurved Mahavidyalaya, Ajwa Road, Vadodara-390019, Gujarat	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG (BAMS) course and 10 seats in 02 PG courses namely:- (i) Dravyaguna and (ii) Rasashastra & Bhaishajya kalpana subject with 05 seats in each course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 10 seats in 02 PG courses namely:- (i) Dravyaguna and (ii) Rasashastra & Bhaishajya kalpana subject with 05 seats in each course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/21/2018-EP(IM-1) dated 27.07.2018
27.	Aryakanya Shuddha Ayurved Mahavidyalaya, Kareli Baug, Vadodara-390018, Gujarat	Not visited by the CCIM for the academic session 2018-19 therefore, the recommendation of the CCIM may be treated as nil.	
28.	Sheth JP Govt. Ayurved College, Opp. Sardar Baug, Panvadi, Bhavanagar- 364001, Gujarat	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats Upto 2020-21. R-17011/23/2016-EP(IM-1) dated 22.09.2016
29.	Govt. Ayurved College, Pancheshwar Road, Near Geeta Cinema, Junagadh-362001, Gujarat	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/24/2018-EP(IM-1) dated 25.07.2018



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
30.	Shri Balahanuman Ayurved Mahavidyalaya, At & Post Lodra, Ta. Mansa, Dist. Gandhinagar-382835, Gujarat	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course for the session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 35 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R.17011/25/2018-EP(IM-1) dated 18.09.2018
31.	Shri OH Nazar Ayurved College, Nr. Railway Station, Lal Darwaja Road, Tauka: Choryasi, Dist-Surat-395003, Gujarat	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/26/2018-EP(IM-1) dated 25.07.2018
32.	Shri Gulab Kunverba Ayurved Mahavidyalaya, Dhanwantri Mandir, Jamnagar-361008, Gujarat	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/27/2018-EP(IM-1) dated 27.07.2018
33.	Institute for Post Graduate Teaching & Research in Ayurveda Office to the Director Sushruta Bhavan, Gujarat Ayurved University, G.G. Hospital Road, Jamnagar 361008, Gujarat	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission in 53 seats in 10 PG subjects namely:- (i)Ayurved Samhita & Siddhant-06 Seats, (ii)Dravyaguna vigyana-06 seats, (iii) Kaumarbhritiya-05 seats, (iv)Rog Nidan avum vikriti vigyan-03 seats (v)Kayachikitsa-04 seats, (vi)Prasuti & Stri Roga-06 seats, (vii)Shalakyia Tantra-06 seats, (viii)Shalya Tantra-05 seats, (ix)Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats and (x)Panchakarma-06 seats and 24 seats in 06 PG Diploma courses namely:- (i) Balroga-05 seats, (ii) Netra Roga Vigyan-05 seats, (iii) Ayurvedic cosmetology & Skin disease-02 seats, (iv) Prasuti & Stri Roga-02 seats (v)Kshara Karma-05 seats and (vi)Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for admission in 53 seats in 10 PG subjects namely:- (i)Ayurved Samhita & Siddhant-06 Seats, (ii)Dravyaguna vigyana-06 seats, (iii) Kaumarbhritiya-05 seats, (iv)Rog Nidan avum vikriti vigyan-03 seats (v)Kayachikitsa-04 seats, (vi)Prasuti & Stri Roga-06 seats, (vii)Shalakyia Tantra-06 seats, (viii)Shalya Tantra-05 seats, (ix)Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats and (x)Panchakarma-06 seats and 24 seats in 06 PG Diploma courses namely:- (i) Balroga-05 seats, (ii) Netra Roga Vigyan-05 seats, (iii) Ayurvedic cosmetology & Skin disease-02 seats, (iv) Prasuti & Stri Roga-02 seats (v)Kshara Karma-05 seats and (vi)Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/28/2018-EP(IM-1) dated 04.08.2018
34.	Parul Institute of Ayurved, P.O Limda, Tal. Waghodia, Distt. Vadodara-391760, Gujarat	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 100 seats and 78 seats in 13 PG courses namely:- (i) Kaumarbhartiya, (ii) Shalya Tantra-Kshar Karma evam Anushashttra Karma (iii) Prasuti Tantraevam Stri Roga (iv) Kayachikitsa and (v) Dravyaguna (vi) Rasashastra & Bhaishjya Kalpana (vii) Kriya Sharir (viii) Rog Nidan avam Vikriti Vigyan (ix) Ayurved Samhita and Siddhanta and (x) Rachna Sharir (xi) Shalakyia Tantra (Shiro Nasa Karna Avum Kantha Roga), (xii) Panchakarma and (xiii) Shalya Tantra (Samanya) with 06 seats in each subject. R-12011/04/2005-EP (IM-1)for 2017-18 dated 17.10.2015 and F.No.R.14011/06/2015-EP(IM-1), F.No.R.14011/07/2015-EP(IM-1) & F.No.R.14011/05/2015-EP(IM-1) dated 29.11.2016
35.	Govindbhai Jorabhai Patel, Ayurveda College and Research Centre B/h G.I.D.C, New Vallabh Vidyanagar, Taluka; Dist. Anand-388121, Gujarat	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission for 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/01/2005-EP(IM-1) for 2018-19 dated 05.09.2018



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
36.	Shri Baba Mastnath Ayurvedic College, VPO. Asthal Bohar, Distt. Rohtak-124021, Haryana	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/29/2018-EP(IM-1) dated 24.09.2018
37.	Shri Maru Singh Memorial Institute of Ayurveda, B.P.S. Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan, Tehsil-Gohana, Distt. Sonipat-131305, Haryana	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	Withdrawal the earlier permission granted for a period not exceeding five years from the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21 with 60 seats in BAMS (UG) course letter No. R.17011/30/2016-EP(IM-1) dated 25.10.2016 and decided to convert it into conditional permission to take admissions for 60 seats in UG (BAMS) course to Shri Maru Singh Memorial Institute of Ayurveda, Khanpur Kalan, Tehsil-Gohana, Dist.-Sonipat-131305, Haryana under Section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 for the academic session 2018-19. R.17011/30/2016-EP(IM-1) dated 12.10.2018
38.	Gaur Brahmin Ayurvedic College & Hospital, Village & P.O. Brahmanwas, Distt. Rohtak-124001, Haryana	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act,1970. R-17011/31/2018-EP(IM-1) dated 24.09.2018
39.	Seth Murari Lal Rasiwasia Ayurvedic College & Hospital, R.K. Gupta Marg Charkhi Dadri, Distt.-Bhiwani-127306, Haryana	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/32/2018-EP(IM-1) dated 27.09.2018
40.	Shri Krishna Govt. Ayurvedic College & Hospital, Umri Road, Near DC Residence, Sec-8, Kurukshetra-136118, Haryana	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 50 seats Upto 2020-21. R-17011/33/2016-EP(IM-1) dated 01.09.2016
41.	Chaudhary Devilal College of Ayurveda, Bhagwargarh, Buria Road, Tehsil Jagadhri, Distt. Yamuna Nagar-135003, Haryana	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats Upto 2020-21. R-17011/34/2017-EP(IM-1) dated 24.10.2016
42.	Ayujyoti Ayurvedic College & Hospital, Panjuana-Kharia, Jodhpuria, Sirsa-1250766, Haryana	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20. R-12011/11/2009-EP (IM-1) 15.7.2015	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 50 seats Upto 2019-20. letter no. R-12011/11/2009-EP (IM-1) dated 15.7.2015
43.	Rajiv Gandhi Govt. Post-Graduate, Ayurvedic College, Paprola, Tehsil-Baijnath, Distt. Kangra-176115, Himachal Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG (BAMS) course and 39 seats in 11 PG courses namely:-(i) Kayachikitsa-06 seats (ii) Shalya Tantra-04 seats (iii) Shalakya Tantra-04 seats, (iv) Ayurveda Samhita & Sidhant-04 seats (v) Rasashastra & Bhashajya kalpana-03 seats (vi) Dravyaguna-03 seats (vii) Rognidan& Vikruti Vigan-03 seats (viii) Prasuti Tantra -03 seats, (ix) Kaumarbharitya-03 seats, (x) Panchakarma-03 seats & (xi) Swasthavritta-03 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 39 seats in 11 PG courses namely:-(i) Kayachikitsa-06 seats, (ii) Shalya Tantra-04 seats, (iii) Shalakya Tantra-04 seats, (iv) Ayurveda Samhita & Sidhant-04 seats, (v) Rasashastra & Bhashajya kalpana-03 seats, (vi)Dravyaguna-03 seats, (vii)Rognidan& Vikruti Vigan-03 seats, (viii) Prasuti Tantra -03 seats, (ix) Kaumarbharitya-03 seats, (x) Panchakarma-03 seats & (xi) Swasthavritta-03 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act,1970. R-17011/35/2018-EP(IM-1) dated 10.08.2018
44.	Jammu Institute of Ayurved & Research, Muthi, Nardani Raipur, Ban Talab Road, Jammu Tawi-181123	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20. letter no.R-17011/36/2015- EP (IM-	Central Government to withdrawal of permission granted for not exceeding five years from the academic session 2015-16 to the academic session 2019-20 vide letter dated 16.07.2015 and denial of permission



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
		1)16.7.2015	to the college for conducting 90 seats in B.A.M.S. (UG) course and 15 seats in 03 PG courses namely (i) Kayachikitsa (05 seats), (ii) Shalya Tantra (05 seats) and (iii) Kriya Sharir (05 seats) under section 13C/ A of the IMCC Act, 1970 for the academic session 2018-19. R-17011/36/2015-EP(IM-1) dated 26.09.2018
45.	Suryamukhi Dinesh Ayurved Medical College & Hospital, At & P.O-Booty, Via Neori Vikash, Dist:- Ranchi-835217, Jharkhand	Not Annual visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 24 seats in 04 PG courses viz (i) Panchakarma (ii) Swasthvritta (iii) Samhita Siddhant (iv) Shalya Tantra with 06 seats in each subject Upto 2019-20. letter no. R-17011/37/2015-EP (IM-1) dated 15.07.2015 and F.No.R.13011/37/2015-EP(IM-1) & R-14011/18/2015-EP (IM-1) dated 26.11.2016
46.	Govt. Ayurveda Medical College & Hospital Sayyaji Rao Road, Vishweshwaraiah Circle, Distt. Mysore-570021, Karnataka	Recommended to Govt. of india for granting conditional permission for admission with 50 seats in UG (BAMS) course and 12 seats in 02 PG courses namely:-(i)Ayurved Samhita & Siddhanta-05 seats & (ii) Kayachikitsa-07 seats for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 and also Recommended to Government of India for issuing conditional LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats and to start 02 new PG course namely:-(i) Swasthvritta and (ii) Panchakarma with 05 seats in each subject from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course and 12 seats in 02 PG courses namely:-(i)Ayurved Samhita & Siddhanta-05 seats & (ii) Kayachikitsa-07 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/38/2018-EP (IM-1) dated 07.08.2018 and also Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats and to start 02 new PG course namely:-(i) Swasthvritta and (ii)Panchakarma with 05 seats in each subject from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-13011/32/2017-EP (IM-1) and R-14011/14/2017-EP(IM-1) Dated: 07.08.2018.
47.	Aroor Laxminarayana Rao Memorial, Ayurvedic Medical College, Koppa-577126, Distt. Chikmagalur, Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 16 seats in 03 PG courses namely:-(i) Dravyaguna Vigyana-06 seats, (ii) Rasashastra & Bhishajyakalpana-05 seats and (iii) Kayachikitsa-05 seats Upto 2020-21. R-17011/39/2016-EP(IM-1) dated 13.10.2016
48.	Govt. Ayurvedic Medical College, Dhanwantri Road, Bangalore-560009, Karnataka	Recommended to Government of India for granting permission for with 60 seats in UG (BAMS) course and 40 seats in 06 PG courses namely:- (i) Dravyaguna-07 seats, (ii)Rasashastra & Bhishajya kalpana-06 seats, (iii) Rognidan-06 seats, (iv) Shalya Tantra-07 seats, (v) Shalaky Tantra-07 seats & (vi) Panchkarma-07 seats for the academic session 2018-19. and also Recommended to Government of India for issuing conditional LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 40 seats in 06 PG courses namely:- (i) Dravyaguna-07 seats, (ii)Rasashastra & Bhishajyakalpana-06 seats, (iii) Rognidan-06 seats, (iv) Shalya Tantra-07 seats, (v) Shalaky Tantra-07 seats & (vi) Panchkarma-07 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act,1970. R-17011/40/2018-EP(IM-1) dated 04.08.2018 and also Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-13011/28/2017-EP (IM-1) Dated: 04.08.2018.
49.	Taranath Govt. Ayurvedic Medical College, Ananthpura Road, Bellary-583101,	Recommended to Government of India for granting conditional permission for with 40 seats in UG(BAMS) course and 07 seats in	Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG (BAMS) course and 07 seats in 01 PG course namely:- (i) Rasashastra & Bhishajya kalpana-07 seats for the



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
	Karnataka	01 PG course namely Rasashastra & Bhaishajya Kalpana for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. and also Recommended to Government of India for issuing conditional LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats and to start 03 new PG Courses namely:-(i)Kayachikitsa-07 seats, (ii)Panchakarma-07 seats and (iii)Shalya Tantra-04 seats from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act,1970. R-17011/41/2018-EP(IM-1) dated 04.08.2018 and also Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats and to start 03 new PG Courses namely:-(i)Kayachikitsa-07 seats, (ii)Panchakarma-07 seats and (iii)Shalya Tantra-04 seats from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-13011/27/2017-EP (IM-1) and R-14011/18/2017-EP(IM-1) Dated: 04.08.2018.
50.	A.V. Samiti's Ayurveda Mahavidyalaya, Vidya Nagar, Bagalkot Road, Dist. & Tal Bijapur-586101, Karnataka	Not Annual visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	Withdrawal of permission granted for not exceeding five years from the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21 vide letter dated 05.10.2016 and denial of permission to the BLDE Association's AVS Ayurveda Mahavidyalaya Vidya Nagar, Bagalkot Road, Bijapur, Karnataka for conducting with 60 seats in UG (BAMS) course and 22 seats in 05 PG courses namely:- (i)Ayurved Samhita & Siddhant-03 seats, (ii)Dravyaguna-05 seats, (iii)Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats, (iv)Kayachikitsa-05 seats and (v)Shalya Tantra-04 seats under Section 13A/13C of the IMCC Act, 1970 for the session 2018-19. R-17011/42/2016-EP(IM-1) dated 25.09.2018
51.	Ayurved Mahavidyalaya & Hospital, Heggeri Extension Old Hubli-508824, Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 36 seats in 07 PG courses namely:-(i)Ayurved Samhita & Siddhant-06 seats, (ii)Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats, (iii)Kayachikitsa-06 seats, (iv)Shalya Tantra-05 seats (v) Panchkarma-06 seats, (vi)Rachna Sharir-03 seats and (vii)Roganidan-04 seats upto 2020-21. R-17011/43/2016-EP(IM-1) dated 07.10.2016 and R-14011/11/2015-EP(IM-1) & R-13011/18/2015-EP(IM-1) dated 13.12.2016
52.	Karnataka Liberal Education University, Shri B.M. Kankanadi Ayurveda Mahavidyalaya, Shahapur, Belgaum-590003, Karnataka	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG (BAMS) course and 64 seats in 10 PG course namely:-(i) Dravyaguna-05 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-11 seats, (iii) Swasthavritta-06 seats, (iv) Agad Tantra-06 seats, (v) Kaumarbhritya-06 seats, (vi) Kayachikitsa-06 seats, (vii) Shalya Tantra-06 seats, (viii) Shalakya Tantra-06 seats and (ix) Panchakarma-06 and (x) Rasayan & Vajikaran-06 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 100 seats in UG (BAMS) course and 63 seats in 10 PG course namely:-(i) Dravyaguna Vigyana-05 seats, (ii) Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana-10 seats (instead of 11 seats), (iii) Swasthavritta & Yoga-06 seats, (iv) Agad Tantra avum Vidhi Vaidyaka-06 seats, (v)Kaumarbhritya Bala Roga-06 seats, (vi) Kayachikitsa-06 seats, (vii) Rasayan & Vajikaran-06 seats, (viii) Shalya Tantra-06 seats, (ix)Shalakya Tantra-06 seats and (x) Panchakarma-06 seats for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act,1970. R-17011/44/2018-EP(IM-1) dated 06.09.2018
53.	Ashwini Educational Association's Ayurved Medical College & PG Centre, #405/1, Opp. Bathi Lake, "Ashwini Nagar", P.B. Road, Dist. Davangere-577566, Karnataka	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 50 seats in UG(BAMS) and 10 seats in 02 PG courses namely:- (i) Kayachikitsa-05 seats and (ii) Shalya Tantra-05 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course and Denial of Permission to conduct 10 seats in 02 PG course namely:-(i) Kayachikitsa-05 seats and (ii) Shalya Tantra-05 seats for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act,1970. R-17011/84/2018-EP(IM-1) dated 04.09.2018



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
54.	N.K. Jabshetty Ayurvedic Medical College & P.G. Centre, Siddaroodh Math, Gumpa, Manhalli Road, Bidar-585403, Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 30 seats in 07 PG courses namely:-(i) Rachna Sharir-05 seats,(ii) Dravyaguna-04 seats, (iii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-04 seats (iv) Rognidan-04 seats, (V) Prasuti Tantra-05 seats, (vi) Shalya Tantra-05 seats & (vii) Panchkarma-03 seats upto 2020-21. R-17011/45/2016-EP(IM-1) dated 23.09.2016
55.	Dr. B.N.M Rural Ayurvedic Medical College & Hospital, Smt. Sushiladevi, Nagur Colony College Road, Tq. & Distt. Bijapur-586101, Karnataka	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course and PG Courses for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 50 seats and 21 seats in 05 PG courses namely:- (i) Kayachikitsa-05 seats, (ii) Panchkarma-03 seats, (iii) Ayurved Samhita & Siddhant-07 seats, (iv) Dravyaguna-03 seats and (v) Swasthavritta & Yoga-03 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/46/2018-EP(IM-1) dated 11.10.2018
56.	JSS Ayurveda Medical College, Shri Shivarathreeswara Nagar, Mysore-570015, Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 100 seats and 26 seats in 06 PG courses viz (i) Dravyaguna-04 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishajyakalpana-04 seats, (iii) swasthavritta-03 seats and (iv) Panchkarma-05 seats, (v) Rog Nidan avum Vikriti Vigyan-05 seats and (vi) Shalya Tantra-05 seats Upto 2019-20. letter no. R-17011/47/2015- EP (IM-1) dated 30.07.2015 and R-14011/45/2014-EP (IM-1) dated 01.10.2015
57.	Sindagi Shanta Veereshwar, Ayurvedic Medical College & Hospital, Shantaveera Nagar, Ijarilakamapur, P.B. Road, Distt.-Haveri-581183, Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats Upto 2018-19. letter no. R-17011/48/2015- EP (IM-1) dated 06.08.2014 and R-13011/49/2014-EP (IM-1) dated 01.10.2015
58.	Shri Vijay Mahantesh Ayurvedic Medical College, Tq. -Hungund, Dist. Bagalkot, Ilkal-587125, Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	Withdrawal of permission granted for not exceeding five years from the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21 vide letter dated 16.09.2016 and denial of permission to the Shri Vijay Mahantesh Ayurvedic Medical College, Dist. Bagalkot, Ilkal-587125, Karnataka for conducting 60 seats in BAMS (UG) course and 30 seats in 06 PG courses namely:-(i) Ayurved Samhita & Siddhant, (ii) Prasuti & Stri Roga, (iii) Kayachikitsa, (iv) Shalya Tantra, (v) Shalakya Tantra and (vi) Panchakarma with 05 seats in each subject under Section 13A/13C of the IMCC Act, 1970 for the session 2018-19. R-17011/49/2016-EP(IM-1) dated 18.09.2016
59.	Bapuji Ayurvedic Medical College & Hospital, Sowlanga Road, Opp. A.G. College, Channamumbapura, Shimoga-577204, Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 50 seats upto 2020-21. R-17011/50/2016-EP(IM-1) dated 01.09.2016
60.	T.M.A.E Society's Ayurvedic Medical College, Sankalapura, Tanda, Ballary, Road, Hospet-583201, Karnataka	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course and PG course for the session 2018-19 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course and Denial of Permission to conduct 03 seats in 01 PG course namely:-(i) Shalya Tantra-03 seats for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act,1970. R-17011/51/2018-EP(IM-1) dated 04.09.2018



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
61.	TMAES Ayurvedic Medical College, Nidige P.O. Shimoga- 560001, Karnataka	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/52/2018-EP(IM-1) dated 11.10.2018
62.	Amrutha Ayurvedic Medical College & Hospital Behind Onake Obavva Stadium Dist. Chitradurga-577501, Karnataka	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course and PG course for the session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. and also Recommended to Government of India for Not issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act,1970. R-17011/53/2018-EP(IM-1) dated 08.09.2018 and also Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-13011/03/2017-EP (IM-1) Dated: 08.09.2018.
63.	Bapuji Ayurvedic Medical College and Hospital, Bapuji Campus, T.R. Nagara, Challakere, Distt. Chitradurga-577522, Karnataka	Not visited as college already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats Upto 2018-19. letter no. R-17011/54/2015- EP (IM-1) dated 06.08.2014 and R-13011/67/2014-EP (IM-1) dated 27.10.2015
64.	Sri Dharmastala Manjunatheshwara College of Ayurveda and Hospital Thanniruhalla, B M Road, Taluka & Distt. Hassan-573201, Karnataka	Not Annual visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 75 seats and 93 seats in 15 PG courses i.e (i) Samhita Siddhanta-12 seats, (ii) Rachana Sharir -06 seats,(iii) Kriya Sharir-06 seats, (iv) Dravyaguna-06 seats, (v)Rasashastra & Bhaishajyakalpana-06 seats , (vi) Rognidan-06 seats, (vii) Swasthavritta-06 seats, (viii)Agadtantra-06 seats ,(ix) Prasuti & Striroga-06 seats, (x) Kaumarbhritya-06 seats, (xi) Manas Rog - 06 seats , (xii) Kayachikitsa-06 seats , (xiii)Shalya Tantra-05 seats (xiv) Shalakya Tantra-04 seats and (xv) Panchakarma-06 seats Upto 2018-19. letter F.No.R-17011/55/2014-EP (IM-1) dated 12.08.2014. and also Granted permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 75 to 100 seats from the academic session 2017-18 to the academic session 2018-19 under section 13A of the IMCC Act,1970. R.13011/09/2016-EP(IM-1) dated 31.08.2017
65.	K.V.G Ayurved Medical College & Hospital, Ambatedka Sullia, Distt. Dakshin, Kannada - 574327, Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 100 seats and 34 seats in 06 PG courses namely:-(i) Dravyaguna Vigyana-06 seats, (ii) Rasa Shastra & Bhaisajya Kalpana-06 seats, (iii) Agad Tantra avum Vidhi Valdyaka-05 seats, (iv) Kayachikitsa-05 seats, (v) Shalya Tantra-06 seats and (vi) Panchkarma-06 seats Upto 2020-21. R-17011/56/2016-EP(IM-1) dated 13.10.2016 and F.No.R.13011/44/2015-EP(IM-1) dated 02.12.2016
66.	Shri Jagadguru Gurusiddeshwar Co-Operative Society's Sahakar Maharshi, Shri B. A. Patil Ayurvedic Medical College, Tal-Gokak, Dist. Belgaum, Ghataprabha-591310, Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 50 seats in 10 PG courses i.e (i) Dravyaguna-, (ii) Rasashashtra & Bhaishajya kalpana, (iii) Rog Noidan, (iv) Swasthavritta, (v) Prasuti & Striroga, (vi) Kaumarbhartiya, (vii) Kayachikitsa, (viii) Shalya Tantra, (ix) Shalakya Tantra and(x) Panchkarma with 05 seats in each subject Upto 2019-20. letter R-17011/57/2015-EP(IM-1)-15.07.2015 and R.13011/36/2014-EP (IM-1) dated 09.10.2015



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
67.	Sri Kalabyraveswara Swamy Ayurvedic Medical College, Hospital and Research Centre, No.10, Pipe Line Road, R.P.C Layout, Vijayanagar, Bangalore-560104, Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 100 seats and 30 seats in 05 PG courses namely:-(i) Prasuti & Stri Roga, (ii) Kayachikitsa, (iii) Shalya Tantra, (iv) Shalakya Tantra and (v) Panchkarma with 05 seats in each subject upto 2020-21. R-17011/58/2016-EP(IM-1) dated 16.09.2016
68.	Indian Institute of Ayurvedic Medicine & Research, Bangalore Palace Compound, Jayamahal Road, Opp. Darga, Bangalore-560006, Karnataka	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 45 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.17011/59/2018-EP(IM-1) dated 18.10.2018
69.	Mahaganpati Ayurvedic College, Hoysalnagar, Halyal Road, Distt. Dharwad-580003, Karnataka	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 50 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.17011/62/2018-EP(IM-1) dated 25.10.2018
70.	Alva's Ayurveda Medical College, Moodbidri, South Canara, Distt. Dakshin-574227, Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 100 seats and 75 seats in 15 PG courses viz- (i) Ayurved Samhita & Siddhanta-05 seats, (ii) Rachna Sharir-05 seats, (iii) Dravyaguna-05 seats, (iv) Rasashastra & Bhaishjyakalpana-10 seats, (v) Agadtantra-05 seats, (vi)Prasuti Striroga-05 seats, (vii) Kaumarbhartiya-05 seats, (viii) Kayachikitsa-05 seats, (ix) Shalya Tantra-05 seats and (x) Panchkarma-05 seats (xi) Kriya Sharir-04 seats, (xii) Swasthavritta-04 seats, (xiii) Manovigyana evum Manas Roga-04 seats, (xiv) Rog Nidan avum Vikriti Vigyan-04 seats and (xv) Shalakya Tantra-04 seats upto 2020-21. R-17011/60/2016-EP(IM-1) dated 16.09.2016 and R-17011/60/2016-EP(IM-1) dated 23.12.2016
71.	SNVV Samasthe's SGV Ayurved Medical College, Hospital & Research Centre, Tal: Bailhongal, Distt. Belgaum-591102, Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 16 seats in 04 PG courses i.e (i) Swasthavritta & Yoga, (ii) Prasuti & Stri Roga (iii) Kaumarbhartiya-Bala Roga and (iv) Kayachikitsa with 04 seats in each subject Upto 2019-20 letter R-17011/61/2015-EP (IM-1) 18.8.2015 and R-14011/33/2014-EP (IM-1) & R-13011/39/2014-EP (IM-1) dated 01.10.2015
72.	Shri Shivayogeshwar Rural Ayurvedic Medical College & Hospital, Tq:-Saundatti, Distt.-Belgaum, Inchal - 591102, Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 30 seats in 06 PG courses i.e (i) Dravyaguna, (ii) Shalya Tantra and (iii) Panchkarma (iv) Rachna Sharir (v) Rasashastra & Bhaishjyakalpna and (vi) Kayachikitsa with 05 seats in each course Upto 2019-20. letter R-17011/63/2015-EP (IM-1) dated 15.07.2015 and R-14011/47/2014-EP (IM-1), R-13011/69/2014-EP (IM-1) dated 15.09.2015
73.	Taluka Shikshan Prasarak Mandali Sahakara Ayurvedic Medical College and Hospital, Sindgi, Distt. Bijapur-586128, Karnataka	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 40 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/64/2018-EP(IM-1) dated 27.09.2018



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
74.	Shri Jagadguru Gavisiddheshwar Ayurvedic Medical College, PG Studies & Research Center, Koppal - 583231, Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20. and But Recommended to Government of India for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-13011/16/2017-EP (IM-1) Dated: 27.09.2018. Withdrawal of permission granted for a period not exceeding five years (i.e. from the academic session 2015-16 to the academic session 2019-20) Granted to the college for existing UG/PG course/s vide Ministry's letter No.'s. R-17011/65/2015-EP (IM-1) dated 26.8.2015 and R.13011/16/2014-EP(IM-1) dated 15.10.2015 respectively and its converted to conditional permission for the current academic year 2018-19 only for 60 seats and 36 seats in 08 PG courses namely:- (i) Kriya Sharir-04 sets, (ii) Dravyaguna Vigyana-05 seats, (iii) Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats, (iv) Prasuti & Striroga-04 seats, (v) Kaumarbhartiya-04 seats, (vi) Shalya Tantra-05 seats, (vii) Shalakyta Tantra-04 seats and (viii) Panchkarma-05 seats and Denial of Permission to conduct PG course in Swasthavritta-05 seats.
75.	Shri Hingulambika Education Society's Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Centre, Bhavsar Nagar, Sedam Road, Gulbarga-585106, Karnataka	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) Course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/66/2018-EP(IM-1) dated 06.09.2018
76.	Kalmathada Pujya Sri Virupaksha Shivacharya Ayurvedic Medical College & Hospital, Manvi, Dist. Raichur-584123, Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats Upto 2018-19. letter no. R.17011/14/2014-EP(IM-1) & R.13011/53/2014-EP(IM-1) 02.11.2015 dated 25.09.2014 and R-17011/67/2016-EP(IM-1) dated 25.10.2016
77.	Shri Basaveshwar Vidya Vardhak Sangha, Ayurved Medical College & Hospital, P.B. No. 34. Distt. Bagalkot-587101, Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats in UG (BAMS) course and 20 seats in 04 PG course namely:- (i) Rasashastra & Bhaishajya kalpana and (ii) Shalya Tantra (iii) Dravyaguna and (iv) Kayachikitsa with 05 seats in each subject upto 2020-21. R-17011/68/2016-EP(IM-1) dated 13.10.2016 and F.No.R.14011/28/2015-EP(IM-1) & R.13011/34/2015-EP(IM-1) dated 24.11.2016
78.	Shri Bahubali Vidhyapeeth's J.V. Mandal's Grameen Ayurvedic Medical College Gurukul Campus, Tq. Jamkhandi, Distt. Bagalkot, Terdal - 587315, Karnataka	Not Annual visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 50 seats in UG (BAMS) course upto 2020-21. R-17011/69/2017-EP(IM-1) dated 13.10.2016 and also Granted permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2017-18 to the academic session 2020-21 under section 13A of the IMCC Act,1970. F.No.R.13011/04/2016-EP(IM-1) dated 31.08.2017



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
79.	S.S.V. Samiti's Shri SBS Ayurvedic Medical College, Mundargi, Distt. Gadag-582118, Karnataka	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/70/2018-EP(IM-1) dated 25.09.2018
80.	JSVV Samsthe's Danappa Gurushiddappa Melmalagi Ayurvedic Medical College, Hospital, Dr. Savadi Road, Shivananda Nagar, Ta. & Distt. Gadag-582103, Karnataka	Not Annual visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 19 seats in 04 PG courses i.e (i) Dravyaguna-04 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats, (iii) Kayachikitsa-05 seats and (iv) Panchkarma-05 seats upto 2019-20 letter R-17011/71/2015-EP (IM-1) dated 15.7.2015 and No.R.14011/30/2015-EP(IM-1) dated 01.12.2016
81.	Shri Veerpulikeshi Rural Vidyavardhak Samasth's Rural Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Centre ,Opp. J.M.F.Court, Ramadurg Road, P.O & Tq. Badami, Distt. Bagalkot-587201, Karnataka	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/72/2018-EP(IM-1) dated 26.09.2018
82.	Kannada Balag Society's Rural Ayurveda Medical College, Auto Nagar, Main Double Road, Tq & Distt. Belgaum-590016, Karnataka	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 40 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.17011/73/2018-EP(IM-1) dated 11.10.2018
83.	Bagamar Seva Samiti's Bhagwan Mahaveer Jain Ayurvedic Medical College & Hospital, Gajendergad Tq. Ron, Distt. Gadag-582114, Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 50 seats and 20 seats in 04 PG course namely:- (i) Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana, (ii) Kayachikitsa (iii) Shalya Tantra and (iv) Panchkarma with 05 seats in each subject upto 2020-21. R-17011/74/2016-EP(IM-1) dated 09.09.2016
84.	Shri Kalidas Ayurvedic Medical College, Banashankari Road, Post: Badami, Distt. Bagalkot-587201, Karnataka	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/75/2018-EP(IM-1) dated 26.09.2018
85.	Rajiv Gandhi Education Society's Ayurvedic Medical College & Hospital Taluka Ron, Dist. Gadag-582209, Karnataka	Not Annual visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 36 seats in 06 PG courses i.e (i) Dravyaguna, (ii) Kayachikitsa (iii) Shalya Tantra (iv) Rachana Sharir (v) Prasuti & Stri Rog and (vi) Panchakarma with 06 seats in each Upto 2019-20. letter R-17011/76/2015-EP (IM-1) dated 15.07.2015 and R-13011/31/2014-EP (IM-1) 30.09.2015 and F.No.R.14011/26/2015-EP(IM-1) dated 24.11.2016
86.	Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, No.34/C, Shivalli Industrial Area, Taluk & Distt. Udupi, Manipal-576104, Karnataka	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course and PG Courses for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 100 seats and 29 seats in 05 PG course namely:- (i) Dravyaguna-05 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishajya kalpana -09 seats,(iii) Kayachikitsa -05 seats,(iv) Shalya Tantra -05 seats and (v) Panchkarma -05 seats for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/77/2018-EP(IM-1) dated 29.09.2018
87.	Dhanvantari Ayurveda College & Hospital, Siddapur, Sirsi Road, Distt.- Uttara Kannada 581355, Karnataka	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG (BAMS) course and 10 seats in 02 PG courses namely:- (i) Kayachikitsa and (ii) Panchkarma with 05 seats in each subject for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course and Denial of Permission to conduct 10 seats in 02 PG courses namely:- (i) Kayachikitsa and (ii) Panchkarma with 05 seats in each subject for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/78/2018-EP(IM-1) dated 10.10.2018



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
88.	Sri Balaji Education Trust, Rama Krishna Ayurvedic Medical College and Research Centre, #54/2, Ramagondanahalli, Yelahanka, Bangalore-560064, Karnataka	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG (BAMS) course and 25 seats in 05 PG course namely:- (i) Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana, (ii) Dravyaguna Vigyana, (iii) Kayachikitsa, (iv) Shalya Tantra and (v) Panchkarma with 05 seats in each subject for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 25 seats in 05 PG course namely:- (i) Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana, (ii) Dravyaguna Vigyana, (iii) Kayachikitsa, (iv) Shalya Tantra and (v) Panchkarma with 05 seats in each subject due to non-availability of Central Research Laboratory as per MSR 2016 for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/79/2018-EP(IM-1) dated 29.09.2018
89.	SDM, College of Ayurveda & Hospital, Laxminarayan, Nagar, P.O. Kuthpady Taluk and Distt. Udupi-574118, Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 75 seats and 71 seats in 13 PG courses i.e (i) Ayurved Samhita & Siddhant-06 seats, (ii) Rachana Sharir-06 seats, (iii)Dravyaguna-06 seats, (iv) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats, (v) Rognidan-05 seats, (vi) Swasthawritta-04 seats, (vii) Agadtantra-05 seats, (viii)Prasuti & Striroga-06 seats, (ix)Kaumarbhritya-04 seats, (x) Kayachikitsa-06 seats, (xi)Manasroga-05 seats, (xii)Shalya Tantra-06 seats and (xiii) Panchkarma- 06 seats upto 2019-20 letter R -17011/80/2015-EP (IM-1) dated 15.07.2015
90.	Karnataka Ayurveda Medical College & Hospital, K.E.C.T Tower, Hoigebail, Ashok Nagar, P. O. Mangalore D.K.-575006, Karnataka	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG (BAMS) course and 25 seats in 05 PG course namely:- (i) Dravyaguna Vigyana, (ii) Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana, (iii) Kayachikitsa, (iv) Shalya Tantra and (v) Panchkarma with 05 seats in each subject for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 100 seats in UG (BAMS) course and Denial of Permission to conduct PG courses in 05 PG course namely:- (i) Dravyaguna Vigyana, (ii) Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana, (iii) Kayachikitsa, (iv) Shalya Tantra and (v) Panchkarma with 05 seats in each subject due to non-availability of Central Research Laboratory as per MSR 2016 for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/81/2018-EP(IM-1) dated 05.09.2018
91.	Sushrutha Ayurvedic Medical College & Hospital, Prashanti Kuteera, Jodi Bingipur, Jigani Hobli, Anekal Taluk, Bangalore-560106, Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 100 seats upto 2020-21. R-17011/82/2016-EP(IM-1) dated 20.10.2016
92.	Sri Sri College of Ayurvedic Sciences & Research, 21st KM Kanakapura Road, Post Udayapura , Bangalore-560062 Karnataka	Not Annual visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20. Recommended to Government of India for issuing LOP to start 04 new PG course namely:- (i) Shalakyana Tantra (ii) Panchakarma, (iii) Kaumarbhritya and (iv) Swasthavritta with 06 seats in each subject from the academic session 2018-19 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 100 seats and 33 seats in 06 PG courses:- (i) Ayurved Samhita & Siddhant-04 seats, (ii) Dravyaguna Vigyana-05 seats, (iii) Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats (iv) Prasuti Tantra & Stree Roga-06 seats, (v) Kayachikitsa-06 seats and (vi) Shalya Tantra-06 seats upto 2019-20 letter no. R-12011/13/2004-EP (IM-1) dated 15.07.2015 and R-14011/12/2012-EP (IM-1) & R-13011/12/2014-EP (IM-1) 01.10.2015 and R.14011/28/2016-EP(IM-1) dated 31.08.2017 and Granted Permission for issuing LOP to start 04 new PG course namely:- (i) Shalakyana Tantra, (ii) Panchakarma, (iii) Kaumarbhritya and (iv) Swasthavritta & Yoga with 06 seats in each subject from the academic session 2018-19 to the academic session 2019-20 under section 13A of the IMCC Act,1970. R.14011/49/2017-EP(IM-1) dated 11.10.2018



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
93.	Ashwini Ayurvedic Medical College & Research Centre, Ring Road, Maralur Taluk & Distt. Tumkur-572105 Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	Withdrawal of permission granted for not exceeding five years from the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21 with 100 seats in BAMS (UG) course and 35 seats in 07 PG course namely:- (i) Kriya Sharir, (ii) Dravyaguna, (iii) Swasthviritta, (iv) Kayachikitsa, (v) Shalya Tantra, (vi) Shalakyia Tantra and (vii) Panchkarma with 05 seats in each subject vide letter No. R-12011/25/2003-EP(IM-1) for 2016-17 dated 07.12.2016 and Denial of permission to the Ashwini Ayurvedic Medical College & Research Centre, Distt. Tumkur, Karnataka for conducting 100 seats in BAMS (UG) course and 35 seats in 07 PG course namely:- (i) Kriya Sharir, (ii) Dravyaguna, (iii) Swasthviritta, (iv) Kayachikitsa, (v) Shalya Tantra, (vi) Shalakyia Tantra and (vii) Panchkarma with 05 seats in each subject for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/25/2003-EP(IM-1) for 2016-17 dated 15.11.2018.
94.	Shri C.B. Guttal Ayurvedic Medical College, Mummigatti village Dist. Dharwad-580001, Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	Continuation of permission granted for a period not exceeding five years from the academic session 2016-17 to 2020-21 with 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19. R.12011/18/2004-EP(IM-1) for 2016-17 dated 05.10.2018
95.	Atreya Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Centre Post Kodigehalli, Doddaballapura, Bangalore-561203, Karnataka	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 100 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/05/2005-EP(IM-1) for 2018-19 dated 11.10.2018
96.	Sri Raghavendra Ayurveda Medical College & Hospital, P.O Malladihalli, Tq. Holalkere, Distt. Chitradurga-577531, Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19.	Withdrawal the earlier permission granted for not exceeding five years from the academic session 2014-15 to the academic session 2018-19 with 50 seats in UG (BAMS) course vide letter No. 12011/43/2003-EP(IM-1) dated 12.08.2014 and decided to convert it into conditional permission to take admissions 50 seats in UG (BAMS) course to Sri Raghavendra Ayurveda Medical College & Hospital, Chitradurga, Karnataka under section 13C/ A of the IMCC Act, 1970 for the academic session 2018-19. R.12011/43/2003-EP(IM-1) dated 26.09.2018
97.	SDM Trust's Ayurvedic Medical College, Padma Ayurvedic Hospital & Research Centre, Terdal, Tq. Jamkhandi, Dist. Bagalkot-587315, Karnataka	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 50 seats in UG(BAMS) and and 35 seats in 07 PG course namely:- (i) Agad Tantra avum Vidhi Vaidyaka, (ii) Swasthviritta, (iii) Kaumarbhritya, (iv) Kayachikitsa, (v) Panchakarma, (vi) Shalya Tantra and (vii) Prasuti Tantra & Stree Roga with 05 seats in each subject for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. and also Recommended to Government of India for issuing conditional LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 20 seats in 04 PG course namely:- (i) Kaumarbhritya, (ii) Kayachikitsa, (iii) Panchakarma and (iv) Prasuti Tantra & Stree Roga with 05 seats in each subject and denial permission for 03 PG Courses namely:-(i) Agad Tantra avum Vidhi Vaidyaka, (ii) Swasthviritta and (iii) Shalya Tantra with 05 seats in each subject for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. and also Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-13011/06/2017-EP(IM-1) dated 05.10.2018



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
98.	Shree Chhatrapati Shivaji Education Society's Dhanwantari Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Centre, Industrial Area, Shiv-Shankar Nagar, Jatrat Road, Nipani, Tal: Chikodi, Dist Belgaum, Bangalore-591237, Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 40 seats Upto 2018-19. letter no.R-17011/86/2015-EP (IM-1) dated 15.09.2015
99.	SMVVS, Smt. Rajeshwari Karpurmath Memorial Ayurved Medical College & Research Centre, 100ft. Ring Road, Behind KC Nagar, Bijapur-586103, Karnataka	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course and 08 seats in 03 PG courses namely:-(i) Ayurved Samhita and Siddhanta-02 seats, (ii)Swasthavritta-03 seats and (iii) Prasuti & Striroga-03 seats and Not recommended in 01 PG subject namely:-Shalakyta Tantra-03 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 08 seats in 03 PG course namely:-(i) Ayurved Samhita and Siddhanta-02 seats, (ii)Swasthavritta-03 seats and (iii) Prasuti & Striroga-03 seats and Denial of Permission to conduct PG course in Shalakyta Tantra-03 seats (due to non-availability of minimum 01 Professor as per IMCC PG Education) regulation 2016} for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/85/2018-EP(IM-1) dated 29.09.2018
100.	YET's Sri Siddhameshwar Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Centre, Naubad, Bidar-585402, Karnataka	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 30 seats in UG(BAMS) Course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. and also Recommended to Government of India for issuing conditional LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 30 to 60 seats from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 30 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/88/2018-EP(IM-1) dated 08.09.2018 and also Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 30 to 60 seats from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-13011/26/2017-EP (IM-1) Dated: 08.09.2018.
101.	S.S. Jambagi Memorial Education & Charitable Trust's Shri Siddhivinayaka Rural Ayurveda College, Harugeri, Tq. Raibag, Distt. Belgaum-591220, Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19. Recommended to Government of India for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2018-19 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for not issuing LOP to increase admission capacity from 60 to 100 seats in existing UG (BAMS) course from the academic session 2018-19 under section 13A of the IMCC Act,1970. R.13011/29/2017-EP(IM-1) dated 17.10.2018. Central Government to withdraw the earlier permission granted for a period not exceeding 05 years i.e. (i.e. from the academic session 2014-15 to the academic session 2018-19) to the college for existing with 60 seats in UG (BAMS) course vide Ministry's letter R-12011/17/2007-EP (IM-) dated 11.08.2014 and R.13011/48/2014-EP (IM-) dated 28.10.2014.
102.	Latthe Education Society's Acharya Deshabhushan Ayurvedic Medical College & Hospital, A/P- Bedkihal, Shamanewadi, Tal- Chikodi, Distt. Belgaum-591214, Karnataka	Not Annual visited as College already granted for permission not exceeding 5years i.e. Upto 2018-19.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats in UG (BAMS) course and 15 seats in 03 PG subjects namely :- (i) Rachana Sharir, (ii) Shalakyta Tantra and (iii) Kayachikitsa with 05 seats in each subject Upto 2018-19. letter F.No.R-17011/87/2014-EP(IM-1) dated 14.08.2014, F.No. R-13011/49/2013-EP(IM-I) dated 08.09.2014 and R.13011/21/2016-EP(IM-1) & R.14011/25/2016-EP(IM-1) dated 25.09.2017



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
103.	Government Ayurveda College, Dhanwantri Nagar, Taluk Kanayannur, Distt. Ernakulam, Tripunithura-682301, Kerala	Not Annual visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 50 seats in UG (BAMS) course and 33 seats in 08 PG subjects namely :- (i) Shalya tantra-05 seats, (ii) Shalakya Tantra-04 seats, (iii) Rasashastra-04 seats, (iv) Dravyaguna-04 seats, (v) Panchkarma-04 seats, (vi) Swasthavritta-04 seats (vii) Prasuti Tantra & Stree Roga-04 seats and (viii) Kayachikitsa-04 seats upto 2020-21. letter no.R-17011/89/2017-EP(IM-1) Dated 29.09.2016 and F.No.R.14011/04/2016-EP(IM-1) dated 18.09.2017
104.	Nangelil Ayurveda Medical College, P.O Nellikuzhi, Taluka Kothamangalam, Distt. Ernakulam-686691 Kerala	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	Continuation of permission granted for a period not exceeding five years from the academic session 2016-17 to 2020-21 with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19. R.17011/90/2016-EP (IM-1) dated 30.08.2018
105.	P.N. Panicker Souhruda Trust's Ayurveda Medical College, P.O: Parakalai, Anandashram(Via), Distt. Kasaragod-671531, Kerala	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 50 seats Upto 2020-21. R-12011/01/2007-EP(IM-1) for 2016-17 Dated 24.11.2016
106.	Santhigiri Ayurveda Medical College, Olassey, P.O. Kodumbu (Via) Taluk & District Palakkadu- 678551, Kerala	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 50 seats Upto 2020-21. R-17011/91/2016-EP(IM-1) Dated 05.10.2016
107.	Vaidyaratnam Ayurveda College, Ollur, Thaikattussery, Thrissur-680322 ,Kerala	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 50 seats and 04 seats in 01 PG subjects namely :- (i) Kayachikitsa Upto 2020-21. R-17011/92/2016-EP(IM-1) Dated 25.10.2016
108.	Vishnu Ayurveda College, P.O Government Press, Shoranur, Distt. Palakkad-679122 Kerala	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats Upto 2020-21. R-17011/93/2016-EP(IM-1) Dated 17.10.2016 and F.No.R.13011/31/2015-EP(IM-1) dated 24.11.2016
109.	Vaidyaratnam P.S. Varier Ayurveda College, Kottakkal, P.O Edarikode, Taluk-Tirur, Distt. Malappuram-676501, Kerala	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 50 seats in UG (BAMS) Course and 28 seats in 07 PG courses namely:- (i) Manovigyan avum Manas Roga-06 seats, (ii) Agad Tantra avum Vidhi Vaidyaka-04 seats, (iii) Panchkarma-04 seats, (iv) Dravyaguna Vigyana-04 seats and (v) Swasthavritta & Yoga-04 seats, (vi) Samhita & Siddhant and (vii)Shalya Tantra-03 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course and 28 seats in 07 PG courses namely:- (i) Manovigyan avum Manas Roga-06 seats, (ii) Agad Tantra avum Vidhi Vaidyaka-04 seats, (iii) Panchkarma-04 seats, (iv) Dravyaguna Vigyana-04 seats and (v) Swasthavritta & Yoga-04 seats, (vi) Samhita & Siddhant and (vii)Shalya Tantra-03 seats for the academic session 2018-19 under section 13A of the IMCC Act,1970. R-17011/94/2018-EP(IM-1) dated 07.09.2018
110.	KMCT Ayurveda Medical College, Manassery, P.O, Taluk & District Kozhikkode-673602, Kerala	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 100 seats Upto 2018-19. letter no. R.12011/12/2004-EP(IM-1) dated 25.09.2014 and F.No.R.13011/20/2015-EP(IM-1) dated 28.11.2016



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
111.	Mannam Ayurveda Co-Operative Medical College, MSM P.O. Pandalam, Distt. Pathanamthitta-689501, Kerala	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 04 seats in 01 PG courses namely Dravyaguna Upto 2020-21. R-12011/29/2005-EP(IM-1) for 2016-17 Dated 17.10.2016 and F.No.R.14011/32/2015-EP(IM-1) & R.13011/30/2015-EP(IM-1) dated 11.11.2016
112.	PNNM Ayurveda Medical College, Shoranur, P.O. Cheruthuruthy, Taluk Thalappilly, Distt.-Thrissur-679531, Kerala	Not Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission in UG(BAMS) course and PG course for the session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats (instead of 100 seats) in UG (BAMS) course and 09 seats in 03 PG courses namely:- (i) Shalya Tantra (ii) Kayachikitsa and (iii) Prasuti Tantra evum Striroga with 03 seats in each subjects from the academic session 2018-19 under section 13A of the IMCC Act, 1970. R.12011/33/2006-EP(IM-1) for 2018-19 dated 06.09.2018
113.	Govt. Ayurveda College, M.G Road, Taluke & District Thiruvananthapuram-695001, Kerala	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 70 seats and 63 seats in 11 PG subjects namely :- (i) Ayurveda samhita & siddhanta-06 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-12 seats, (iii) Kaumarbhartiya- 05 seats, (iv) Panchkarma-05 seats (v) Shalakyata Tantra-03 seats, (vi) Dravyaguna-06 seats, (vii) Kayachikitsa-06 seats, (viii) Swasthavritta-06 seats, (ix) Shalya Tantra-03 seats, (x) Prasuti Tantra & Striroga-06 seats and (xi) Agad Tantra-05 seats upto 2020-21. R-17011/95/2016-EP(IM-1) Dated 29.09.2016
114.	Pankajakasthuri Ayurveda Medical College, Killy, Kattakada Road, Thiruvananthapuram-695572, Kerala	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 12 seats in 03 PG subjects namely :- (i) Kayachikitsa-04 seats and (ii) Shalya Tantra-04 seats and (iii) Samhita Siddhanta-04 seats Upto 2020-21. R-17011/96/2016-EP(IM-1) Dated 14.10.2016 and F.No.R.14011/33/2015-EP(IM-1) & R.13011/42/2015-EP(IM-1) dated 18.11.2016
115.	Shree Narayan Institute of Ayurvedic Studies & Research, P.O Puthur, Kottarakkara (Via) Distt. Kollam-691507, Kerala	Not Annual visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 10 seats in 02 PG subjects namely :- (i) Kayachikitsa and (ii) Shalya Tantra (Asthi Sandhi and Marmagat Roga) with 05 seats in each subject Upto 2020-21. R-12011/44/2003-EP(IM-1) for 2016-17 Dated 02.09.2016 and F.No.R.14011/07/2016-EP(IM-1) dated 18.10.2016
116.	Parassinikkadavu Ayurveda Medical College, P.O Parassinikkadavu, Distt. Kannur-670563, Kerala	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 13 seats in 03 PG subjects namely :- (i) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats, (ii) Agad Tantra avum Vidhi vaidyaka 03 seats and (iii) Panchkarma 04 seats upto 2020-21. R-17011/97/2016-EP(IM-1) Dated 04.11.2016
117.	Government Ayurveda College, P.O Pariyaram Medical College, Kannur-670503, Kerala	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21. and also Recommended to Government of India for issuing	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 40 seats and 10 seats in 02 PG subjects namely :- (i) Roga Nidan evam vikriti Vigyan-5 seats, (ii) Kriya Sharir-5 seats upto 2020-21. R-17011/98/2016-EP(IM-1) Dated



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
		conditional LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	29.09.2016 and also Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats and from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-13011/07/2017-EP (IM-1) Dated: 10.08.2018.
118.	Amrita School of Ayurveda, P.O Clappana, Taluk-Karunagappally, Distt. Kollam-690525, Kerala	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 38 seats in 09 PG subjects namely :- (i) Ayurveda Samhita & Siddhanta(4 seats), (ii) Dravyaguna Vigyana (4 seats), (iii) Swasthavritta & Yoga (4 seats), (iv) Prasuti & Stri Roga (4 seats), (v) Kayachikitsa (4 seats), (vi) Shalya Tantra(4 seats), (vii) Shalakyia Tantra(Netra Rog Vigyan) (4 seats), (viii) Panchkarma (4 seats) (ix) Rasa Bhartiya & Bhaishajya Kalpana (6 seats) upto 2020-21. R-12011/59/2003-EP(IM-1) for 2017-18 Dated 01.09.2016
119.	Ahalia Ayurveda Medical College, Kozhipara, Palakkad, Distt. 678557, Kerala	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats upto 2020-21. R-12011/02/2009-EP(IM-1) for 2017-18 Dated 19.11.2016
120.	Govt. Auto Ayurved College & Hospital, Amkho, Lashkar, Gwalior-474009, Madhya Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG (BAMS) course and 01 PG subject namely:- (i) Kriya Sharir-04 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course and denial of permission in 01 PG subject namely:- (i)Kriya Sharir-04 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/99/2018-EP(IM-1) dated 27.07.2018
121.	College of Ayurvedic Medicine & Hospital, Jhansi Road, Gwalior-474001, Madhya Pradesh	Not visited by the CCIM for the recommendation of the CCIM may be treated as nil.	academic session 2018-19 therefore, the recommendation of the CCIM may be treated as nil.
122.	Government Autonomous Ayurved College, Gwarighat, Jabalpur-482001, Madhya Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/100/2018-EP(IM-1) dated 27.07.2018
123.	Government Autonomous Dhanwantri Ayurved College, Mangalnath Marg, Taluka & District Ujjain-456001, Madhya Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG (BAMS) course and 09 seats in 03 PG course namely:-(i) Kayachikitsa-03 seats, (ii) Dravyaguna-04 seats and (iii) Rachna Sharir-02 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 09 seats in 03 PG course nemely :- (i) Kayachikitsa-03 seats, (ii) Dravyaguna-04 seats and (iii) Rachna Sharir-02 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/101/2018-EP (IM-1) 27.07.2018
124.	Pt. Shiv Shaktilal Sharma Ayurvedic College & Hospital, Banjali, Sailana Road, Distt. Ratlam-457001, Madhya Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG(BAMS) and 18 seats in 03 PG course nemely:- (i) Kayachikitsa-06 seats and (ii) Panchkarma-06 seats and (iii) Ayurved Samhita & Siddhanta-06 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970	Grant of Conditional Permission with 100 seats in UG (BAMS) courseand 18 seats in 03 PG course nemely :- (i) Kayachikitsa-06 seats and (ii) Panchkarma-06 seats and (iii) Ayurved Samhita & Siddhanta-06 seats for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/102/2018-EP (IM-1) 04.10.2018
125.	Smt. Dhairya Prabha Devi Sojatia Ayurved Medical College, Neemthur, Bhanpura-458775, Distt. Mandasaur, Madhya Pradesh	Not visited by the CCIM for the recommendation of the CCIM may be treated as nil.	academic session 2018-19 therefore, the recommendation of the CCIM may be treated as nil.



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
126.	Pt. Shivnath Shastri Government Autonomous Ayurveda College & Hospital Shikarpura, Near Water Tank, Burhanpur-450331, Madhya Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 40 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.17011/103/2018-EP(IM-1) dated 27.07.2018
127.	Shaskiya Swashasi Ashtanga Ayurved Mahavidyalaya, Lokmanay Nagar, Indore-452009, Madhya Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/104/2018-EP (IM-1) dated 27.07.2018
128.	Acharya Gyan Ayurved College, 278 Jawahar Marg, Malganj Choraha, Indore- 452004, Madhya Pradesh	Not visited by the CCIM for the recommendation of the CCIM may be treated as nil.	academic session 2018-19 therefore, the recommendation of the CCIM may be treated as nil.
129.	Shubhdeep Ayurved Medical College, Gram-Datoda, Khandwa Road Teh. Mhow, Near Chokhi Dhani Distt.- Indore-452020 Madhya Pradesh	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	Withdrawal of permission granted for not exceeding five years from the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21 vide letter dated 01.09.2016 and denial of permission to the Shubhdeep Ayurved Medical College and Hospital, Gram Datoda, Khandwa Road, Indore, Madhya Pradesh for conducting 60 seats in B.A.M.S. (UG) course and 25 seats in 05 PG courses viz. (i) Ayurved Samhita & Siddhanta-05 seats, (ii)Kayachikitsa-05 seats (iii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats, (iv) Panchkarma-05 seats and (v) Rog Nidan avum Vikriti Vigyan-05 seats under Section 13A/13C of the IMCC Act, 1970 for the session 2018-19. R-17011/106/2016-EP (IM-1) Dated 17.10.2018
130.	Govt. (Auto) Ayurved College, Nipaniya Dist-Rewa 484001, Madhya Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG (BAMS) course and 01 PG subject namely:- (i) Ayurveda Samhita & Siddhant-05 seats for the session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 01 PG subject namely:- (i) Ayurveda Samhita & Siddhant-05 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/107/2018-EP(IM-1) dated 27.07.2018
131.	Ajeewan Swasthya Samvardhan Ayurveda Mahavidyalaya Arogyadham, Deendayal Research Institute, Chitrakoot, Distt. Satna-485331, Madhya Pradesh	Not visited by the CCIM for the recommendation of the CCIM may be treated as nil.	academic session 2018-19 therefore, the recommendation of the CCIM may be treated as nil.
132.	Pt. Khushilal Sharma Govt. (Autonomous) Ayurved College & Institute, Behind Manit, Nehru Nagar, Kolar Bypass Road, Science Hills, Bhopal-462003, Madhya Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course and and 46 seats in 09 PG courses namely:- (i)Swasthavritta-04 seats, (ii)Dravyaguna-05 seats, (iii)Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats, (iv)Rog Nidan evum Vikriti Vigyan-06 seats (v)Panchkarma-05 seats (vi)Rachana Sharir-06 seats (vii)Kriya Sharir -05 seats (viii)Kayachikitsa-05 seats and (ix)Samhita Siddhant-05 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course and and 46 seats in 09 PG courses namely:- (i)Swasthavritta-04 seats, (ii)Dravyaguna-05 seats, (iii)Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats, (iv)Rog Nidan evum Vikriti Vigyan-06 seats (v)Panchkarma-05 seats (vi)Rachana Sharir-06 seats (vii)Kriya Sharir -05 seats (viii)Kayachikitsa-05 seats and (ix)Samhita Siddhant-05 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/108/2018-EP(IM-1) Dated 27.07.2018



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
133.	Rajiv Gandhi Ayurvedic College & Hospital E-8, Trilanga Colony Shahpura, Bhopal-462039, Madhya Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/109/2018-EP(IM-1) Dated 06.09.2018
134.	Rani Dullaiya Smriti Ayurvedic P.G. College & Hospital, Barkhedi Kala, Bhadbhada Road, Bhopal-462044, Madhya Pradesh	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 100 seats and 45 seats in 09 PG courses i.e. (i)Ayurveda Samhita Sidhanta-05 seats, (ii)Rachana sharir-05 seats, (iii) Swasthavritta-05 seats, (iv) Kaumarbhritya-05 seats, (v) Agad Tantra-05 seats, (vi)Panchkarma-05 seats, (vii) Dravyaguna-05 seats, (viii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats, and (ix) Shalya Tantra-05 seats, Upto 2018-19. letter no. R.17011/110/2014-EP(IM-1) dated 02.09.2014 and R.13011/25/2015-EP(IM-1) dated 01.12.2016
135.	Veenavadini Ayurved College & Hospital, Akbarpur, Phase-II, Behind Kanhakunj, Kolar Road, Bhopal-462042, Madhya Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 50 seats in UG(BAMS) for the academic year 2018-19. and also Recommended to Government of India for issuing conditional LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. and also Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats and from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/111/2018-EP(IM-1) & R-13011/21/2017-EP (IM-1) Dated 27.09.2018.
136.	Om Ayurvedic Medical College & Hospital, Jamthi, P.O. Bharat Bharati, Betul-460001, Madhya Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 40 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.17011/112/2018-EP(IM-1) dated 30.10.2018
137.	Bhanwar Lal Nahata Samriti Sansthan, MHOW- Neemuch Road, Bhanwar Lal Nahata Marg, Mandasaur Institute of Ayurved Education & Research, Mandasaur-458001, Madhya Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19. and as well as Not issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats from the academic session 2018-19 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19. and Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats from the academic session 2018-19 under section 13A of the IMCC Act,1970. R-12011/10/2009-EP(IM-1) for 2018-19 & R.13011/11/2017-EP(IM-1) dated 28.09.2018
138.	Bharti Vidyapeeth's University, College of Ayurved, Satara Road, Tal. Haveli. Pune-411043, Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 100 seats and 57 seats in 14 PG course namely:- (i) Ayurved Samhita-04 seats (ii) Rachna Sharir-04 seats (iii) Kriya Sharir-04 seats (iv) Dravyaguna-04 seats (v) Bhaishajya Kalpana- 04 seats (vi) Rognidan-03 seats (vii) Swasthavritta-05 seats (viii) Agadtantra & vidhi vaidyak-04 seats (ix) Prasuti Tantra & Stri rog-05 seats (x) Kaumarbhritya-04 seats (xi) Kayachikitsa-05 seats (xii) Shalya-04 seats (xiii) Shalkaya Tantra-04 seats and (xiv) Panchkarma-03 seats and Diploma course i.e. (i) Panchkarma (ii) Ayurvedic Sangyahan (iii) Ayurvedic Cosmetology & Skin diseases (iv) Prasuti Tantra & Strirrog (v) Balroga and (vi) Netrayoga Vigyan with 02 seats upto 2020-21. R-17011/113/2003-EP(IM-1) dated 01.09.2016



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
139.	Tilak Ayurved Mahavidyalaya, 583/2, Rasta Peth, Pune-411011, Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 100 seats and 57 seats in 15 PG course namely:- (i) Ayurved Samhita & Siddhanta-03 seats, (ii) Rachna Sharir-05 seats, (iii) Kriya Sharir-04 seats, (iv) Dravyaguna-03 seats, (v) Rasashastra & Bhaishajya kalpana-05 seats, (vi) Rog Nidan-04 seats, (vii) Swasthavritta-02 seats, (viii) Agadtantra-04 seats, (ix) Prasuti & Striroga-04 seats, (x) Kaumarbhartiya-02 seats, (xi) Kayachikitsa-06 seats, (xii) Shalya-Sangyaharan-03 seats, (xiii) Shalya Samanya-04 seats, (xiv) Shalaky Tantra-04 seats & (xv) Panchkarma-04 seats upto 2020-21. R-17011/114/2016-EP(IM-1) dated 22.10.2016
140.	Ashtang Ayurveda College, 2062 (New), Sadashiv Peth, Vijaynagar Colony, Late Vd. H.B. Paranjape Chowk, Pune 411030, Maharashtra	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 40 seats in UG (BAMS) course and 09 seats in 03 PG course namely-(i) Ayurved Samhita & Siddhant, (ii) Rachna Sharir and (iii) Prasuti & Stri Rog with 3 seats in each course for the session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG (BAMS) course and 09 seats in 03 PG course namely-(i) Ayurved Samhita & Siddhant, (ii) Rachna Sharir and (iii) Prasuti & Stri Rog with 3 seats in each course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/210/2018-EP(IM-1) Dated 10.08.2018
141.	Ayurved Seva Sangh's Ayurved Mahavidyalaya Ganeshwadi Panchavati Tal. & Dist. Nashik-422003, Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 10 seats in 03 PG courses i.e. (i) Kayachikitsa - 05 seats (ii) Shalya Tantra-04 seats, (iii) Panchkarma-01 seats, Upto 2019-20. letter no. R-17011/115/2015-EP (IM-1) dated 16.07.2015 and R.13011/18/ 2014-EP (IM-1) Dated 08.10.2015
142.	Shri Gangadhar Shastri Gune Ayurved Mahavidyalaya, Vishrambaug, Dist. Ahmednagar- 414001, Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 50 seats Upto 2018-19. letter no. R-17011/116/2014-EP(IM-1) dated 09.09.2014
143.	Karmvir Vyanketrao Tanaji Randhir, Ayurved College, Boradi, Tal. Shirpur, Dist. Dhule-425428, Maharashtra	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 30 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19. and also Recommended to Government of India for issuing conditional LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 30 to 60 seats from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 30 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/117/2018-EP(IM-1) Dated 10.08.2018 and also Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 30 to 60 seats and from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-13011/02/2017-EP (IM-1) Dated: 10.08.2018.
144.	Vasant Dada Patil Ayurved Medical College & Institute of Yoga, South Shivaji Nagar, Opposite Income Tax Office, Miraj Road, Tal. Miraj, Sangli-416416, Maharashtra	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 40 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/118/2018-EP(IM-1) Dated 10.08.2018
145.	Shri Vivekanand Nursing Home Trust's Ayurved Mahavidyalaya Shri Shivaji Nagar, A/P-Rahuri Factory, Tal. Rahuri, Distt. Ahmednagar-413706, Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 27 seats in 06 PG courses namely :- (i) Kayachikitsa(06 seats), (ii) Prasuti & Striroga(06 seats), (iii) Shalya Tantra (03 seats), (iv) Rasashastra (04 seats), (v) Rognidan(04 seats), and (vi) Shalaky Tantra(04 seats) and 06 PG Diploma



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
			Courses namely:-(i) Prasuti tantra & Strirog-05 seats (ii)Ayurvedic Cosmetology & Skin Disease-05 seats, (iii)Kshar Karma-05 seats, (iv) Netra rog Vigyan-02 seats, (v) Ayurvedic pharmaceuticals-02 seats and (vi) Rognidan Vidhi-02 seats Upto 2018-19. letter no. No.R-17011/119/2014-EP (IM-1) dated 01.08.2014 and R.1811/02/2014-EP(IM-1) dated 01.10.2014
146.	Maharashtra Arogya Mandal's Sumati Bhai Shah Ayurved Mahavidyalaya, Malwadi Hadapsar, Tal: Haveli, Distt. Pune-411028, Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 78 seats in 13 PG course namely:- (i) Ayurved Samhita & Siddhant-06 seats, (ii) Rachna Sharir-06 seats, (iii) Kriya Sharir-06 seats, (iv) Dravyaguna-06 seats, (v) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats (vi) Rognidan-06 seats, (vii) Prasuti Tantra-06 seats, (viii) Agad tantra-06 seats, (ix) Kayachikitsa-06 seats, (x) Shalya Tantra-06 seats, (xi) Swasthavritta-06 seats, (xii) Shalaky Tantra (Netra Roga)-06 seats & (xiii) Panchkarma-06 seats and admission in PG diploma courses in 02 subjects namely (i) Ayurvedic Pharmaceuticals-Rasashastra & Bhaishajya Kalpana- 05 seats, (ii) Prasuti evum Striroga-05 seats upto 2020-21. R-17011/120/2016-EP(IM-1) dated 20.09.2016 & 27.09.2016
147.	Poona District Education Association's, College of Ayurved & Research Centre, Sector No. 25, Pradhikaran, Akurdi, Nigadi, Tal. Haveli, Distt. Pune -411044, Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and and 68 seats in 14 PG courses namely :- (i) Sharir Rachna-06 seats, (ii) Kayachikitsa-06 seats, (iii) Kriya Sharir -06 seats, (iv) Rog Nidan-06 seats, (v)Swasthavritta-06 seats, (vi) Shalya Tantra-06 seats, (vii) Dravyaguna -02 seats, (viii)Ayurved Samhita-02 seats (ix) Prasuti & Striroga-02 seats, (x) Panchakarma -02 seats (xi)Agadtantra-06 seats, (xii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats, (xiii) Kaumarbhritya-06 seats and (xiv) Shalakyatantra- Netrarog-06 seats Upto 2018-19. letter no. R-17011/121/2014-EP (IM-1) dated 01.08.2014, F.No.R.13011/23/2013-EP (IM-1) & F.No.R.14011/23/2013-EP(IM-1) dated 26.09.2014
148.	Sangam Sevabhavi Trust's Ayurved Mahavidyalaya Tal. Sangamner - 422605, Distt. Ahmednagar, Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 15 seats in 03 PG course namely:- (i) Kayachikitsa-05 seats, (ii) Prasuti Tantra-05 seats and (iii) Shalaky Tantra -05 seats upto 2020-21. R-17011/122/2006-EP(IM-1) dated 13.10.2016
149.	Siddhakala Ayurved Mahavidyalaya, Pimparne Road, Sangamner Kd, Tal. Sangamner, Dist. Ahmednagar-422605, Maharashtra	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG (BAMS) course and 20 seats in 06 PG course namely:- (i) Ayurved Samhita & Siddhanta-06 seats, (ii) Rog Nidan-06 seats, (iii) Kayachikitsa-02 seats, (iv) Prasuti & Striroga-02 seats (v) Kaumaryabhritya-02 seats (vi) Shalya Tantra-02 seats and Not recommended in 01 PG course namely:- (i) Rachana Sharir-04 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 20 seats in 06 PG course namely:- (i) Ayurved Samhita & Siddhanta-06 seats, (ii) Rog Nidan-06 seats, (iii) Kayachikitsa-02 seats, (iv) Prasuti & Striroga-02 seats (v) Kaumaryabhritya-02 seats (vi) Shalya Tantra-02 seats and Denial of 01 PG course namely:- (i) Rachana Sharir-04 seats for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/123/2018-EP(IM-1) Dated 20.09.2018



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
150.	Bharatiya Sanskriti Darshan Trust's Ayurved Mahavidyalaya Vishwa Shanti Dham, A/P Wagholi, Tal.-Haweli, Dist.-Pune-412207, Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 15 seats in 04 PG course namely:- (i) Ayurved Samhita & Siddhant- 03 seats, (ii)Rachna Sharir-06 seats and (iii) Kayachikitsa- 03 seats and (iv)Rognidan- 03 seats upto 2020-21. R-17011/124/2016-EP(IM-1) dated 22.10.2016 & R.14011/02/2015-EP(IM-1) & R.13011/08/2015-EP(IM-1) dated 13.12.2016
151.	Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Sanstha's Ayurved Mahavidyalaya & Rugnalaya Kanchanwadi, Paithan Road Tq. & Distt. Aurangabad -431002 Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 100 seats and 60 seats in 10 PG course namely:- (i) Agad Tantra, (ii)Ayurved Samhita Sidhant, (iii) Dravyaguna, (iv) Kaumarbharitya- Bal Rog, (v)Kayachikitsa, (vi) Panchkarma, (vii) Prasuti Tantra & Stri Rog, (viii) Rachna Sharir, (ix) Rog Nidan and (x) Shalya Tantra with 06 in each subject upto 2020-21. R-17011/125/2016-EP (IM-1) Dated : 30.09.2016
152.	Govt. Ayurvedic College Tulajapur Road, Osmanabad-413501, Maharashtra	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 50 seats in UG(BAMS) course and 48 seats in 08 PG course namely:- (i)Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats, (ii)Shalya Tantra-06 seats, (iii)Rachna Sharir-06 seats, (iv)Kriya Sharir-06 seats, (v)Dravyaguna Vigyan-06 seats, (vi)Agad Tantra evam Vidhi Ayurved-06 seats, (vii) Prasuti Tantra & Stri Roga-06 seats and (viii)Kaumarbharitya-06 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course and 48 seats in 08 PG course namely:-(i)Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats, (ii)Shalya Tantra-06 seats, (iii)Rachna Sharir-06 seats, (iv)Kriya Sharir-06 seats, (v)Dravyaguna Vigyan-06 seats, (vi)Agad Tantra evam Vidhi Ayurved-06 seats, (vii) Prasuti Tantra & Stri Roga-06 seats and (viii)Kaumarbharitya-06 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/ A of the IMCC Act, 1970. R-17011/126/2018-EP (IM-1) Dated : 27.07.2018
153.	Seth Chandanmal Mutha Aryangla Vaidyak Mahavidyalaya I.T.I Road, Gendamal, Satara-415002, Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	Withdrawal the earlier permission granted for not exceeding five years from the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21 vide letter dated 02.09.2016 and decided to convert it into conditional permission to take admissions 50 seats in UG (BAMS) course and 03 seats in 01 PG course namely:- Kayachikitsa to Seth Chandanmal Mutha College, Satara, Maharashtra under section 13C/ A of the IMCC Act, 1970 for the academic session 2018-19. R.17011/127/2016-EP (IM-1) dated 18.09.2018
154.	Seth Govindji Raoji Ayurved College, 21-A/13, Budhwar Peth, Samrat Chowk, Distt. Sholapur 413002, Maharashtra	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG (BAMS) course and 08 seats in 02 PG course namely:- (i) Kayachikitsa-05 seats and (ii) Prasuti & Stree Roga-03 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 08 seats in 02 PG course namely:- (i) Kayachikitsa-05 seats and (ii) Prasuti & Stree Roga-03 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/128/2018-EP(IM-1) Dated : 20.09.2018
155.	Yashwant Ayurvedic College Post Graduate Training & Research Centre, At & P.O, Kodoli, Tal. Panhala, Distt. Kolhapur-416114, Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 100 seats and and 90 seats in 15 PG courses namely :- (i) Ayurved Samhita & Siddhant, (ii) Rachna Sharir, (iii) Kriya Sharir,(iv) Dravyaguna, (v) Rasashastra & Bhaishajyakalpana, (vi) Rog Nidan, (vii) Swasthavritta, (viii) Agad Tantra, (ix) Prasuti & Striroga, (x) Kaumarbharitya, (xi) Kayachikitsa, (xii) Sangyahan, (xiii) Shalya Tantra (xiv) Shalakya Tantra and (xv) Panchkarma with 06 seats in each course Upto 2019-20 letter no. R-17011/129/2015-EP (IM-1) dated 16.07.2015



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
156.	Hanuman Shikshan Prasarak Mandal Savarde's Ayurvedic Medical College Peth, Vadgaon, Taluka-Hatkanangale, Dist. Kolhapur-416112, Maharashtra	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/130/2018-EP (IM-1) Dated 14.09.2018
157.	Ganga Education Society's Ayurvedic Medical College 147/A Ganga Hospital Building, Rankalaves Dudhali, Distt. Kolhapur-416012, Maharashtra	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. Therefore, you are requested to issue letter of permanent de-recognition of the said college.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 50 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.17011/131/2018-EP(IM-1) dated 18.10.2018
158.	Smt. K.C. Ajmera Ayurved College, Dayasagar Educational Campus, Agra Road, Deopur, Distt. & Tal Dhule-424002, Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 05 seats in 01 PG course namely:- (i) Swasthvritta upto 2020-21. R-17011/132/2016-EP (IM-1) Dated : 19.10.2016
159.	Dadasaheb Surupsing Naik Ayurved Mahavidyalaya, Suwalal Bafna, Vidyanagar, At & Post-Nagaon, Dist.: Dhule-424004, Maharashtra	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 50 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/133/2018-EP (IM-1) Dated 11.10.2018
160.	Kisan Dnyanoday Mandal Gudhe's Ayurved College & Hospital Near Aurangabad Bye Pass, Dhule Raod , Chalisgaon, Dist. Jalgaon-424101, Maharashtra	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 50 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/134/2017-EP (IM-1) Dated 08.11.2018
161.	Chaitanya Ayurved Mahavidyalaya Sakegaon, N.H.No-6, Tal-Bhusawal Dist-Jalgaon-425201, Maharashtra	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 50 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/135/2018-EP (IM-1) Dated 12.10.2018
162.	R.A. Podar Ayurved Medical College Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400018, Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 100 seats and 45 seats in 13 PG courses courses namely (i)Ayurveda Samhita-03 seats, (ii)Dravyaguna -02 seats, (iii)Rasashastra-03 seats, (iv)Shalya Tantra-04 seats, (v)Kriya Sharir-02 seats, (vi)Kayachikitsa -08 seats, (vii)Prasuti Tantra & Striroga-05 seats, (viii)Rachna Sharir-03 seats, (ix)Swasthavritta-02 seats, (x)Shalaky -04 seats, (xi) Agadtantra-01 seat, (xii) Rognidan-02 seats and (xiii)Panchakarrna-06 seats upto 2020-21. R-17011/136/2016-EP (IM-1) Dated 05.10.2016
163.	Smt. Kamaladevi Gauridutt Mittal Puanrvasu Ayurved Mahavidyalaya Vd.	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 50 seats in UG(BAMS) course and 14	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course and 14 seats in 04 PG courses namely:- (i)Kayachikitsa-08 seats, (ii)Dravyaguna-02 seats, (iii)Ayurved



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
	Ramgopal Sharma Chowk, Netaji Subhash Road, Charni Road (West), Distt. Mumbai - 400002, Maharashtra	seats in 04 PG courses namely:- (i)Kayachikitsa-08 seats, (ii)Dravyaguna-02 seats, (iii)Ayurved Samhita & Siddhanata-02 seats and (iv) Rasashastra & Bhaishajyakalpana-02 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Samhita & Siddhanata-02 seats and (iv) Rasashastra & Bhaishajyakalpana-02 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/137/2018-EP (IM-1) Dated 10.08.2018
164.	Ayurved Prasarak Mandal's Ayurved Mahavidyalaya, Near Sion Railway Station, Distt. Mumbai- 400022 Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 Seats and 21 seats in 04 PG courses i.e. (i) Ayurved Samhita & Siddhant-06 seats, (ii) Dravyaguna Vigyan- 03 seats & (iii) Kayachikitsa - 06 seats and (iv) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana - 06 seats upto 2020-21. R-17011/138/2016-EP(IM-1) Dated 22.10.2016
165.	Yerala Medical Trust Ayurvedic Medical College & Hospital Institutional Area, Sector No.4, Kharghar, Navi Mumbai- 410210, Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 100 Seats and 54 seats 13 subjects namely- (i) Rachana Sharir- 04 seats, (ii) Kriya sharir- 04 seats, (iii) Dravyaguna-04 seats, (iv) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana- 08 seats, (v) Kayachikitsa-04 seats, (vi) Shalya Tantra (Samanya)-02 seats, (vii) Shalya Tantra (Kshar evum Anushastra Karma)- 04 seats, (viii) Shalakya Tantra (Netra Roga)-04 seats, (ix) Ayurved Samhita & Siddhant-04 seats, (x) Rognidan-04 seats, (xi) Agad Tantra-04 seats, (xii) Prasuti & Striroga-04 seats, (xiii) Panchkarma-04 seats upto 2020-21. R-17011/139/2016-EP(IM-1) Dated: 22.10.2016
166.	RJVS Bhaisaheb Sawant Ayurved Mahavidyalaya, Sutikagriha Parisar, Khaskilwada, Taluka-Sawantwadi, Sindhu Durg-416510, Maharashtra	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 40 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/140/2018-EP (IM-1) Dated 14.09.2018
167.	Shri Narsingh K. Dube Charitable Trust's Nallasopara Ayurved Medical College & Hospital, Serve No-59 (Old) 112 New, Achole, Nallasopara (E) Tal. Vasai, Dist. Thane-401209, Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19.	Withdrawal of permission granted for not exceeding five years from the academic session 2014-15 to the academic session 2018-19 with 50 seats in BAMS (UG) course vide letter dated 24.09.2014 and with 60 seats from the academic session 2015-16 to 2018-19 vide this ministry's order no. R-13011/72/2014 EP (IM-1) dated 01.10.2015 and denial of permission to the Shri Narsingh K. Dube Charitable Trust's Nallasopara Ayurved Medical College & Hospital, Medical College Road, Serve No. 112 New, Achole, Nallasopara (E), Tal.-Vasai, Distt.- Thane, Maharashtra for conducting 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.17011/141/2014-EP(IM-1) dated 16.10.2018.
168.	Bhau Saheb Mulak Ayurved Mahavidyalaya, Great Nag Road, Nandanwan, Dist. Nagpur 440009, Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 Seats and 23 seats 09 subjects namely-(i)Ayurved Samhita & Siddhant-04 seats (ii)Rachana Sharir-03 seats (iii) Kriya Sharir-02 seats (iv) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-04 seats (v) Swasthavritta-03 seats (vi) Dravyaguna-01 seat (vii) Agad Tantra-03 seats (viii) Kaumarbhritya-02 seats (ix)Kayachikitsa-01 seat upto 2020-21. R-17011/142/2016-EP(IM-1) Dated: 02.09.2016



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
169.	Govt. Ayurvedic College, Raje Raghujji Nagar, Umrer Road, Sakkardara Chowk, Nagpur-440024, Maharashtra	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG(BAMS) course and 60 seats in 10 PG courses namely:- (i)Ayurved Samhita & Siddhant (ii)Rachna Sharir, (iii)Kriya Sharir, (iv)Rasashastra & Bhaishajya Kalpana, (v)Rog Nidan avum Vikriti Vigyan, (vi)Swasthavritta & Yoga, (vii)Agad Tantra & Vidhi Vaidyaka, (viii)Kayachikitsa, (ix)Shalya Tantra and (x)Shalakyia Tantra with 06 seats in each subject for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 100 seats in UG (BAMS) course and 60 seats in 10 PG courses namely:- (i)Ayurved Samhita & Siddhant (ii)Rachna Sharir, (iii)Kriya Sharir, (iv)Rasashastra & Bhaishajya Kalpana, (v)Rog Nidan avum Vikriti Vigyan, (vi)Swasthavritta & Yoga, (vii)Agad Tantra & Vidhi Vaidyaka, (viii)Kayachikitsa, (ix)Shalya Tantra and (x)Shalakyia Tantra with 06 seats in each subject for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/143/2018-EP (IM-1) Dated 27.07.2018
170.	Shri Ayurved Mahavidyalaya, Dhanwantri Marg, Hanuman Nagar Nagpur-440009, Maharashtra	Recommended to Government of India for granting permission for admission with 100 seats in UG(BAMS) course and 47 seats in 13 PG courses namely:- (i)Rachana Sharir-04 seats, (ii)Kriya Sharir-03 seats, (iii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats, (iv)Kayachikitsa-05 seats, (v)Agad Tantra-03 seats, (vi)Ayurved Samhita Siddhant-06 seats, (vii) Dravyaguna-03 seats (viii)Shalya Tantra-04 seats (ix)Swasthavritta-03 seats (x)Panchkarrna-02 seats (xi)Rog Nidan avum Vikriti Vigyan-03 seats, (xii) Kumarbhritya-02 seats and (xiii)Shalakyia Tantra-03 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 100 seats in UG (BAMS) course and 47 seats in 13 PG courses namely:- (i)Rachana Sharir-04 seats, (ii)Kriya Sharir-03 seats, (iii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats, (iv)Kayachikitsa-05 seats, (v)Agad Tantra-03 seats, (vi)Ayurved Samhita Siddhant-06 seats, (vii) Dravyaguna-03 seats (viii)Shalya Tantra-04 seats (ix)Swasthavritta-03 seats (x)Panchkarrna-02 seats (xi)Rog Nidan avum Vikriti Vigyan-03 seats, (xii) Kumarbhritya-02 seats and (xiii)Shalakyia Tantra-03 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/144/2018-EP (IM-1) Dated 10.08.2018
171.	Shri Radhakisan Toshniwal Ayurved Mahavidyalaya, Kediya Plots, Jathur Peth Road, Dist. Akola-444005, Maharashtra	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission of 60 in UG (BAMS) course and 16 seats in 05 PG course namely:- (i)Ayurved Samhita & Siddhanta-02 seats, (ii)Rachna Sharir-02 seats, (iii)Kayachikitsa-03 seats, (iv)Shalya Tantra-03 seats and (v)Rognidan & Vikruti Vigyan-06 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG(BAMS) course and 16 seats in 05 PG course namely:- (i)Ayurved Samhita & Siddhanta-02 seats, (ii)Rachna Sharir-02 seats, (iii)Kayachikitsa-03 seats, (iv)Shalya Tantra-03 seats and (v)Rognidan & Vikruti Vigyan-06 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/145/2018-EP (IM-1) Dated 10.08.2018
172.	Vidarbha Ayurved Mahavidyalaya, Dhanwantari Nagar, Chhatri Talao Road, Taluka & Distt. Amrawati-444606, Maharashtra	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission of 60 in UG (BAMS) course and 08 seats in 04 PG course namely: (i) Swasthvritta -02 seats, (ii) Kayachikitsa -02 seats, (iii) Shalya Tantra -03 seats and (iv) Shalakyia Tantra -01 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG(BAMS) course and 08 seats in 04 PG course namely: (i)Swasthvritta-02 seats, (ii) Kayachikitsa-02 seats, (iii) Shalya Tantra-03 seats and (iv) Shalakyia Tantra -01 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/146/2018-EP (IM-1) Dated 10.08.2018
173.	Shri Gurudeo Ayurved College, At/Po. Gurukunj Ashram, Tq. Tiosa, Dist. Amravati-444902, Maharashtra	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission of 50 in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. and Recommended to Government	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/147/2018-EP (IM-1) Dated 13.08.2018 Granted Permission for issuing LOP to



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
		of India for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2018-19 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2018-19 under section 13A of the IMCC Act,1970. R.13011/15/2017-EP(IM-1) dated 13.08.2018
174.	Dayabhai Maoji Majithiya Ayurved Mahavidyalaya, Shivaji Nagar, Arni Road, Distt.-Yavatmal-445001, Maharashtra	Not Annual visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 50 seats in UG (BAMS) course and 06 seats in 02 PG courses namely:-(i) Kayachikitsa-06 seats and (ii) Rog Nidan evum Vikriti Vigyan- 03 seats upto 2020-21. R-17011/148/2016-EP(IM-1) Dated: 22.10.2016 and F.No.R.13011/19/2016-EP(IM-1) dated 29.09.2017
175.	Shri Gajanan Maharaj Sansthan Ayurved Mahavidyalaya, Washim Road, Tq. Pusad Distt. Yavatmal-445215, Maharashtra	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 50 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/149/2018-EP(IM-1) Dated 27.09.2018
176.	Dr. Vandanatai Jagannathrao Dhone Gramin Ayurved Mahavidyalaya, Tq. Patur, Distt. Akola-444501, Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 50 seats and 12 seats in 02 PG courses viz (i) Shalya Tantra-06 seats, & (ii) Kayachikitsa-06 seats course Upto 2019-20. letter no. R-17011/150/2015- EP (IM-1) dated 01.10.2015
177.	Lt. Sunil Ramsinh Chunawale Ayurved Mahavidyalaya, Deendayal Nagar, Tq. Chikhli, Distt. Buldana-443201, Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19.	Withdrawal of permission granted for not exceeding five years from the academic session 2014-15 to the academic session 2018-19 with 40 seats in BAMS (UG) course vide letter No. R-17011/151/2014-EP (IM-1) dated 04.09.2014 to increase admission capacity from 40 to 60 seats in existing UG (BAMS) course and vide letter No. R-13011/20/2013-EP (IM-1) dated 22.10.2014 and Denial of permission to the Lt. Sunil Ramsinh Chunawale Ayurved Mahavidyalaya, Dist. Buldana, Maharashtra for conducting 60 seats in UG(BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/151/2014-EP(IM-1) dated 15.11.2018.
178.	Mahadeorao Shivankar Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Institute, Post-Kudwa, Distt- Gondia-441614, Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 18 seats in 03 new PG courses namely (i) Panchakrama- 06 seats (ii) Shalya tantra - 06 seats (iii) Kayachikitsa-06 seats upto 2019-20. R-17011/152/2015-EP (IM-1)-16.7.2015 and R-14011/44/2015-EP (IM-1)-21.10.2015
179.	Shree Saptashrunji Ayurved Mahavidyalaya & Hospital, Kamal Nagar, Hirawadi, Panchavati, Tal. & Distt. Nashik-422003, Maharashtra	Not Annual visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 60 seats in 10 PG courses namely:-(i)Kayachikitsa, (ii) Shalya Tantra and (iii) Stree Roga & Prasuti Tantra (iv)Samhita Siddhant (v) Kriya Sharir, (vi) Dravyaguna. (vii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana (viii) Kaumarbhritya. (ix) Agad Tantra and (x) Panchakarma with 06 seats in each subjects Upto 2018-19. letter no. R-17011/153/2014- EP (IM-1) dated 04.08.2014, R.14011/21/2013-EP(IM-1) & R.13011/29/2013-EP(IM-1) dated 01.10.2014 and R.14011/28/2016-EP(IM-1) dated 02.09.2017,



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
180.	Late Kedari Redekar Ayurvedic Mahavidyalaya, P-2, MIDC Area, Shendri Mal, Tal. Gadhinglaj, Distt. Kolhapur -416502, Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19. Recommended to Government of India for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2018-19 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats in UG course and 62 seats in 12 PG courses namely (i) Rognidan-04 seats, (ii) Rasashastra-05 seats and (iii) Shalya Tantra -05 seats (iv) Dravyaguna-06 seats,(v) Kaumarbhritya - Bal Roga-06 seats, (vi) Striroga avum Prasuti Tantra-06 seats, (vii) Shalya Tantra-Kshar Karma avum Anushastra Karma-04 seats, (viii)Kayachikitsa-06 seats, (ix) Shalakyatantra-06 seats and (x) Samhita Siddhant-04 seats (xi) Panchkarma-06 seats & (xii) Sangyaharan-04 seats up to 2018-19. letter no. R-17011/154/2014-EP (IM-1) dated 28.07.2014, R.14011/47/2011-EP (IM-1) dated 21.10.2014 and R.14011/19/2014/-EP(IM-1) & R.13011/34/2014/-EP(IM-1) Dated 07.10.2015 Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2018-19 under section 13A of the IMCC Act,1970 in compliance of court order W.P. No.11847 of 2018 filed before the Hon'ble High Court of Bombay. letter no. R-17011/154/2014-EP(IM-1) & R.13011/14/2017/-EP (IM-1) Dated 15.02.2019
181.	Pravara Medical Trust's Padmashri Dr. Vitthal Rao Vikhe Patil Foundation Ayurved College Akhegaon Road, Tal. Shevgaon, Distt. Ahmednagar-414502 Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20. Recommended to Government of India for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 80 to 100 seats and to start 02 new PG course namely:- (i) Kaumarbhritya (Balroga)-06 seats and (ii) Panchkarma-06 seats from the academic session 2018-19 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 80 to 100 seats and to start 02 new PG course namely:- (i) Kaumarbhritya (Balroga)-06 seats and (ii) Panchkarma-06 seats from the academic session 2018-19 under section 13A of the IMCC Act,1970. And conditional permission for 80 seats in UG (BAMS) course and 38 seats in 08 PG courses namely:-(i) Rachna Sharir-06 seats (ii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats, (iii) Ayurved Samhita & Siddhant-05 seats (iv) Kayachikitsa-06 seats, (v) Dravyaguna- 03 seats, (vi) Shalakyatantra-Netra Rog-06 seats (vii) Prasuti evum Striroga-03 seats & (viii) Shalyatantra (Samanya)-03 seats for the academic session 2018-19 under section 13A of the IMCC Act,1970. R.13011/31/2017-EP(IM-1) and R.14011/17/2017-EP(IM-1) dated 17.10.2018. Central Government to withdraw the earlier permission granted for a period not exceeding 05 years i.e. (i.e. from the academic session 2015-16 to the academic session 2019-20) to the college for existing with 80 seats in UG (BAMS) course and 38 seats in 08 PG courses vide Ministry's letter R-17011/155/2015-EP (IM-1) 08.09.2015 and R-14011/53/2014- EP (IM-1) 01.10.2015. and
182.	Dr. D.Y. Patil College of Ayurved & Research Centre, Pimpri, Pune 411018, Maharashtra	Not Annual visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 100 seats and 62 seats in 11 PG subjects namely:-(i) Samhita-06 seats, (ii) Rachana Sharir-06 seats, (iii) Prasuti Tantra-06 seats, (iv) Kayachikitsa -04, (v)Shalya Tantra-06 seats, (vi)Kriya sharir-06 seats, (vii)Swasthviritta-06 seats, (viii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats and (ix) Panchkarnma-06 seats (x) Dravyaguna Vigyan-06 seats, (xi) Shalakyatantra-06 seats



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
			Tantra (Karna Nasa Shiro)-04 seats upto 2019-20. R-17011/156/2015-EP (IM-1) 31.7.2015 & R-13011/58/2014-EP(IM-1) 01.10.2015 and F.No.R-13011/14/2016-EP(IM-1) & F.No.R-14011/16/2016-EP(IM-1) dated 06.09.2017
183.	Government Ayurved College, Wazirabad, Tal. & Distt. Nanded-431601, Maharashtra	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG (BAMS) course and 46 seats in 12 PG courses namely (i)Ayurved Samhita Siddhant-02 seats (ii)Rachna Sharir-03 Seats (iii)Kriya Sharir-06 seats (iv)Dravyaguna-02 seats (v)Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-02 seats (vi)Rog Nidan avum Vikriti Vigyan-06 seats (vii)Swasthavritta & Yoga-02 seats (viii) Prasuti Tantra & Striroga-02 seats (ix)Kaumarbhritya-06 seats (x) Kayachikitsa-04 seats and, (xi)Shalya Tantra-06 seats and (xii)Shalakya Tantra-05 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats and 46 seats in 12 PG courses namely:- (i)Ayurved Samhita Siddhant-02 seats (ii)Rachna Sharir-03 Seats (iii)Kriya Sharir-06 seats (iv)Dravyaguna-02 seats (v)Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-02 seats (vi)Rog Nidan avum Vikriti Vigyan-06 seats (vii)Swasthavritta & Yoga-02 seats (viii) Prasuti Tantra & Striroga-02 seats (ix)Kaumarbhritya-06 seats (x) Kayachikitsa-04 seats and, (xi)Shalya Tantra-06 seats and (xii)Shalakya Tantra-05 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/157/2018-EP (IM-1) Dated 27.07.2018
184.	Jupiter Ayurved Medical College & Hospital, Shankarpur, Post-Khapri, Tehsil & District, Nagpur-441108, Maharashtra	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 40 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/158/2018-EP (IM-1) Dated 11.10.2018
185.	Hon. Shri Annasaheb Dange Ayurved Medical College & Post Graduate Training Research Centre, Ashta, Tal. Walwa, Distt. Sangli-416301, Maharashtra	Not Annual visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 100 seats in UG (BAMS) course and 64 seats in 12 PG courses viz-(i) Panchkarma-03 seats (II) Kaumarbhritya-5 seats(iii) Sangyahan-5 seats (iv) Rachna Sharir-6 seats(v) Kriya Sharir-5 seats, (vi) Rasashastra evam Bhaishajya Kalpana-5 seats(vii) Shalya Tantra-5 seats, (viii) Samhita Siddhanta-6 seats, (ix) Kayachikitsa-6 seats, (x) Rognidan avum vikriti Vigyan-6 seats, (xi) Striroga avum Prasuti Tantra-6 seats, (xii) Shalakya Tantra-6 seats Upto 2019-20. letter R-17011/159/2015-EP (IM-1) 01.10.2015 and R.13011/23/2016-EP(IM-1) dated 25.09.2017
186.	Late Shri Babrawan Vitalrao Kale Ayurved Medical College & Hospital, Behind Bus Stand, Ghandhi Maidan, Tq. Latur-413512, Maharashtra	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course and 01 PG course i.e. Rachana Sharir-04 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course and Denial of Permission for 04 seats in 01 PG course i.e. (i) Rachana Sharir for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/160/2018-EP(IM-1) Dated 10.10.2018
187.	Bal Bhagwan Shikshan Prasarak Mandal's Dhanwantari Ayurved Medical College & Hospital, Degloor Road, Udgir-413517, Distt. Latur, Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19.	Withdrawal of permission granted for not exceeding five years from the academic session 2014-15 to the academic session 2018-19 with 50 seats in BAMS (UG) course vide letter No. R. R.17011/161/2014-EP(IM-1) dated 31.07.2014 & R.13011/43/2013-EP(IM-1) dated 16.10.2014 to increase admission capacity from 50 to 60 seats in existing UG (BAMS) course and decided to convert it into conditional permission to take admission for 60 seats in UG(BAMS) course to Dhanwantari Ayurved Medical College &



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
			Hospital, Dist. Latur, Maharashtra for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.17011/161/2014-EP(IM-1) dated 31.10.2018.
188.	Ashvin Rural Ayurved College, Manchi Hill, Ashvi BK, Tal. Sangamner, Distt. Ahmednagar-413714, Maharashtra	Not Annual visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats in UG (BAMS) course and 28 seats in 05 PG courses i.e:- (i) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats, (ii) Shalya Tantra-06 seats, (iii) Kayachikitsa-06 seats, (iv) Stree Rog Prasuti Tantra-05 seats and (v) Balrog-05 seats Upto 2020-21. R-17011/162/2016-EP(IM-1) Dated: 19.10.2016 and F.No.R.14011/09/2016-EP(IM-1) dated 25.09.2017
189.	BSSS'S Ramrao Patil Ayurved Mahavidyalaya & Rugnalaya, Bus Stand Road, Tq. Purna-431511, Distt. Parbhani, Maharashtra	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 40 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.17011/163/2018-EP(IM-1) dated 11.10.2018
190.	Loknete Rajarambapu Patil Ayurvedic Medical College, Hospital, Post Graduate Institute & Research Centre, Urun-Islampur, Sangli Road, Tal. Walwa, Distt. Sangali-415409, Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20. Recommended to Government of India for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2018-19 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to increase admission capacity from 60 to 100 seats in existing UG (BAMS) course from the academic session 2018-19 under section 13A of the IMCC Act,1970. R.13011/20/2017-EP(IM-1) dated 30.10.2018. Central Government to withdraw the earlier permission granted for a period not exceeding 05 years i.e. from the academic session 2015-16 to the academic session 2019-20 vide ministry letter dated 16.10.2015 with 60 seats in UG (BAMS) course and 78 seats in 14 PG courses viz, (i) Swasthavritta-06 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishajya kalpana-06 seats, (iii) Agad Tantra-06 seats, (iv) Rog Nidan-06 seats, (v) Shalya Tantra-05 seats, (vi) Kaumarbhartiya-06 seats, (vii) Kayachikitsa-05 seats, (viii)Panchkarma-06 seats, (ix) Prasuti & Striroga-05 seats(x) Shalakya Tantra -06 seats, (xi) Dravyaguna-06 seats, (xii) Chaya Avum Vikrim Vigyan-06 seats (xiii) Asthi Sandhi Evam Marmaghat Roga-03 seats & (xiv) Sangyahan-06 seats under section 13C/13A of the IMCC Act,1970 and decided to convert it into conditional permission to take admission capacity for 60 seats in UG (BAMS) course for academic session 2018-19 only and denial of permission for admission with 66 seats in existing 11 PG courses namely:-(i) Swasthavritta-06 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishajya kalpana-06 seats, (iii) Agad Tantra-06 seats, (iv) Rog Nidan-06 seats, (v) Shalya Tantra-08 seats, (vi) Kaumarbhartiya-06 seats, (vii) Kayachikitsa-05 seats, (viii)Panchkarma-06 seats, (ix) Prasuti & Striroga-05 seats(x) Shalakya Tantra -06 seats, (xi) Dravyaguna-06 seats under section 13C/13A of the IMCC Act,1970 from the academic session 2018-19. letter R-17011/164/2015-EP (IM-1) dated 30.10.2018



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
191.	SCSES'S Rural Institute of Ayurved, Research Centre & Hospital, At Vidyagiri, Mayani, Tal. Khatav, Distt. Satara-415102, Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	Central Government for Withdrawal of permission granted for not exceeding five years from the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21 vide letter dated 14.10.2016 and denial of permission to the Shree Chhatrapati Shivaji Education Society's Rural Institute of Ayurved, Research Centre & Hospital, Vidhyagiri, Tg. Khatav, Satara, Maharashtra for conducting 50 seats in UG (BAMS) course under Section 13A/13C of the IMCC Act, 1970 for the session 2018-19. R.12011/29/2003-EP(IM-1) for 2016-17 dated 11.10.2018
192.	Dr. J.J Magdum Ayurved Medical College, Tal. Shirol-Wadi Road, Jaysingpur-416101, Dist.-Kolhapur, Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	Continuation of permission granted for a period not exceeding five years from the academic session 2016-17 to 2020-21 with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19. R.17011/165/2016-EP(IM-1) dated 26.07.2018
193.	Mahatma Gandhi Ayurved College, Hospital & Research Centre, Salod Hirapur, Distt. Wardha-442001, Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 44 seats in PG courses in 09 subjects namely- (i) Ayurved Samhita & Siddhant- 04 seats, (ii) Rachna Sharir- 04 seats, (iii) Dravyaguna- 04 seats, (iv) Kayachikitsa- 06 seats, (v) Panchkarma- 06 seats, (vi) Rasa Shastra & Bhaisjya Kalpana- 06 seats, (vii) Agad Tantra- 06 seats, (viii) Shalya-Samanya- 02 seats and (ix)Kaumarbhritya-06 seats upto 2020-21. R-12011/11/2006-EP(IM-1) for 2016-17 Dated 20.09.2016 & R.14011/14/2015-EP(IM-1) dated 22.10.2016
194.	Aditya Ayurved College, At Telgaon Road, Distt. Beed- 431122, Maharashtra	Recommended to Government of India for granting conditionalpermission for admission with 50 seats in UG(BAMS) for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/01/2006-EP(IM-1) for 2018-19 Dated 09.10.2018
195.	Mahesh Ayurved College, Ashti, Teh. Ashti, Distt. Beed 414203, Maharashtra	Not visited by the CCIM for the recommendation of the CCIM may be treated as nil.	academic session 2018-19 therefore, the
196.	S.M.B.T. Ayurved College & Hospital, At. Nandi Hills, Dhamangaon, Teh. Igatpuri, Distt. Nashik-422403, Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. 60 seats in UG (BAMS) course and 40 seats in 07 PG courses namely:-(i) Kayachikitsa-06seats, (ii) Panchkarma-06 seats,(iii) Prasuti & Striroga-06 seats, (iv) Balroga-06 seats, (v) Sangyahan-04 seats (instead of 06 seats), (vi) Shalya Tantra-06 seats and (vii) Shalakya Tantra-06 seats Upto 2019-20. letter R-12011/02/2006-EP(IM-1) dated 11.9.2015 and R-14011/43/2014-EP (IM-1) & 13011/61/2014-EP (IM-1) 27.10.2015
197.	Mahila Utkarsha Pratishthan's Ayurved College Hospital & Research Centre, Pundlik Nagar, Degaon, Tq. Risod, Distt. Washim-444506, Maharashtra	Not Annual visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19.	Withdrawal of permission granted for not exceeding five years from the academic session 2014-15 to the academic session 2018-19 with 50 seats in BAMS (UG) course vide letter No. R-12011/38/2006-EP(IM-1) dated 25.09.2014 to increase admission capacity from 50 to 60 seats in existing UG (BAMS) course and vide letter No. R.13011/36/2015-EP(IM-1) dated 22.10.2016 and Denial of permission to the Mahila Utkarsha Pratishthan's Ayurved College, Hospital Dist. Washim, Maharashtra for conducting 60 seats in UG(BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/38/2006-EP(IM-1) dated 09.11.2018.



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
198.	SSUD Ayurved Medical College, Rural Hospital & Research Centre, Koli, Tq. Karanja (Lad), Distt. Washim-444110, Maharashtra	Not visited by the CCIM for the recommendation of the CCIM may be	academic session 2018-19 therefore, the treated as nil.
199.	Shri K.R. Pandav Ayurved College & Hospital, Bahadura, Near Dighori Naka, Umred Road, Distt. Nagpur-441204, Maharashtra	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/43/2006-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 24.09.2018
200.	Dr. D.Y. Patil College of Ayurved & Research Institute, Dr. D.Y. Patil Vidya Nagar, Sector-7, Taluka-Nerul, Navi Mumbai, Distt.- Thane-400706, Maharashtra	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG (BAMS) course and 45 seats in 12 PG subjects namely-(i) Rachna Sharir-03 seats, (ii) Kriya Sharir-03 seats, (iii) Ayurved Samhita & Siddhant-03 seats, (iv) Swasthvritta-03 seats, (v) Rognidan-03 seats, (vi) Shalya Tantra-03 seats, (vii) Dravyaguna-04 seats, (viii) Agad Tantra-04 seats, (ix) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-09 seats, (x) Kayachikitsa-04 seats, (xi) Shalaky Tantra-03 seats and (xii) Kaumarbhritya -03 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course and 45 seats in 12 PG courses namely-(i) Rachna Sharir -03 seats, (ii) Kriya Sharir -03 seats, (iii) Ayurved Samhita & Siddhant-03 seats, (iv) Swasthvritta-03 seats, (v) Rognidan-03 seats, (vi) Shalya Tantra-03 seats, (vii) Dravyaguna-04 seats, (viii) Agad Tantra-04 seats, (ix) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-09 seats, (x) Kayachikitsa-04 seats, (xi) Shalaky Tantra- 03 seats and (xii) Kaumarbhritya -03 seats for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/05/2003-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 31.08.2018
201.	MES Ayurved Mahavidyalaya, MES Institute of Health Sciences, Prashuram Hospital and Research Centre Ghanekhunt-Lote, Tal. Khed, Distt Ratnagiri-4157222, Maharashtra	Not Annual visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. 60 seats in UG (BAMS) course and 7 seats in 02 PG courses namely:- (i) Panchkarma-03 seats and (ii) Shalya Tnatra-04 seats upto 2020-21. R-12011/15/2009-EP(IM-1) for 2017-18 Dated 13.10.2016 and R.13011/21/2015-EP(IM-1) dated 02.10.2016 & R.14011/31/2016-EP(IM-1) dated 29.09.2017
202.	Vimla Devi Ayurvedic Medical College & Hospital At Wandhari, Post-Tadali Tal & Dist-Chandarpur-442406, Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	Withdrawal the earlier permission for a period not exceeding five years from the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21 with 50 seats in UG (BAMS) course vide letter R-12011/13/2009-EP(IM-1) for 2017-18 Dated 28.11.2016 & R.13011/06/2015-EP(IM-1) dated 05.12.2016 to increase intake capacity from 50 to 60 seats in existing UG (BAMS) course and decided to convert it into conditional permission to take admissions 60 seats in UG (BAMS) course to Vimla Devi Ayurvedic Medical College, Maharashtra under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 for the academic session 2018-19. R-12011/13/2009-EP(IM-1) for 2016-17 dated 25.10.2018
203.	Gopabandhu Ayurveda Mahavidyalaya, VIP Road, Puri-752002, Orissa	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 30 seats in UG (BAMS) course and 15 seats in 05 PG courses namely:- (i) Kayachikitsa-07 seats (ii) Shalya Tantra-03 seats (iii) Rasashastra & Bhaishajya kalpana-02 seats (iv)	Grant of conditional permission with 30 seats in UG (BAMS) course and 15 seats in 05 PG courses namely:- (i) Kayachikitsa-07 seats (ii) Shalya Tantra-03 seats (iii) Rasashastra & Bhaishajya kalpana-02 seats (iv) Prasuti Tantra & striroga-01 seat and (v) Kaumarbhritya-02 seats for the academic session 2018-19 under section



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
		Prasuti Tantra & striroga-01 seat and (v) Kaumarbhritya-02 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/166/2018-EP(IM-1) Dated: 27.08.2018
204.	Indira Gandhi Memorial Ayurvedic Medical College & Hospital, At-Pokhariput, P.O.-Khandagiri, Distt-Khurda, Bhubaneswer-751030, Orissa	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 30 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/167/2018-EP(IM-1) Dated: 25.09.2018
205.	Mayurbhanj Ayurved Mahavidyalaya, At & Post Takatpur, Via Baripada, Distt Mayurbhanj-757003, Orissa	Not visited by the CCIM for the academic session 2018-19 therefore, the recommendation of the CCIM may be treated as nil.	
206.	Kaviraj Ananta Tripathy Sharma Ayurved College & Hospital, At/P.O Ankushpur, Via Kukudakhandi Distt. Ganjam-761100, Orissa	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 30 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. and also Recommended to Government of India for issuing conditional LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 30 to 60 seats from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 30 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/169/2018-EP(IM-1)Dated: 04.09.2018 and also Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 30 to 60 seats and from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-13011/04/2017-EP (IM-1) Dated: 04.09.2018.
207.	Govt. Ayurved College, AT Tulsi Nagar, Bolangir -767001, Orissa	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 30 seats in UG (BAMS) course and 01 PG course namely Rog Nidan evam vikriti vigyan with 04 seats for the session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. and also Recommended to Government of India for issuing conditional LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 30 to 60 seats and to start 01 New PG course namely:- (i) Ayurved Samhita & Siddhant-04 seats from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 30 seats in UG (BAMS) course and 01 PG course namely Rog Nidan evam vikriti vigyan with 04 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/170/2018-EP(IM-1) Dated: 04.09.2018 and also Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 30 to 60 seats and to start 01 New PG course namely:- (i) Ayurved Samhita & Siddhant-04 seats from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-13011/25/2017-EP (IM-1) & R-14011/13/2017-EP (IM-1) Dated: 04.09.2018.
208.	Sri Sri Nrusinghnath Ayurved College & Research Institute, P.O Paikmal, Distt. Bargarh-768039, Orissa	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. and also Recommended to Government of India for Not issuing conditional LOP to start 04 New PG courses namely:- (i) Dravyaguna Vigyan, (ii) Samhita & Siddhanta, (iii) Panchakarma and (iv) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana with 06 seats in each subject from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/171/2018-EP(IM-1) Dated 27.09.2018 and also Granted Permission for Not issuing LOP to start 04 New PG courses namely:- (i) Dravyaguna Vigyan, (ii) Samhita & Siddhanta, (iii) Panchakarma and (iv) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana with 06 seats in each subject from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-14011/06/2017-EP (IM-1) Dated: 27.09.2018
209.	Government Ayurved College, Near Gurudwara Moti Bagh, Patiala-147001, Punjab	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 40 seats in UG (BAMS) course and 08 seats in 02 PG courses namely:-(i) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-	Grant of conditional permission with 40 seats in UG (BAMS) course and 08 seats in 02 PG Courses namely:- (i)Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-04 seats and (ii)Dravyaguna Vigyana-04 seats for the academic session 2018-19 under section



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
		04 seats and (ii) Dravyaguna Vigyana-04 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/172/2018-EP(IM-1) Dated: 04.08.2018
210.	Desh Bhagat Ayurvedic College & Hospital Post Box No.5, Amloh Distt. Fatehgarh Sahib-147203, Punjab	Recommended to GOI for granting permission for admission in UG(BAMS) course with 60 seats and 10 seats in 02 PG courses namely:- (i) Kayachikitsa-05 seats (ii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course and Denial of Permission to conduct 10 seats in 02 PG courses namely:- (i) Kayachikitsa-05 seats (ii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/173/2018-EP(IM-1) Dated: 17.10.2018
211.	Sri Satya Sai Murlidhar Ayurvedic College & Hospital, Vill. Duneke, G.T. Road, Distt. Moga-142001, Punjab	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/174/2018-EP(IM-1) Dated: 11.10.2018
212.	Mai Bhago Ayurvedic Medical College for Women Ferozpur Road, Distt. Muktsar-152026, Punjab	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. 60 seats in UG (BAMS) course Upto 2019-20. letter R-17011/175/2015-EP(IM-1) dated 28.07.2015 and R-13011/06/2014-EP (IM-1) dated 31.08.2015
213.	Guru Nanak Ayurvedic Medical College & Hospital, Near Ajit Cinema, Barkandi Road, Taluka: Muktsar-152026, Punjab	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. 60 seats in UG (BAMS) course Upto 2020-21. R-17011/176/2016-EP(IM-1) Dated: 16.09.2016
214.	Guru Nanak Ayurvedic Medical College & Research Institute, Malerkotla Road, Gopalpur, Near Dehlon, Dist. Ludhiana-141118, Punjab	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. 60 seats in UG (BAMS) course Upto 2020-21. R-17011/177/2016-EP(IM-1) Dated: 07.12.2016
215.	Shri Lakshmi Narayan Ayurvedic College, Sant Tulsī Dass Marg Amritsar-143001, Punjab	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course seats for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/178/2018-EP(IM-1) Dated: 06.09.2018
216.	Dayanand Ayurvedic College, Mahatma Hans Raj Marg, G.T. Road, Opp. Burlton Park, Distt. Jalandhar-144008, Punjab	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. 50 seats in UG (BAMS) course Upto 2019-20. letter R-17011/179/2015-EP(IM-1) dated 09.07.2015
217.	Shaheed Kartar Singh Sarabha, Ayurvedic Medical College & Hospital, VPO Sarabha, Distt. Ludhiana-141105, Punjab	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/180/2018-EP(IM-1) Dated: 12.10.2018
218.	Smt. Urmila Devi Ayurvedic College of Medical Sciences & Hospital UNA Road (10 Km), V & P.O Kharkan, Distt. Hoshiarpur-146001, Punjab	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/181/2018-EP(IM-1) Dated 12.10.2018
219.	Babe Ke Ayurvedic Medical College & Hospital Village & P.O Daudhar, Tehsil & Dist. Moga-142053, Punjab	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. 60 seats and 19 seats in 04 PG subjects namely: (i) Samhita Siddhanta-06 seats, (ii) Rachna Sharir-06 seats, (iii) Dravyaguna-06 seats & (iv) Kaumarbhritya-01 upto 2019-20. R-17011/182/2015-EP (IM-1) 15.09.2015



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
220.	Saint Sahara Ayurvedic Medical College & Hospital, Kot Shamir, Bathinda-151001, Punjab	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 50 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/18/2006-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 26.09.2018
221.	Rajiv Gandhi Ayurveda Medical College Chalakkara, Mahe. P.B No-.26, Puducherry-673310	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. 50 seats Upto 2020-21. R-12011/02/2010-EP(IM-1) for 2017-18 Dated: 13.10.2016
222.	National Institute of Ayurveda, Madhav Vilas Palace Amer Road, Jaipur-302002, Rajasthan	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 92 seats and 104 seats in 14 PG courses namely (i) Ayurved Samhita -08 seats, (ii) Rasashastra -09 seats, (iii) Kaumabhritya -07 seats, (iv) Panchakarma -07 seats, (v) Shalaky Tantra -06 seats, (vi) Rachana Sharir -07 seats, (vii) Kriya Sharir -08 seats, (viii) Dravyaguna -08 seats, (ix) Kayachikitsa -09 seats, (x) Swasthavritta -07 seats, (xi) Rognidan avum Vikriti Vigyan -08 seats, (xii) Shalya Tantra -07 seats, (xiii) Prasuti Tantra Striroga -07 seats & (xiv) Agadtantra -06 seats Upto 2020-21. R-17011/184/2016-EP(IM-1) Dated: 14.10.2016
223.	Madan Mohan Malviya Govt. Ayurveda College, Rada ji circle, Ambamata, Udaipur-313001, Rajasthan	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course and 15 seats in 03 PG course (i) Kayachikitsa -05 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats & (iii) Dravyaguna -05 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. and also Recommended to Government of India for issuing conditional LOP to start 03 new PG Courses namely:-(i) Shalya Tantra (ii) Kriya Sharir (iii) Rachna Sharir with 05 seats in each subject from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 15 seats in 03 PG course (i) Kayachikitsa -05 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats & (iii) Dravyaguna -05 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/185/2018-EP(IM-1) Dated: 27.07.2018. and also Granted Permission for issuing LOP to start 03 new PG Courses namely:-(i) Shalya Tantra (ii) Kriya Sharir (iii) Rachna Sharir with 05 seats in each subject from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-14011/15/2017-EP(IM-1) Dated: 27.07.2018.
224.	Shri Bhanwar Lal Dugar Ayurved Vishwabharti Gandhi Vidya Mandir Dist. Churu, Sardar Shahr-331403, Rajasthan	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 50 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/186/2018-EP(IM-1) dated: 07.09.2018
225.	JR's Tantia Shri Ganganagar College of Ayurvedic Science & Hospital, Near RIICO, Hanumangarh Road, Sri Ganganagar-335002, Rajasthan	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course and PG Courses for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats and 18 seats in 03 PG Courses namely:-(i) Rachana Sharir-06 seats and (ii) Swasthavritta-06 seats and (iii) Dravyaguna- 06 seats for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/58/2003-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 20.09.2018
226.	Punjab Ayurved Medical College & Hospital, Hanumangarh Road Morjand Khari, Sri Ganganagar-335037, Rajasthan	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course and PG Courses for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. C-11011/10/2006-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 29.09.2018
227.	University College of Ayurved, Rajasthan Ayurved University,	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course and 30 seats in 05 PG courses namely:-(i)Dravyaguna



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
	Nagaur Road, Kadwad, Jodhpur-342037, Rajasthan	seats in UG (BAMS) course and 30 seats in 05 PG courses namely:-(i) Dravyaguna Vigyana, (ii) Kayachikitsa (iii) Shalya Tantra (iv) Panchkarma and (v) Stri Roga & Prasuti Tantra with 06 seats in each subject for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. and also Recommended to Government of India for issuing conditional LOP to start 06 new PG course namely:- (i) Rasashastra (ii) Rachana Sharir (iii) Kriya Sharir (iv) Agad Tantra (v) Swasthavritta (vi) Kaumarbhritya with 06 seats in each subject from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Vigyana, (ii)Kayachikitsa, (iii)Shalya Tantra, (iv)Panchkarma and (v)Stri Roga & Prasuti Tantra with 06 seats in each subject for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/28/2003-EP(IM-1) for 2018-19 Dated 19.09.2018 and also Granted Permission for issuing LOP to start 06 new PG course namely:- (i)Rasashastra, (ii)Rachana Sharir, (iii)Kriya Sharir, (iv)Agad Tantra, (v)Swasthavritta and (vi)Kaumarbhritya with 06 seats in each subject from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-14011/12/2017-EP (IM-1) Dated 19.09.2018.
228.	B. M. Education Foundation Trust, Shekhawati Ayurvedic College Behl Road, Harikunj, Ganga Colony, Teh. Chirawa, Distt. Jhunjhunu, Pilani-333031, Rajasthan	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/08/2008-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 19.09.2018
229.	Shri Shirdi Sai Baba Ayurvedic College & Hospital Mundiagarh Kishangarh Renwal, Jaipur-303603, Rajasthan	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 50 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/12/2009-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 24.09.2018
230.	Ayurveda College, RVS Campus, 242-B Trichy Road, Sulur, Coimbatore-641108, Tamil Nadu	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 40 seats in UG (BAMS) course and 30 seats in 06 PG courses namely:-(i) Samhita Siddhant, (ii) Rasashastra (iii) Rognidan (iv) Dravyaguna (v) Kayachikitsa and (vi) Shalya tantra with 05 seats in each subject upto 2020-21. R-17011/187/2016-EP(IM-1) Dated: 22.10.2016 and F.No.R.14011/16/2015-EP(IM-1) dated 05.12.2016
231.	Dharma Ayurved Medical College & Hospital, No. 48, G.W.T. Road, Opp. Rajiv Gandhi Memorial, Taluk Sriperumbudur-602105 Shri Perumbudur, Distt. Kancheepuram. Tamil Nadu	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 40 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 40 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/188/2018-EP(IM-1) Dated: 27.09.2018
232.	Sri Sai Ram Ayurveda Medical College & Research Centre, Sai Leo Nagar, Poonthandalam Sriperumbudur, Taluk Kanchipuram Chennai-600044, Tamil Nadu	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20.	Withdrawal of permission granted for not exceeding five years from the academic session 2015-16 to the academic session 2019-20 vide letter dated 15.07.2015 and denial of permission to Sri Sai Ram Ayurveda Medical College and Research Centre, Sai Leo Nagar, Poonthandalam, West Tambram, Sriperumbudur Taluk, Kanchipuram Dist., Chennai, Tamilnadu for conducting 50 seats in BAMS (UG) course under Section 13C of the IMCC Act, 1970 for the session 2018-19. R.17011/189/2015-EP (IM-1) dated 16.10.2018
233.	Sri Jayendra Sarswathi Ayurveda College & Hospital 4/295, Bangalore High Road, Nazarethpet, Chennai, Taluka Poonamallee, Distt. Thiruvallur-600123, Tamil Nadu	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 50 seats in UG (BAMS) course upto 2020-21. R-17011/190/2016-EP(IM-1) Dated: 22.10.2016



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
234.	Government Ayurveda Medical College and Hospital, Kottar, Nagercoil - 629002, Tamil Nadu	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/20/2009-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 31.07.2018
235.	Govt. Gurukul Ayurved College, Kangari, Haridwar-249404, Uttarakhand	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course and 12 seats in 05 PG courses namely:- (i) Kayachikitsa-03 seats, (ii) Panchkarma-03 seats, (iii) Shalya tantra-02 seats, (iv) Shalaky tantra-02 seats (v) Kaumarbhritya-02 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 12 seats in 05 PG courses namely:- (i) Kayachikitsa-03 seats, (ii) Panchkarma-03 seats, (iii) Shalya tantra-02 seats, (iv) Shalaky tantra-02 seats (v) Kaumarbhritya-02 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/191/2018-EP(IM-1) Dated: 13.08.2018
236.	Rishikul Govt P.G. Ayurvedic College & Hospital, Haridwar- 249401, Uttarakhand	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG (BAMS) course and 54 seats in 11 PG courses namely:-(i) Shalya Tantra-05 seats, (ii) Panchakarma-05 seats, (iii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-07 seats, (iv) Dravyaguna Vigyana-04 seats, (v) Kayachikitsa-04 seats, (vi) Shalaky Tantra-04 seats (vii) Prasuti & Stri Rog-04 seats (viii) Rachna Sharir-06 seats (ix) Agad Tantra-06 seats, (x) Rog Nidan-06 seats and (xi) Bal Roga-03 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 54 seats in 11 PG courses namely:- (i)Shalya Tantra-05 seats, (ii)Panchakarma-05 seats, (iii)Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-07 seats, (iv)Dravyaguna Vigyana-04 seats, (v)Kayachikitsa-04 seats, (vi)Shalaky Tantra-04 seats (vii)Prasuti & Stri Rog-04 seats, (viii) Rachna Sharir-06 seats (ix) Agad Tantra-06 seats, (x) Rog Nidan-06 seats and (xi) Bal Roga-03 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/192/2018-EP(IM-1) Dated: 07.08.2018
237.	Uttaranchal Ayurvedic College, Ayurved Estate, 17, Old Mussoorie Road, Rajpur Dehradun-248009, Uttarakhand	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 100 seats in UG (BAMS) course and 20 seats in 04 PG courses namely (i) Ayurved Samhita & Siddhant, (ii) Swasthavritta & Yoga, (iii) Agad Tantra Avum Vidhi Vaidakya and (iv) Dravyaguna Vigyana with 05 seats in each course upto 2020-21. R-17011/193/2016-EP(IM-1) Dated: 16.11.2016 and F.No.R.13011/07/2015-EP(IM-1) dated 14.12.2016
238.	Himalayiya Ayurvedic (PG) Medical College & Hospital, Gram-Fatehpur Tanda, Post-Via Doiwala, Jeevanwala, Dehradun-248140, Uttarakhand	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	Central Government for withdrawal of permission granted for not exceeding five years from the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21 vide letter dated 22.10.2016 and denial of permission to the Himalayan Ayurvedic Medical College, Uttarakhand for conducting 60 seats in BAMS (UG) course and 24 seats in 04 PG courses namely:-(i) Dravyaguna Vigyana, (ii) Kriya Sharir, (iii) Rachana Sharir and (iv) Panchakarma with 6 seats in each subject under Section 13A of the IMCC Act, 1970 for the session 2018-19. R-12011/13/2005-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 22.08.2018



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
239.	Patanjali Bhartiya Ayurvedic Evam Anusandhan Sansthan, Patanjali Yoga Peeth, Haridwar - 249402, Uttarakhand	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG (BAMS) course and 30 seats in 06 PG courses namely:- (i) Samhita Siddhant, (ii) Dravyaguna, (iii) Kayachikitsa, (iv) Shalya Tantra, (v) Shalaky Tantra and (vi) Panchakarma with 05 seats in each subject and not to Recommended 02 PG Course in (i) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana and (ii) Kriya Sharir for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course and 40 seats in 08 new PG courses namely:- (i)Samhita Siddhant, (ii)Kriya Sharir, (iii)Dravyaguna, (iv)Rasashastra & Bhaishajya Kalpana, (v)Kayachikitsa, (vi)Shalya Tantra, (vii)Shalaky Tantra and (viii)Panchakarma with 05 seats in each subject for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/20/2008-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 14.09.2018
240.	State Ayurvedic College & Hospital, Tulsidas Marg, Lucknow-226001, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 50 seats in existing UG (BAMS) course and 24 seats in 05 PG courses namely:- (i)Rachna Sharir-04 seats, (ii) Kriya Sharir-04 seats, (iii) Kayachikitsa-06 seats, (iv) Kaumarbhritya-05 seats and (v) Dravyaguna Vigyan-05 seats for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course and 24 seats in 05 PG courses namely:- (i) Rachna Sharir-04 seats, (ii) Kriya Sharir-04 seats, (iii) Kayachikitsa-06 seats, (iv) Kaumarbhritya-05 seats and (v) Dravyaguna Vigyan-05 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/209/2018-EP(IM-1) Dated: 27.07.2018
241.	Lalit Hari State P.G. Ayurvedic College & Hospital, Pilibhit-262001, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 50 seats in UG (BAMS) course and 06 seats in 01 PG course namely:- Dravyaguna Vigyan for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course and 06 seats in 01 PG course namely Dravyaguna Vigyan for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/194/2018-EP(IM-1) Dated: 04.08.2018
242.	Bundelkhand Govt. Ayurvedic College & Hospital, Gwalior Road, Jhansi-284001, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 40 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 40 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/195/2018-EP(IM-1) Dated: 04.08.2018
243.	Government Ayurvedic College & Hospital Atarra- 210201, Dist. Banda Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 40 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 40 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/196/2018-EP(IM-1) Dated: 27.07.2018
244.	S.R.M. Govt. Ayurvedic College, Bansmandi, Bareilly-243005, Uttar Pradesh	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 40 seats in UG (BAMS) course upto 2020-21. R-17011/197/2016-EP(IM-1) Dated: 13.10.2016
245.	Swami Kalyandev Govt. Ayurved College, Rampur, Muzaffarnagar-251001, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 30 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 30 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/198/2018-EP(IM-1) Dated: 27.07.2018
246.	Shri Lal Bahadur Shastri Smarak, Govt. Ayurvedic College & Hospital, Handia, Allahabad-221503, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 30 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 30 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/199/2018-EP(IM-1) Dated: 27.07.2018
247.	Sham-E-Ghausia Minority Ayurvedic Medical College & Hospital, At/P.O-Saheri, Via Nandganj Dist. Ghazipur -233302, Uttar Pradesh	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 17 seats in 04 PG course namely:- (i)Prasuti tantra & Striroga-04 seats, (ii)Rognidan-04 seats, (iii) Kayachikitsa-05 seats & (iv) Shalya tantra-04 seatsUpto 2019-20. letter no.R-17011/200/2015-EP (IM-1) 17.9.2015



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
248.	Aligarh Unani & Ayurvedic Medical College & ACN Hospital, Opp. F.M. Tower, Anoopshahr Road, Aligarh-202002, Uttar Pradesh	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats in UG (BAMS) course upto 2020-21. R-17011/201/2016-EP(IM-1) Dated: 25.10.2016
249.	Vaidya Yagya Dutt Sharma Ayurved Mahavidyalaya, Opposite Dharpa Power House, Distt. Bulandshahar, G.T. Road, Khurza-203131, Uttar Pradesh	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 100 seats and 70 seats in 14 PG courses namely:- (i) Kriya Sharir-05 seats (ii) Chhaya Avam Vikiran-05 seats, (iii) Prasuti Tantra & Striroga-04 seats, (iv) Kayachikitsa-05 seats (v) Shalya Tantra- 05 seats (vi) Sangyahan-05 seats, (vii) Panchkarma-05 seats (viii) Kaumarbhartiya-05 seats(ix) Swasthavritta-05 seats (x) Agad Tantra & Vyavaharahayurved-05 seats (xi) Samhita Siddhanta-06 seats(xii) Dravyaguna-05 seats (xiii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats and (xiv)Rachna Sharir-05 seats upto 2020-21. R-17011/202/2016-EP(IM-1) Dated: 16.10.2016
250.	Sri Sai Ayurvedic Medical College & Hospital, Opp. Phal Mandi, Sarsol, G.T. Road Aligarh-202001, Uttar Pradesh	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 100 seats in UG Course and 39 seats in 07 PG course namely (i) Shalya tantra-06 seats & (ii) Prasuti tantra & Striroga-06 seats, (iii) Shalakya Tantra-03 seats, (iv) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats, (v) Agad tantra-06 seats, (vi) Rachana Sharir-06 seats and (vii) Maulik Siddhant-06 seats Upto 2018-19. letter R-17011/203/2014-EP(IM-1) 14.08.2014 and R-13011/35/2013-EP(IM-1) & R-14011/22/2013-EP(IM-1) 10.10.2014
251.	JD Ayurvedic Medical College & Hospital, Bhankari, G.T. Road, Aligarh-202001, Uttar Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course and PG Courses for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking with 100 seats in UG (BAMS) course and 29 seats in 05 PG courses namely (i) Ayurved Samhita & Siddhanta-06 seats, (ii) Kriya Sharir-06 seats, (iii) Rachna Sharir-06 seats, (iv) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats (v) Kayachikitsa-05 seats for the session 2017-18 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. No.R.12011/31/2003-EP (IM-1) for 2018-19 dated 09.11.2018
252.	Major S.D. Singh Ayurvedic Medical College & Hospital, Baikunthpuri (baghar) Bewar Road, Fatehgarh, Distt. Farrukhabad-209625, Uttar Pradesh	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 100 seats in UG (BAMS) course and 84 seats in 14 PG courses i.e. (i) Ayurved Samhita & Siddhanta (ii) Dravyaguna Vigyan, (iii) Swasthavritta & Yoga, (iv) Prasuti Tantra & Stri Roga, (v) Kayachikitsa, (vi) Shalya Tantra, (vii) Shalakya Tantra, (viii) Panchkarma, (ix) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana, (x) Agad Tantra evum Vidhi Vaidyak, (xi) Kaumarbhritya, (xii) Kriya Sharir, (xiii) Rachana Sharir (xiv) Roga Nidan evum Vikriti Vigyan with 06 seats in each subject upto 2020-21. R-12011/07/2005-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 07.09.2016
253.	Faculty of Ayurveda Institute of Medical Sciences Banaras Hindu University Distt. Varanasi- 221005, Uttar Pradesh	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats in UG (BAMS) course and 45 seats in 15 PG courses i.e. (i)Ayurved Samhita & Siddhant-04 seats, (ii)Kaumarbhritya-03 seats, (iii)Shalakya Tantra- 02 seats, (iv)Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-03



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
			seats, (v)Rachana Sharir -02 seats, (vi) Kriya Sharir -02 seats, (vii)Dravyaguna - 03 seats, (viii)Kayachikitsa-05 seats, (ix)Roganidan -02 seats, (x)Shalya tantra-05 seats, (xi)Prasuti & Striroga -04 seats, (xii)Manas Roga - 01 seat, (xiii) Sangyahan-02 seats, (xiv)Swasthavritta-01 seat, (xv)Shalya-Ksharasutra evam Anu Shastra Karma-06 seats and 07 seats in 03 PG Diploma courses namely:-(i) Kaumarbhritya/ Balroga-02 seats, (ii)Sangyahan-02 seats and (iii)Kshar Karma-03 seats upto 2020-21. R-17011/204/2016-EP(IM-1) Dated: 14.10.2016 and R.18011/01/2016-EP(IM-1) dated 15.12.2016
254.	Govt. Ayurvedic College & Hospital, Sampoonanand Sanskrit University, Varanasi- 221002, Uttar Pradesh	Not Annual visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21. But Recommended to Government of India for issuing conditional LOP to start 03 new PG course namely:-(i)Rasashastra & Bhaishajya Kalpana (ii)Prasuti Tantra & Stri Rog and (iii)Panchkarma with 05 seats in each from the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. 40 seats in UG (BAMS) course and 15 seats in 03 PG courses namely:- (i)Ayurved Samhita Siddhant, (ii) Rog Nidana and (iii) Shalya Tantra with 05 Seats in each subject upto 2020-21. letter no. R-17011/205/2016-EP(IM-1) Dated: 06.10.2016 & R-14011/22/2016-EP(IM-1) 15.09.2018 and also Granted Permission for issuing LOP to start 03 new PG course namely-(i)Rasashastra & Bhaishajya Kalpana (ii)Prasuti Tantra & Stri Rog and (iii)Panchkarma with 05 seats in each from the academic session 2018-19. R-14011/20/2017-EP(IM-1) 04.08.2018
255.	Shri Anand Niketan Dharmshala Avom Dharmik Trust, Shri Dhanwantri Ayurvedic Medical College & Research Centre , At NH - 02, Vill. Semari, Tehsil Chhatta , Distt. Mathura-281401, Uttar Pradesh	Not Annual visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19.	Central Government to withdraw the permission letter dated 14.08.2014 wherein the college was granted permission for a period not exceeding five years i.e. from the academic session 2014-15 to the academic session 2018-19 for 50 seats in UG (BAMS) course and also Ministry's letter dated 04.09.2017 wherein the college was granted Letter of permission to increase admission capacity from 50 to 100 seats in UG (BAMS) course and to open new PG courses in 09 subject namely:- (i)Ayurved Samhita Siddhant, (ii)Rachna Sharir, (iii)Kriya Sharir, (iv)Agad Tantra evam Vyavyahar Ayurved, (v)Swasthvritta, (vi)Kayachikitsa, (vii)Prasuti avum Striroga, (viii)Shalya Tantra (Samanya) and (ix)Kaumarbhritya with 06 Seats in each subject from the academic session 2017-18 to the academic session 2018-19 and to the said college is hereby denied to take admission in UG (BAMS) and PG courses for the academic session 2018-19. R-12011/18/2008-EP(IM-1) for 2014-15 dated 14.08.2018
256.	Bharat Ayurved Medical College, Hospital & Research Centre, 10 K.M., Roorkee Road, NH-58, P.O. Barla, Muzaffarnagar-251001, Uttar Pradesh	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 100 seats in UG (BAMS) course upto 2020-21. R-12011/26/2008-EP(IM-1) for 2016-17 Dated 13.10.2016 and R.13011/04/2015-EP(IM-1) dated 18.11.2016
257.	JB Roy State Ayurvedic Medical College & Hospital, 170-172, Raja Dinendra Street Kolkata-700004, West Bengal	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2020-21.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats in UG (BAMS) course upto 2020-21. R-17011/206/2016-EP(IM-1) Dated: 29.09.2016



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
258.	Institute of Post Graduate Ayurvedic Education & Research Shyamadas Vidya Shastra, Pith. 294/3/1 Asharya Prafulla Chandra Road, Kolkata- 700009, West Bengal	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 19 seats in 05 PG Courses Namley:-(i) Dravyaguna Vigyana-06 seats, (ii) Ayurved Samhita & Siddhant-02 seats, (iii) Kayachikitsa-07 seats, (iv) Rog Nidana evum Vikriti Vigyan-02 seats and (v) Panchkarma-02 seats for the academic session 2018-19 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 19 seats in 05 PG courses viz. (i) Dravyaguna Vigyana-06 seats (ii) Ayurved Samhita & Siddhant 02 seats, (iii) Kayachikitsa-07 seats, (iv) Rog Nidana evum Vikriti Vigyan-02 seats and (v) Panchkarma-02 seats for the academic session 2018-19 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/208/2018-EP(IM-1) Dated: 16.10.2018
259.	Belley Sankarpur Rajiv Gandhi Memorial Ayurvedic College & Hospital, P.O. & Village, Fingapara, Distt. 24, Pargnas (N) 743126, West Bengal	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 50 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/207/2018-EP(IM-1) Dated: 18.09.2018
260.	Islamia Education Trust's Zakaria Ayurved College, Payan Darga Road, Roza (B), Gulbarga- 585104, Karnataka	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 30 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.17011/83/2018-EP(IM-1) dated 17.10.2018
261.	Raghnath Ayurved Mahavidyalaya & Hospital, P.O.- Contai, Distt-Purba Medinipur- 721401, West Bengal	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 50 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/05/2012-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 26.09.2018
262.	Parasurampur Ayurved College, Sikar - 332001, Rajasthan	Not visited by the CCIM for the recommendation of the CCIM may be treated as nil.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 50 seats for the academic session 2018-19 therefore, the recommendation of the CCIM may be treated as nil.
263.	Govt. Ayurved College & Hospital, Ashok Nagar, Sarkanda, Sendri, Bilaspur-495001, Chhattisgarh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/11/2013-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 07.08.2018
264.	Abhilashi Ayurvedic College & Research Institute, Chail Chowk, Teh. Chachiot, Mandi-175008, Himachal Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/14/2013-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 26.09.2018
265.	Anandi Shikshan Prasark Mandal's, Ayurved College, Hospital & Research Institute, Dhad Naka Area, Ajanta Road, Buldana-443001, Maharashtra	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/20/2013-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 10.10.2018 Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/20/2013-EP(IM-1) for 2018-19 revised letter received Dated: 02.11.2018
266.	Dhanwantri Ayurved College & Hospital, At & P.O. Koydam, Ta. Virpur, Dist. Mahisagar-388260, Koydam (Kajjiya) Gujarat	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 50 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/27/2013-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 26.09.2018
267.	Hillside Ayurvedic Medical College & Hospital, No.174/2, Saldoddi, Agara Village Bangalore-62, Karnataka	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 50 seats in UG(BAMS) for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 50 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/26/2013-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 29.09.2018



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
268.	Kala Ashram Ayurved Medical College & Hospital, NHW-27, Village-Bansada Tehsil-Gogunda, Distt. Udaipur-313705, Rajasthan	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/04/2013-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 24.09.2018
269.	Lal Bhadur Shastri Mahila Ayurvedic College & Hospital, Sadhaura Road, Bilaspur, Yamunanagar-135001, Haryana	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/05/2013-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 24.09.2018
270.	Mahatma Jyotiba Fule Ayurveda Mahavidyalaya, Sikar Road Harota, Chomu, Jaipur-303702, Rajasthan	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG (BAMS) for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/22/2013-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 13.09.2018
271.	Jagdamba Education Society, Matoshri Asarabai Darade Ayurved College, Post. Babhulgon, Tal. Yeola, Distt. Nashik-423401, Maharashtra	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 50 seats in UG(BAMS) for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/29/2013-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 05.09.2018
272.	Pacific College of Ayurveda & Research Centre, Lacchipur, Gorakhnath Road, College Campus, Raipur Near Peepiganj, Gorakhpur-273015, Uttar Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. Note:- Not visited by the CCIM for the academic session 2018-19 on the basis of college letter.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.12011/03/2013-EP(IM-1) for 2018-19 dated 11.10.2018
273.	Prabudha Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Centre, Gram- Bakka khera, Mall Malihabad Road-227115, Lucknow Uttar Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/09/2013-EP(IM-1) for 2018-19 Dated 23.10.2018
274.	Chaudhary Harchand Singh Atmaram Education Trust, Quadra Institute of Ayurveda, 64/6 Civil Lines, Roorkee-247667, Distt. Haridwar, Uttarakhand	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/25/2013-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 10.10.2018
275.	Santushti Ayurvedic Medical College & Hospital, Hinauti, Dagmagpur, Chunar, Distt. Mirzapur-231305, Uttar Pradesh		Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 100 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/15/2013-EP(IM-1) for 2017-18 Dated: 02.07.2018
276.	Shiv Shakti Ayurvedic Medical College, Sunam Road Bikhri, Mansa-151504, Punjab	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.12011/24/2013-EP(IM-1) for 2018-19 dated 17.10.2018
277.	Shivalik Ayurvedic Medical College & Hospital, Vill.- Bijarwa, post-bankat Azamgarh-276125, Uttar Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/07/2013-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 25.09.2018
278.	Shri Krishna Ayurvedic Medical College & Hospital, Rona Khurd Cholapur, Varanasi-221101, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/13/2013-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 06.09.2018



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
279.	Shree Dhaneshwari Manav Vikas Mandal, Sou Shanta devi Ved prakash Patil Ayurved College & Research Institute Gat No.421, Hatta, Tq. Basmat, Distt. Hingoli-431738, Maharashtra	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 50 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/16/2013-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 25.09.2018
280.	Kunwar Shekhar Vijendra Ayurved Medical College & Research Center, Adarsh Institute Area, Babu Vijendra Marg, Gangoh, Distt.- Saharanpur-247341, Uttar Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/28/2013-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 14.09.2018
281.	Gangasheel Ayurvedic Medical College & Hospital, Manpuria Janki Prasad, Kamua, Bilaspur Road, Bareilly-243123, Uttar Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/01/2013-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 06.09.2018
282.	Mansarovar Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Center Kolar Road, Bhopal-462024, Madhya Pradesh	Recommended to Government of India for granting permission for admission with 100 seats in UG(BAMS) for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/11/2014-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 18.09.2018
283.	Sri Adi Shiva Sadguru Alli Saheb Sivaaryula Ayurvedic Medical College and Research Centre, Guntakal-515801, Anantapur, Andhar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG(BAMS) for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/25/2014-EP(IM-1) Dated: 07.09.2018
284.	Maria Educational and Charitable Trust, Chevaracode, Veeyanoor Post, Kanyakumari Distt-629177, Tamil Nadu	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/23/2014-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 07.09.2018
285.	Shaheed Narender Kumar Ayurveda Medical College & R.K.M.S. Cheritable Hospital, Pisawa Road Chandaus, Aligarh-202132, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) with 60 seats for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2017-18 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/19/2014-EP(IM-1) for 2017-18 Dated: 14.08.2017
286.	Faculty of Ayurvedic Science, Jayoti Vidayapeeth Women's University, Vedant Gyan Valley, Jharna, Mahala Jobner Link Road, Jaipur-Ajmer Expressway, Jaipur-303122, Rajasthan	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/12/2014-EP(IM-1) for 2018-19 dated 26.09.2018
287.	Shanti Institute of Medical & Higher studies, Shanti Ayurvedic Medical College & Hospital, Majhauri-Ballia-277001, Uttar Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/05/2014-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 17.10.2018
288.	Dr. Krishna Gopal Dwivedi Ayurvedic Medical College & Hospital Sarmau, Jhansi-284003, Uttar Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/04/2014-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 05.10.2018



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
289.	Sri Babu Singh Jay Singh Ayurvedic Medical College & Hospital Bhaupur, Bewar Road, Fatehgarh, Dist. Farrukhabad -209602, Uttar Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/09/2014-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 01.10.2018
290.	Tapovana Ayurvedic Medical College & Hospital, Doddabathi-577566, Davangere, Karnataka	Recommended to Government of India for granting permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/16/2014-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 18.09.2018
291.	Shri Babu Singh Dadduji Ayurvedic Medical College & Hospital Krishna Nagar (Baghar) Kanpur Road, Fatehgarh- Farrukhabad-209601, Uttar Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/03/2014-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 09.10.2018
292.	Shri Dharmasthala Manjunatheshwara Institute of Ayurveda & Hospital, Anchepalya, Kumbalagouda Village, Bengaluru-560074, Karnataka	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/18/2014-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 24.09.2018
293.	Shri V.M. Mehta Institute of Ayurved, 405, Shilp Tower, Tagore Road, Nr. Bhaktinagar Railway Station, Rajkot, Campus Gardi Vidyapith, Kalavad Road, Village, Anandpur-361162, Rajkot, Gujarat	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 50 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/06/2014-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 20.09.2018
294.	Jeevan Jyoti Ayurvedic Medical College & Hospital, 10TH K.M. Mile Stone, Khair Road Lodha, Aligarh-202001, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/35/2014-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 11.10.2018
295.	Faculty of Indian Medical System, SGT University, Chandu-Budhera, Gurgaon- Badli Road, Haryana-122505	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/14/2014-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 29.09.2018
296.	Yashvantrao Chavan Ayurvedic Medical College & Hospital, Shiva Trust Campus, Nipani Bhalgaon, Near Videocon Communication Ltd., Beed Highway Road, Aurangabad-431005, Maharashtra	Recommended to Government of India for granting permission for admission with 100 seats in UG(BAMS) for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/39/2014-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 18.09.2018
297.	Gangaputra Ayurvedic College, Kaithal Road Kandela, Distt. Jind - 126102, Haryana	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/28/2014-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 11.10.2018
298.	Baba Hira Das Ji Ayurvedic Medical College & Hospital, V.P.O Badal, Distt. Muktsar-152113, Punjab	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/28/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 05.10.2018



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
299.	Harmony Ayurvedic Medical College & Hospital, at Near FCI Godowns, Kachha Zira Road, Ferozepur City, Distt. Ferozepur, Punjab-152002	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/11/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 12.10.2018
300.	Saraswati Ayurved Hospital and Medical College, VPO Gharuan-140413, Tehsil Kharar, Distt. S.A.S. Nagar Mohali, Punjab	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/07/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 26.09.2018
301.	Bharti Ayurved Medical College & Hospital, Pulgaon Chowk, Durg, Chhatisgarh-491001	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats (instead of 100 seats) in UG(BAMS) for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission with 60 seats (instead of 100 seats) in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/14/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 14.09.2018
302.	National College of Ayurved, Dhani Garan Road, Barwala, Hisar-125121, Haryana	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/08/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 29.09.2018
303.	Shiva Ayurvedic Medical College and Hospital, Village Luhanu Kanetain, P.O. Chandpur Tehsil Sadar, Distt. Bilaspur, Himachal Pradesh-174004	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/20/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 20.09.2018
304.	Sai Ayurved College, Hospital and Research Centre, at Gat No. 67, Dhengale- Patil nagar, Solapur- Barshi Highway, Tal- Barshi, Solapur-413402, Maharashtra	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/09/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 14.09.2018
305.	Dr. R.N. Lahoti Ayurvedic College, Hospital & Research Institute at Sultanpur, Tal-Lonar, Buldhana-443307, Maharashtra	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/31/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 20.09.2018
306.	Shree Rasiklal Manikchand Dhariwal Ayurved College & Hospital, At Village Wagaldhara, NH-8, Distt. Valsad-396375, Gujarat	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/30/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 10.10.2018
307.	Indian Institute of Ayurved Research & Hospital, Opp. Hill View Club, Kalawad Road, 50 ft Ishawariya Ring Road, Rajkot-360110, Gujarat	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/57/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 08.09.2018
308.	State Model Institute of Ayurveda Sciences, Kolavada, Gandhinagar-382028, Gujarat	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/05/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 24.07.2018
309.	Shree Swaminarayan Ayurvedic College, Opp. Kalol G.I.D.C. National Highway No. 8, At & Post-Saij, Ta.-Kalol, Distt. Gandhinagar-382721, Gujarat	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/13/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 07.09.2018



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
310.	Eva College of Ayurved, Zanzmer Road, At. Supedi, Distt. Rajkot-360440, Gujarat	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/10/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 19.09.2018
311.	Manjushree Research Institute of Ayurvedic Science, Pethapur-Mahudi Road, Near G.G.S., Piplaj-382610, Gandhinagar, Gujarat	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats (instead of 100 seats) in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats (instead of 100 seats) in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/59/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 05.10.2018
312.	Haridwar Ayurved Medical College & Research Centre, Mustafabad (Padartha), Dhanpura, Haridwar-249405, Uttarakhand	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/42/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 09.11.2018
313.	Motherhood Ayurveda Medical College, Village Karoundi, Post Bhagwanpur, Tehsil-Roorkee, Distt. Haridwar-247661, Uttarakhand	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission in UG(BAMS) with 100 seats for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 100 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/23/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 11.10.2018
314.	Om Ayurvedic College and Research Centre, Near Crystal World, Roorkee Haridwar NH-58, Vill.-Punchayanpur, PO-Daulatpur, Roorkee, Haridwar-249402, Uttarakhand	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/51/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 18.10.2018
315.	Faculty of Ayurveda, Uttarakhand Ayurved University, Harrawala, Dehradun-248001, Uttarakhand	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/19/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 07.08.2018
316.	S.G.E.S,S Dr. N.A. Magadum, Ayurvedic Medical College & Hospital, At. Ankali, Tq-Chikodi, Distt. Belgaum, Karnataka	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/33/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 13.09.2018
317.	Sharada Ayurvedic Medical College & Hospital, at Mundarga, Distt. Yadgir-585202, Karnataka	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/39/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 13.09.2018
318.	Bidar Vidya Kendra (R) Akkamahadevi Ayurvedic Medical College & Research Centre, Chidri, Bidar-585403, Karnataka	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/06/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 29.09.2018
319.	Prasanna College of Ayurveda and Hospital, at Laila, Belthangady-574214, Karnataka	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 100 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/29/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 26.09.2018
320.	K.T.G. Ayurvedic Medical College & Hospital, Sy.No.93 & Sy.No 78/5, Sreegandhadakavalu, Via: Magadi Main Road, Hegganhalli Cross, Sunkadakatte-Peenya Road, Vishwaneedma Post, Bangalore-560091, Karnataka	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/61/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 10.10.2018



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
321.	Ashtamgam Ayurveda Chikisalyam & Vidyapeedham at Vavanoor, Koottanad, Distt. Palakkad, Kerala-679533	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/40/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 11.10.2018
322.	Vivek College of Ayurvedic Sciences & Hospital, Moradabad Road, Post-Agri, Distt. Bijnor-246701, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG(BAMS) for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/02/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 14.09.2018
323.	Sanjeevani Ayurvedic Medical College, Village-Kudana Chak, Near Brijghat, Distt-Amroha-244235, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/16/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 05.10.2018
324.	S.R.S. Ayurvedic Medical College and Hospital, Village-Sikandarpur, P.O. Tehra, Gwailor Road, Distt. Agra-282001, Uttar Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/26/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 25.10.2018
325.	Bapu Ayurvedic Medical College Evam Hospital, Ladanpur, Kopaganj, Distt. Mau, Uttar Pradesh-275101	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 100 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/25/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 09.11.2018
326.	Prem Raghu Ayurvedic Medical College and Hospital, Agra Road, Distt. Hathras-204101, Uttar Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/27/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 08.11.2018
327.	K.V. Ayurvedic Medical College & Dev Hospital, Kuberpur, NH-2, Agra-283202, Uttar Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG(BAMS) course with 100 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/53/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 02.07.2018 and 09.11.2018
328.	Jeevak Ayurved Medical College & Hospital, Research Centre, at Kamlapur, Akauni Chandauli, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/35/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 10.10.2018
329.	R.K. Ayurvedic Medical College & Hospital, Kashipur, Surai, Sathiaon, Azamgarh, Uttar Pradesh-243501	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG(BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/43/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 23.10.2018
330.	G.S. Ayurveda Medical College & Hospital, Village-Peeplabandpur, Near Railway Station, Pilkhuwa, Distt. Hapur-245304, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG(BAMS) course with 100 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/56/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 17.10.2018
331.	Glocal College of Ayurvedic Medical Science & Research Centre, (State Highway No.-57), Mirzapur, Pole, Distt. Saharanpur-247122, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG(BAMS) course with 100 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/22/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 24.09.2018



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
332.	R.B. Ayurvedic Medical College & Hospital, at Jalesar Road, Agra-207302, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/34/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 29.09.2018
333.	Mahaveer Ayurvedic Medical College & Hospital, Pohalli Saradhana Road, Meerut-250341, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/21/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 06.09.2018
334.	Sri Ram Ayurvedic Medical College and Hospital, Vill. Dungrawali, Partapur Bye Pass Road, Distt. Meerut-250103, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/58/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 13.09.2018
335.	Institute of AYUSH Medical Sciences, Vimalarjun Nagar, Bhagoo Kheda, Mohanlal Ganj, Lucknow-261005, Uttar Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 100 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/60/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 25.09.2018
336.	Dr. Vijay Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Centre, Village-Bhandaha Kala, Post-Kaithi, Varanasi-221116, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG(BAMS) course with 100 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/62/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 10.10.2018
337.	Shri Ramachandra Vaidya Ayurvedic Medical College and Hospital, Yamuna Vihar, Malhaur Road, Near Eldico Tiraha, Chinhat, Lucknow-226028, Uttar Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/04/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 23.10.2018
338.	Prakash Institute of Ayurvedic Medical Sciences and Research, at Jhhajar, Bulandshehar, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/48/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 24.09.2018
339.	Dhanvantari Ayurvedic Medical College & Hospital, Vill. Chitauli, P.O. Fatehganj (W), Distt. Bareilly-243501, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/24/2015-EP(IM-1) for 2018-19 dated 14.09.2018
340.	Mahaveer College of Ayurvedic Science, Vill-Sundra, G.E. Road, Rajnandgaon-491441, Chhattisgarh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/31/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 13.09.2018
341.	Parul Institute of Ayurved & Research, P.O. Limda, Ta. Waghodia, Distt. Vadodara-391760, Gujarat	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/17/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 07.09.2018
342.	Bhargava Ayurveda College, Vidyagram, Post-Dahemi, Ta. Borsad, Distt. Anand-388560, Gujarat	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/27/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 20.09.2018
343.	Murlidhar Ayurved College, Bhavnagar Road, Kalipat, Distt. Rajkot-360020, Gujarat	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/18/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 07.09.2018



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
344.	Noble Ayurved College & Research Institute, Parthvatika, Bhesan Road, Via-Vadal, At. Bamangam, Distt. Junagadh-362310, Gujarat	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/28/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 13.09.2018
345.	Bachubhai Govindbhai Garaiya Ayurved College, Vill. Kalipat, Bhavnagar Highway, Behind Ashapur Hotel, Distt. Rajkot-360020, Gujarat	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/51/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 26.09.2018
346.	RK University Ayurvedic College & Hospital, RK University Campus, Rajkot-Bhavnagar Highway, Kasturbadham, Rajkot-360020, Gujarat	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG(BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/51/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 25.09.2018
347.	Netra Chikitsa Ayurved College, Chital Road, Amreli-365601, Gujarat	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/32/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 07.09.2018
348.	Global Institute of Ayurveda, Rajkot-Bhavnagar Highway, Nr. Gadhaka Patiyu, Distt. & Tal. Rajkot. Vill. Tramba, Gujarat-360020	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG(BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/08/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 25.09.2018
349.	Ananya College of Ayurveda, Umiya Mata Kadva Patidar Education & Samaj Seva Trust, KIRC Campus, Ahmedabad-Mahesana Highway, Kalol, Distt. Gandhinagar-382721, Gujarat	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG(BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/22/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 17.10.2018
350.	K.J. Institute of Ayurveda & Research, K.J. Campus, Opp. I.T.I., Javla-Salvi, P.O.Savli-391770, Distt.-Vadodara, Gujarat	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/75/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 24.09.2018
351.	Government Ayurvedic Medical College, Akhnoor, Indira Chock Jammu, Near MLA Hostel Jammu -184101, Jammu & Kashmir	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/41/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 04.09.2018
352.	Sri Paripoorna Sanathana Ayurveda Medical College, Hospital And Research Centre, At No. 91, Kaivalya Sannidana, Arjunabettahalli, Gollahalli Post, Nelamangala Taluk, Bengaluru, Karnataka	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/04/2016-EP(IM-1) dated 05.09.2018
353.	Karavali Ayurvedic Medical College Hospital & Research Centre, Neeramarga, Mangalore-575029, Karnataka	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG(BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/57/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 25.09.2018



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
354.	H.K.D.E.T'S Rajaraje shwari Ayurvedic Medical College & Hospital, NH-9, Veerbha dragiri, Sindenkera Cross, Humnabad-585330, Distt.-Bidar, Karnataka	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/95/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 19.09.2018
355.	Karnataka State Government Daily Wages Employee's Federation, Sanjeevini Ayurveda Medical College and Hospital, Dr. K.S. Sharma Campus, Vishwashrama Chetana, Basaveshwara Nagar, Gokul Road, Hubballi-580030, Karnataka	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/49/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 19.09.2018
356.	Shree Beereshwar Shikshan Sanstha, Krishna Ayurvedic Medical College & Hospital, Behind Syrian Hospital, Old PB Road, Post: Sankeshwar-591313, Tq: Hukkeri, Distt., Belgaum, Karnataka	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/62/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 07.09.2018
357.	Jain AGM Ayurveda Medical College & Hospital, At/Post Navagrahateertha, N.H-4 Road, Varur-Chabbi-581207, Tq. Hubbli, Distt. Dharward, Karnataka	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/60/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 26.09.2018
358.	Sam College of Ayurvedic Sciences & Hospital, Village-Agariya Chopda, Block-Saanchi, Tehsil, Raisen- 464551, Madhya Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/24/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 07.09.2018
359.	Parashar Ayurvedic Medical College & Hospital, Zirniya Narsinggard Road, Parvalia, Bhopal-462030, Madhya Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG(BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/74/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 23.10.2018
360.	Vijayshree Ayurvedic Medical College and Hospital, JDA Scheme No. 41/65, Gram Basaha (Raingwa), Near Kachpura Railway Station, Post Office-Garha (Main), Jabalpur-482003, Madhya Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG(BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/01/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 18.10.2018
361.	L.N. Ayurved College & Hospital, Bhopal, J.K Town, Sarvadharam, C-Sector, Kolar Road, Bhopal-462042, Madhya Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/47/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 10.10.2018
362.	Sri Sai Institute of Ayurvedic Research & Medicine, Village-Hinituia Alam, Ward No.84, Rani Awanti Bai Marg, Kolar Road, Bhopal-462042, Madhya Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG(BAMS) for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/10/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 14.09.2018



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
363.	Bhauasheeb Mulak Ayurved College & Research Hospital, Plot No. P-73, R&C Zone, MIDC, Butibori, Nagpur-441122, Maharashtra	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/78/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 29.09.2018
364.	Dr. Vedprakash Patil Ayurved College & Research Institute Gut No.159, Revgaon Road, Tq. & Dist Jalna-431203, Maharashtra	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/101/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 23.10.2018
365.	Swami Vivekanand Ayurved Medical College & Research Centre, Pargaon, Sudrik, Shrigonda, Ahmednagar-413701, Maharashtra	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG(BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/99/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 11.10.2018
366.	Dr. Rajendra Gode Ayurved College, Hospital & Research Centre, Mardi Road, Amravati-444602, Maharashtra	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/45/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 07.09.2018
367.	Khalsa Ayurvedic Medical College & Hospital, At Village Nangal Kalan, Distt. Mansa-151505, Punjab	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/103/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 20.09.2018
368.	Shri Satya Ayurvedic Medical College & Hospital, Dhanupura (Lodhipur Rajput) Delhi Road, Po Pakbara, Moradabad-244102, Uttar Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats (instead of 100 seats) in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/88/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 11.10.2018
369.	Kalawati Ayurvedic Medical College & Research Centre & Hospital, Gorha, Kasganj-207123, Uttar Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/80/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 10.10.2018
370.	F.S Ayurvedic Medical College & Hospital, Near Balaji Mandir, Shikohabad, Firozabad-205135, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/34/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 06.09.2018
371.	Divya Jyoti Ayurvedic Medical College & Hospital, Niwari Road, Modinagar, Distt. Ghaziabad-201204, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/64/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 18.10.2018
372.	Doon Ayurvedic Medical College & Hospital, VPO Sunderpur Tanko, Tehsil-Behat, Distt-Saharanpur-247662, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats (instead of 100 seats) in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/92/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 10.10.2018



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
373.	Ishan Ayurved Medical College & Research Centre, Plot No.1A/1 & 1A/2, Knowledge Park-1, Greater Noida-201310, Uttar Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/70/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 30.10.2018
374.	Chandra Shekhar Singh Ayurvedic Sansthan, Village-Koilaha, Post-Saiyad Saraya, Distt. Kaushambi-212213, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/14/2016-EP(IM-1) dated 31.08.2018
375.	SCPM Ayurvedic Medical College & Hospital, Lucknow Road, Haripur Gonda-271003, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/36/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 06.09.2018
376.	SAS Ayurvedic Medical College & Hospital, Rameshwar Road, Harhua-221105, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/11/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 05.10.2018
377.	Sanskriti Ayurvedic Medical College & Hospital, 28 KM. Stone, Chhatam Mathura-281401, Uttar Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/40/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 26.10.2018
378.	KVS Institute of Ayurvedic Medical Science & Research Centre, Mardapur Bakshupur, Ghazipur-275204, Uttar Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG(BAMS) course with 100 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/105/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 17.10.2018
379.	Dr. Anar Singh Ayurvedic Medical College & Hospital, Bewar Road, Fatehgarh Distt. Farrukhabad-209601, Uttar Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/46/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 29.09.2018
380.	Ankerite Ayurvedic Medical College & Hospital, Village Parverpurab, Post-Mohanlalganj, Lucknow-226301, Uttar Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) for the academic year 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 100 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-12011/15/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 18.09.2018
381.	Bhagwant Ayurvedic College & Hospital, Bhagwantpuram, 17Th Mile Stone, Bijnor-Delhi Highway, Vill-Kailapur Jasmor, Tehsil- Jansath Distt. Muzaffarnagar-251315, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/09/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 12.10.2018
382.	Bhartiya Ayurvedic Medical College, At Village-Kudena, Gajraula J.P. Nagar, Amroha-244235, Uttar Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats (instead of 100 seats) in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/97/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 05.10.2018
383.	APEX Institute of Ayurvedic Medicine & Hospital, Nh-7, Mirzapur-Varanasi Road, Samaspur, Chunar, Mirzapur-231304, Uttar Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG(BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/89/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 25.09.2018



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
384.	M.D. Ayurvedic College & Hospital, Babarpur, Sikandra, Agra-287007, Uttar Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/06/2016-EP (IM-1) for 2018-19 dated 08.11.2018
385.	SNSK Ayurvedic Medical College Hospital, Bhavrahan, Pandeypur Radhe, Ghazipur-233300, Uttar Pradesh	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG(BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/84/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 25.09.2018
386.	WTM Ayurvedic Medical College & Hospital, Village-Fatehpur Mafi, Post-Palaula Joya-Sambhal Road, Distt. Amroha-244222, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/03/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 05.10.2018
387.	Sardar Patel Institute of Ayurvedic Medical Science & Research Centre, Kankaha, Raibarely Road, Mohan Lal Ganj, Lucknow-226301, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/30/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 05.10.2018
388.	SKS Ayurvedic Medical College & Hospital, NH-2, Village-Chaumuhan, Distt- Chhata Mathura-281406, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 100 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/86/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 07.09.2018.
389.	Beehive Ayurved Medical College & Hospital, Central Hopetown, Selaqui, Dehradun-248197, Uttarakhand	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/63/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 29.09.2018.
390.	Shivalik Institute of Ayurved & Research, Jhajra, Chakrata Road, Dehradun-248007, Uttarakhand	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/56/2016-EP(IM-1) dated 07.09.2018.
391.	Bishamber Sahai Ayurvedic Medical College & Research Centre, 175 Bhushan Bhawan, Saket colony, Roorkee-247667, Uttarakhand	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/02/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 16.10.2018.
392.	Doon Institute of (Ayurved Faculty) Medical Sciences, Village Shankarpur, Shahaspur, Th. Vikash Nagar, Distt. Dehradun-248197, Uttarakhand	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/13/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 16.10.2018
393.	Dev Bhoomi Medical College of Ayurveda & Hospital, Navgaon Manduwala, Dehradun-248007, Uttarakhand	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/44/2016-EP(IM-1) for 2018-19 dated 31.10.2018



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
394.	Smt. Manjira Devi Ayurvedic Medical College And Hospital, Rukmani Nagar, Hitanu Dhanari, Uttarkashi-249151, Uttarakhand	Not Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course for the academic session 2018-19 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/81/2016-EP (IM-1) for 2018-19 dated 23.10.2018
395.	Sant Gajanan Maharaja Ayurved Medical College, Distt. Kolhapur, Maharashtra	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Denial permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2018-19 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/41/2017-EP(IM-1) dated 25.09.2018 In compliance of the order of the Hon'ble High Court of Bombay dated 02.11.2018 in W.P.No.11959 of 2018 Granted Permission for issuing LOP to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2018-19 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/41/2017-EP(IM-1) dated 08.11.2018
396.	Anand Ayurved College, Phulewadi Road, Vaijapur, Distt. Aurangabad-423701, Maharashtra	Recommended to Government of India for Not issuing Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2018-19 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/09/2017-EP(IM-1) dated 14.09.2018
397.	Datta Meghe Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Center, wanadongri, Hingna Road, Nagpur-440019, Maharashtra	Recommended to Government of India for conditional issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2018-19 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/54/2017-EP(IM-1) dated 05.09.2018
398.	Govt. Ayurveda Medical College & Teaching Hospital, Opposite to I.B., Sagar Road, Shivamogga-577201, Karnataka	Recommended to Government of India for conditional issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2018-19 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/60/2017-EP(IM-1) dated 04.08.2018
399.	CIT Ayurvedic College & Research Center, NH-30, Naya Raipur, bhanpur Distt.-Raipur, Chhattisgarh	Not Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Denial permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2018-19 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/32/2017-EP(IM-1) dated 20.09.2018
400.	Yenepoya Ayurvedic Medical College & Hospital, Naringana Village, Post: Deralakatte (Mangaluru) Talk: Bantval, Distt. Dikshin Kannada-575018, Karnataka,	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2018-19 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/50/2017-EP(IM-1) dated 39.09.2018
401.	Adichunchanagiri Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Center, Survey No.-112, Nagaruru, Dasanapura Hobli, Nelamangala, Bengaluru Karnataka	Not Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2018-19 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/33/2017-EP(IM-1) dated 28.09.2018



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2018-19	Decision of Govt of India for the Year 2018-19
402.	Agarwal Ayurved College, Near Old Post Office, Merta City-341510, Rajasthan	Not Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2018-19 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Denial permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats (instead of 100 seats) in UG (BAMS) course from the academic session 2018-19 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/48/2017-EP(IM-1) dated 29.09.2018
403.	All India Institute of Ayurveda, Mathura Road, Gautampuri, Sarita Vihar, Gautampuri Awas, Badarpur, New Delhi, Delhi 110076	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in PG courses for the academic session 2019-20.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with 84 seats in 18 PG courses namely:-(i)Kayachikitsa-06 seats (ii)Kaumarbhritya-Bala Roga-06 seats, (iii)Prasuti avum Stri Rega-06 seats, (iv)Shalya Samanya-06 seats, (v)Shalya (Asthi Sandhi & Marmagat roga)-02 seats, (vi)Shalya (Ksharkarma avam anushashtra Karma)-02 seats, (vii)Shalakya(Netra Roga)-04 seats, (viii)Shalakya (Shiro, Nasa, Karna avum Kantha Roga)-04 seats, (ix)Shalakya (Danta avum Mukha roga)-01 seat, (x)Panchkarma-06 seats, (xi)Rasayan & Vajikaran-03 seats, (xii)Mano vigyan avum Manas Roga-02 seats, (xiii)Dravyaguna Yigyana-06 seats, (xiv)Rasashastra & Bhisajya Kalpana-06 seats, (xv)Roga Nidan avum Yikriti Yigyana-06 seats, (xvi)Swastharitta & Yoga-06 seats, (xvii)Ayurveda Samhita & Siddhant-06 seats and (xviii)Kriya Sharir-06 seats from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R.14011/39/2015-EP(IM-1) Dated : 19.04.2016

**Proposals Received in 2017-2018 for Establishment of New College under Section 13A**

S. No.	Name of the College	Recommendation of CCIM	LOI Issued by CCIM (as per GOI letter no. R.11011/03/2017-EP(IM-1) dated 30.01.2018)
1.	Madhav Hills, Banas River Bridge Toll, N.H.-27, Post Office-Bharja, Tehsil-Pindwara, Distt. Sirohi, Rajasthan-307026	Recommended for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2018-19.	LOI not issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2018-19. R-12011/07/2017-EP (IM-1) dated 14.11.2018
2.	Charak Ayurvedic Medical college, Hospital and Research Center, VPO-Panchi, Hapur-Merrut Road, Distt. Merrut-245206, Uttar Pradesh	Recommended for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2018-19.	LOI not issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2018-19. R-12011/25/2017-EP (IM-1) dated 20.09.2018
3.	Anandrao Deshmukh Ayurvedic Medical College, Peth Islampur-415409 Maharashtra	Recommended for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2018-19.	LOI not issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2018-19. R-12011/21/2017-EP (IM-1) dated 05.11.2018
4.	Shri Siddhi Vinayak Ayurvedic College, 10km Stone Nainital Road, Dohna, Bareilly, Uttar Pradesh	Recommended for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2018-19.	LOI not issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2018-19. R-12011/02/2017-EP (IM-1) dated 31.10.2018
5.	C. S. Ayurvedic Medical College & Hopital at Siraon, Marehara Road, Distt. Etah, Uttar Pradesh	Recommended for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2018-19.	LOI not issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2018-19. R-12011/61/2017-EP (IM-1) dated 20.09.2018
6.	Raj Ayurveda Medical College, Jodhpur, Rajasthan	Recommended for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2018-19. in compliance of order dated 28.08.2018 passed by the Hon'ble High Court of Rajasthan at Jodhpur in D.B. Special Appeal Writ (SAW) 927/2018	LOI not issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2018-19. R-12011/70/2017-EP (IM-1) dated 14.11.2018
7.	Vyas Ayurved College and Hospital, Pali Road, Near Kuri, Jodhpur-342005, Rajasthan	Recommended for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2018-19. in compliance of order dated 28.08.2018 passed by the Hon'ble High Court of Rajasthan at Jodhpur in D.B. Special Appeal Writ (SAW) 1335/2018	LOI not issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2018-19. R-12011/73/2017-EP (IM-1) dated 14.11.2018
8.	M.D. Mission Ayurved Medical College, Naya Gaun, Rawat Bhata Raod, Kota-324005, Rajasthan	Recommended for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats (Proposal of the college was for 100 seats but NOC and Consent of Affiliation was for 60 seats) in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2018-19. in compliance of order dated 28.08.2018 passed by the Hon'ble High Court of Rajasthan at Jodhpur in D.B. Special Appeal Writ (SAW) 1444/2018	LOI not issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2018-19. R-12011/78/2017-EP (IM-1) dated 14.11.2018
9.	S.S. Ayurvedic College of Medical Science, VPO Rundal, Tehsil-Amer, Distt- Jaipur-303805, Rajasthan	Recommended for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2018-19. in compliance of order dated 28.08.2018 passed by the Hon'ble High Court of Rajasthan at Jodhpur in D.B. Special Appeal Writ (SAW) 1444/2018	LOI not issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2018-19. R-12011/69/2017-EP (IM-1) dated 14.11.2018



S. No.	Name of the College	Recommendation of CCIM	LOI Issued by CCIM (as per GOI letter no. R.11011/03/2017-EP(IM-1) dated 30.01.2018)
10.	Nathdwara Ayurvedic Medical College & Research Centre, Upali Oden, Nathdwara Dist. Rajsamand-313301, Rajasthan	Recommended for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats (Proposal of the college was for 100 seats but NOC and Consent of Affiliation was for 60 seats) in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2018-19. in compliance of order dated 28.08.2018 passed by the Hon'ble High Court of Rajasthan at Jodhpur in D.B. Special Appeal Writ (SAW) 1420/2018	LOI not issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2018-19. R-12011/79/2017-EP (IM-1) dated 14.11.2018
11.	Merchant Ayurved College & Hospital, At & Post: Basna, Mehsana-Visnagar Highway, Distt. Mehsana, Gujarat	Recommended for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2018-19. in compliance of order dated 09.08.2018 passed by the Hon'ble High Court of Gujarat at Ahmedabad in SCA No. 10523 of 2018	LOI not issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2018-19. R-12011/46/2017-EP (IM-1) dated 27.12.2018

**UNANI****Recognition of Medical Qualifications**

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government, after consulting the Central Council of Indian Medicine, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:-

In the said Second Schedule, in Part II relating to "Unani", under the heading "Maharashtra", against serial number 11B, after the existing entries relating thereto, the following entries in Column 3, 4 and 5, shall be inserted, namely:-

Name of University/ Board or Medical Institute	Notification No. and Date	Name of Degree	Notification for inclusion of degree in the second schedule to the IMCC Act, 1970
1	2	3	4
University of Mumbai Maharashtra	S.O. 5480(E) dated 18/10/2018	Mahir-e-Tib (Doctor of Medicine) M.D (Unani) Mahir-e-Jarahat (Master of Surgery) M.S. (Unani)	From 1st January 2007 to 31st December 2010, if awarded to the students who had been admitted with the permission of the Central Government in following college namely:- Anjuman-I-Islam's Dr. M. Ishaq Jamkhanawala Tibbia Unani Medical College & Haji A.R. Kalsekar Tibbia Hospital, 60 Yari Road, Versova, Andheri (West), Mumbai-400061(MS)."

2. In the said Second Schedule, in Part II relating to "Unani", under the heading "Uttar Pradesh", after serial number 25 and the entries related thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

Name of University	Notification No. and Date	Name of Degree	Notification for inclusion of degree in the second schedule to the IMCC Act, 1970
1	2	3	4
" 26. University of Lucknow	S.O. 873(E) dated 14/02/2019	Kamil-e-Tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery) BUMS (Unani)	From 2008 onwards, if awarded to the students admitted with the permission of the Central Council of Indian Medicine or Central Government, as the case may be, in the following beneficiary colleges, namely- (i) State Takmeel-ut-Tib College & Hospital, Lucknow, Uttar Pradesh; (ii) Dr. Abdul Ali Tibbia College and Hospital, Katauli, Malihabad, Lucknow, Uttar Pradesh; (iii) Hayat Unani Medical college and Research Centre, Hardoi Road, Kakori, Lucknow, Uttar Pradesh;

3. In the said Second Schedule, in Part II relating to "Unani", under the heading "Karnataka", against serial number 15B, for the entries in Column 4, the following entries shall be substituted, namely:—

Name of University	Notification No. and Date	Name of Degree	Notification for inclusion of degree in the second schedule to the IMCC Act, 1970
1	2	3	4
" Rajiv Gandhi University of Health Science, Karnataka, Bengaluru	S.O. 3655(E) dated 25/07/2018	Mahir-e-Tib/Mahir-e-Jarahat (M.D/M.S. Unani)	"From 2008 onwards, if granted to the students admitted with permission of the Government of India in following college, namely:- National Institute of Unani Medicine, Kottige Palaya, Mangadi Main Road, Bangalore-560091".

**Proposals for increasing intake capacity in UG/PG Course:-**

S. No	Name of College	Proposal	Recommendation	GOI decision
1.	State Takmeel-Ut- Tib College and Hospital, Lucknow, Uttar Pardesh-266001	To increase intake for UG 40 to 60 seats in UG BUMS.	Recommended to issue LOI for increase intake capacity for UG from 40 to 60 seats in UG BUMS.	LOP issued to increase admission capacity in existing UG(BUMS) course from 40 to 60 seats for the academic session 2019-20 under section 13C/13A of the IMcc Act, 1970 vide letter No. O-14014/41/2019-EP1, O-14013/5/2018-EP-1 AND O-14015/04/2018-EP-1 dated 18.06.2019.
2.	Iqra Unani Medical College and Hospital, Jalgaon, Maharashtra-2262610	To increase the intake capacity in existing BUMS (UG) course from 50 to 60 seats under section 13A of the IMCC Act, 1970.	Recommended to LOI issued for increase intake capacity in existing BUMS Courses from 50 to 60 seats	LOP issued to increase in intake capacity in BUMS(UG) course form 50 to 60 seats from the academic session 2019-20 under section 13A/13C of the IMcc Act, 1970 vide letter No. O-14014/26/2019-EP(1) and O-14013/4/2018-EP(1) dated 12.06.2019
3.	Al-Farooque Unani Medical College, Indore, (MP)	To increase in intake capacity from 50 to 100 (additional 50 seats) in existing BUMS course.	Recommended for LOI issued to intake capacity from 50 to 100 (additional 50 seats) in existing BUMS course.	Not issuing Letter of Permission (LOP) to increase intake capacity from 50 to 100 UG(BUMS) seats from the academic session 2019-20 under section 13A/13C of the IMCC Act, 1970 vide letter no. O-14014/49/2019-EP-(1) dated 13.07.2019

**Proposals for start new PG Course**

S. No	Name of College	Proposal	Recommendation	GOI Decision
1.	State Unani Medical College and Hospital, Allahabad, Uttar Pradesh-211003	To open 02 new PG courses namely: i) Mahir-e-Jarahat n Uzn Anaf wa Halaq and ii) Ilaj Bit Tadbeer with 02 seats in each subject.	Recommended for LOI issued to State Unani Medical College & Hospital, Allahabad, Uttar Pradesh to start P.G. Course in i) Mahir-e-Jarahat n Uzn Anaf wa Halaq and ii) Ilaj Bit Tadbeer with 02 seats in each subject.	LOP issued to start 02 new PG course namely (i) Mahir-e-Jarahat in Uzn Anaf wa Halaq and (ii) Mahir-e-Tib in Ilaj Bit Tadbeer with 02 seats in each subject for the academic session 2019-20 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 vide letter no. O-14014/52/2019-EP-(1) dated 20.06.2019.
2.	Ajmal Khan Tibbia College, Aligarh Muslim University, Aligarh, UP	To open 04 new PG courses namely i) Munafeul Aza ii) Ilaj Bit Tadbeer iii) AmrazeJildWaTazeeniyat and iv) Ilmul Saidla (Department of Saidla) with 04 seats in each of subject.	Recommended for LOI issued to for new P.G. courses namely i) Munafeul Aza ii) Ilaj Bit Tadbeer iii) Amraze Jild Wa Tazeeniyat and Ilmul Saidla Department of Saidla) with 04 seats in each of subject.	LOP issued to start new 04 PG Courses in (i)Munafeul Aza (ii) Ilaj Bit Tadbeer (iii) Amraz-e-Jild wa Tazeeniyat and (iv) Ilmul Saidla (Department of Saidla) with admission capacity of 04 seats in each subject, from the academic session 2019-20 under Section 13A of the IMCC Act vide letter No. O-14014/5/2018-EP(1) and O-14014/8/2018-EP(1) dated 15.10.2019
3.	State Takmeel-Ut- Tib College and Hospital, Lucknow, Uttar Pradesh-266001	To open 02 new PG courses namely: (i) Tahafuzzi-wa-Samaji-Tib and (ii) Tashreehul Badan with 02 seats in each subject.	Recommended to issue LOI for start 02 new PG courses namely: (i) Tahafuzzi-wa-Samaji-Tib and (ii) Tashreehul Badan with 02 seats in each subject.	LOP issued to start 02 new PG courses namely: (i) Tahafuzzi-wa-Samaji Tib And (ii) Tashreehul Badan with 02 seats in each subject from the academic session 2019-20 under section 13A/13C of the IMCC Act, 1970 vide letter No. O-14014/41/2019-EP(1) and O-14013/5/2018-EP(1) dated 18.06.2019.

**VISITATION OF COLLEGES**

Central Council of Indian Medicine conducted the visitation of following Unani Colleges to furnish the recommendations to Govt. of India for the year 2018-19 under section 13C of IMCC Act, 1970.

S. No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
1.	Govt. Nizamia Tibbia College, Hyd. (AP) - 500002	Recommend to Government of India for granting conditional permission for admission with 75 seats in UG (BUMS) course and 36 seats in 05 PG Course namely (i) Ilmul Advia with 06 seats, (ii) Kulliyat with 05 seats, (iii) Moalijat-10 seats, (iv) Ilmul Qabalat wa Amraz-e-Niswan-10 seats and (v) Tahaffuzi wa Samaji Tib-05 seats for the academic session 2018-19	Grant of Conditional Permission with 75 seats in UG (BUMS) course and 36 seats in 05 PG Courses namely (i) Moalajat-10 setas, (ii) Ilmul Advia-06 seats, (iii) Ilmul Qabalat-wa-amraz-e Niswan -10 setas, (iv) tahafuzi -wa-Samaji-Iib - 05 seats and (v) Kulliyat - 05 seats for the academic Session 2018-19 under section 13C of the IMCC Act, 1970 vide letter No. F.No. R. 17012/01/2018-EP (IM-I) dated 10.08.2018.
2.	Abdul Haque Unani Med. Coll.(Kurnool) AP- 518001	Recommend to Government of India for granting conditional permission for admission with 50 seats in UG (BUMS) course for the academic session 2018-19	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BUMS) course for the academic Session 2018-19 under section 13C of the IMCC Act, 1970 vide letter No. F.No. R. 17012/02/2018-EP (IM-I) dated 26.10.2018.
3.	Govt. Tibbia College, (Patna) Bihar - 800003	Recommend to Government of India for granting conditional permission for admission with 40 seats in UG (BUMS) course for the academic session 2018-19	Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG (BUMS) course for the academic Session 2018-19 under section 13C of the IMCC Act, 1970 vide letter No. F.No. R. 17012/03/2018-EP (IM-I) dated 04.08.2018.
4.	Z.H. Unani Medical College, (Siwan) Bihar - 841226	Recommend to Government of India for granting conditional permission for admission with 50 seats in UG (BUMS) course for the academic session 2018-19	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BUMS) course for the academic Session 2018-19 under section 13C of the IMCC Act, 1970 vide letter No. F.No. R. 17012/04/2018-EP (IM-I) dated 14.09.2018.
5.	Nizamia Unani Medical College, Gaya (Bihar) - 823003	Recommend to Government of India for granting conditional permission for admission with 40 seats in UG (BUMS) course for the academic session 2018-19	Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG (BUMS) course for the academic Session 2018-19 under section 13C /13A of the IMCC Act, 1970 vide letter No.R. 17012/06/2018-EP (IM-I) dated 07.09.2018.
6.	Mohsin-e-Millat Unani Medical College, (Raipur) - 492001	Not granting permission for 40 seats in UG course for the session 2018-19	Denial of permission for taking admission to BUMS (UG) course with 40 seats under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 for the academic session 2018-19 vide letter no. F.No. R. 17012/07/2018-EP (IM-1) dated 24.09.2018.



S. No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
7.	A & U Tibbia College, Karol Bagh, New Delhi - 110005	Recommend to Government of India for granting conditional permission for admission with 60 seats in UG (BUMS) course and 10 seats in 04 PG Course namely (i) Moalajat-03 seats, (ii) IlmuSaidla-03 seats, (iii) IlmuQabalat-wa-Amraz-e-Niswan 02 seats and (iv) MunafeulAza-02 seats for the academic session 2018-19.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BUMS) course and 10 seats in 04 PG Course namely (i) Moalajat-03 seats, (ii) IlmuSaidla-03 seats, (iii) IlmuQabalat-wa-Amraz-e-Niswan 02 seats and (iv) MunafeulAza-02 seats for the academic Session 2018-19 under section 13C /13A of the IMCC Act, 1970 vide letter No.R. 17012/12/2018-EP (IM-I) dated 10.08.2018.
8.	Faculty of Medicine (U) Jamia Hamdard (New Delhi) - 110062	Recommend to Government of India for granting conditional permission with 50 seats in UG (BUMS) course and 03 PG Course namely (i) Moalajat-03 seats, (ii) Ilmu Advia -03 seats and (iii) Tahafuzi wa Samaji Tib seats for the academic session 2018-19	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BUMS) course and 03 PG Course namely (i) Moalajat-03 seats, (ii) Ilmu Advia -03 seats and (iii) Tahafuzi wa Samaji Tib seats for the academic Session 2018-19 under section 13C /13A of the IMCC Act, 1970 vide letter No.R. 17012/09/2018-EP (IM-I) dated 07.09.2018.
9.	Institute of Asian Medical Sciences, (Srinagar) J & K - 190001	Not granting permission for 40 seats in UG course for the session 2018-19	Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG (BUMS) course for the academic Session 2018-19 under section 13C /13A of the IMCC Act, 1970 vide letter No.R. 17012/10/2018-EP (IM-I) dated 05.10.2018.
10.	Govt. Unani Medical College, (Bangalore) Karnataka - 560079	Recommend to Government of India for granting conditional permission with 50 seats in UG (BUMS) course and 10 additional seats in UG (BUMS) Course for the academic session 2018-19	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BUMS) course and 10 additional seats in UG (BUMS) Course for the academic Session 2018-19 under section 13C /13A of the IMCC Act, 1970 vide letter No.R. 17012/12/2018-EP (IM-I) dated 04.08.2018.
11.	Saifia Hamidia Unani Medical College, Burhanpur (MP)- 450331	Recommend to Government of India for granting conditional permission with 50 seats in UG (BUMS) course for the academic session 2018-19	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BUMS) course for the academic Session 2018-19 under section 13C of the IMCC Act, 1970 vide letter No. F.No. R. 17012/16/2018-EP (IM-I) dated 13.09.2018.
12.	Al- Farooque Unani Medical College, Indore (MP) - 452001	Recommend to Government of India for granting conditional permission with 50 seats in UG (BUMS) course for the academic session 2018-19	Denial of permission for taking admission to BUMS (UG) course with 50 seats under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 for the academic session 2018-19 vide letter no. F.No. R. 17012/17/2018-EP (IM-1) dated 24.09.2018.
13.	HSZH Govt. Unani Medical College, Bhopal (MP) - 462003	Recommend to Government of India for granting conditional permission with 60 seats in UG (BUMS) course for the academic session 2018-19	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BUMS) course for the academic Session 2018-19 under section 13C of the IMCC Act, 1970 vide letter No. F.No. R. 17012/18/2018-EP (IM-I) dated 27.07.2018.
14.	Abdul Hamid Unani Medical College, Dewas (MP) - 455001	Recommend to Government of India for granting conditional permission with 60 seats in UG (BUMS) course for the academic session 2018-19	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BUMS) course for the academic Session 2018-19 under section 13C of the IMCC Act, 1970 vide letter No. F.No. R. 17012/19/2018-EP (IM-I) dated 13.09.2018.



S. No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
15.	Anjuman-I-Islam-Jambhanawala (MIJ) Tibbia Unani Med. College, Mumbai (MS) - 400061	Recommend to Government of India for granting conditional permission with 60 seats in UG (BUMS) course for the academic session 2018-19	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BUMS) course for the academic Session 2018-19 under section 13C of the IMCC Act, 1970 vide letter No. F.No. R. 17012/20/2018-EP (IM-I) dated 13.08.2018.
16.	Mohammadia Tibbia College, Malegaon, Nasik (MS)-423203	Recommend to Government of India for granting conditional permission with with 60 seats in UG (BUMS) course and 04 seats in 02 PG courses namely (i) Ilmul Qabalat wa Amraz e Niswan-02 and (ii) Ilmul Advia-02 seats for the academic session 2018-19	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BUMS) course and 04 seats in 02 PG courses namely (i) Ilmul Qabalat wa Amraz e Niswan-02 and (ii) Ilmul Advia-02 seats for the academic Session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 vide letter No. F.No. R. 17012/21/2018-EP (IM-I) dated 17.08.2018
17.	ZVM Unani Medical College, (Pune) MS - 411001	Recommend to Government of India for granting conditional permission with 60 seats in UG (BUMS) course and 17 seats in 04 PG courses i.e. (i) Tahafuzi -wa-Samaji-Tib- 6 seats (ii)Moalajat - 06 seats, (iii) IlmulJarachat - 03 seats, (iv) IlmulQabalat -wa- Amraz-e-Niswan -02 seats for the academic session 2018-19	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BUMS) course and 17 seats in 04 PG courses i.e. (i) Tahafuzi -wa-Samaji-Tib- 6 seats (ii)Moalajat - 06 seats, (iii) IlmulJarachat - 03 seats, (iv) IlmulQabalat -wa- Amraz-e-Niswan -02 seats for the academic Session 2018-19 under section 13C of the IMCC Act, 1970 vide letter No. F.No. R. 17012/24/2018-EP (IM-I) dated 14.09.2018.
18.	Rajasthan Unani Medical College, (Jaipur) Rajasthan - 302031	Not granting conditional permission for 40 seats in UG(BUMS) course for the session 2018-19	Denial of permission for taking admission to BUMS (UG) course with 40 seats under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 for the academic session 2018-19 vide letter no. F.No. R. 17012/26/2018-EP (IM-1) dated 05.10.2018.
19.	Govt. Unani Medical College, (Chennai) Tamilnadu - 600106	Recommend to Government of India for granting conditional permission with 60 seats in UG (BUMS) course for the academic session 2018-19	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BUMS) course for the academic Session 2018-19 under section 13C of the IMCC Act, 1970 vide letter No. F.No. R. 17012/27/2018-EP (IM-I) dated 04.08.2018.
20.	Ibne-SinaTibbia College, (Azamgarh) UP - 276305	Not granting conditional permission for 50 seats in UG(BUMS) course for the session 2018-19	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG(BUMS) course for the academic Session 2018-19 under section 13C of the IMCC Act, 1970 vide letter No. F.No. R. 17012/31/2018-EP (IM-I) dated 10.10.2018.
21.	SGM Unani Medical College, (Ghazipur) UP - 233302	Recommend to Government of India for granting conditional permission with 40 seats in UG (BUMS) course for the academic session 2018-19	Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG (BUMS) course for the academic Session 2018-19 under section 13C of the IMCC Act, 1970 vide letter No. F.No. R. 17012/35/2018-EP (IM-I) dated 14.09.2018.
22.	Calcutta Unani Medical College, (Kolkata) WB - 700016	Recommend to Government of India for granting conditional permission with 40 seats in UG (BUMS) course for the academic session 2018-19	Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG (BUMS) course for the academic Session 2018-19 under section 13C of the IMCC Act, 1970 vide letter No. F.No. R. 17012/37/2018-EP (IM-I) dated 13.09.2018.



S. No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
23.	YunusFazlani Medical College, Aurangabad (MS) - 431103	Recommend to Government of India for granting conditional permission with 50 seats in UG (BUMS) course for the academic session 2018-19	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BUMS) course for the academic Session 2018-19 under section 13C of the IMCC Act, 1970 vide letter No. F.No. R. 12012/02/2008-EP (IM-I) dated 14.09.2018.
24.	Hakim Rais Unani Medical College, Sambhal, Moradabad (UP)-244302	Recommend to Government of India for granting conditional permission with 50 seats in UG (BUMS) course for the academic session 2018-19	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BUMS) course for the academic Session 2018-19 under section 13C of the IMCC Act, 1970 vide letter No. F.No. R. 12012/02/2012-EP (IM-I) dated 13.09.2018.
25.	Ghausia Unani Medical College & Hospital, Kanashmiripur, Deomai, Fatehpur (UP)- 212657	Recommend to Government of India for granting conditional permission with 60 seats in UG (BUMS) course for the academic session 2018-19	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BUMS) course for the academic Session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 vide letter No. F.No. R. 12012/05/2013-EP (IM-I) dated 14.09.2018.
26.	Al-Arif Unani Medical College, Hyderabad (Telengana State)-500059	Not granting permission for 100 seats in UG (BUMS) course for the session 2018-19.	Denial of permission for taking admission to BUMS (UG) course with 100 seats under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 for the academic session 2018-19 vide letter no. F.No. R. 12012/02/2013-EP (IM-1) dated 17.10.2018.
27.	Uttaranchal Unani Medical College and Hospital, Haridwar, Uttarakhand	Recommend to Government of India for granting conditional permission with 60 seats in UG (BUMS) course for the academic session 2018-19	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BUMS) course for the academic Session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 vide letter No. F.No. R. 12012/05/2014-EP (IM-I) dated 18.09.2018
28.	Markaz Unani Medical College and Hospital, Kozhikode, Kerala	Not granting conditional permission with 60 seats in UG(BUMS) course for the academic session 2018-19.	Denial of permission for taking admission to BUMS (UG) course with 60 seats under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 for the academic session 2018-19 vide letter no. F.No. R. 12012/04/2014-EP (IM-1) dated 17.10.2018.
29.	University College of Unani BaghikhanaTonk, Rajasthan	Recommend to Government of India for granting conditional permission with 50 seats in UG (BUMS) course for the academic session 2018-19	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BUMS) course for the academic Session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 vide letter No. F.No. R. 12012/01/2015-EP (IM-I) dated 04.09.2018
30.	Glocal Unani Medical College, Saharanpur (UP)	Recommend to Government of India for 60 seats instead of 100 seats in UG (BUMS) course for the academic session 2018-19.	Grant of Conditional Permission with 60 seats (instead of 100 seats) in UG (BUMS) course for the academic Session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 vide letter No. F.No. R. 12012/03/2015-EP (IM-I) dated 05.10.2018
31.	Sufia Unani Medical College, BarahChakiya, East Champaran Bihar	Recommend to Government of India for granting conditional permission with 60 seats in UG (BUMS) course for the academic session 2018-19	Grant of Conditional with 60 seats in UG (BUMS) course for the academic Session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 vide letter No. F.No. R. 12012/01/2011-EP (IM-I) dated 14.09.2018
32.	RehbarAyurvedic and Unani Tibbi College Sangrur, Punjab	Recommend to Government of India for granting conditional permission with 50 seats in UG (BUMS) course for the academic session 2018-19	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BUMS) course for the academic Session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 vide letter No. F.No. R. 12012/04/2015-EP (IM-I) dated 07.09.2018



S. No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
33.	Hayat Unani Medical College and Research Center, Kakori, Lucknow (UP)	Not granting conditional permission with 60 seats in UG(BUMS) course for the academic session 2018-19.	Denial of permission for taking admission to BUMS (UG) course with 60 seats under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 for the academic session 2018-19 vide letter no. F.No. R. 12012/01/2016-EP (IM-1) dated 09.11.2018.
34.	Inamdar Unani Medical College And Hospital, Gulbarga, Kalaburgi, Karnataka	Not granting conditional permission with 60 seats in UG(BUMS) course for the academic session 2018-19.	Denial of permission for taking admission to BUMS (UG) course with 60 seats under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 for the academic session 2018-19 vide letter no. F.No. R. 12012/03/2016-EP (IM-1) dated 08.11.2018.
35.	Sanskriti Unani Medical College & Hospital, Mathura Road, Chhata Mathura, UP	Recommend to Government of India for granting conditional permission with 60 seats in place of 100 seats in UG (BUMS) course for the academic session 2018-19	Grant of Conditional Permission to the Sanskriti Unani Medical College & Hospital, Mathura Road, Chhata Mathura, UP with 60 seats in place of 100 seats in UG (BUMS) course for the academic Session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 vide letter No. F.No. R. 12012/07/2013-EP (IM-I) dated 23.10.2018
36.	State Unani Medical College, Allahabad UP	Recommend to Government of India for granting conditional permission with with 60 seats in UG (BUMS) course for the academic session 2018-19.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BUMS) course for the academic Session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 vide letter No. F.No. R. 17012/29/2016-EP (IM-I) dated 04.08.2018.
COLLEGES PERMITTED FOR 5 YEARS FROM THE SESSION 2016-17 TO 2020-21			
37.	Salfia Unani Medical College & Hospital, At & Post Laheriasarai, Distt. Darbhanga-846001	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG (BUMS) course with 50 seats for the session 2016-17	Granted permission for BUMS course with 50 seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2016-17 to 2020-21) Letter no. R.17012/05/2016-EP (IM-1) dated 16.09.2016
38.	Kashmir Tibbia College, and Research Center J&K	Recommended Govt. of India for granting permission for existing UG (BUMS) course with 40 to 60 Seats for 5 years Permitted for UG – 40 Seats	Granted permission for BUMS course with 60 seats for vide GOI letter no. R.17012/11/2015-EP (IM-1) dated 21.07.2015 for 5 years (from the session 2015-16 to 2019-20)
39.	Luqman Medical College & Hospital, Bijapur, Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting permission for 60 UG Seats and PG in (i) Amraze Niswan wa Qabalat-03 seats (ii) Moalijat 04 Seats for the session 2016-17.	Granted permission for 60 seats in UG (BUMS) and 07 seats in 02 PG courses viz 1. Moalajat (04 seats) 2. Amraze Qaabalat wa Niswan (03 seat) for a period not exceeding 5 years (from the session 2016-17 to 2020-21) vide Letter No. R.17012/13/2016-EP (IM-1) dated 23.09.2016.
40.	Tipu Sultan Unani Medical College, Gulbarga, Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG (BUMS) course with 60 seats for the session 2016-17	Granted permission for BUMS course with 60 seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2016-17 to 2020-21) Letter no. R.17012/14/2016-EP (IM-1) dated 22.10.2016
41.	HMS Unani Medical College & Hospital, Tumkur, Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG (BUMS) course with 40 seats for the session 2016-17	Granted permission for BUMS course with 40 seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2016-17 to 2020-21) Letter no. R.17012/15/2016-EP (IM-1) dated 16.09.16



S. No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
42.	National Institute of Unani Medicine, Bangalore	Recommend to Government of India for granting permission to (i) Moalijat-08 seats, (ii) Ilmul Qabalat-o-Amraz-e-Niswan-07 Seats (iii) Tahaffuzi-wa-Samaji-Tib-06 Seats (iv) Ilmul-Advia-08 Seats, (v) Ilmus-Saidla -04 Seats, (vi) Illaj Bit Tadbeer 05 Seats & (vii) Ilmul Jarahat 04 Seats but not recommended for PG in Kulliyat	Granted permission for 47 seats in 08 PG Courses viz. (i) Moalajat – 08 Seats (ii) Ilmul Qabalat o Amraze Niswan – 07 Seats (iii) Tahafuzi wa Samaji Tib – 07 Seats (iv) Ilmul Advia – 08 Seats (v) Kulliyat Umoore Tabia – 04 Seats and (vi) Ilmus Saidla (vii) Jarahat – 04 Seats and (viii) Ilaj Bit Tadbeer- 05 Seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2016-17 to 2020-21) vide Letter No. R.14012/05/2004-EP (IM-1) for 2016-17 dated 16.09.2016.
43.	Ahmed Gharib Unani Medical College, (Akkalkuwa)	Recommended to Govt. of India for granting permission for 50 UG (BUMS) course with 50 seats for the session 2016-17	Granted permission for BUMS course with 50 seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2015-16 to 2019-20) vide GOI letter no. R.17012/22/2015-EP (IM-1) dated 17.07.2015 for 5 years
44.	Iqra Unani Medical College, Hospital & Research Centre, Jalgaon	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG (BUMS) course with 50 seats for the session 2016-17	Granted permission for BUMS course with 50 seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2016-17 to 2020-21) Letter no. R.17012/23/2016-EP (IM-1) dated 20.09.2016
45.	Rajputana Unani Tibbia College, Jaipur- (Rajasthan)	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG (BUMS) course with 50 seats for the session 2016-17	Granted permission for BUMS course with 50 seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2016-17 to 2020-21) Letter no. R.17012/25/2016-EP (IM-1) dated 02.09.2016
46.	State Takmil-ut-Tib College & Hospital, Lucknow- (UP)	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG (BUMS) course for the session 2016-17	Granted permission for BUMS course with 40 seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2016-17 to 2020-21) Letter no. R.17012/28/2016-EP (IM-1) dated 05.10.2016
47.	Jamia Tibbia Deoband Deoband, Saharanpur- (U.P.)	Recommended to Govt. of India granting permission for existing UG course with 60 seats and PG – 04 Seats in Moalajat for a period not exceeding 5 years (from the session 2015-16 to 2019-20).	Granted permission for BUMS course with 60 seats and PG – 04 Seats in Moalajat for a period not exceeding 5 years (from the session 2015-16 to 2019-20) Letter no. R-17012/30/2015-EP (IM-1) dated 15.07.2015.
48.	Deoband Unani Medical College, Saharanpur- (U.P.)	Recommended to Govt. of India granting permission for existing UG course with 40 seats and PG in 4 subjects namely Molajat, Munafeul Aza, Ilmul Qabalat wa Amraze Niswan and Ilmul Jarahat with 2 seats each for 5 years (from the session 2015-16 to 2019-20) Recommended to Govt. of India for issuing letter of Permission to increase admission capacity from 40 to 60 seats in existing UG (BUMS) course.	Granted permission for BUMS course with 40 seats and and in 4 subjects namely Molajat, Munafeul Aza, Ilmul Qabalat wa Amraze Niswan and Ilmul Jarahat with 2 seats each for a period not exceeding 5 years (from the session 2015-16 to 2019-20). Letter no. R.17012/32/2015-EP (IM-1) dated 17.09.2015. Letter of Permission issued to increase intake capacity from existing 40 to 60 seats in UG (BUMS) course. Letter no. R.13012/07/2014-EP(IM-1)dated 15.10.2015



S. No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
49.	Allama Iqbal Unani Medical, College, Muzaffarnagar (U.P.)	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG (BUMS) course with 60 seats and 10 Seats in 02 PG Courses Namely (i) Thafuzi wa Samaji Tib-05 seats and (ii) Kulliyat-05 seats for the session 2016-17	Granted permission for BUMS course with 60 seats and 10 Seats in 02 PG Courses Namely (i) Hifzane Sehat wa Thafuzi wa Samaji Tib-05 seats and (ii) Kulliyat-05 seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2016-17 to 2020-21) Letter no. R.17012/33/2016-EP (IM-1) dated 13.10.2016
50.	Aligarh Unani Medical College & Hospital, Aligarh - (U.P.)	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG and PG courses for the session 2016-17.	Granted permission for BUMS course with 60 seats in UG and 08 Seats in 02 PG Courses Namely (i) Kulliyat-04 seats and (ii) Molajat - 04 Seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2016-17 to 2020-21) Letter no. R.17012/34/2016-EP (IM-1) dated 27.10.2016.
51.	Eram Unani Medical College & Hospital, Lucknow (UP)	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG (BUMS) course with 60 seats for the session 2016-17	Granted permission for BUMS course with 60 seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2016-17 to 2020-21) vide Letter no. R.12012/01/2005-EP (IM-1) for 2016-17 dated 06.09.2016
52.	Dr. Abdul Ali Tibbia College & Hospital, Maliahabad, Lucknow (U.P.)	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BUMS) course for the session 2016-17.	Granted permission for BUMS course with 50 seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2016-17 to 2020-21) Letter no. R.12012/02/2006-EP (IM-1) for 2016-17 dated 25.10.2016
53.	Ajmal Khan Tibbia College, Aligarh Muslim University, Aligarh (UP)	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BUMS) and MD courses for the session 2016-17.	Granted permission for 60 seats in UG (BUMS) and 16 seats in 06 PG courses viz 1. Moalajat (04 seats) 2. Ilmul Advia (04 Seats) 3. Qaabalat wa Niswan (01 seat) 4. Tahafuzi wa Samaji Tib (01 seat) 5. Kulliyat (04 seats) 6. Ilmul Jarahat 02 seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2016-17 to 2020-21) vide Letter No. R.17012/36/2016-EP (IM-1) dated 09.09.2016.

**SIDDHA****VISITATION OF COLLEGES**

Central Council of Indian Medicine conducted the visitation of following Siddha colleges to furnish the recommendations to Govt. of India for the year 2018-19 under section 13C of IMCC Act, 1970.

S.No	Name of the college	Recommendation of CCIM to Govt. of India	Decision of Govt. of India
1	Santhigiri Siddha Medical College, PO Koliyacode, Thiruvananthapuram, Kerala	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission in UG BSMS course for 50 Seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted conditional permission with 50 seats in UG (BSMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. F.No R-17013/01/2018-EP (IM-1) for 2018-19 Dated: 29.09.2018.
2	ATSVS Siddha Medical College and Hospital, Pudukkandai, Kanyakumari, Tamil Nadu	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission in UG BSMS course 40 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted conditional permission with 40 seats in UG (BSMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. F.No.R-17013/04/2018-EP(IM-1) for 2018-19 Dated: 20.09.2018
3	Govt. Siddha Medical College, Palayamkottai, Tirunelveli, Tamil Nadu	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission in UG i.e. BSMS -100 Seats & PG i.e. MD (Siddha)-60 Seats (6 Specialities) viz. 1.Maruthuvam-10 seats, 2.Gunapadam-10 seats, 3.Sirappu Maruthuvam- 10 seats. 4.Kuzhanthai Maruthuvam -10 Seats, 5.NoI Nadal -10 seats, 6.Nanju Noolum Maruthuva Neethi Noolum -10 Seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted conditional permission with UG i.e. BSMS -100 Seats & PG MD (Siddha)-60 Seats (6 Specialities) viz. 1.Maruthuvam-10 seats, 2.Gunapadam-10 seats, 3.Sirappu Maruthuvam- 10 seats. 4. Kuzhanthai Maruthuvam -10 Seats, 5.NoI Nadal -10 seats, 6.Nanju Noolum Maruthuva Neethi Noolum - 10 Seats for the academic session 2018-2019 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17013/03/2018-EP (IM-1) for 2018-19 Dated: 04.09.2018.
4	Sivaraj Siddha Medical College, Salem, Tamil Nadu	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission in UG i.e. BSMS course for 50 Seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970	Granted conditional permission with 50 seats in UG (BSMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12013/01/2008-EP (IM-1) for 2018-19 Dated: 24.09.2018.
5	Maria Siddha Medical college and Hospital, Kanyakumari Tamil Nadu.	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission in UG (BSMS) course with 100 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted conditional permission with 100 seats in UG (BSMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12013/01/2015-EP (IM-1) for 2018-19 Dated: 29.09.2018.
6	JSA Medical college for siddha and Research centre, Pali village, N.H.45, Ulundurpet, Villupuram	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission in UG (BSMS) course with 60 seats for the academic session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted conditional permission with 60 seats in UG (BSMS) course for the session 2018-19 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12013/01/2016-EP (IM-1) for 2018-19 Dated: 19.09.2018.



SIDDHA
VISITATION OF COLLEGES

Following Siddha Colleges have been permitted five year by Govt of India

S.No	Name of the college	Recommendation of CCIM to Govt. of India	Decision of Govt. of India
1.	Velumailu Siddha MC, Sriperambudur, Tamil Nadu.	Recommend to Government of India for granting conditional permission for admission in UG i.e. BSMS course for 40 Seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of 5 years permission with 40 seats in UG (BSMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act,1970. R-17013/06/2016-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 25.10.2016.
2.	National Institute of Siddha, Chennai, Tamil Nadu.	Recommend to Government of India for granting conditional permission for admission in PG i.e. MD(Siddha) course for 46 Seats (6 Specialities) viz. 1.Maruthuvam-8 seats, 2.Gunapadam-8 seats, 3.Sirappu Maruthuvam-8 seats, 4.Kuzhanthai Maruthuvam -8 Seats, 5.NoI Nadal -7 seats, 6.Nanju Noolum Maruthuva Neethi Noolum -7 Seats for the academic session 2016-17. under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of 5 years permission with 46 seats 6 Specialities) viz. 1.Maruthuvam-8 seats, 2.Gunapadam-8 seats, 3.Sirappu Maruthuvam- 8 seats, 4.Kuzhanthai Maruthuvam -8 Seats, 5.NoI Nadal -7 seats, 6.Nanju Noolum Maruthuva Neethi Noolum -7 Seats for the academic session 2016-17. R-14013/01/2004-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 05.10.2016.
3.	Govt. Siddha Medical College, Aringnar Anna Hospital campus, Arumbakkam, Chennai-106, (TN)	Recommend to Government of India for granting conditional permission for admission in UG i.e. BSMS -60 Seats & PG i.e. MD (Siddha)- 34 Seats (5 Specialities) viz. 1.Maruthuvam-10 seats, 2.Gunapadam-10 seats, 3.Sirappu Maruthuvam- 5 seats, 4.Kuzhanthai Maruthuvam -5 Seats, 5.NoI Nadal -4 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of 5 years permission with 60 seats in UG (BSMS) course for the session 2016-17 & PG MD (Siddha)- 34 Seats (5 Specialities) viz. 1.Maruthuvam-10 seats, 2.Gunapadam-10 seats, 3.Sirappu Maruthuvam- 5 seats, 4.Kuzhanthai Maruthuvam -5 Seats, 5.NoI Nadal -4 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17013/02/2016-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 24.10.2016.
4.	Sri Sai Ram Siddha Medical College and Research Centre, Chennai, Tamil Nadu	Recommended to Government of India for granting conditional permission for admission in UG i.e. BSMS course for 50 Seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of 5 years permission with 50 seats in UG (BSMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12013/01/2006-EP(IM-1)for 2016-17 Dated: 26.10.2016.
5.	R.V.S. Siddha Medical College, Coimbatore, Tamil Nadu.	Recommend to Government of India for granting conditional permission for admission in UG i.e. BSMS course for 30 Seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granting 5 years permission with 30 seats in UG (BSMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12013/01/2006-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 26.10.2016.

**SOWA-RIGPA****LIST OF SOWA-RIGPA INSTITUTE/COLLEGES**

S.No	Name of Colleges / Institution	Name of Awarding Body	Recognized Medical Qualification
1.	Men-Tsee-Khang Tibetan Medical & Astrological College (TMAC) Gangchen Kyishong, distt. Kangra, Dharamsala-Himachal Pradesh.	Men-Tsee-Khang	1. Menpa Kachupa/UG 2. Menrampa Chugwa/PG
2.	Central Institute Of Buddhist Studies (CIBS) Choglamsar, Leh,194104 Jammu and kashmir	Central Institute Of Buddhist	1. Menpa Kachupa/UG
3.	Central Institute of Higher Tibetan Studies Sarnath Rd, Mavaiya, Sarnath, Varanasi, Uttar Pradesh	Central Institute of Higher Tibetan	1. Menpa Kachupa/UG 2. Menrampa Chugwa/PG
4.	Chagpori tibetan medical institute (CTMI) takdah cantonment darjeeling, W.B.	Chagpori Tibetan Medical Institute	1. Menpa Kachupa/UG

**ADMINISTRATION**

Annexure -A

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI

DETAILS OF VACANCIES AS ON 31.03.2019

S. No.	Name of Post	Number	Group	Filled	Vacant post
1.	Registrar-cum-Secretary	1	A	-	01 (Filled on Ad- hoc basis)
2.	Asstt. Registrar (Ayurved)	1	A	01	-
3.	Asstt. Registrar (Unani)	1	A	01	-
4.	Asstt. Registrar (Siddha)	1	A	01	-
5.	Asstt. Secretary (Admn.)	1	A	01	-
6.	Registration Officer	1	B	01	-
7.	Office Superintendent	1	B	-	01 (Filled on Ad- hoc basis)
8.	Accountant	1	B	01	-
9.	Jr. Hindi Translator	1	B	01	-
10.	U.D.C.	4	C	03	01
11.	Stenographer Grade - II	03	C	01	02
12.	Lower Division Clerk	11	C	10	01
13.	Duplicating Operator	1	C	01	-
14.	Daftary	2	C	02	-
15.	Multi Tasking Staff (Peon)	1	C	01	-
	TOTAL	31		25	06

The CCIM is having 31 sanctioned posts in total. However, every care is being taken to ensure the reservation as per order of Government of India issued from time to time. The position of reservation for different categories is as under:-

1	Scheduled Caste	-	02
2	Schedule Tribe	-	03
3.	OBC.	-	04
4.	Physically Handicapped	-	02

Besides the above Central Council decided to engage of Senior Technical Assistant/Junior Technical Assistant (Ayurved, Unani and Siddha), Legal Consultant, RTI Consultant etc on contract basis on consolidated salary for smooth functionally work of Central Council.

**Name and Designation of regular employees as on 31.03.2019**

S.No.	Name of the Employee	Designation
1.	Dr. Shamshad Bano	Secretary (Ad-hoc) Asstt. Registrar (Unani)
2.	Dr. K. Natarajan	Asstt. Registrar (Siddha)
3.	Dr. Richa Sharma	Asstt. Registrar (Ayurveda)
4.	Sh. Rajesh Kumar Jain	Assistant Secretary (Admn.)
5.	Ms. Kiran	Registration Officer
6.	Sh. Santosh Kumar Upadhyay	Accountant
7.	Sh. Harban Meena	Offic e Superintendent (Ad-hoc)
8.	Ms. Ankita Yadav	Jr. Hindi Translator
9.	Sh. Dharendra Kumar	Stenographer Grade -II
10.	Sh. B.K. Basvaraju	U.D.C. (Under Suspension)
11.	Sh. Nihal Miyan	U.D.C.
12.	Sh. Rajpal Singh	U.D.C.
13.	Sh. Shoukat Ali	L.D.C.
14.	Sh. Rajkumar	L.D.C.
15.	Smt. Shashi Wariyal	L.D.C.
16.	Smt. Monika	L.D.C.
17.	Sh. Santosh Kumar	L.D.C.
18.	Sh. Krishan Kumar	L.D.C.
19.	Sh. Arun Kumar	L.D.C.
20.	Sh. Manoj Sharma	L.D.C.
21.	Sh. Mahesh Chhikara	L.D.C.
22.	Sh. Pyar Singh Meena	Duplicating Operator
23.	Sh. Ramchander	Daftary
24.	Sh. Dharamvir	Daftary
25.	Sh. Rajkumar	MTS (Peon)



FINANCE

BUDGETARY RESOURCES

The Council approved the Budget Estimate and Revised Estimate for the year 2018-19 and sanctioned/released by the Government are as under:-

S.No.		(Rs. in lakh)
1.	Budget Estimate 2018-19 (Approved by the Council)	3060.00
2.	Budget Estimate 2018-19 (Sanctioned by the Ministry)	510.00
3.	Revised Estimate 2018-19 (Approved by the Council)	3079.00
4.	Revised Estimates 2018-19 (Sanctioned by the Ministry)	500.00
5.	Grant-in-aid (Released by Ministry)	485.00



**OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF
AUDIT, CENTRAL EXPENDITURE
NEW DELHI**

No.AMG-II/SAR/7-12/C.C.I.M./2019-20/773

Dated: 06.12.2019

Separate Annual Account of the Audit Report thereon and the Audit Certificate forwarded to Dr. Shamshad Bano, Registrar, Central Central Council of Indian Medicine, 61-65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi – 110058 for necessary action.

Two copies of documents submitted to Parliament, showing the dates when they were submitted to Parliament may be furnished to this office and the Comptroller General of Audit, New Delhi-110024.

Encl: As above

Sd/-
Deputy Director (AMG-II)

No.AMG-II/SAR/7-12/C.C.I.M./2019-20/

Dated: 06.12.2019

Separate Audit Report of Central Central Council of Indian Medicine alongwith Audit Certificate forwarded to Principal Director (Autonomous Body of Report), office of Comptroller & Auditor General of India, 9 Deen Dayal Upadhayay Marg, New Delhi – 110124.

This issues with the approval of the Additional Deputy Comptroller and Auditor Genral (Central Expenditure).

Encl: As above

Sd/-
Deputy Director (AMG-II)



Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Central Council of Indian Medicine for the year ended 31 March 2019.

We have audited the attached Balance Sheet of Central Council of Indian Medicine Council as at 31 March 2019, the Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with clause 86(1) of the Central Council of Indian Medicine Council (General) Regulations 1976. These financial statements are the responsibility of the Council's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observation on financial transactions with regards to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up by the Council in the prescribed by the Government of India, Ministry of Finance.
- iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Council, in so far as it appears from our examination of such books.

iv) We further report that:

A. Income and Expenditure Account

A.1 Income

A.1.1 As per Income & Expenditure Account, an amount of Rs.16.75 crore has been shown under the head 'Fee'. This amount includes the advanced fee (for the year 2019-20) amounting to Rs.6.87 crore and Rs.21.10 lakh relating to fee received from colleges whose details are not available. As the total recoverable fee has been accounted for, there by resulted in overstatement of Income and understatement of Liabilities by the like amount.

A.1.2 As per Schedule - 16, there are investment of Rs.29.74 crore in the form of Fixed Deposits. Further, as per Schedule – 10 (Other Receipts), Rs.12.50 Lakh has been included in Annual Accounts on the Account of actual interest receipt on Fixed Deposits. However, interest accrued on these Fixed



Deposits have not been accounted for. In previous year, accrued interest of Rs.98.06 Lakh on Fixed Deposits was included in the income of Council. Hence, the income of the Council is understated by the amount of accrued interest on Fixed Deposits.

B. General

B.1 Investment of GPF was not made as per the pattern prescribed by Ministry of Finance vide notification no. F. No. 11/14/2013-PR dated 02.03.2015.

B.2 Provisions for gratuity and leave encashment was not made on actuarial basis as required under Accounting Standard -15 of ICAI.

C. Grants-in-aid

The Council had received grants-in-aid of Rs.4.85 crore during 2018-19 from the Ministry of AYUSH. The Council had generated Rs.16.98 crore from its own resources and had unspent balance of Rs.7.82 crore as on 31.03.2018. Thus, out of available amount of Rs.29.65 crore, the Council could utilize a sum of Rs.12.92 crore leaving unspent balance of Rs. 16.73 crore as on 31.03.2019.

v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipt & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi. In our opinion and to the best of our information and accordingly to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure-I to this Audit Report give true and fair view to conformity with the accounting principles generally accepted in India.

a. In so far as it relates to the Balance Sheet of the state of affairs of Central Council of Indian Medicine as at 31 March, 2019 and

b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India

Place: New Delhi
Date: 06/12/2019

Sd/-
Director General of Audit
(Central Expenditure)



Annexure

1. **Adequacy of Internal audit system**
The internal audit of the Council was conducted upto 31.03.2015 by the Internal Audit Wing, M/o Health & Family Welfare.
2. **Adequacy of Internal Control System**
The internal control system was inadequate due to:
a) Risk assessment and Management Information System which are necessary for smooth functioning of the Council were not in place in the Council.
3. **System of physical verification of fixed Assets**
The physical verification of fixed assets was conducted up to 31.03.2019
4. **System of physical verification of inventory**
The physical verification of stationery and other consumables was conducted up to 31.03.2019.
5. **Regularity in payment of dues**
As per accounts, no payments for over six months in respect of statutory dues were outstanding as on 31.03.2019.



CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
(NON-PROFIT ORGANIZATION)
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2019

(Amount Rs.)

	SCHEDULE	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
		NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN	PLAN
LIABILITIES					
CORPUS FUND	1 (NP) & 7 (P)	45663667	4638	48970964	5153
PUBLIC DEPOSIT ACCOUNT/ INVESTMENT AS F.D.	16	297400000	0	263393170	0
CURRENT LIABILITIES	2	17500	0	217500	0
G.P.FUND	3	21161069	0	20011922	0
TOTAL		364242236	4638	332593556	5153
ASSETS					
FIXED ASSETS (SCHEDULE -6)		4122244	4638	4363258	5153
OUTSTANDING FEES	4	13396900	0	17409818	0
G.P.FUND		21161069	0	20011922	0
POSTAGE STAMPS	5	8839	0	9314	0
CLOSING BALANCE :-			0		0
CASH AT BANK (INTERNAL FUND)		28153184	0	17599775	0
INVESTMENT AS F.D.	16	297400000	0	263393170	0
ACCRUED INTEREST PUBLIC DEPOSIT ACCOUNT		0	0	9806299	0
TOTAL		364242236	4638	332593556	5153
NOTES ON ACCOUNTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	18				

Sd/-
(Dr. Shamshad Bano)
REGISTRAR

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE****(NON-PROFIT ORGANIZATION)****INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019**

(Amount Rs.)

	SCHEDULE	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
		NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN	PLAN
INCOME					
Grant-in-aid		48500000	0	28614000	0
Fee	8	167516503		182357047	0
Other Receipts	10	2254284	0	2325457	0
Accrued/Paid interest Public Deposit Account		0	0	9806299	0
Transfer from Public Deposit Account/Investment F.D.		31492378	0	20000000	0
TOTAL A		249763165	0	243102803	0
EXPENDITURE					
Establishment Expenses	11	38628714	0	41971612	0
Administrative Expenses	12	39544509	0	40684659	0
Retirement Benefits	13	9678836	0	8731050	0
Traveling Expenses	15	40124689	0	41334590	0
Depreciation (Schedule-6)		1419497	515	1393770	573
Rectification entry (Schedule 4)		63867918		43039874	
TOTAL B		193264163	515	177155555	573
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		56499002	-515	65947248	-573
Transfer to Public Deposit Account/Investment F.D.		50000000	0	59500000	0
			0	2368376	0
BALANCE BEING SURPLUS/DEFICIT					
CARRIED TO CORPUS FUND		6499002	-515	6447248	-573
NOTES ON ACCOUNTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	18				

Sd/-
(Dr. Shamshad Bano)
REGISTRAR



SCHEDULE-1

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE**CORPUS FUND NON-PLAN**

Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2019

(Amount Rs.)

CORPUS FUND	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
As per last Balance Sheet	48970964		49527336	
Add:- Excess of Income over Expenditure	6499002		6447248	
	55469966		55974584	
Deduction:- Adjusted Accrued interest	9806299		7003620	
Deduction:- Assets de-capitalized/Redemption	0	45663667	0	48970964
TOTAL		45663667		48970964

Sd/-
(Dr. Shamshad Bano)
REGISTRAR

SCHEDULE-2

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE**DETAILS OF CURRENT LIABILITIES**

Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2019

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
Current Liabilities				
Security				
As per last Account	217500		17500	
Addition : during the year	0		200000	
	217500		217500	
Less : Adjusted during the year (Security Refund)	200000	17500	0	217500
TOTAL		17500		217500

Sd/-
(Dr. Shamshad Bano)
REGISTRAR

SCHEDULE-3**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE****G.P.F.**

Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2019

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
G.P.F.				
Investments as F.D.	17512291		16785261	
Cash at Bank	3648778	21161069	3226661	20011922
TOTAL		21161069		20011922

Sd/-
(Dr. Shamshad Bano)
REGISTRAR

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINESCHEDULE-4**DETAILS OF OUTSTANDING FEES**

Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2019

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
OUTSTANDING FEES				
As per last Account	17409818		21249937	
Addition : during the year	60950000		41461755	
	78359818		62711692	
Less : (i) Recovery against outstanding	1095000	77264818	2262000	60449692
Less : (i) Rectification entry (already deposited)	420000		1116627	
(ii) Received advance in 2017-18 for the year 2018-19	58577918		38970000	
(iii) Bad debts (closed colleges)	0		1325000	
(iv) Rectification entry (Difference of fee worked out from 1997 onwards)	0		1628247	43039874
(v) Fee received from ASU Colleges (Not traceable) in the year 2017-18	4870000	63867918		
TOTAL		13396900		17409818

Sd/-
(Dr. Shamshad Bano)
REGISTRAR

SCHEDULE-5**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE****DETAILS OF POSTAGE STAMPS**

Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2019

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
POSTAGE STAMPS				
As per last Account	9314		9719	
Addition : during the year	0		0	
	9314		9719	
Less : Adjustment during the year	475	8839	405	9314
TOTAL		8839		9314

Sd/-
(Dr. Shamshad Bano)
REGISTRAR

SCHEDULE-6**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE**

NON-RECURRING NATURE ASSETS (2018-19) UNDER PLAN

(Amount Rs.)

S. NO.	NAME OF ARTICLE	@ OF DEPRECIATIONS	OPENING BALANCE AS ON 01.04.2018	ADDITION	REDEMP TION	CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2019	DEPRE CIATIO NS	WRITTEN DOWN VALUE
1	Furniture & Fixtures	10%	5153	0	0	5153	515	4638
	TOTAL		5153			5153	515	4638

Sd/-
(Dr. Shamshad Bano)
REGISTRAR



SCHEDULE-6

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NON-RECURRING NATURE ASSETS (2018-19) UNDER NON-PLAN

(Amount Rs.)

S. NO.	NAME OF ARTICLE	@ OF DEPRECIATIONS	OPENING BALANCE AS ON 01.04.2018	ADDITION	REDEMP TION	CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2019	DEPRE CIATIO NS	WRITTEN DOWN VALUE
1	Furniture & Fixtures	10%	1627248	81950	0	1709198	170920	1538278
2	Office Equipments	15%, 25% , 60% & 30%	2223857	1096533	0	3320390	1171754	2148636
3	Air Cooling	15%	512153	0	0	512153	76,823	435330
	Total		4363258	1178483	0	5541741	1419497	4122244

Sd/-
(Dr. Shamshad Bano)
REGISTRAR

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
CORPUS FUND PLAN

SCHEDULE-7

Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2019

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
CORPUS FUND				
As per last Balance Sheet with unspent Grant	5153		25686	
Less : Excess of Expenditure over Income	-515		-573	
	4638		25113	
Less: Assets de-capitalized			19960	
Unspent Grant 2018-19	0	4638	0	5153
TOTAL		4638		5153

Sd/-
(Dr. Shamshad Bano)
REGISTRAR

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE****SCHEDULE-8****Recoverable Fee during the year****Schedule forming part of Income and Expenditure Account as at 31.03.2019**

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Fees recoverable during the year	65560000	70615000
Fees received from the New colleges	8880000	22050000
Fees received from intake capacity/Post Graduate Course	17000000	15800000
Fees received from Penalty	0	3250000
LOI/LOP Fee received from colleges	3120000	4889570
Advance Fee received for the year 2019-20	68702064	58577918
Fees received Enrolment	2084500	2293600
Fees received from Right to Information	59939	10959
Fee Received from ASU Colleges but entries against the colleges could not be made as the relevant information is not available	2110000	4870000
TOTAL	167516503	182357047

Sd/-
(Dr. Shamshad Bano)
REGISTRAR

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE**SCHEDULE-9****Actual Fee Received****Schedule forming part of Receipts and****Payments Account as at 31.03.2019**

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Fees received against outstanding	1095000	2262000
Fees received during the year	4610000	29153245
Fees received against New Colleges	8880000	22050000
Fees received against Intake capacity/Post Graduate Course	17000000	15800000
Fees received against Penalty	0	3250000
LOI/LOP Fee received from colleges	3120000	4889570
Advance Fee for the year 2019-20	68702064	58577918
Fees received against Enrolment	2084500	2293600
Fees received against Right to Information	59939	10959
Fee Received from ASU Colleges but entries against the colleges could not be made as the relevant information is not available	2110000	4870000
TOTAL	107661503	143157292

Sd/-
(Dr. Shamshad Bano)
REGISTRAR



CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE SCHEDULE-10
Other Receipts

Schedule forming part of Receipts and Payments Account as at 31.03.2019

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Interest received against S.B. Account	838396	1303468
Sales of Radhi	0	11432
C.G.H.S. Contribution from Employees	151800	109319
Interest received against FDR	1250088	898238
Misc. Receipts	10000	0
Tender Fee	4000	3000
TOTAL	2254284	2325457

Sd/-
(Dr. Shamshad Bano)
REGISTRAR

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE SCHEDULE-11
Establishment Expenses

Schedule forming part of Receipts and Payments Account as at 31.03.2019

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Pay of Secretary & Staff with N.P.A	12748194	11797562
Dearness Allowance	1080319	4249018
House Rent Allowance	2992273	2180894
Transport Allowance with D.A.	1300272	1375974
Washing Allowance	0	2520
Bonus	145068	131252
Leave Travel Concession	405242	336435
Overtime Allowance/ Compensation Allowance	11214	10916
Honorarium	49000	111250
Contribution to C.G.H.S.	153680	432874
Tuition Fee	246179	191034
Medical Reimbursement	810441	709377
Interest transferred to GPF	493609	355339
Wages	9086478	7229763
Consolidated Salary	8091733	11011207
Contribution to N.P.S Tier-1	561937	961596
Subsistence Allowance	313156	198542
Income Tax	0	86000
Prizes	16000	527300
Leave Encashment	123819	48759
Training to Staff	100	24000
TOTAL	38628714	41971612

Sd/-
(Dr. Shamshad Bano)
REGISTRAR

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE** SCHEDULE-12**Administrative Expenses**

Schedule forming part of Receipt & Payment Account as at 31.03.2019

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Stationery	1336573	1289600
Telephone	103452	128875
Postage & Telegram	441465	329289
Postage Stamps	475	405
Newspapers & Periodical Books	28459	17992
Dress Allowance	20000	41320
Audit Fee	82355	243690
Printing	239384	846770
Legal	4303435	4370387
Publication	1463000	478500
Bank Charges	1740	144802
Maintenance	626818	587248
Miscellaneous	1148882	6673065
T.D.S. to SBI other than Salary	1965146	2251905
I.T. Charges	27665897	22263810
Courier	12375	117286
Taxi Hire	73778	25471
Advertisement	31275	26015
Renovation	0	848229
TOTAL	39544509	40684659

Sd/-
(Dr. Shamshad Bano)
REGISTRAR

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE SCHEDULE-13**Retirement Benefits**

Schedule forming part of Receipt & Payment Account as at 31.03.2019

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Monthly Pension	5212252	5828512
Gratuity	1830907	1036464
Commuted Pension	2484473	1187803
Leave encashment	151204	628160
Leave Salary	0	17781
Pension Contribution	0	32330
TOTAL	9678836	8731050

Sd/-
(Dr. Shamshad Bano)
REGISTRAR



SCHEDULE-14

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE**Fixed Assets**

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Furniture & Fixture	81950	403530
Office Equipment	1096533	1844471
Air Cooling Appliances	0	120375
TOTAL	1178483	2368376

Sd/-
(Dr. Shamshad Bano)
REGISTRAR

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

SCHEDULE-15

Travelling Expenses

Schedule forming part of Receipts &
Payment Account as at 31.03.2019

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
President	2143207	2209117
Vice-President	118401	497593
Secretary/Staff	334245	506208
Executive Committee	3781690	2997513
Sub-Committee	6978593	7069761
Member of Council	3188077	3196089
Visitation of Ayurved	16327719	19978207
Visitation of Unani	3205728	2881524
Visitation of Siddha	234612	99739
Visitation of Sogarigpa	0	188682
DPC/Selection Committee	0	148530
Conveyance Expenses	4460	5770
National Confrence	3194959	0
President Relief Fund	480850	130725
Air Tickets	36568	925132
Hotel	95580	0
Ayurved Parva	0	500000
TOTAL	40124689	41334590

Sd/-
(Dr. Shamshad Bano)
REGISTRAR



CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE SCHEDULE-16
Details of Investment as on 31.03.2019

SL.NO.	ACCOUNT NO.	DATE OF MATURITY	PRINCIPAL AMOUNT
1.	35796147040	Matured on 27-04-2019	99,00,000
2.	35796147641	Matured on 27-04-2019	99,00,000
3.	35796147528	Matured on 27-04-2019	99,00,000
4.	36515375016	Matured on 30-01-2022	90,00,000
5.	36515375301	Matured on 30-01-2022	90,00,000
6.	36515375695	Matured on 30-01-2022	30,00,000
7.	36515358364	Matured on 30-01-2022	90,00,000
8.	36791385811	Matured on 20-04-2019	99,00,000
9.	36791397962	Matured on 20-04-2019	99,00,000
10.	36791396866	Matured on 20-04-2019	99,00,000
11.	37120393239	Matured on 29-08-2022	95,00,000
12.	37120394244	Matured on 29-08-2022	95,00,000
13.	37120394969	Matured on 29-08-2022	95,00,000
14.	37120395555	Matured on 29-08-2022	95,00,000
15.	37120406273	Matured on 29-08-2022	95,00,000
16.	37120407108	Matured on 29-08-2022	95,00,000
17.	37120408781	Matured on 29-08-2022	95,00,000
18.	37197046139	Matured on 27-09-2022	90,00,000
19.	37197102673	Matured on 27-09-2022	90,00,000
20.	37197103439	Matured on 27-09-2022	90,00,000
21.	37681230832	Matured on 2-05-2023	99,00,000
22.	37681259002	Matured on 2-05-2023	99,00,000
23.	37681259535	Matured on 2-05-2023	99,00,000
24.	37681259669	Matured on 2-05-2023	99,00,000
25.	37350419166	Matured on 9-12-2027	25,00,000
26.	35254441935	Matured on 29-09-2020	1,25,00,000
27.	37681259772	Matured on 2-05-2023	99,00,000
28.	38297801556	Matured on 2-03-2021	5,00,00,000
		TOTAL	29,74,00,000

Total 29,74,00,000.00
Bank Balance 2,81,53,184.00
Grand Total 32,55,53,184.00

Sd/-
(Dr. Shamshad Bano)
REGISTRAR

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE** SCHEDULE-17**GENERAL PROVIDENT FUND**
Details of Investment as on 31.03.2019

SL.NO.	ACCOUNT NO.	DATE OF MATURITY	PRINCIPAL AMOUNT
1.	Bank of India Jhandewalan, New Delhi	Special Deposit scheme Account No. 2.	2,85,261
2.	30727318651	Matured on 30.03.2021	10,00,000
3.	31671806380	Matured on 01.06.2019	50,00,000
4.	32507702101	Matured on 22.09.2021	15,00,000
5.	35640890482	Matured on 17.02.2022	37,27,030
6.	36515228889	Matured on 30.01.2022	20,00,000
7.	37555920013	Matured on 23.02.2023	40,00,000
		TOTAL	1,75,12,291

Sd/-
(Dr. Shamshad Bano)
REGISTRAR



SCHEDULE-18

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

Notes on Accounts and significant Accounting Policies

- 1 The Accounts have been prepared under the historical cost convention and on accrual basis.
- 2 Investments had been made in FD in SBI for long terms to avoid the risk factor.
- 3 Accounting of Revenue and capital expenditure are from the Grant and fees received.
- 4 Corpus funds:-

This represents the accumulated balance of Excess of Income over Expenditure mainly from fees and Net value of fixed assets.
- 5 Council has no liability for Gratuity and Commutation of Pension etc. on the Balance Sheet as on date.
6. Depreciation on fixed assets has been prepared for the year 2018-19 as per Schedule - 8 Non Plan & Plan
7. Details of fee has been prepared for the year 2018-19 as per schedule 11 & 12 is shown in Annual Accounts.
8. Accounts of GPF is maintained separately and is shown in Main Balance Sheet
9. The Annual Accounts of the CCIM are approved by the Executive Committee.

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

SCHEDULE-19

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

(Amount Rs.)

RECEIPTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
	NON-PLAN	NON-PLAN		NON-PLAN	NON-PLAN
OPENING BALANCE			Estt. Expenses Sch. 11	38628714	41971612
Cash in Hand	69592	22718			
Cash at Bank	17530183	17844990	Admn. Expenses Sch. 12	39544509	40684659
Postage Stamps	9314	9719	Retirement Benefits Sch. 13	9678836	8731050
			Fixed Assets Sch. 14	1178483	2368376
Grant Received	48500000	28614000	Travelling Exp. Sch. 15	40124689	41334590
			Security Refund	200000	0
Fee Received Sch. 9	107661503	143157292			
			Public Deposit Account	0	57000000
Recovery of Festival Adv.	0	25200			
Investment F.D.	9900000	0	Investment F.D.	50000000	2500000
Public Deposit Account	21592378	20000000	Closing Balances		
			Cash in Hand	79069	69592
Other Receipts Sch.10	2254284	2325457	Cash at Bank	28074115	17530183
Security Deposit	0	200000	Postage Stamps	8839	9314
TOTAL	207517254	212199376	TOTAL	207517254	212199376

Sd/-
(Dr. Shamshad Bano)
REGISTRAR



CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

ANNUAL REPORT 2018-19

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE** SCHEDULE-20**GENERAL PROVIDENT FUND****RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019**

(Amount Rs.)

RECEIPTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
OPENING BALANCE					
Cash at Bank	3226661	1985909	Advances	0	0
Interest Received					
i) Interest earned on F.D	951842	915253	Withdrawal	3885000	1525683
ii) Interest received on S.B. Account	141492	113800	Final Payment	1176026	
iii) Interest transferred from N.P	493609	355339	Investment in F.D	0	4000000
Other Receipts			Closing Balance		
i) Subscription & Recovery of Advances	3896200	2923270	Cash at Bank	3648778	3226661
ii) Matured F.D.R		2458773			
TOTAL	8709804	8752344	TOTAL	8709804	8752344

Sd/-
(Dr. Shamshad Bano)
REGISTRAR



ACHIEVEMENTS OF CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE IN 2018-19

1. Following Regulations has been framed by CCIM with the previous sanction of Govt. of India.
 - (i) Indian Medicine Central Council (Post Graduate Ayurved Education) Amendment Regulation, 2018.
 - (ii) Indian Medicine Central Council (Post Graduate Unani Medical Education) Amendment Regulation, 2018.
 - (iii) Indian Medicine Central Council (Post Graduate Siddha Education) Amendment Regulation, 2018.
 - (iv) Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulation, 2018. (UG Regulation, BAMS, BSMS, BUMS)
 - (v) Establishment of New Medical College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College Regulations, 2019.
 - (vi) Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulation, 2019.
2. Conducted meeting of proposed National Conference of Education Administration and Excellence at New Delhi on 30.10.2018.
3. Conducted National Conference of Education Administration and Excellence at Bangalore on 21-22.01.2019.
4. Conducted Conclave on Prospects & Constraint for Internationally Practicing ISM Professionals at New Delhi on 10-11.03.2019.

FUTURE PROGRAMME

1. Making office of Central Council of Indian Medicine as e-office.
2. All meeting of Central Council of Indian Medicine and its various committees should paper less.
3. Started the visitation report as e-visitation report.

NOTE:- If there is any discrepancy between English and Hindi version, the English version is treated as final.